लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 1.1.84
Parliament Library

[खंड 61 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 18, शुक्रवार, 25 नवम्बर, 1966/4 अग्रहायण, 1888 (शक)
No. 18, Friday, November, 25, 1966/Agrahayana 4, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — **Oral Answers to Questions**

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
511.	उर्वरक और पेट्रो रसायन उद्योगों के लिये उपकरण	Equipment for Fertilizers and Petro-chemical Industries		2239–41
512.	विदेशों के साथ व्यापार	Foreign Trade		2241–43
513.	स्टेपल फाइबर का आयात	Import of Staple Fibre		2243–2245
514.	आयातित अखबारी कागज की लागत	Cost of Imported Newsprint		2245–2249
515.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corpora-tion		2249–2251
516.	राज्य व्यापार निगम	State Trading Corporation		2251–2255
517.	निर्यात प्रोत्साहन योजनायें	Export Incentives Schemes		2255–2256
518.	औद्योगिक नीति संकल्प	Industrial Policy Resolution		2256–2260

प्रश्नों के लिखित उत्तर — **Written Answers to Questions**

तारांकित प्रश्न संख्या	**Starred Questions Nos.**		
519.	मातुंगा और लाडपुरा रेलवे स्टेशनों पर हुई दुर्घटनाओं की जांच	Enquiry into Matunga and Ladpura Railway Accidents	2261
520.	लाइसेंस जारी किया जाना	Issue of Licences	2261–62
521.	प्राथमिकता प्राप्त उद्योग	Priority Industries	2262–63
522.	गांवों में लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योग	Small Scale and Medium Scale Industr-ies in Rural Areas	2263–65
523.	निर्यात नीति	**Export Policy**	
524.	पाकिस्तान के साथ व्यापार	Trade with Pakistan	2265–66
525.	रेलवे कर्मचारियों की बहाली	Reinstatement of Railway Employes	2266
526.	औद्योगिक क्षमता	Industrial Capacity	2267
527.	कोयला मूल्य अध्ययन दल	Coal Prices Study Group	2267–68
528.	अखबारी कागज का आयात	Import of News Print	2268–69

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
529.	सरकारी कर्मचारियों को स्कूटरों का नियतन	Allotment of Scooters to Government Employees		2269—70
530.	जापान को लकड़ी का निर्यात	Export of Wood to Japan		2270
531.	नकली रेशम के कपड़े का निर्यात	Export of Art Silk Cloth		2271
532.	अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint		2271—72
533.	जम्मू तथा काश्मीर सरकार के कथुआ स्थित मिट्टी के वर्तन बनाने के कारखाने के लिये जस्ता चढ़ी नालीदार चादरें	Galvanised Corrugated Sheets for J & K Govt's. Ceramic Unit in Kathua		2272—73
534.	भारत नेपाल व्यापार वार्ता	Indo-Nepal Trade Talks		2273—74
535.	लाइसेंस देने की प्रक्रिया	Licensing Procedure		2274
536.	लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में फालतू कर्मचारी	Surplus Employees in Iron and Steel Controller's Office		2274
537.	रेलवे जौन	Railway Zones		2274—75
538.	रूरकेला इस्पात कारखाने को कच्चे माल का संभरण	Raw Materials Supply to Rourekela Steeel Plant		2275—76
539.	मोटरगाड़ियों के मूल्य	Prices of Automobiles		2276—77
540.	वाशिंगटन के निर्यात आयात बैंक से ऋण	Loan from Export Import Bank, Washmgton		2277—78
अतारांकित प्रश्न संख्या		**Unstarred Questions Nos.**		
2344.	अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint		2278
2345.	लाइसेंस प्राप्त पोर्टर श्रमिक सहायक समिति लिमिटेड से अभ्यावेदन	Representation from Licensed Porters/ Labourers SahayakSamiti Ltd.		2278—79
2346.	किऊल में रेलवे कर्मचारी	Railway Employees at Kiul		2279
2347.	बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के उत्तरादक्षिण में विभिन्न पतनों पर लदान क्षमता में वृद्धि	Increase in Transhipment Capacity at various points North South of Ganga in Bihar and West Bengal		2279—81
2348.	रेलवे के विभिन्न विभागों में कटौती	Reduction in various Departments of Railways		2281—82
2349.	ट्रैक्टर टेलर बनाने के लिये लाइसेंस	Licences to Manufacture Tractor Trailors		2282
2350.	भूवैज्ञानिकों के पदों पर पदोन्नति	Recruitment to the posts of Geologists		2282—83

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2351.	फ्रंटियर मेल रेलगाड़ियों में कोच अटेंडेंट	Coach Attendants Attached to Frontier Mails		2283–84
2352.	सूती धागा मिलें तथा कपड़ा मिलें	Cotton Yarn and Textile Mills		2284
2353.	महाराष्ट्र में अलौह धातुओं की खपत	Non-ferrous Metal Consumption in Maharashtra		2284–85
2354.	अलौह धातुओं का वितरण	Distribution of Non ferrous Metals		2285
2355.	महाराष्ट्र में उद्योगों को तांबे तथा जस्ते के कोटे का दिया जाना	Allotment of Copper and Zinc Quotas to Industrial Concerns in Maharashtra		2285
2356.	मैसर्स संघवी मैटल कारपोरेशन	M/s Sanghvi Metal Corporation		2285–86
2357.	बख्तियारपुर स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर प्लेटफार्म	Plate form at Baktiyarpur Station (E. Rly)		2286
2358.	पटना में गंगा नदी पर रेलवे पुल	Rail Bridge on the River Ganges at Patna		2286
2359.	बख्तियारपुर राजगीर रेलवे लाइन को बढ़ाना	Extention of Bakhtiyarpur Rajgir Railway Line		2286–87
2360.	औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिये लाइसेंस	Licences for Import of Industrial and Consumer Goods		2287
2361.	आयात लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Import Licences		2287–88
2362.	कपड़ा मिलों में मशीनों का आधुनिकरण	Modernization of Machinery in Textile Mill		2288
2363.	सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों की सहायता	Relief to Retired Railway Employees		2289
2364.	रेलवे में अराजकता की जांच करने के लिये समिति	Committee to Enquire into Lawlessness on Railways		2289–91
2365.	उद्योगों को संरक्षण	Protection to Industries		2291–92
2366.	स्टेनलैस स्टील का उत्पादन	Production of Stainless Steel		2292
2367.	विदेशी व्यापार संस्था	Institute of Foreign Trade		2292–93
2368.	झांसी माणिकपुर सेक्शन पर एक्सप्रेस गाड़ी	Express Train on Jhansi Manikpur Section		2293–94
2369.	कपड़ा मिलें	Textile Mills		2294–95
2370.	व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन	United Nations Conference on Trade and Development		2296

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2371.	श्रीलंका को निर्यात	Exports to Ceylon		2296—97
2372.	चाय पर निर्यात शुल्क	Export Duty on Tea		2297—
2373.	बीकानेर रेलवे स्टेशन	Bikaner Railway Station		2298
2374.	राष्ट्रीय कोयला बोर्ड	National Coal Board		2298
2375.	कृषि पर आधारित उत्पादों का निर्यात	Export of Agriculture Based Products		2298—99
2376.	भिलाई के इंजीनियरों की छटनी	Retrenchment of Bhilai Engineers		2299
2377.	पटना स्टेशन पर तांबे का पकड़ा जाना	Seizure of Copper at Patna Station		2300
2378.	झांसी रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Jhansi Station		2300
2379.	झांसी रेलवे वर्कशाप में आग लगने की घटना	Fire in Jhansi Railway Workshop		2300—1
2380.	3 अप आसाम डाक गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of 3 UP Assam Mail		2301
2381.	नींबू घास के तेल का निर्यात	Export of Lemon Grass Oil		2301—2
2382.	चंगेल रेलवे स्टेशन के स्थान पर बदला जाना	Shifting of Chengali Railway Station		2302—
2383.	ओखला औद्योगिक बस्ती, नई दिल्ली	Okhla Industrial Estate, New Delhi		2303
2384.	जमाखोरों के विरुद्ध आन्दोलन	Drive Against Hoarders		2303—4
2385.	एशिया के देशों में जस्ते के अयस्क के उत्पादन के बारे में सर्वेक्षण	Survey of Zinc Ore Production in Asian Countries		2304
2386.	एशियाई ट्रंक रेलवे लाइन	Asian Trunk Rail Line		2304
2387.	कच्चे लोहे के संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Pig Iron Plants		2304—5
2388.	उद्योगों को लाइसेंस देने से सम्बन्धित नियम	Industrial Licensing Rules		2305
2389.	रेलवे कर्मचारियों का प्रशासन के साथ झगड़ा	Railwaymen's Disputes with Administration		2305
2390.	लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences		2306
2391.	पटसन की वस्तुएं बनाने वाली मशीनों का थाइलैंड को निर्यात	Export of Jute Manufacturing Machinery to Thailand		2306

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. No.	Subject	पृष्ठ/Pages
2392.	सितम्बर, 1966 में फुलेरा रेलवे स्टेशन के निकट सवारी गाड़ी पर आक्रमण	Attack on Passenger Train near Phulera in September, 1966		2306—7
2393.	देवारी (राजस्थान) में जस्ता पिघलाने का कारखाना	Zinc Smelter Plant at Debari (Rajashtan)		2307
2394.	उत्तर प्रदेश में रेल गाड़ियों में जंजीर खींचने के मामले	Chain Pulling of Trains in U. P.		2307
2395.	पूर्वोत्तर रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक	Casual Labourers on the N. E. Railways		2307—8
2396.	जगतबेला स्टेशन पर माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Goods train at Jagatbela Station		2308
2397.	बम्बई सैन्ट्रल स्टेशन पर सोना पकड़ा जाना	Recovery of Gold at Bombay Central Railway Station		2308—9
2398.	शिशु आहार (बेबी फूड) का उत्पादन	Manufacture of Baby Food		2309—10
2399.	बिहार में खनिजों का सर्वेक्षण	Mineral Survey of Bihar		2310
2400.	सिक्किम खनन निगम	Sikkim Mining Corporation		2310
2401.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में बचत	Savings in Heavy Engineering Corporation, Ranchi		2311
2402.	पटना सिटी स्टेशन	Patna City Station		2312
2403.	समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Samastipur Railway Station		2312
2404.	चावल के भूसे से तेल निकालना	Extraction of Oil from Rice Chaff		2312—13
2405.	चीनी प्रकाशनों का आयात	Import of Chinese Publications		2313
2406.	उत्तर बिहार में मीटर गेज लाइनों का ब्राड गेज लाइनों में बदला जाना	Conversion of Metre Gauge into Broad Gauge Lines in North Bihar		2313
2407.	दक्षिण वियतनाम को निर्यात	Exports to South Vietnam		2314
2408.	केले का पाउडर बनाने का कारखाना	Banana Powder Factory		2314—15
2409.	रेलवे में भोजन यान	Railway Dining and Restaurant Cars		2315
2410.	कालका दिल्ली हावड़ा मेल में खानपान सम्बन्धी व्यवस्था	Railway Catering Service on Kalka-Delhi Howrah Mail		2316

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2411.	सूती कपड़े का निर्यात	Export of Cotton Fabrics		2316—17
2412.	भाप से चलने वाले इंजिन	Steam Locomotives		2318
2413.	गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को लौह अयस्क की सप्लाई	Supply of Iron Ore to Steel Plants in Private Sector		2318
2414.	बिहार और बंगाल कोयला क्षेत्रों में बेकार खड़े रेलवे माल डिब्बे	Wagons lying idle in Bihar and Bengal Coalfields		2318—19
2415.	वनस्पति घी का निर्यात	Export of Vegetable Oil		2319—20
2416.	कोरबा एलूमिनियम परियोजना के लिये हंगरी का सहयोग	Hungarian Collaboration for Korba Aluminium Project		2320—21
2417.	उत्तर रेलवे के दिल्ली क्षेत्र में अवकाशार्थ कर्मचारियों (लीव रिजर्व) की नियुक्ति	Appoint ment of Leave Reserve Employees in Delhi Area of Northern Railway		2321
2418.	कच्चे माल का समाहार	Procurement of Raw Materials		2321—22
2419.	हिन्दी में टिप्पण (नोटिंग) तथा आलेखन (ड्राफ्टिंग) करना	Noting and Drafting in Hindi		2322
2420.	आयात तथा निर्यात महानियंत्रक के कार्यालय में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी	Hindi knowing Employees in the Office of the Chief Controller of Imports and Exports		2322
2421.	आयात तथा निर्यात महानियंत्रक का कार्यालय	Office of the Chief Controller of Imports and Exports		2322
2422.	हिन्दी जानने वाले अधिकारी	Hindi knowing Officers		2322—23
2423.	टोकियो में प्रदर्शन कक्ष (शोरूम)	Show Room in Tokyo		2323
2424.	रघुनाथपल्ली स्टेशन पर माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Goods Train at Raghunathpalli Station		2323
2425.	आंध्र प्रदेश में हथकारघा उद्योग	Handloom Industry in Andhra Pradesh		2324
2426.	उत्तर रेलवे के मैकेनिकल विभाग में द्वितीय श्रेणी के पदों से लिये चयन	Selection to Class II Service in the Railway Mechanical Department		2325
2427.	रेलवे में तकनी की स्टाफ	Technical Staffs on Railway		2325—26

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2428.	रेलवे वर्कशापों तथा शैडों में फोरमैनों की पर्यवेक्षण भत्ता	Supervisory Allowance to Foremen in Railway Workshops and Sheds		2326
2429.	रेलवे में तकनीकी सुपरवाइजर	Technical Supervisors on the Railways		2326—27
2430.	अहमदाबाद में रेलवे मजदूरों के लिये समान मजूरी	Uniform Rates for Railway Mazdoors at Ahmedabad		2327
2431.	चाय बोर्ड	Tea Board		2327—28
2432.	रेलवे में सेवा निवृत्ति की आयु	Superanuation Age on Railways		2328
2433.	विल्लियावक्कम तथा रामापुरम स्टेशनों के बीच रेल दुर्घटना	Collision between Villivakkam and Ramapuram Stations		2328—29
2434.	इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	Indian Motion Pictures Export Corporation Ltd.		2329—30
2435.	दक्षिण मध्य रेलवे मजदूर संघ	South Central Railway Mazdoor Union		2330
2436.	बम्बई के निकट बिजली की गाड़ी में आग लगाना	Fire to Electric Train near Bombay		2331
2437.	नई दिल्ली में उत्तर रेलवे का तैरने का तालाब	Northern Railway Swimming Pool, Near Delhi		2331—32
2438.	लखनऊ में रेलवे अनुसंधान डिजाइन तथा मानक संगठन कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Railway Research, Design and Standards Organisation Staff, Lucknow		2332
2439.	त्रिवेणी स्टील स्ट्रक्चरल्स नैनी	Triveni Steel Structurals, Naini		2333
2440.	दासमपत्ती पर रेल का पटरी से उतर जाना	Derailment at Dasampatti		2333—34
2441.	स्टेशनों पर हिन्दी में नाम पट्ट	Hindi Name-plates at Stations		2334
2442.	गुजरात में एयर राइफल फैक्टरी	Air Rifles Factory for Gujrat		2334—35
2443.	लुधियाना सरहिन्द सैक्शन के दैनिक यात्री संस्था से ज्ञापन	Memorandum from Daily Travellers, Association Ludhiana Sirhind Section		2335—36
2444.	जम्मू तथा काश्मीर में दस्तकारों की वस्तुओं की सीधी खरीद	Direct Purchase of Handicrafts from Artisans in J & K		2336
2445.	खनिजों का निर्यात	Export of Minerals		2336—37

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2446.	चाय बनाने की मशीनों का निर्यात	Export of Tea Machinery		2337
2447.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्तर्गत मजदूर संघ	Trade Unions under Hindustan Steel, Ltd.		2337—38
2448.	भिलाई इस्पात कारखाने के के कर्मचारी	Bhilai Steel Plant Employees		2338—39
2449.	इस्पात कारखानों में मकान	Residential Accommodation in Steel Plants		2339
2450.	कटिहार जेक्शन स्टेशन पर बड़ी लाइन तथा मीटर गेज रेलवे लाइन	B. G. and M. G. Railway Lines at Kathiar Junctsion Station		2339—40
2451.	पूर्वोत्तर रेलवे में टेलीफोन आपरेटरों की वर्गोन्नति	Upgrading of Telephone Operators on the N. E. Rly.		2340
2452.	सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय	Directorate General of Supplies and Disposals		2340—41
2453.	बंगाल जूट मिल्स, हावड़ा का बन्द होना	Closure of the Bengal Jute Mills Hwrah		2341
2454.	हीरों का आयात तथा निर्यात	Import and Export of Diamonds		2342
2455.	मेहसाना से पालनपुर तक रेलवे लाइन को दोहरा करना	Doubling of Railway line from Mehsana to Palanpur		2342—43
2456.	कालका मेल से भीड़	Rush in Kalka Mail		2343
2457.	उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में इंजन ड्राइवरों फायरमैनों तथा क्लीनरों की वरिष्ठता	Seniority of Locomotive Drivers, Firemen and Cleaners in Delhi Division of Northern Railway		2343—44
2458.	कलकबाल रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म	Platform of Karak Bal Station		2344—45
2459.	इटारसी जंक्शन सदर्न ऐक्सप्रेस तथा कलकत्ता मेल के आने जाने का समय	Timings of Southern Express and Calcutta Mail at Itarsi Jn.		2345
2460.	शकूर बस्ती और दयाबस्ती स्टेशनों के बीच रेलवे फाटक पर दुर्घटना	Accident at Level Crossing between Shakurbasti and Daya Basti Stations		2345—46
2461.	इस्पात ढालने के कारखाने	Steel Casting Factories		2346
2462.	तीसरी योजना में औद्योगिक उपक्रमों में सहयोग	Collaborations in Industrial ventures during Third Plan		2346—47

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2463.	उत्तर प्रदेश में पटसन की मिल	Jute Mill in U. P.		2347
2464.	सीमेंट के कारखाने	Cement Fact ries		2347—48
2465.	खनिज निक्षेपों के लिए वैमानिक सर्वेक्षण	Aerial Surveys for Mineral Deposits		2348
2466.	बर्लिन (जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य) में राज्य व्यापार निगम का कार्यालय	Office of State Trading Corporation in Berlin (GDR)		2348—49
2467.	यूगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य के साथ वस्तु विनिमय सम्बन्धी व्यवस्था	Barter Trade with Yugoslavia and UAR		2349
2468.	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मशीनी औजार कारखाने	Machine Tool Plants in M. P. and U. P.		2349—50
2469.	रेलवे में तोड़ फोड़ की कार्यवाही	Sabotage on Railways		2350
2470.	हड़तालों और बन्दों के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railways due to strikes and Badhsra		2350—51
2471.	रेलवे कुली	Railway Porters		2351
2472.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोकिंग कोयले का उत्पादन	Production of Coking Coal by N. C. D. C.		2351
2473.	दक्षिण पूर्व रेलवे के मुद्रणालयों की क्षमता	Capacity in the Presses of S. E. Railway		2352
2474.	रेलवे प्रतिवेदनों का हिन्दी में प्रकाशन	Publication of Railway Reports in Hindi		
2475.	गांवों के लिये रेडियो	Rural Radio Sets		2352—53
2476.	नंगल डैम रेलवे स्टेशन के रेलवे कर्मचारी	Railway Station Railway Employees at Nangal Dam		2353
2477.	असिस्टेंट पर्सनल आफिसर	Assistant Personnel Officers		2353—54
2478.	कठुआ ऊधमपुर रेलवे लाइन	Kathua Udhampur Railway Line		2354
2479.	मद्रास में हथकरघा वस्तुओं का जमा हो जाना	Accumulation of Handloom Goods in Madras		2354—55
2480.	चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन में ड्राइवर तथा फायरमैन	Drivers and Firemen in Chakradharpur Division		2355
2481.	साफ्ट कोक पर भाड़ा	Freight on Soft Coal		2355—56
2482.	गैर-सरकारी कोयला खानों में अप्रयुक्त क्षमता	Idle Capacity in Private Collieries		2356

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2483.	रासायनिक तथा धातु कर्मिक कार्य सम्बन्धी अराजपत्रित कर्मचारी	Chemical and Metallurgical Non-Gazetted Staff		2356—57
2484.	सीमेंट से नियंत्रण हटाया जाना	Cement Decontrol		2357
2485.	डीजल पम्पों के लिये पुर्जों की कमी	Shortage of Spare Parts for Diesel Pumps		2358
2486.	जम्मू और काश्मीर में सीसे, जस्त और तांबे का खनन	Mining of Lead Zinc and Copper in J. & K		2358
2487.	मध्य प्रदेश में बौक्साइट के निक्षेप	Bauxite Deposits in M. P.		2358—59
2488.	ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors		2359—60
2489.	ट्रैक्टरों के आयात के लिये लाइसेंस जारी करने में विलम्ब	Delay in issue of Licences for the import of Tractors		2360—61
2490.	सियालदह के निकट दार्जिलिंग मेल के ड्राइवर पर हमला	Attack on Driver of Darjeeling Mail near Sealdah		2361
2491.	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के समीप जुआ खेलते हुए रेलवे कर्मचारियों का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of Railway Employees while Gambling near New Delhi Railway Station		2361—62
2492.	दूरगामी डाक। ऐक्सप्रैस रेलगाड़ियों के साथ लगे भोजनयानों के कर्मचारी	Staff of dinning cars attached to long distance Mail Express Trains		2362
2493.	मोटरगाड़ी उद्योग	Automobile Industry		2362
2294.	भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग की खोज कक्ष	Exploration Wing, Geological Survey of India		2362—63
2495.	मैसूर की सीमेंट की आवश्यकता	Cement Requirement of Mysore		2363—64
2496.	मैसूर में रेशम कीट पालन उद्योग का विकास	Development of Sericulture in Mysore		2364—65
2497.	मैसूर राज्य में रेलवे कार्यक्रम	Railway Programme in Mysore State		2365
2498.	लघु तथा कुटीर उद्योग	Small Scale and Cottage Industries		2366—67
2499.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi		2367—68

अतारांकित प्रश्न संख्या विषय	U.S.Q. Nos. Subject	पृष्ठ/Pages
2500. आपातकालीन कमीशन प्राप्त अफसरों को स्कूटरों का नियतन	Allotment of Scooters to Emergency Commissioned Officers	2368
2501. रत्नगिरी में ऐल्यूमिनियम का कारखाना	Aluminium Factory in Ratnagiri	2368—69
2502. भीलाखेड़ी में काम करने वाले रेलवे कर्मचारी	Railway Staff working at Bhilakhedi	2369—70
2503. मध्य प्रदेश के भरसिंहपुर जिले में सर्वेक्षण	Survey in Narsinghpur District of Madhya Pradesh	2370
2504. इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में हुए आन्दोलन के कारण रेलवे को हुई हानि	Loss to Railway due to Steel Plant Agitation	2370
2505. घड़ियां बनाने के कारखाने	Watch Factories	2371
2506. काश्मीर घाटी में सीसा, जस्ता और ताम्बा	Lead, Zinc and Copper in Kashmir valley	2371
2507. कच्ची फिल्म का आयात	Import of Raw Film	2371—72
2508. सम्बलपुर टिटिलागढ़ सैक्शन पर रेल दुर्घटना	Accident on Samnalpur Titlagarh Section	2372—73
2509. सहायक उद्योगों सम्बन्धी उप समिति	Ancillary Industries Sub-Committee	2337
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	2373
रूई उपलब्ध न होने के कारण कपड़ा मिलों के बन्द हो जाने की आशंका	Threatened closure of textile mills on account of non-availability of cotton	2373
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	2374
श्री मनुभाई शाह	Shri Manubhai Sah	2374
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on tho Table	2381
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	2382
कार्यवाही सारांश	Minutes	2382
राज्य सभा के सन्देश	Messages from Rajya Sabha	2383
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	
चौरासीवां और पचासीवां प्रतिवेदन	Eighty-fourth and eighty-fifth Reports	2383
लोकलेखा समिति	Public Accounts Committee	
बासठवा प्रतिवेदन	Sixty-second Report	2384

अतारांकित प्रश्न संख्या विषय	U.S.Q. Nos. Subject	पृष्ठ/Pages
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति उन्नीसवां प्रतिवेदन	Committee on Absence of Members from the sittings of the House Nineteenth Report	2384
सदस्यों को पुकारने का क्रम	Order in which Members are to be called	2384—2386
सभा का कार्य	Business of the House	2386
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का प्रश्न (श्री श्यामलाल सर्राफ तथा श्री हेम बरूआ)	Point of Personal Explanation Shri Sham Lal Saraf and Shri Hem Barua)	2389 2389—2390
संविधान (तेइसवां संशोधन) विधेयक 1966-पुरस्थापित	Constitution (Twenty-third Amendment) Bill 1966— Introduced	2390
नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव तथा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक में संशोधन के बारे में प्रस्ताव	Motion under Rule 388 and Motion Re. Amendment to Representation of People (Amendment) Bill	2392—95
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	Representation of People (Amendment) (Bill)	2395
खण्ड 20—जारी	Clause 2o — Cdtd.	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended	
निवारक निरोध (जारी रहना) विधेयक	Preventive Detention (Continuance) Bill	2402
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री मुहम्मद कोया	Shri Mohammed Koya	2402
श्री शिवनारायण	Shri Sheo Narain	2403
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	2403
निनानवेवां प्रतिवेदन	Ninety — Nineth Report	2403
प्रशासनिक सुधार आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में संकल्प वापिस लिया गया	Resolution Re. Interim Report of Administrative Reforms Commission-withdrawn.	2404
श्री सिंहासन सिंह	Shri Sinhasan Singh	2404
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	2406
अ० श्री ना० विद्यालंकार	Shri A. M. Vidyalankar	2408
श्री अल्वारेस	Shri Alvares	2410
श्री विभूति मिश्र	Sari Bibhuti Mishra	2411
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	2411
श्री हेडा	Shri Heda	2412

अतारांकित प्रश्न संख्या विषय	U.S.Q. Nos. Subject	पृष्ठ/Pages
श्री श० ना० चतुर्वेदी	Shri S. N. Chaturvedi	2413
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	2413
श्री बड़े	Shri Bade	2414
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	2414—15
चौथी योजना के लिये विदेशी सहायता के बारे में संकल्प	Resolution Re. Foreign Aid for Fourth Plan	2416
श्री अल्वारेस	Shri Alvares	2416

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 25 नवम्बर 1966/4 अग्रहायण, 1888 (शक)
Friday, November 25, 1966/Agrahayan 4, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Speaker in the Chair.]**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उर्वरक और पेट्रो-रसायन उद्योगों के लिये उपकरण

***511 श्री यशपाल सिंह :**
डा० रानेन सेन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक तथा पेट्रो-रसायन उद्योगों के लिये विशेष उपकरण बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने का विचार है : और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) :

(क) और (ख). एक विवरण सभापटल का रखा जाता ।

विवरण

(क) उर्वरक, पेट्रोलियम, पेट्रो-रासायनिक तथा धातुकार्मिक उद्योगों के लिये विशेष उपकरण तैयार करने के लिये, जैसे प्रैशर वैसल्स, हीट एक्सचेंजर आदि, सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में दो कारखाने स्थापित करने का है।

(ख) इन कारखानों में से एक अर्थात् "हैवी प्लेट वैसल शॉप" चैकोस्लोवाकिया के मैसर्स "स्कोडाएक्सपोर्ट" के सहयोग से विशाखापटनम में स्थापित किया जा रहा है और इसकी वार्षिक क्षमता 23,000 टन होगी। इससे सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्य पूरा हो गया है। भूमि अर्जित करने का काम पूरा होने वाला है और वहां पर शीघ्र ही काम शुरू हो जायेगा। मूल डिजाइन

के कागज भी शीघ्र ही चैकोस्लोवाकिया से आने वाले हैं। चैकोस्लोवाकिया से लम्बी अवधि में उपकरणों को प्राप्त करने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है। इस परियोजना पर 16.7 करोड़ रुपए लागत आयेगी (बस्ती के अतिरिक्त) जिसमें से 6.70 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा होगी।

दूसरा कारखाना रूमानिया के मैसर्स "इन्डस्ट्रियल एक्सपोर्ट" के सहयोग से स्थापित करने का विचार है और इसकी वार्षिक क्षमता 22,000 टन होगी। इस परियोजना के स्थान के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 13 करोड़ रुपए है (बस्ती के अतिरिक्त) जिसमें 5.36 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा होगी।

Shri Yashpal Singh The Hon. Minister did not state whether other countries were consulted before deciding on collaboration with Czechoslovakia if so the difference in the cost ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : चैकोस्लोवाकिया से बातचीत करने से पहले हमने किसी अन्य से नहीं पूछा था।

Shri Yashpal Singh : Can no other country be allowed to set up a firm here beneficial to the country ? Is it the monopoly of only one country ?

श्री संजीवय्या : चूंकि चैकोस्लोवाकिया ने कुछ ऋण दिया, हमने कुछ परियोजनाओं के बारे में उनसे बातचीत की उनमें से एक यह है।

डा० रानेन सेन : विवरण में यह कहा गया है कि विशेष उपकरण तैयार करने के लिये सरकारी क्षेत्र में दो कारखाने स्थापित किये जायेंगे। यह स्पष्ट नहीं हुआ कि इन दो कारखानों में उर्वरक और पेट्रो-रासायनिक उद्योगों के लिये सभी आवश्यक मशीने और उपकरण तैयार किये जायेंगे। वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री संजीवय्या : विवरण में मैंने बताया है कि न केवल उर्वरक और पेट्रो-रासायनिक उद्योगों के लिये बल्कि पेट्रोलियम और धातुकार्मिक उद्योगों के लिये भी मशीनें और उपकरण तैयार किये जायेंगे।

Shri Sidheshwar Prasad : Sir, it has not been made clear in the statement when the unit to be set up at Vishakhapatnam would be completed and where the other unit to be set up with the collaboration of Rumania will be located and how long it will take to complete it ?

श्री संजीवय्या : विशाखापटनम स्थित कारखाने में अब से दो वर्ष लगेंगे और दूसरे स्थान के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

Shri M. L. Dwivedi : Since the location of the second unit is yet to be decided, may I know whether an expert committee is visiting various places in the country to select suitable site, if so, the sites examined by them so far ?

श्री संजीवय्या : चैकोस्लोवाकिया के एक दल ने हमारे विशेषज्ञों के साथ कुछ स्थानों का दौरा किया था और विशाखापटनम को चुना था। क्योंकि दूसरे कारखाने में रूमानिया से सहयोग

होगा, इसलिये हम रूमानिया से एक दल बुला रहे हैं। वे स्थानों का निरीक्षण करेंगे।

Shri Bibhuti Mishra : Has it come to the notice of Government that North Bihar is backward in every respect. Since there is oil Refinery in Barauni and iron goods units are located in Chhota Nagpur, are Government thinking locating it in North Bihar with a view to uplift this area ?

श्री संजीवय्या : श्रीमान्, यह परियोजना केवल एक बन्दरगाह के निकट ही स्थापित हो सकती है, अर्थात् कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, कोचीन, विशाखापटनम, कांडला आदि में।

विदेशों के साथ व्यापार

+

***512 श्री प्र० रं० चक्रवर्ती**

श्री ब० कु० दास

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों के साथ व्यापार से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में अनुसंधान करने के के लिये व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) क्या निर्यात की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिये विदेशों के बाजारों का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) क्या विदेशों के साथ व्यापार के विशेषज्ञों का एक संवर्ग बनाने की दृष्टि से कोई बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) ये सर्वेक्षण कहां तक वस्तुओं के उत्पादन और उनकी बिक्री को बढ़ाने की दृष्टि से किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां। निर्यात्तोन्मुख उद्योगों के सम्बन्ध में वैदेशिक व्यापार की समस्याओं का अनुसंधान करने के लिये वैदेशिक व्यापार के भारतीय संस्थान के पास एक व्यापक कार्यक्रम है।

(ख) जी, हां। संस्थान ने चुनी हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में बाजार सर्वेक्षण किये हैं जैसे चाय, जूट तथा इंजीनियरी उत्पादों के लिये ईरान तथा इराक में, रासायनिक तथा भेषजीय उत्पादों के लिये सऊदी अरब तथा ईरान में और सूती वस्त्रों के लिये आस्ट्रेलिया में।

(ग) जी, हां। पहिले ही आरम्भ किये गये तीन व्यापक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, संस्थान ने, हाल ही में वैदेशिक व्यापार एक मास का डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा "अन्तर्राष्ट्रीय विपणन की प्रविधियों" सम्बन्धी एक अन्य पाठ्यक्रम आरम्भ किया है।

(घ) ये सर्वेक्षण अनिवार्यत: उत्पादन एवं बिक्री सम्बन्धी होते हैं और केवल सरकारी अंक

संकलन मात्र के लिये नहीं होते और प्रायोजक संगठनों तथा उत्पादों के वर्तमान तथा सम्भाव्य निर्यातकों को उन में प्रत्यक्ष अभिरुचि होती है तथा उनके लिये उनकी उपयोगिता है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : भारत के निर्यात किये जा सकने योग्य माल की परिवर्तनशील लोच को देखते हुए क्या सरकार ने कोई कसौटी निर्धारित की है जिसके आधार पर पहले की निर्यात-राजसहायता तथा आयात शुल्क की नीति को अब बदला गया है, यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

श्री मनुभाई शाह : कुछ महीनों के बाद परिणाम पता लग जायेंगे। नीति का पुनरीक्षण नहीं किया गया है। निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ाने की नीति अब भी जारी है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विकासोन्मुख देशों के पास पुंजीमत माल फालतू रहता है क्या भारत अब विकसित अथवा विकासोन्मुख देशों के साथ व्यवसाय करने में अधिक अच्छी स्थिति में है; यदि हां, तो हमारे निर्यात के लिये कौनसा नया बाजार होगा ?

श्री मनुभाई शाह : भारत में तेजी से होते हुये विकास को ध्यान में रखते हुये हम आज पहले तो आयात की जाने वाली वस्तुओं का आयात न करके उनका देश में निर्माण करके बहुत अधिक राशि बचाने की बहुत अच्छी स्थिति में हैं ; विकसित देशों के बारे में, हमने भी विकास किया है ताकि माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार हम अफ्रीका और एशिया में अपनी मशीनें और पुंजीगत माल भेज सके।

श्री ब० कु० दास : क्या अवमूल्यन और अपनी नई निर्यात नीति के परिणामस्वरूप हमें किसी भी देश में नये बाजार ढूंढने में कठिनाई हो रही है;

श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं। इसके विपरीत इससे हमें नये बाजार स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

श्री त्यागी : क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि इस वर्ष निर्यात की राशि से कितनी अधिक राशि का आयात हुआ और पिछले वर्ष की तुलना में स्थिति क्या है ?

श्री मनुभाई शाह : सभा को मैं पहले बता चुका हूँ कि अवमूल्यन के पश्चात् पहले चार महीनों में व्यापार सन्तुलन 10 करोड़ डॉलर हमारे विपरीत था लेकिन हमें आने वाले महीनों में इसे पूरा कर लेने की आशा है क्योंकि तब तक स्थिति स्थायी हो जायेगी।

श्री दी० चं० शर्मा : में कहा गया है कि संस्था ने चुनी हुई वस्तुओं के बाजार का सर्वेक्षण किया है, जैसे चाय, पटसन, इंजीनियरी सामान, रासायनिक उत्पाद तथा औषध और सूती कपड़े। क्या ये सर्वेक्षण भविष्य में हमारे माल की खपत की संभावना को ध्यान में रखकर किये गये हैं अथवा पहले से ही विद्यमान बाजारों का सर्वेक्षण किया गया है ? क्या पहले से ही हमारे कब्जे में बाजारों को हमने हाथ में रखने के लिये भी कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : वास्तविक स्थिति यही है। पहला कदम तो यह है कि वर्तमान बाजारों को अपने हाथ में रखा जाये। दूसरा कदम य है मांग को बढ़ाना और तीसरा कदम है नये बाजारों का पता लगाना।

श्री अल्वारेस : इस बात को मानते हुये कि अवमूल्यन के पश्चात् पहले चार महीनों में हमारी निर्यात आय में कमी हुई है, मंत्री महोदय ने आशा व्यक्त की है कि भविष्य में स्थिति सुधर जायेगी । वे कौनसी बातें हैं जो स्थिर हो जायेंगी और जिनसे देश का निर्यात बढ़ जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : पहले, तो सभी निर्यात शुल्कों को सुव्यवस्थित कर दिया गया है ताकि निर्यातकों तथा आयातकों को अपनी स्थिति मालूम रहे । दूसरे, सभी रुपये वाले करारों का पुनमूल्यन किया गया है चाहे वे पूर्वी यूरोप के देशों के साथ हों, बर्मा, श्रीलंका अथवा कनाडा हो । 16 अगस्त को निर्यात सहायता योजनाओं की घोषणा की गई है, स्थिति सुधर रही है और आयात उदारीकरण से उत्पादन बढ़ने की आशा है और हमें पहले से अधिक माल मिल सकेगा ।

स्टेपल फाइबर का आयात

\+

***513 श्री मधु लिमये :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 19 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 548 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई की मधुसूदन गोरधनदास नामक फर्म को स्टेपल फाइबर के आयात के लिये जारी किये गये लायसेसों के सम्बन्ध में जांच इस बीच पूरी कर ली है :

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम हैं जो सरकारी विनियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये हैं और इनको क्या सजा दी गई ; और

(घ) उन व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने में अत्यधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1. सभी सम्बद्ध पार्टियों के सम्बन्ध में जांच पूरी कर ली गई है । निम्नलिखित सात मिलों पर मुकदमा चलाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 के अधीन अपराधों के लिये मे० मधुसूदन गोरधनदास तथा मे० धनराज मिल्स के विरूद्ध दुष्प्रेरक होने के रूप में मुकदमे दायर किये गये हैं :—

(1) मै० श्री सीताराम मिल्स, बम्बई ।
(2) मै० न्यू ग्रैट ईस्टर्न स्पिनिंग एवं वीविंग कं० लि०, बम्बई ।
(3) मै० दि न्यू सिटी ऑफ बाम्बे मैन्यू० कं० लि०, बम्बई ।
(4) मै० जे० एण्ड पी० कोट्स इण्डिया लि०, बम्बई ।
(5) मै० दि इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, बम्बई ।
(6) मै० लक्ष्मी विष्णु काटन मिल्स, शोलापुर ।
(7) मै० ब्राडवरी मिल्स लि०, बम्बई ।

मै० मधुसूदन गोरधनदास एण्ड कम्पनी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन मुकदमा चलाया जा रहा है। इन मामलों पर न्यायालय द्वारा अभी निर्णय दिया जाना है।

2. शेष 206 मिलों और सम्बद्ध तीन पदाधिकारियों के विषय में जो जांच पूरी कर ली गई है उन पर कानूनी सलाहकारों द्वारा विचार किया जा रहा है जिससे उनके विरूद्ध मुकदमा चलाया जा सके जो उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दण्ड योग्य पाये गये।

3. यह स्पष्ट है कि कोई परिहार्य अथवा अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है क्योंकि इन सभी मिलों, पदाधिकारियों और पार्टियों के विरूद्ध सभी जांचे 12 महीनों की अवधि में पूरी कर ली गई हैं और शेष के विरूद्ध, जहां सम्भव होगा, बहुत जल्दी ही मुकदमे चलाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त सम्बद्ध पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी शीघ्र ही पूरी कर ली जायेगी।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, on an earlier occasion I had placed certain papers on the table of the House and I have been informed that you have passed them on to the Hon. Minister. These included a letter addressed to Lakshmi Vishnu Cotton Mills Limited from M/S Madhusudan Gordhandas. It **inter alia** contains the following sentence :

"Since then, as the matter has now been amicably settled with the various Government Departments like the Textile Commissioner, the joint chief controller of Imports, special Investigation Branch of Police, the Bank of Tokyo. Customs and other control and state authorities, it has been agreed to release the frosen goods, imported on our behalf against the above mentioned licences."

This letter is dated 25th January, the Hon. Minister has stated in his reply :

"In addition, prosecutions have also been launched, as a betters, against M/S Madhusudan Gordhandas and M/S Dhanraj Mills for offences under Section 5 th the Imports and Exports (Control) Act,.....—"

I had raised this matter on 25th March, this letter about settlement is dated 25th January. He says that prosecutions have been launched. When were prosecutions launched in against M/S Madhusudan Gordhandas in accordance with provisions of the law ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : 26 सितम्बर, 1966 को मधुसूदन गोरधनदास के विरूद्ध अभियोग चलाये गये हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जैसा मैंने मुख्य उत्तर में बताया, पुलिस की जांच पूरी हो गई है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, now it has become clear that it was stated in the letter dated 25th January that settlement was being made. I raised the matter on 25th March and you launched prosecution in September. May I know whether earlier any prosecution was launched in this case of corruption against the concerned officers in the office of the Textile Commissioner or Joint Chief Controller and later it was withdrawn or suppressed for certain obvious reasons ? You have stated in reply to my question as follows :

"Regarding the remaining 46 mills and the 3 officials involved, the investigations which have been completed are being examined by the Legal Advisers with a view to launching prosecution against such of them as are found culpable on the basis of the available evidence."

Now I want to know whether there was any intention to launch prosecution or it was launched earlier in this case, which was later withdrawn for certain obvious reasons ?

Shri Manubhai Shah : In the first instance it is wrong that investigations were started after the Hon. Member raised the point.

Shri Madhu Limaye : He shonld not misquote and mislead. I asked about prosecution and not investigation.

Mr. Speaker : You have put your question, now let him proceed.

श्री मनुभाई शाह : इस सभा के माननीय सदस्यों की सूचना के लिये यह स्पष्ट कर दूं कि जैसे ही सीमा-शुल्क अधिकारियों ने माल पकड़ा इस फर्म तथा अन्य अन्य दोषी लोगों के विरूद्ध तुरन्त जांच की गई थी अर्थात् इस सभा में अथवा बाहर किसी भी द्वारा इस मामले को उठाने से बहुत पहले । इस प्रकार की जांच में कुछ समय लगता है । इसमें पूरे 12 महीने लग गये । इसलिये इसका श्रेय किसी सदस्य को नहीं है कि उसके द्वारा इस प्रश्न को उठाये जाने के बाद ही अभियोग चलाये गये । जैसे ही जांच पूरी हुई, अभियोग चलाये गये । जब भी अग्रेतर जांच से यह सिद्ध होगा कि कोई व्यक्ति दोषी है, उसका कुछ भी स्थान हो, अग्रेतर अभियोग चलाये जायेंगे । अधिकारियों के विरूद्ध कोई अभियोग नहीं चलाये गये थे । इसलिये अभियोग वापस लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । तीन अधिकारियों के विरूद्ध मामले के बारे में विवरण में उल्लेख है । जांच पूरी हो गई है और पुलिस कानूनी सलाह ले रही है । जैसे कानूनी सालह मिल जायेगी, जो भी दोषी पाया जायेगा, छोटा अधिकारी हो या उच्च अधिकारी हो, उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

आयातित अखबारी कागज की लागत

+

*514. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये के अवमूल्यन का आयातित अखबारी कागज की लागत पर वस्तुत: क्या प्रभाव पड़ा है ?

(ख) इस कारण अखबारों की उत्पादन लागत में क्या औसत वृद्धि हुई है : और

(ग) उत्पादन लागत में हुई इस वृद्धि के कारण अखबारों को यदि कोई सहायता दी गई है, तो क्या ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

चूंकि विदेशी सम्भरणकर्त्ताओं के साथ राज्य व्यापार निगम द्वारा की गई संविदाओं में कीमतें पाउंड स्टर्लिंग, अमरीका तथा कनाडा के डालरों में निर्दिष्ट की जाती हैं, अतः भारतीय रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप अखबारी कागज की कीमत रुपयों में लगभग ५७.५ प्रतिशत बढ़ गयी है।

अवमूल्यन के परिणामस्वरूप अखबारी कागज की कीमत बढ़ जाने के कारण अखबारों की उत्पादन लागत में औसत वृद्धि के बारे में कुछ सूचना दे सकना सरकार के लिये सम्भव नहीं है। यह वृद्धि विभिन्न अखबारों के विषय में भिन्न-भिन्न है।

अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयातित अखबारी कागज की कीमत लगभग 400 रु० प्रति मे० टन बढ़ गयी है। सरकार ने प्रति मे० टन कागज पर 50 रु० का सीमा शुल्क और 70 रु० का विनियामक शुल्क खत्म कर दिया है। इन शुल्कों को खत्म करने के पश्चात भी आयातित अखबारी कागज की कीमत लगभग 280 रु० प्रति मे० टन बढ़ गयी है।

समाचार पत्रों को राहत देने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) सरकार ने सरकारी विज्ञापनों पर 10 प्रतिशत के अधिप्रभार को मान लिया गया है।

(2) सरकार ने अतिरिक्त अखबारी कागज के आयात में अमरीकी सहायता गैर-प्रायोजना-ऋण में से 20 लाख रु० की विदेशी मुद्रा देना स्वीकार कर लिया है। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरीका से अखबारी कागज की उपलब्धि में अनिश्चितता प्रतीत हुई अतः सरकार ने लगभग 16,000 मे० टन अतिरिक्त अखबारी कागज के आयते के लिये, अमरीकी सहायता प्रायोजना ऋण के अन्तर्गत 20 लाख अमरीका डालर के बजाय कनाडा विकास ऋण सहायताके अन्तर्गत 20 लाख डालर की विदेशी मुद्रा का आबंटन किया है।

(3) आयातित अखबारी कागज पर से आयात शुल्क और विनियामक शुल्क खत्म कर दिया गया है।

श्री स० चं० सामन्त : विवरण में बताया गया है कि मूल्यों में 400 रुपये मीट्रिक टन और 280 रुपये प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है यद्यपि सरकार ने सीमा शुल्क और विनियामक शुल्क हटा दिया था। क्या समाचार-पत्र संघ से और सहायता दिये जाने के लिये सुझाव प्राप्त हुए हैं; यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं ?

श्री मनुभाई शाह : उन्होंने अधिकार को पूरा समाप्त करने के लिये कहा है, जो संभव नहीं है। कोई और सहायता दिये जाने का विचार नहीं है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या उन देशों से अखबारी कागज आयात करनें का प्रयत्न किया जा रहा है जिन्हें भुगतान रुपये में करना पड़ता है ?

श्री मनुभाई शाह : सामान्यतः जिन देशों के साथ हमने समझौते किये हुए हैं उनके नाम हैं कनाडा, स्कैन्डिने वियाई देश और पूर्वी योरोपीय देश। सभी देशों के साथ बातचीत की गई है और सप्लाई आ रही है।

श्री सुबोध हंसदा : विवरण से प्रतीत होता है कि सरकार अखबारी कागज के लागत-मूल्य में औसत वृद्धि के बारे में बताने की स्थिति में नहीं है लेकिन उसका यह भी कहना है कि यह हर समाचार-पत्र में भिन्न है। यदि ऐसा है तो समाचार-पत्रों की उत्पादन लागत भिन्न भिन्न क्यों है ?

श्री मनुभाई शाह : इस देश में इस क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में उत्पादन लागत अधिकांश विकसित देशों की अपेक्षा अधिक है। इसलिये हमारी लागत अधिक होने से लोग आयातित अखबारी कागज लेना पसन्द करते हैं लेकिन हम इसका समानुपात के आधार पर अलाटमेन्ट करके इस्तेमाल करना चाहते हैं।

Shri M. L. Dwivedi : The Hon. Minister has just now said that no further relief is contemplated but the statement says :

"The following measures have been taken to afford relief to the newspapers :

A surcharge of 10% on Government advertisement had been accepted by the Government."

I want to know whether in view of rise in price to 280 per metric tonnes after giving this relief of 10% Government contemplate to give some more relief as suggested by newspaper organisation ?

Shri Manubhai Shah : Total abolition of surcharge is not possible and no other relief is contemplated.

श्री रंगा : क्या सरकार ने अवमूल्यन के परिणामस्वरूप इन सभी समाचारपत्रों के मूल्यों में और विज्ञापन शुल्क में की गई वृद्धि के बारे में कोई अध्ययन किया है या उन्हें समाचारपत्र संघ से कोई रिपोर्ट मिली है और क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत अथवा अभ्यावेदन मिला है कि इतका सर्कुलेशन कम हो गया है अथवा विज्ञापन शुल्क में वृद्धि के कारण विज्ञापनों से कुल आय कम हो रही है।

श्री मनुभाई शाह : कई अभ्यावेदन थे और यदि माननीय सदस्य इन तीन उपायों पर गौर से ध्यान दें तो उन्हें पता चलेगा कि इनसे उन्हें काफी सहायता मिलती है। उनके भार को कम करने के लिये अखबारी कागज पर आयात शुल्क और विनियामक शुल्क समाप्त कर दिया गया है। सरकारी विज्ञापनों पर 10 प्रतिशत का सरचार्च मंजूर किया गया है ताकि उनकी आय बढ़े। जहां तक उनका सर्कुलेशन कम होने का सम्बन्ध है, हमने आयात किये जाने वाले अखबारी कागज की मात्रा में वृद्धि कर दी है ताकि सर्कुलेशन बढ़े।

Shri Yashpal Singh : Can Government tell us as to how much of the total requirement of newsprint is produced in the country and how much newsprint is imported ? Is it not a sad state of affairs that there is no college of paper technology in our country and when this shortage likely to be met ?

Shri Manubhai Shah : There is no question of college. The raw material is not available here. Everything canot be manufactured in every country. We import raw material from outside and they import that raw material from us which is not available there. We are trying to increase the capacity of this raw material to the maximum possible extent.

Shri Onkar Lal Berwa : At the time of devaluation, Government had declared that prices would not be allowed to increase and if prices rise, Government would give subsidy. The Hon. Minister has just now said that Government have accepted 10% surcharge. Is there no scope of accepting more surcharge ?

Shri Manubhai Shah : Firstly no such assurance was given that Government would bear the increase in prices.

Shri Onkar Lal Berwa : It appeared in press.

Shri Manubhai Shah : It was in case of wheat, rice etc. But so far as neswsprint is concerned, no such assurance was given. What we have done is that, as the newsprint industry is a very important industry, we gave the maximum relief so that their prices do not increase much.

श्री श्यामलाल सर्राफ : आगामी चुनावों और उम्मीदवारों और दलों को दी जा रही सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये सरकार के पास नये समाचारपत्र मंजूर करने के लिये कई आवेदन पत्र आये हैं। क्या आगामी वर्षों में, विशेषत: चुनाव-अवधि में नये मंजूर किये जाने वाले समाचारपत्रों के लिये अखबारी कागज की कोई व्यवस्था है ?

श्री मनुभाई शाह : चुनाव अवधि के लिये हमने कोटे में ढील देने की घोषणा की हुई है। जहां तक समाचारपत्रों का सम्बन्ध है, संविधान में यह नीति निर्धारित है कि सभी छोटे समाचारपत्रों को स्थापित होने दिया जायेगा। इसके लिये जो कुछ भी सम्भव है, हम कर रहे हैं।

डा० सारादीश राय : विवरण में बताया गया है कि समाचारपत्रों को राहत देने के लिये सरकारी विज्ञापनों पर 10 प्रतिशत का सरचार्ज मंजूर किया गया है। इस बात को देखते हुए कि बहुत से समाचारपत्रों को, जो सरकार के विचारों से मेल नहीं खाते, सरकारी विज्ञापन नहीं दिये जाते, क्या सहायता दी जायेगी ?

श्री मनुभाई शाह : इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उनको आयात शुल्क और विनियामक शुल्क में छूट दी गई है :

श्री महेश्वर नायक : अखबारी कागज के देश में उत्पादन और आयात के अन्तर को कम करने के लिये सरकार के प्रयत्न कहां तक सफल हुए हैं ?

श्री मनुभाई शाह : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि यह प्रश्न अवमूल्यन के बाद सहायता देने का है। यह अन्तर तो बना रहेगा।

श्री महेश्वर नायक : यह मैं इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि हम अखबारी कागज के आयात पर बहुत विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

\+

श्री सुबोध हंसदा :

श्री स० चं० सामन्त :

श्री प्र० चं० बरुआ :

*** 515**

श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री भागवत झा आजाद :

डा० म० मो० दास :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का कार्य और अच्छी तरह चलाने के लिये उसको चार अथवा पांच आत्म-निर्भर एककों में विभाजित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार बनाये जाने वाले एककों की संख्या क्या है; और

(ग) यह विभाजन कब होगा और प्रत्येक एकक का मुख्यालय कहां स्थापित किया जायेगा ?

खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सै० अ० मेंहदी)

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के पुर्नसंगठन का प्रश्न विचाराधीन हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री सुबोध हंसदा : क्योंकि इस पर अभी विचार किया जा रहा है, क्या मैं वह समझूं कि सरकार इस निगम के, कुछ समय तक हानि हो रही थी, कार्य से संतुष्ट है ?

श्री सै० अ० मेंहदी : सरकार इसका विकेन्द्रीकरण करने के बारे में विचार कर रही है क्योंकि निगम का विस्तार होने वाला है और इसका कार्य बढ़ जायेगा । तथापि, निगम के कार्य पर निगरानी रखी जा रही है ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार ने इस बात पर विचार कर लिया है कि निगम को चार या पांच यूनिटों में विभाजित करने पर कितना धन व्यय होगा ?

श्री सै० अ० मेहदी : यदि इनको अधिक शक्ति दी जाये और इसका विकेन्द्रीकरण किया जाये तो यह आशा है कि इन सब यूनिटों में हर क्षेत्र में 40 से 50 करोड़ रुपये तक खर्च होंगे ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि मंत्रालय में कोयले के विकास के बारे में कई संगठन हैं ? क्या इसमें विकेन्द्रीकरण करने की बजाय इन विभागों को कम करके एक विभाग बनाया जायेगा ?

खान और धातु मंत्री (श्री सु० के० डे) : विचार यह है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के सदर मुकाम में मुख्यत: प्लानिंग और सुपरवाइजिंग विभाग होगा जिसमें जोन में स्थापित किये जाने वाले यूनिटों के लिये पूरे अधिकार होंगे--हम हर जोन में कोयला खानों के लिये यूनिट बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri M. L. Dwivedi : The zonal units will have their separate headquarters. What will be the increase in expenditure on account of these five or six headquarters ?

श्री सु० कु० डे : हैडक्वार्टर तो पहले ही है । एरिया जनरल मैनेजर है । इस समय अधिकार केवल रांची में है जहां राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का हैडक्वार्टर है और इसलिये वर्तमान जोनल यूनिट व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत थोड़ी पहल होती है । हम यह चाहते हैं कि जोनल यूनिटों को पर्याप्त अधिकार दिये जायें । इस से कार्य सम्बन्धी व्यय में कोई खास वृद्धि नहीं होती ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि व्यय कितना है चाहे वह जो भी हो ?

श्री सु० कु० डे : समूचे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । हमने अभी ये परिवर्तन नहीं किये हैं । अन्तिम निर्णय करने से पूर्व हम यह पता लगायेंगे कि इस प्रकार पुनर्गठन किये जाने से जो लाभ होगा क्या वह अतिरिक्त व्यय के अनुरूप होगा ।

डा० म० मों० दास : तीसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का लक्ष्य 180 लाख टन प्रति वर्ष था । अब ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है । क्या सरकार यह समझती है कि प्रस्तावित पुनर्गठन के परिणामस्वरूप इससे काम अच्छा होगा ?

श्री सु० कु० डे : लक्ष्य प्राप्त न करने में निगम का कोई दोष नहीं है । वास्तव में इस निगम को जो सबसे बड़ी कठिनाई हुई, वह यह थी कि इसको अपने कार्य में बहुत अधिक कमी करनी पड़ी क्योंकि कोयले की मांग में आशातीत वृद्धि नहीं हुई ।

डा० म० मो० दास : क्या अप्रत्यक्ष रूप से यह माना जा रहा है कि योजना बनाने वालों ने गलत काम किया ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Have the NCDC earned huge profits after making retrenchments and appointing temporary perssonel in place of permanent perssonel ?

Shri S. A. Medhi : I do not agree with the views of the Hon. Member. So far as the question of retrenchment is concerned, the position is reviewed every year and the things are done according to requirements.

Mr. Speaker : The Hon. Member says that retrenchment was made to earn more profits ?

Shri S. A. Medhi : No such thing is there.

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या कोयला खानों का आधुनिकीकरण करने के बारे में कुछ समय पूर्व विश्व बैंक का एक दल यहां आया था और यदि हां, तो उस दल ने क्या सुझाव दिये और क्या यह सच है कि इस कार्य के लिये कुछ धनराशि भी नियत की गई थी और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री सैं० आ० मेहदी : आधुनिकीकरण के लिये विश्व बैंक ने लगभग 13 करोड़ रुपये दिये थे और वह धन पिछली योजना में खर्च किया गया था। अब और किसी ऋण की आशा नहीं है और इस समय कोई और योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने गहरी खानें खोदने का कार्य आरम्भ किया है और यह काम नया काम होने की वजह से इसको काफी कठिनाई उठानी पड़ी तो क्या सरकार यह महसूस करती है कि पुनर्गठन को इस संगठन के भाग करने के साथ न जोड़ा जाये बल्कि पुनर्गठन का मतलब केवल सुव्यवस्थित-करण होना चाहिये न कि इसके भाग करना ?

श्री सु० कु० डे० : जी, हां ! माननीय सदस्य का कहना ठीक हैं।

राज्य व्यापार निगम

+

***516. डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस मुख्य उद्देश्य के लिए राज्य व्यापार निगम की स्थापना की गई थी क्या उसे बदल कर निर्यात प्रोत्साहन के स्थान पर आयात प्रोत्साहन कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1966 को समाप्त होने वाले वर्ष में निगम ने कुल 16·74 करोड़ रुपये के मूल्य के सामान का निर्यात किया जब कि कुल 98·71 करोड़ रुपये के मूल्य का सामान आयात किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो हाल के वर्षों में निगम द्वारा किये जाने वाले निर्यात में कमी होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) वित्त वर्ष 1965–66 में निगम ने कुल 17·03 करोड़ रुपये के मूल्य के सामान का निर्यात किया। उसी अवधि में 80·19 करोड़ रुपये के मूल्य के सामान का आयात किया गया।

(ग) खनिजों और धातुओं का निर्यात। आयात व्यापार करने के लिये। अक्टूबर, 1963

से खनिजों का व्यापार नये बनाये गये खनिज तथा धातु व्यापार निगम को स्थानांतरित कर दिया गया। जब यह विभाजन किया गया तब वित्त वर्ष 1963–64 में राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये कुल निर्यात का मूल्य 38·62 करोड़ रुपये था जिसमें 19·30 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष रूप से किया गया निर्यात शामिल था और 1–4–63 से 30–9–63 तक की अवधि में 10·42 करोड़ रुपये के खनिजों का निर्यात भी शामिल था। इस प्रकार खनिजों को छोड़कर राज्य व्यापार निगम द्वारा वित्त वर्ष 1963–64 में 8·88 करोड़ रुपये के मूल्य के सामान का प्रत्यक्ष निर्यात किया गया। 1965–66 में यह धीरे-धीरे बढ़ कर 13·12 करोड़ रुपये तक हो गया। जैसा अन्य वर्षों की तुलना में 1965–66 में किये गये निर्यात से स्पष्ट है, निर्यात में धीरे धीरे वृद्धि हुई है।

डा० म० मो० दास : विवरण से पता चलता है कि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर 'नहीं' है। लेकिन प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्यात के आंकड़े आयात के आंकड़ों से बहुत कम बताये गये हैं। इनसे पता चलता है कि निर्यात संवर्द्धन योजना पर जोर नहीं दिया गया है अर्थात् जहां तक इस संगठन का सम्बन्ध है, निर्यात कम हो रहा है और आयात बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी मन्त्री महोदय कहते हैं कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ाना है।

श्री मनुभाई शाह : पहले आंकड़े दोनों निगमों के उस समय के बारे में हैं जब वे एक थे। भाग (ग) के उत्तर में दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि निर्यात 8·88 करोड़ रुपये से बढ़ कर 13·12 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात् राज्य व्यापार निगम ने निर्यात में वृद्धि की है। यह सच है कि निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक हो रहा है। देश भर में यही हालत है, केवल इसी संगठन में ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार इस संगठन का मूल सिद्धान्त निर्यात को बढ़ावा देना है और रहेगा।

डा० म० मो० दास : राज्य व्यापार निगम भारत सरकार की ओर से अधिकांश आयात करता है। कुछ वस्तुऐं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और उनको एक प्रकार से इसके आयात का एकाधिकार है। ऐसा कहा गया है कि इन आयातित वस्तुओं का मूल्य बाजार में बहुत अधिक है और यह संगठन भारी मुनाफा कमा रहा है। क्या यह बात सच है ?

श्री मनुभाई शाह : यदि ये दुर्लभ वस्तुएँ गैर-सरकारी व्यापारियों और चोर-बाजारियों को सौंप दी जायें तो यह लाभ कुछ ही व्यक्तियों को मिले और उपभोक्ता को हानि हो। इसलिये इन अधिक लाभ वाली वस्तुओं को इस निगम के जरिये बेचा जाता है। वे मूल्य में उचित लाभ जोड़ कर बेचते हैं। ये मूल्य उनको आयात करने के मूल्य से कुछ अधिक हैं लेकिन उस मूल्य से बहुत कम हैं जो तब होते यदि उन वस्तुओं का गैर-सरकारी व्यापारियों को आयात करने दिया जाता।

Shri M. L. Dwivedi : Sometimes back the Hon. Minister had stated and it appeared in press also that after devalution our export has gone down. Had it had its effect on this organisation too. Secondly in the statement, laid on the tables, is said :

"During the financial year 1965—66 the total exports of the corporation amounted to Rs. 17·03 crores." But towards the end of the statement it has been said :

"This gradually rose to Rs. 13·12 crores in the financial year 1965—66."

What is the reason of the difference in these two figures ?

Shri Manubhai Shah : Hon. Member has not properly followed what I said. The

amount of Rs. Seventeen crores is a combined one for both the corporations. Thereafter a new corporation M. M. T. C. came into being. It is due to the dicision of trade between two corporations that such a great difference appeared. The exports made by M. M. T. C. increased from Rs. 8·88 crores to Rs. 13·12 crores. The factual position regarding the export trade is that it has decreased during the last four months.

Shri M. L. Dwivedi : It means it has decreased after devaluation.

Shri Manubhai Shah : It is wrong to connect both.

श्री अल्वारिस : राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किये गये देश के कुल निर्यात में दोनों का अनुपात क्या है ?

श्री मनुभाई शाह : देश का कुल निर्यात लगभग 825 करोड़ रुपये के मूल्य का हुआ जिसमें 100 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात उपरोक्त दो निगमों ने किया। हमारे देश के विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत व्यापक क्षेत्र है। इस लिये विदेशी व्यापार के मामले में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्रों को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : सूती कपड़े का व्यापार करने वाली एक फर्म 5 करोड़ रुपये के मूल्य का कपड़ा निर्यात करती है जबकि राज्य व्यापार निगम केवल 18·94 करोड़ रुपये के मूल्य का माल निर्यात करता है। क्या यह सच है कि यह निगम केवल कुछ ही देशों को व्यापार करता है, सब देशों को नहीं ?

श्री मनुभाई शाह : इस सम्बन्ध में सभा द्वारा यह सिद्धान्त और नीति निर्धारित की गयी थी कि राज्य व्यापार के निगमों के माध्यम से केवल लौह-अयस्क मेंगनीज-अयस्क जैसी वस्तुओं का बड़े पैमाने पर थोक व्यापार किया जायेगा। सूती वस्त्र जैसी वाणिज्यिक सामान का व्यापार परम्परा से व्यक्तिगत स्तर पर ही किया जाता है और सरकार इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहती। फिर भी राज्य व्यापार निगम इस क्षेत्र में अपना व्यापार धीरे-धीरे बढ़ा रहा है। अतः एक व्यक्तिगत फर्म की जिसका उद्देश्य ही पृथक है, तुलना निगम के साथ करना वांछनीय नहीं है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : दोनों की तुलना करने से मेरा तात्पर्य यह था कि निगम के आकार की तुलना में उसके द्वारा किये गये निर्यात की मात्रा बहुत ही कम है।

श्री मनुभाई शाह : यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम और अन्य निगमों के माध्यम से कुल 120 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात किया गया है।

श्री कपूरसिंह : क्या राज्य व्यापार निगम का उद्देश्य अपना अस्तित्व बनाये रखना और अपने मित्रों का उपकार करना है।

श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं। यह बिल्कुल गलत है।

श्री रंगा : यह एक कांग्रेसी कम्पनी है जिससे एकाधिकार दिया गया है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : एक सिद्धान्त यह भी है कि अत्यावश्यक वस्तुओं का व्यापार गैर-

सरकारी व्यापारियों के हाथ में नहीं होना चाहिये । मानव-बाल भी एक ऐसी वस्तु है जिससे काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है । इस सम्बन्ध में देवस्थानम राज्य व्यापार निगम से पत्र व्यवहार कर रहा है, परन्तु निगम उन्हें उचित मूल्य देने को तैयार नहीं है, जबकि कोई निजी व्यापारी उन्हें अब तक उचित भूल्य दे देता । क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी ताकि राज्य व्यापार निगम इस व्यापार को अपने हाथ में ले ले ?

श्री मनुभाई शाह : हमने इस प्रश्न पर व्यापक रूप से विचार किया है । पहले गैर-सरकारी व्यापार में इससे 20 लाख रुपये प्राप्त होता था जबकि चालू वर्ष में हमने इस व्यापार से एक करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की है । दोनों देव स्थान इस व्यवस्था से सन्तुष्ट हैं और दो राज्य सरकारें और धमार्थ महायुक्त द्वारा (कमिश्नर जनरल फार चेरीटीज) इसकी देख-भाल की जाती है ।

डां० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह सच है कि हाल के कुछ महीनों में दोनों निगमों का व्यापार कुछ रुक गया है और आयात लाइसेंस उदारतापूर्वक दिये जा रहे हैं, जिनसे विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयां बढ़ी हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक आयात और निर्यात का सम्बन्ध है, दोनों निगमों के माध्यम से गत चार महीनों में विदेशी व्यापार बढ़ा है और उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आयी है ।

जहां तक आयात का सम्बन्ध है, लगभग वैसी ही स्थिति है । उदारता की नीति गैर-सरकारी क्षेत्र में अपनायी गयी है चूंकि 90 या 95 प्रतिशत आयात गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा ही किया जाता है । यह उदारता की नीति केवल उस कच्चे माल के आयात के बारे में ही अपनायी गयी है जिस की उद्योगों के लिये बड़ी आवश्यकता है ।

श्रीमती अक्कम्मा देवी : सरकार की नीति सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की है । क्या आयात-लाइसेंस देने में सरकार सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता देगी ?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां । माननीय सदस्य इसे पहले से ही जानते हैं ।

श्री काशीराम गुप्त : क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र से किये जाने वाले निर्यात को राज्य व्यापार निगम जैसे सरकारी निगमों द्वारा बढ़ाया जा रहा है । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में बनायी गयी घड़ियां और अन्य उपकरणों का निर्यात इसी निगम के माध्यम से किया जा रहा है ।

Shri Bibhuti Mishra : The book on import and export distributed to us, shows that for the things we export we receive 60% to 75% for them while we have to pay Rs. 125/- instead of Rs. 100/- for the things we import. May I know the import of how many things mentioned therein is being stopped and what are the things to be imported increasingly.

Shri Manubhai Shah : We are reducing the import of all the commodities which are being manufactured in India and which are not essential for our country.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : There are certain things which are supplied by traders to S. T. C. on lower rates, but S. T. C. sells them on higher prices. Is it not a corruption ? May I know whether any enquiry has been conducted into this matter ?

Shri Manubhai Shah : The corporation is working honestly. There is no case of corruption. We want to channelize those things on which there is a great profit in India.

We try that the profit thus obtained should go to community and not to be some individual concerned.

निर्यात प्रोत्साहन योजनायें

+

†*517 **श्री यशपालसिंह ।**
श्री श्रीनारायण दास ।

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवमूल्यन के बाद किन-किन निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को चालू रखने की अनुमति दी गई है अथवा कौन-कौन सी नई निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ आरम्भ की गई हैं ; और

(ख) भुगतान सन्तुलन के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) निर्यात को बढ़ावा देने के लिये अवमूल्यन के बाद जो उपाय अपनाये गये हैं, उनका पूरा ब्यौरा उस विवरण में दिया गया है जो 16 अगस्त 1966 को सभा-पटल पर रखा गया था ।

(ख) भारत के रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित अन्तिम आँकड़ों के अनुसार अगस्त 1966 के अन्त में भारत में विदेशी मुद्रा की राशि, जिसमें सोना भी सम्मिलित है, 428·19 करोड़ रुपये के मूल्य की थी । विदेशी मुद्रा राशि का वर्तमान स्तर लगभग 405 करोड़ रुपये है ।

Shri Yashpal Singh : What is the commodity, which is being exported to foreign countries in the largest quantity ?

श्री मनुभाई शाह : पटसन से बना सामान, लौह-अयस्क, सूती-वस्त्र, चीनी, चाय, काजू, मछलियों से बनी वस्तुएँ आदि ।

Shri Yashpal Singh : There is surplus of blankets in India these days. A large number of blankets are lying unsold in Gandhi Asharam and Khadi Gramodyog Bhawan. May I know whether Govt. are making arrangement, to export them also.

Shri Manubhai Shah : They are not meant for export. They will be sold here. We are allowing a rebate on the sale of blankets and giving other assistance also in that respect.

श्रीमती रेणुका राय : ये घोषणाएं की गयी थीं कि अवमूल्यन के बाद निर्यात में अत्यधिक वृद्धि होगी । परन्तु मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि विदेशी मुद्रा की स्थिति नाजुक होती जा रही है । सरकार निर्यात बढ़ाने और इस स्थिति को संभालने के लिये क्या कर रही है और ऐसी स्थिति पैदा होने के क्या कारण हैं ?

श्री मनुभाई शाह : गत चार महीनों में मन्दी के कारण निर्यात कम हो गया था ।

श्री त्यागी : क्यों ?

श्री मनुभाई शाह : मैं इसके कारण बता चुका हूँ । जैसे अवमूल्यन के परिणामस्वरूप की जाने वाली पूर्ति, करार करना, रुपये को एक स्थिर मुद्रा का रूप देना, निर्यात शुल्कों को युक्तियुक्त बनाना, निर्यात के बढ़ाने के लिये नये कार्य-क्रमों को अपनाना, जिन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है । हमारी यह आशा है कि शीघ्र ही निर्यात फिर पनप जायेगा ।

Shri K. N. Tiwary : The Minister told that jute goods are being exported but we are importing jute from Thailand. What are the rates seperately of imported jute and indigenous jute ?

Shri Manubhai Shah : These days we are paying more prices for jute from Thailand. We are paying 57·5% more prices. That is why we are giving a subsidy of Rs. 25% per ton on Thailand's jute and Rs. 500/- per ton on Pakistani jute. This subsidy has been extended to all the shipments of jute, which will reach India by 31 March 1966 from Thailand and Pakistan.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि इंडियन जूट मिल्स ऐसोसिएशन तैयार माल पर निर्यात-शुल्क में और कमी करने पर जोर दे रही है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मनुभाई शाह : इस उद्योग को सरकार की प्रतिक्रिया बता दी गई थी कि हम कल ही "थाई मस्ता" पर 250 रु० प्रति टन और पाकिस्तानी पटसन पर 500 रु० प्रति टन की राज-सहायता की घोषणा कर चुके हैं, हम निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे ।

Shri Shev Narain : May I know the reasons for not charging the same price in India for the H. M. T. watches as are charged abroad ?

Shri Manubhai Shah : If he can give us foreign exchange, we will have no objection to charge the same rate from him.

Shri Tulsidas Jadhav : May I know the luxury goods hither to being imported, whose import has now been stopped with a view to minimise imports and increase our exports ?

Shri Manubhai Shah : The Hon. Member will find a number of items in the red book laid on the table by me after the devalution, whose imports have been stopped. It is a long list including many steel products, chemicals, fibres, etc.

औद्योगिक नीति संकल्प

+

†*518 **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री ह्व० चा० लिंग रेड्डी :**

श्रीमती सावित्री निगम : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या उद्योग मन्त्री 2 सितम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 811 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले औद्योगिक नीति संकल्प को कार्यरूप नहीं दिया गया है तथा पिछड़े क्षेत्रों और राज्यों को पर्याप्त सुविधाएँ नहीं दी गई हैं जिससे औद्योगिक विषमता बढ़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) :

(क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) और (ख) 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में यह था कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास के स्तरों में धीरे-धीरे विषमता दूर करना महत्वपूर्ण है ताकि औद्योगीकरण से सारे देश की अर्थ-व्यवस्था को लाभ हो सके । यह भी सोचा गया था कि विभिन्न क्षेत्रों में बिजली, परिवहन, पानी आदि जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जायें ताकि देश के प्रत्येक भाग में उद्योगों का समान और समन्वित विकास हो । इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये योजना अवधियों में अनेक उपाय किये गये थे । इन विभिन्न उपायों में से कुछ ये हैं :

(1) तकनीकी आर्थिक बातों की उपेक्षा न करते हुए सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाएं पिछड़े हुए क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक रखना ;

(2) बिजली, पानी और संचार जैसी मूल सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा भावी उद्योगपतियों को बेचने अथवा दीर्घकालीन पट्टे पर देने के हेतु कारखानों के लिये भूमि तैयार करने के प्रयोजन के लिये पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों" की स्थापना ;

(3) गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं के लिये लाइसेंस देने में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देना ; और

(4) राज्य औद्योगिक विकास निगमों की ओर से और उनकी सहायता से उद्योगों को प्रोत्साहन देना तथा उनका विकास करना ।

इन विभिन्न उपायों के करने से औद्योगिक परियोजना सारे देश में अधिक फैली हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उद्योगों के स्थान के बारे में निर्णय करते समय कुछ आवश्यक बातों पर विचार करना होता हैं, उन कठिनाइयों कों दूर करने के लिये इन तथाकथित पिछड़े क्षेत्रों की किस प्रकार सहायता करने का सरकार का विचार है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह सच है कि उद्योगों के लिये स्थान का चुनाव करते समय यथासम्भव कुछ तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। सरकारी क्षेत्र में हमारा यह प्रयास रहता है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हों। राज्यों के सरकारी उपक्रमों की सूची देखने से पता चलेगा कि प्रत्येक राज्य में कुछ सरकारी उपक्रम हैं। पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने और औद्योगिक बस्तियां बनाने के अतिरिक्त, जिसके लिये तीसरी योजना में व्यवस्था की गई है, गैर-सरकारी क्षेत्र में लाइसेंस देते समय भी इस पर ध्यान दिया जाता है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : यह पता लगाने के लिये कि पिछड़े हुए और विकसित क्षेत्रों में विषमता बड़ी है अथवा कम है, क्या वैज्ञानिक आधार पर कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह बढ़ नहीं सकती क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र को ध्यान में रखा जाता है और इसलिये यह कम ही हुई है।

Shri Vishwa Nath Pandey : U. P. is one-fifth of whole of the country but it is the most backward state as public sector industrialisation is concerned. May I know the most advanced and the least advanced states in this regard ? Have Government formulated any programme to narrow down this disparity in the near future ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : चौथी पंच वर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 6 कारखाने खोलने का विचार है।

Shri Maurya : The Hon. Minister stated in his reply that in the matter of location of industries there are two main consideration, one is the advice of the technical experts and the priority to the backwardness of the area. Since the Prime Ministership has gone to U. P., his claims are ignored and the state has become industrially backward. Is it a fact or not ? Technical advisers also recommended many industries to be set up in U. P., as watch industry, but they were not set up. It fulfills both the conditions. Why industrial development of U. P. is not being encouraged ? After U. P. is covered in the list of backward areas or not ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवय्या) : मेरे विचार में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी तकनीकी दल ने उत्तर प्रदेश में कोई कारखाना स्थापित करने की सिफारिश की हो और केन्द्रीय सरकार ने उसे ना मंजूर किया हो। हरिद्वार में बिजली का भारी सामान बनाने का उद्योग-समूह है, जिसकी कुल क्षमता लगभग 100 करोड़ रुपये है। उसके पास ही ऋषिकेश में औषध कारखाना है। फिर हम इलाहाबाद में ढांचे आदि बनाने के कारखाने स्थापित कर रहे हैं। ट्रैक्टर कारखाने के बारे में हम निर्णय कर चुके हैं कि यह बनारस के निकट रामनगर में होगा। हम इस सभा में घोषणा कर चुके हैं कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का एक कारखाना उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जायेगा। गोरखपुर में पहले ही एक उर्वरक कारखाना है। इतने कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है।

श्री रा० बरूआ : प्रदेशों के बीच औद्योगिक विषमता बढ़ती जा रही है जिससे देश के राजनैतिक वातावरण में गड़बड़ी होने की सम्भावना है। क्या सरकार चौथी योजना में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये कोई विशेष उपाय करेगी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम औद्योगिक नीति संकल्प को ध्यान में रख रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं ।

श्री यलमन्दा रेड्डी : मुझे माननीय मन्त्री के विवरण से बहुत आश्चर्य हुआ है । मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का मूल्य आन्ध्र में 10·1, आसाम में 10·4, बिहार में 19·7, गुजरात में 56·7, मद्रास में 29·6, महाराष्ट्र में 86·0, मैसूर में 22·4, उड़ीसा में 14·7, पंजाब में 18·2, उत्तर प्रदेश में 0·2 है । क्या सरकार विभिन्न राज्यों में इस विषमता को कम करने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है और क्या विभिन्न राज्यों के औद्योगिक विकास पर विचार करने तथा सभी की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिये एक आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री संजीवय्या : एक अलग आयोग स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है । विभिन्न राज्यों के औद्योगिक विकास के विभिन्न पहलुओं की योजना आयोग को पूरी जानकारी है । मेरे माननीय मित्र आन्ध्र प्रदेश भी बात कर रहे थे । वहां दूसरी योजना में 1·7 करोड़ रुपये और तीसरी योजना में 46·99 करोड़ रुपए खर्च किये गये । इसलिए हमने इन सब बातों को ध्यान में रखा है ।

श्री ढा० ना० तिवारी : क्या इन तथाकथित उन्नत राज्यों में, जैसे बिहार में, कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए तथा कुछ उन्नत क्षेत्र हैं ? बिहार में उत्तर बिहार एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । क्या सरकार ने उत्तर बिहार में कोई उद्योग स्थापित करने का विचार किया है ताकि यह विषमता दूर हो जाये ?

श्री संजीवय्या : इस बारे में योजना आयोग ने निर्णय किया है और उसने इस मामले में विभिन्न राज्य सरकारों से बातचीत आरम्भ की है ताकि राज्य क्षेत्र में अपनी परियोजनाएं आरम्भ करने में वे पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दे सकें ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : सारे देश में यह भावना व्याप्त है श्री गोविन्द मेनन ने अभी एक दिन विभिन्न राज्यों की ओर से इस बात को रखा भी था कि उद्योगों को सारे देश में नहीं फैलाने और कुछ स्थानों में केन्द्रित करने से पिछड़े क्षेत्र बढ़ गये हैं और पहले ही पिछड़े क्षेत्र और पिछड़े हो गये हैं । क्या इस विषमता का अनुमान लगाने और उसे कम करने, जो सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार भी बढ़ चुकी है, तथा आर्थिक शक्ति को अधिक अच्छी तरह सारे देश में फैलाने के लिये सरकार ने एक विशेष विभाग (सैल) बनाने पर विचार किया है ?

श्री संजीवय्या : मैं कह चुका हूँ कि योजना आयोग बराबर इस प्रश्न पर विचार कर रहा है । इसके अतिरिक्त उद्योग मन्त्रालय में भी इस पर ध्यान देने के लिये विशेष अधिकारी हैं ।

श्री तिरूमल राव : मन्त्री जी की कृपा थी कि उन्होंने कहा कि एक आयोग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि योजना आयोग इन बातों की ओर ध्यान दे रहा है । लेकिन आज समाचार-पत्रों में कहा गया है कि योजना आयोग भंग किया जा रहा है ; दो सदस्य सेवा-

निवृत हो रहे हैं और दो सदस्य त्याग-पत्र दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक आयोग स्थापित करने के अलावा और क्या चारा है ?

श्री संजीवय्या : दो सदस्यों के सेवा-निवृत्त होने अथवा दो सदस्यों के त्याग-पत्र दे देने से योजना आयोग खत्म नहीं हो जाता। कोई आये, कोई जाये योजना आयोग चिरकाल तक रहेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : औद्योगिक नीति संकल्प में एक स्थान पर कहा गया है कि यथासम्भव सरकारी क्षेत्र में कारखाने पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे और बाद में कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र के कारखानों में गैर-सरकारी विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति होगी। क्या दोनों परस्पर विरोधी बातें नहीं हैं ? विदेशी पूंजी लगाने वालों के उद्योगों के स्थान के बारे में अपने विचार होंगे।

श्री संजीवय्या : सरकारी क्षेत्र के कारखानों में गैर-सरकारी पूंजी के लगाये जाने पर भी कोई विरोध नहीं होता क्योंकि आखिर स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय सरकार का होगा।

Shri Bade : A licence was given for setting up of a cement factory but it was not established and similarly fertiliser factory was not set up. After all, do the Government intend to set up any big industry in public or private sector in Madhya Pradesh in the Fourth Plan and to raise the per capita income there or not ?

श्री संजीवय्या : भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में दूसरी योजना अवधि में सरकारी क्षेत्र में 236·9 करोड़ रुपए खर्च किये थे और तीसरी योजना में 230 करोड़ रुपए। इसके अतिरिक्त मैंने कल ही बताया था कि मध्य प्रदेश में दण्डकारण्य में एक कागज और लग्दी निगम स्थापित किया जाने वाला हैं। सीमेंट निगम पहले ही सरकारी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने का निर्णय कर चुका है।

Shri R. S. Pandey : It is there in the preface to the Industrial Policy Resolution that efforts aimed at industrial development of backward areas would be made. Proposals for setting up of a Scooter Factory and a Tractor Factory in Madhya Pradesh were submitted but the application for Tractor Factory was rejected on the ground that it was not received in time. This is not a good policy. What action is being taken on the applications in respect of Madhya Pradesh pending with you ?

श्री संजीवय्या : जहां तक ट्रैक्टर कारखाने का सम्बन्ध है, इस वर्धा के निकट रामनगर में स्थापित करने का निर्णय किया गया है। स्कूटर कारखाने का मामला अभी विचाराधीन है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मातुंगा और लाडपुरा रेलवे स्टेशनों पर हुई दुर्घटनाओं की जांच

+

*519. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

श्री बसुमतारी :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 और 19 जून, 1966 को क्रमशः मातुंगा और लाडपुरा रेलवे स्टेशनों पर हुई दुर्घटनाओं की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं, और

(ग) जांच प्रतिवेदनों के फलस्वरूप क्या निरोधक, दण्डात्मक तथा सुधारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) रेल संरक्षा के आयोग द्वारा दोनों दुर्घटनाओं की सांविधिक जांच अब हो चुकी है ।

(ख) अन्तिम जांच निष्कर्षों के अनुसार ये दोनों दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई ।

(ग) मातुंगा में होने वाली दुर्घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है । दुर्घटना के किये उत्तरदायी ठहराये गये कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी गयी है ।

लाडपुरा दुर्घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने उन कर्मचारियों का चालान करने का अभियान शुरू कर दिया है जो दुर्घटना के समय ड्यूटी पर थे ।

रेल संरक्षा आयुक्त की वे सिफारिशें जो प्रत्यक्षतः मान्य थीं उन्हें मंजूर कर लिया गया है और वे रेलों द्वारा या तो कार्यान्वित की जा चुकी हैं या कार्यान्वित की जा रही हैं । जिन सिफारिशों को विस्तृत जांच करने की जरूरत है उन पर विचार किया जा रहा है ।

लाइसेंस जारी किया जाना

+

*520. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष 320 करोड़ रुपये की लागत के लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सामान्यतः लाइसेंस लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत के जारी किये जाते हैं ;

(ग) क्या सरकार अब भी यह अनुभव करती है कि कुछ क्षेत्रों में अभी अभाव है ;

(घ) क्या अगले वर्ष भी उतनी ही विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी पड़ेगी अथवा क्या उसके स्थान पर काम आने वाला कच्चा माल आन्तरिक साधनों से ही उपलब्ध किया जायेगा ;

(ङ) क्या सरकार ने आयातित वस्तुओं के स्थान पर काम आने वाली वस्तुओं का प्रयोग करने के बारे में कोई योजना बनाई है ; और

(च) क्या यह सच है कि बहुत से साइसेंस प्राप्त व्यक्ति अब यह कह रहे हैं कि रुपया मुद्रा की कमी के कारण उनके लिये अपने लाइसेंसों का उपयोग करना कठिन हो रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ग) : 1966-67 के वर्ष के लिये 30 सितम्बर, 1966 तक जारी किये गये आयात लाइसेंसों का कुल मूल्य 680·11 करोड़ रुपये है जब कि 1965–66 के समूचे वर्ष के लिये जारी किये गये लाइसेंसों का मूल्य 639·72 करोड़ रुपये था।

(ग) जहां तक प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों का सम्बन्ध है, जो कि कुल औद्योगिक उत्पादन के लगभग तीन–चौथाई भाग का उत्पादन करते हैं, कोई अभाव नहीं होगा।

(घ) तथा (ङ) : आगामी वर्ष में भी प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की उचित आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरी करने का विचार है। इस उद्देश्य के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा की वास्तविक आवश्यकता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्तियां क्या हैं और आयात की वस्तुओं के स्थान पर किस मात्रा तक कच्चे माल और संघटकों के देशी उत्पादन को प्रयोग में लाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिये उचित ध्यान दिया जायगा कि जहां सम्भव हो आयात के स्थान पर देशी उत्पादन को प्रयोग में चलाया जाये।

(च) आशा है कि बैंकों के साधन सम्बन्धी स्थिति में सुधार हो जाने से उद्योगों की कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी हो जायगी।

प्राथमिकता प्राप्त उद्योग

+

***521. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिये कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध की गई है और गत पांच वर्षों में इन उद्योगों को जितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी उसके अनुपात में यह राशि कितनी कम व अधिक है ;

(ख) गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष इन उद्योगों ने निर्यात से कितनी राशि कमाई थी और अब जब कि उन्हे यह अतिरिक्त विदेशी मुद्रा दी जा रही है, तो उससे विदेशी मुद्रा के अर्जन में कितनी वृद्धि होने की आशा है ;

(ग) इन उद्योगों को इस प्रकार की विशेष सहायता मिलने से रोजगार में कितनी और वृद्धि होने की सम्भावना है ; और

(घ) इन उद्योगों के उत्पादकों की कीमतें गत पांच वर्षों में समय-समय पर क्या रही हैं और इन उद्योगों के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जाने के फलस्वरूप कीमतों में कितनी कमी हो जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) वर्ष 1966–67 के लिये विदेशी मुद्रा का आबंटन, 1965–66 में किये गये आबंटन का लगभग दुगुना तथा गत चार वर्षों की अपेक्षा लगभग 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत अधिक होगा ।

(ख) : (घ) : इन उद्योगों के गत पांच वर्षों के निर्यात उपार्जन निम्नलिखित हैं :—

	(लाख रुपयों में)
1961–62	3,82,66·8
1962–63	3,82,38·3
1963–64	4,08,76·9
1964–65	4,38,30·9
1965–66	4,39,28·2

चालू वर्ष की आयात नीति के परिणामस्वरूप निर्यात, अतिरिक्त रोजगार तथा मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान, इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता ।

Small Scale and Medium Scale Industries in Rural Areas

***522. Shri Vishram Prasad :**

Will the Minister of Industry be pleased to state :

(a) Whether in view of the growing unemployment Government have drawn up any scheme to start small or medium-scale industries in the rural areas ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) :

(a) Yes, Sir.

(b) The Government of India are taking several steps in order to remove rural unemployment. The establishment of rural industrial estates, the intensive development of selected projects under the Rural Industries Planning Committee set up by the Planning Commission in 1962 and establishment of Growth Centres are the notable steps being taken in this regard :

1. Industrial Estates

During the Third Plan period 216 more Industrial Estates were approved bringing the total number of estates approved upto the end of the Third Plan period to 336 which would be located in rural, semi-rural and urban areas. Of these 198 were functioning at the end of the Plan.

Out of the 283 Industrial Estates completed so far, 125 are situated in urban areas (with a population of more than 50,000), 99 in semi-urban areas (with a population of 5,000 to 50,000) and 59 in rural areas (with a population of less than 5,000). Further 28 rural industrial estates are under construction.

About 3,700 factories are working in these urban, semi-urban and rural estates employing more than 54,600 persons. It is difficult to assess the impact of these estates on rural employment.

2. Rural Industries Projects

The Rural Industries Projects Programme, which was initiated in 1962-63 aims at an intensive development of small industries in selected rural areas. The programme was initially taken up in 45 project areas, the results of which were intended to provide experience under different conditions, for the solution of the problems of unemployment and under-employment in rural areas by providing gainful employment opportunities in non-agricultural sector. Four more areas near large-scale industrial projects at Ranchi, Bhilai, Durgapur, Bhadravati were added in the year 1965-66. The formulation and implementation of the programme is the responsibility of the State Governments. The formulation of the programme in the project areas was preceded by the quick preliminary surveys of project areas to assess the possibilities and potential of development. The actual implementation of the development programme started during the year 1964-65.

3. Growth Centres

Under the Fourth Plan, it is proposed to select a number of 'growth centres' in rural and semi-urban areas. The Fourth Plan Sub Group on Small Scale Industries recommended that in these 'growth centres', efforts should not be restricted to industrial sector alone, the combined effects of developemental programme, agriculture, industries, construction, housing, public works, technical training, social welfare, etc. should be assessed, coordinated and concentrated at the 'growth centres.' Large villages and small towns might be selected as 'growth centres' and developed during Fourth Five-Year Plan provided infra-structure facilities are available at these places.

4. In order to encourage setting up of small scale units, a scheme known as **Credit Guarantee Scheme** has been introduced. The facilities available under this scheme to small scale industries are available to small scale units in rural areas also. The financial or other assistance available to the Industrial cooperative societies are also equally available to such socities in the rural areas.

5. Further, Central assistance in the form of loans and grants is given each year in bulk to the State Governments for the development of Small Scale Industries. Scheme-wise classification of funds is not made by the Central Government and the State Governments are free to uutilise Central assistance so given on their Plan Schemes according to their requirements. The State Governments are thus free to utilise more on the development of small scale units in the rural areas facing unemployment problems.

Export Policy

***523. SHRI ONKAR LAL BERWA :**

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Government are contemplating to further revise the export policy ;

(b) if so, the nature thereof : and

(c) the benefits to be accrued therefrom ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhaishah) :

(a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

पाकिस्तान के साथ व्यापार

+

*** 524. श्री रामसहाय पाण्डेय :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ व्यापार पर लगाये हुए प्रतिबन्ध भारत द्वारा हटा लिये जाने के पश्चात् पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ अपने व्यापार पर लगाया हुआ प्रतिबन्ध हटा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय दोनों देशों के बीच व्यापार एवं वाणिज्य का सम्बन्ध क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बन्द पड़ा है और तब तक पुनः प्रारम्भ नहीं किया जा सकता जब तक पाकिस्तान भी भारत के साथ व्यापार पर लगाए गए प्रतिबन्ध को हटा न ले।

रेलवे कर्मचारियों की बहाली

+

***525. श्री प्रिय गुप्त :**

श्री अल्वारेस :

श्री हरि विष्णु कामत : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय के 5 दिसम्बर, 1963 के निर्णय के अनुसार भारतीय रेलवे कर्मचारी वर्ग संहिता, खण्ड 1 के नियम 148 और 149 शक्ति-वाह्य घोषित कर दिये गये हैं और उन नियमों के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया था उन्हें बहाल माना जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने तक जिन कर्मचारियों को उन नियमों के अन्तर्गत बरखास्त कर दिया गया था अथवा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, उनकी संख्या कितनी है और जिन कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है उनकी संख्या कितनी है तथा अभी कितने कर्मचारियों को बहाल करना शेष है और उन्हें अभी तक बहाल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० रामसुभग सिंह) :

(क) सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 5–12–1963 के निर्णय में यह घोषणा की कि जहां तक स्थायी रेल कर्मचारियों का सम्बन्ध है, भारतीय रेल मिब्बंदी संहिता, भाग 1 के नियम 148 (3) 149 (3) से संवैधानिक उपबन्धों का उल्लंघन होता है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि उपर्युक्त नियमों के अनुसार जिन रेल कर्मचारियों को नौकरी से अलग किया गया था, उन सबकी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप सेवा में पुनर्नियुक्त हुआ समझ लिया जायेगा। सरकार ने इस मामले पर विचार किया और यह विनिश्चय किया कि केवल उन भूतपूर्व कर्मचारियों को पुनर्नियुक्त करने के बारे में विचार किया जाये जो पुनर्नियुक्ति के लिये आवेदन दें और जो कानून की सीमा में पुनर्नियुक्त हो सकें अर्थात् वे रेल कर्मचारी जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख से 6 साल पहले तक की अवधि के भीतर अर्थात् 5–12–1957 के बाद नौकरी से अलग किया गया।

(ख) 5–12–1957 से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होने तक उपर्युक्त नियम के अधीन 248 व्यक्तियों को नौकरी से अलग किया गया था। इनमें से 210 ने पुनर्नियुक्ति के लिये आवेदन दिया और इन सभी 210 कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के लिये आदेश जारी कर दिये गये।

औद्योगिक क्षमता

+

***526. श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्यमान औद्योगिक क्षमता में से कितनी क्षमता का उपयोग इस समय किया जा रहा है ; और

(ख) क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवय्या) :

(क) प्रमुख उद्योगों, जैसे सीमेंट, चीनी, कागज, लोहा और इस्पात तथा बिजली की कुछ वस्तुएँ, जैसे मोटर, ट्रांसफार्मर, के मामले में प्रतिष्ठापित क्षमता का लगभग पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। तथापि कुछ उद्योग हैं, मुख्यत: कुछ नये इंजीनियरी और रासायनिक उद्योग तथा दुर्लभ आयातित कच्चे माल पर, जैसे अलौह धातु और गंधक, निर्भर रहने वाले उद्योगों, जिनमें उत्पादन क्षमता से बहुत कम हो रहा है।

(ख) वर्तमान क्षमता का अधिक उपयोग हो सके, इसके लिये अनेक उपाय किये गये हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) 59 प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिये, जिनमें $\frac{3}{4}$ औद्योगिक उत्पादन होता है, छः महीने की पूर्ण आवश्यकता के आधार पर विदेशी मुद्रा की व्यवस्था।

(2) आयात किये जाने वाले कच्चे माल और पुर्जों आदि का देश में तैयार करने के निरन्तर प्रयास।

(3) अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के हेतु निर्यात को बढ़ाने के उपाय ताकि निर्माता-उद्योगों के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की जा सके।

कोयला मूल्य अध्ययन दल

+

***527 श्रीमती विमला देवी :**

क्या **खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला मूल्य अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है।

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

खान तथा धातु मन्त्री (श्री सु० कु० डे) :

(क) से (ग) अध्ययन मंडल ने पश्चिमी बंगाल बिहार कोयला क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आसाम एवं आन्ध्र प्रदेश आदि अन्य कोयला क्षेत्रों की रिपोर्ट अभी आनी हैं।

पश्चिमी बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों के बारे में अध्ययन मण्डल की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) श्रेणी एच० एच० को छोड़कर कोकिंग कोयले की सभी श्रेणियों के लिये तथा श्रेणी 2 और 3 को छोड़कर सभी श्रेणियों के नान–कोकिंग कोयले पर 20 पैसा प्रति टन की मूल्य वृद्धि।

(2) पेमैंट आफ बोनस एक्ट 1965 के अधीन हिसाबी वर्ष 1964 में बोनस दिये जाने के कारण कोयला उद्योग को राहत देने के उद्देश्य से केवल एक वर्ष के लिये कोकिंग और नान कोकिंग कोयले की सभी श्रेणियों पर 37 पैसा प्रति टन की मूल्य वृद्धि ;

(3) कोकिंग कोयले के क्षेत्र में अतिरिक्त लागत के लिये धनराशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोयले की सभी श्रेणियों पर एक रुपये प्रति टन का अतिशुल्क लगाया जाना।

सरकार अध्ययन मण्डल की सिफारिशों की जांच कर रही है।

अखबारी कागज का आयात

+

***528. श्री रामचन्द्र मलिक :**

श्री सुधांशु दास : श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने 10,000 मीट्रिक टन अखबारी कागज के अतिरिक्त आयात के लिये वी / ओ० एक्सपोर्टल्स, मास्को के साथ करार किया है ;

(ख) इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने 1966–67 में कुछ अन्य देशों से अखबारी कागज के आयात के लिये कोई करार कर रखे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो हमारे देश में वस्तुतः कुल कितने अखबारी कागज की आवश्यकता है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) तथा (ख) : राज्य व्यापार निगम ने 28–10–66 को सोवियत रूस में मास्को स्थित वी/ओ० एक्सपोर्टल्स के साथ जनवरी–जून, 1967 में 112.84 लाख रुपये की 10,000 मे० टन अखबारी कागज की रीलों के आयात के लिये करार किया जिसकी दर मुख्य भारतीय बन्दरगाहों पर पहुँचकर लागत-बीमा-भाड़ा सहित शुद्ध मूल्य के लिये कुल 53,07,6 पाउंड प्रति मे० टन होगी ।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने अन्य देशों से अखबारी कागज का आयात करने के लिये पहले ही ये करार किये हुये हैं :—

		मे० टन
1.	कनाडा (वाणिज्यिक आयात)	25,000
2.	कनाडा (कोलम्बो योजना सहायता)	7,660
3.	कनाडा (कनाडा विकास ऋण सहायता)	15,267
4.	स्कैंडिनेवियाई देश	3,453
5.	सोवियत रूस (उन 10,000 मे० टन को शामिल करके, जिसके लिये हाल में हस्ताक्षर किये गये)	55,000
6.	चैकोस्लोवाकिया (अतिरिक्त 2,000 मे० टन शामिल करके)	8,000
7.	पोलैण्ड (अतिरिक्त 2,000 मे० टन को शामिल करके)	4,000
8.	जर्मन प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य	1,000
9.	अमरीकी सहायता गैर-प्रायोजना ऋण के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका	5,268

अमरीकी सहायता गैर-प्रायोजना ऋण के अन्तर्गत आयात की जाने वाली कुल मात्रा 20,921 मे० टन है । राज्य व्यापार निगम ने 15,653 मे० टन की शेष मात्रा के लिये टेण्डर पुनः जारी कर दिये हैं ।

इसके अतिरिक्त "सामान्य क्षेत्रों" से मुक्त विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत 5,000 मे० टन चमकीला अखबारी कागज आयात किया जाता है जिसके लिये राज्य व्यापार निगम ने किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं ।

(घ) लगभग 2 लाख मे० टन ।

सरकारी कर्मचारियों को स्कूटरों का नियतन

+

***529. श्री स० मो० बनर्जी :** **श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा :**
श्री हेम बरुआ : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री अल्वारेस : **श्री दाजी :**

श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :
श्री उमानाथ :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री वीरेन दत्त :
श्री पु० व० राघवन :
श्री मं० वें० स्वामी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री ओंकारसिंह :
श्रीमती विमला देवी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री नाम्बियार :
श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री दशरथ देव :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री मधु लिमये :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटरों के नियतन के मामले में 350 रुपये की वेतन सीमा को कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, ताकि दूरस्थ स्थानों में रहने वाले कम आय वाले कर्मचारी भी सरकारी अभ्यंश से स्कूटर प्राप्त करने के पात्र हो सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : जी, नहीं। तथापि कम आय वाले वर्ग के कर्मचारियों को नियतन के लिये केन्द्रीय सरकार के अभ्यंश में पर्ल याहमा और विकी मोपेड जैसी कम मूल्य वाली मोटर गाड़ियां शामिल की गई हैं।

जापान को लकड़ी का निर्यात

+

***530 श्री फिरोडिया :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानी दल ने, जो हाल ही में भारत आया था, आशा व्यक्त की है कि भारत जापान को उसके लुग्दी उद्योग के लिये, प्रति वर्ष 75 लाख रुपये की लकड़ी बेच सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) एक जापानी नागरिक श्री हेसगावा जनवरी, 1966 में भारत आये थे और भारत से 60 लाख रुपए की लकड़ी के निर्यात में रुचि दिखाई थी।

(ख) श्री हेसगावा से विस्तृत प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

नकली रेशम के कपड़े का निर्यात

+

†531. श्री उ० मू० त्रिवेदी : श्री यशपाल सिंह :
श्री छ० म० केदरिया : श्री सू० ला० वर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या नकली रेशम के कपड़े के निर्यात के बारे में अब तक कोई निर्यात नीति निर्धारित नहीं का गई है ;

(ख) व्यापारियों तथा निर्माताओं के गोदामों में नकली रेशम के कपड़े का कुल कितना स्टाक पड़ा हुआ है ; और

(ग) इस कपड़े के निर्माण तथा निर्यात के लिये यदि कोई प्रोत्साहन दिये गये हैं तो क्या ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी)

(क) से (ग) नकली रेशम के कपड़ों का निर्बाध रूप से निर्यात करने की अनुमति है । इसके निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । परन्तु सरकार इनके निर्यात के लिये कोई सहायता योजना तैयार नहीं कर रही है । राज्य व्यापार निगम इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या वह नकली रेशम के कपड़ों के निर्यात को आयोजित करने में सहायता कर सकता है । किन्तु इस प्रकार के प्रबन्ध में भी काफी समय लगेगा । अतः सरकार नकली रेशम बुनाई उद्योग को अपने कपड़े का अपने आप ही निर्यात करने के लिये भरसक प्रयत्न करने की सलाह देती रही है ।

नकली रेशम के कपड़े का कुछ स्टाक जमा हो गया है । किन्तु निर्यात तो वार्षिक उत्पादन का मुश्किल से 5 प्रतिशत था, अतः इनके निर्यात में हुई कोई कमी उसके स्टाक जमा होने का बड़ा कारण नहीं हो सकती । स्टाक जमा होने का मुख्य कारण तो उपभोक्ता वस्तुओं की, जिसमें सभी प्रकार के कपड़े शामिल हैं, निकासी में व्यापक मन्दी है ।

अखबारी कागज का आयात

+

†532 श्री हरिविष्णु कामत :

क्या वाणिज्य मन्त्री 26 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 712 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि आयात करने वाले एक एजेंट ने, जिसने लागत-बीमा-भाड़ा दर से अधिक राशि वसूल की थी, अधिकार पत्र की शर्तों तथा आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियम के नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस एजेंट के विरुद्ध कार्यवाही न की जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या मुख्य आयात नियंत्रक को लाइसेंस धारी की अनुमति लिये बिना लाइसेंस धारी

की ओर से आयातित अखबारी कागज किसी अन्य सार्थ को बेचने की अनुमति देने का अधिकार प्राप्त है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : **(क) तथा (ख)** : अधिकार पत्र केवल एक समर्थकारी दस्तावेज है जिससे इसका धारक लाइसेंस प्राप्तकर्ता की ओर से लाइसेंस का प्रयोग कर सकता है और यह लाइसेंस प्राप्तकर्ता की विशिष्ट प्रार्थना पर जारी किया जाता है। अधिकार पत्र निम्नलिखित शर्तों पर जारी किये जाते हैं और अधिकार पत्र के धारकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न तभी उठता है जबकि इन शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन किया गया हो।

(1) जिस व्यक्ति अथवा व्यापार संस्था के पक्ष में अधिकार पत्र जारी किया गया है, वह लाइसेंस प्राप्त-कर्ता के एक एजेंट के रूप में ही कार्य करेगा और आयातित माल, सीमा शुल्क द्वारा निकासी के समय तथा उसके बाद दोनों स्थितियों में, लाइसेंस प्राप्तकर्ता की सम्पति रहेगा। लाइसेंस प्राप्तकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि आयात होने पर माल की सुपुर्दगी उसको की जायेगी और उसका निबटान अन्यथा नहीं किया जायेगा। लाइसेंस प्राप्तकर्ता अधिकार पत्र के धारक को माल के निवटान करने का प्राधिकार न देगा और न दिलवायेगा।

(2) अधिकार पत्र का धारक तमाम सम्बन्धित सीमा शुल्क प्रदेशों पर, जिसमें सीमा शुल्क आयात-पत्र की त्रि-प्रति भी शामिल है, स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि माल का आतात उसके द्वारा लाइसेंस प्राप्तकर्ता की ओर से किया गया है। इस पृष्ठांकन को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रभावित किया जायेगा।

(3) अधिकार पत्र का धारक किसी भी अवस्था में ऐसे आधार पर किसी कोटा लाइसेंस अथवा कोटा प्रमाणपत्र का हकदार नहीं होगा।

(ग) आयात (नियन्त्रण) आदेश 1955 के अन्तर्गत आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक को अधिकार है कि यदि किसी माल के आयात के समय या उसके पश्चात् किसी समय, लाइसेंस-धारी को उस मामले में सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, मुख्य नियन्त्रक का समाधान हो जाये कि ऐसे माल का उपयोग उस प्रयोजन के लिये नहीं किया जा सकता, जिसके लिये उसका आयात किया गया था तो वह आयातित माल की बिक्री के लिये निदेश दे सकता है।

जम्मू तथा काश्मीर सरकार के कथुआ स्थित मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने के लिये जस्ता चढ़ी नालीदार चादरें

+

***533. श्री मधु लिमये** : **डा० राममनोहर लोहिया** :

क्या लोहा और इस्पात मंत्री 12 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 420 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने कथुआ में मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने

के लिये उसको दी गई जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों के दुरुपयोग के बारे में केन्द्रीय सरकार को इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) क्या उपरोक्त फर्मों के ग्रुप ने आयात लाइसेंसों/तांबा, जस्ता आदि आयातित माल का भी दुरुपयोग किया है ;

(ग) क्या मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो समवाय अधिनियम/उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

लोहा और इस्पात मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह) :

(क) जी, हां ।

(ख) कटुआ स्थित मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने द्वारा जस्ता और तांबा आदि आयातित वस्तुओं के दुरुपयोग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने का निर्माण-कार्य 1961-62 में आरम्भ हुआ था । यद्यपि इस कारखाने में सैनेटरी फिटिंग्स का परीक्षण उत्पादन 1963 के अन्त में आरम्भ हुआ था, मई, 1965 में काम बन्द कर दिया गया ।

(घ) उपरोक्त भाग (क) के बारे में मामला जांच के लिये केन्द्रीय जांच विभाग को सौंप दिया गया है ।

भारत-नेपाल व्यापार वार्ता

+

***534. श्री श्रीनारायण दास : श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नेपाल व्यापार वार्ता पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई निश्चित आश्वासन दिया गया है कि नेपाल को निर्यात किया गया भारतीय सामान पुनः किसी अन्य देश को निर्यात नहीं किया जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) और (ख) प्रधान मन्त्री की हाल की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच भारत-नेपाल व्यापार से सम्बन्धित मामलों पर भी विचार-विमर्श हुआ था ।

विचार-विमर्श को जारी रखने का निर्णय किया गया था, जिसके लिये दिसम्बर, 1966 के उत्तरार्ध में भारत से एक प्रतिनिधी-मंडल के काठमांडू जाने की आशा है।

(ग) नेपाल सरकार ने आश्वासन दिया है कि नेपाल को निर्यात किया गया भारतीय सामान पुनः किसी अन्य देश को निर्यात नहीं किया जाता, इसके लिये जहां तक व्यावहारिक होगा सभी आवश्यक कार्यवाही करते रहेंगे।

Licensing Procedure

***535. Shri Yashpal Singh :**
Shri Indrajit Gupta :
Shri Vasudevan Nair :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government propose to relax the licensing procedure further with a view to encourage the establishment of new Companies ;

(b) if so, the nature of relaxation envisaged ; and

(c) when the decision is likely to be taken in regard thereto ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c) : Government have recently exempted 29 more industries from the licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. Attention in this connection is invited to the statement made in the House on the 14th November, 1966.

लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में फालतू कर्मचारी

+

***536. श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् कलकत्ता स्थित लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के लगभग 700 कर्मचारी फालतू घोषित कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें बराबर का दूसरा रोजगार देने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) :

(क) और (ख) जी, नहीं। अब तक केवल 111 कर्मचारी फालतू घोषित किये गये हैं। उन सभी को अन्य सरकारी विभागों/कार्यालयों में बराबर का दूसरा रोजगार मिल गया है।

रेलवे जोन

+

***537. डा० लक्ष्मीमल सिंघवी :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न ज़ोनल रेलवे का तुलनात्मक रेलवे किलोमीटरों में फासला, कर्मचारियों और श्रमिकों की संख्या तथा क्षेत्रफल कितना-कितना है ;

(ख) रेलवे के सब से बड़े और सबसे छोटे ज़ोनों के आकार में कितना अन्तर है ;

(ग) क्या ज़ोनों के पुनर्गठन तथा वैज्ञानिकन के बारे में विचार किया गया है और इसके परिणामों का मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका मोटा ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक बयान रख दिया गया है जिसमें यह दिखाया गया है कि 2–10–1966 का दक्षिण–मध्य क्षेत्रीय रेलवे बनने से पहले आठ क्षेत्रीय रेलों में से प्रत्येक की लम्बाई कितने किलोमोटर थी और प्रत्येक की चालू लाइन पर कितने कर्मचारी काम कर रहे थे। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7422/66]। नवीं क्षेत्रीय रेलवे बनने के फलस्वरूप दक्षिण और मध्य रेलवे की किलोमीटर लम्बाई का तीन क्षेत्रीय अर्थात् मध्य, दक्षिण-मध्य और दक्षिण रेलवे में पुनः समंजन कर दिया गया और इन पुनर्समंजित रेलों में से प्रत्येक की किलोमीटर लम्बाई, सेवित क्षेत्र और उनके कर्मचारियों का विवरण भी बयान के भाग 'ख' में दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के कार्यभार और कार्यकुशलता पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, रेल मन्त्रालय इस बात की लगातार समीक्षा करता रहता है। क्षेत्रीय रेलों के निर्माण जैसे संगठनात्मक परिवर्तन तब किये जाते हैं जब यह पाया जाता है कि किसी क्षेत्रीय रेलवे विशेष पर कार्यभार बढ़ जाने के कारण उस पर अनुचित दबाव पड़ रहा है।

रूरकेला इस्पात कारखाने को कच्चे माल की सप्लाई

+

*538. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **डा० म० मो० दास :**

क्या लोहा और इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने को अब, जब कि वह कई वर्षों से चालू है, लौह अयस्क, कोयले, गन्धक के तेजाब और मैंगनीज अयस्क जैसे कच्चे माल की सप्लाई की समस्या का सामना करना पड़ रहा है :

(ख) क्या इसके कारण कारखाने के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(घ) क्या यह समस्या अब हल हो चुकी है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) रूरकेला इस्पात कारखाने को गत वर्ष लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क प्राप्त करने में कुछ कठिनाई हुई थी। ये दूर कर दी गई थी और उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई।

विदेशी मुद्रा की कमी और गन्धक की विश्व-व्यापी कमी के कारण रूरकेला इस्पात कारखाने को गन्धक का तेजाब पूरी आवश्यक मात्रा में नहीं मिल सका और कुछ सीमा तक उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

(ग) उत्पादन लगभग 24,000 टन कम हुआ।

(घ) गंधक की समस्या अब भी बनी हुई है। तथापि, यथासंभव आयात द्वारा आवश्यकता पूरी करने के अतिरिक्त स्टील मिल से गन्धक के तेजाब के स्थान पर कोई दूसरी चीज प्रयोग करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिये कहा गया है।

मोटर गाड़ियों के मूल्य

\+

***539. श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री वे० जी० नायक :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री महेश्वर नायक :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटरगाड़ियों के स्तर में सुधार करने, उनका उत्पादन बढ़ाने तथा मूल्य कम करने के तरीके के बारे में विचार करने के लिये मोटरगाड़ी तथा सहायक उद्योगों के प्रतिनिधियों की हाल में एक बैठक बुलाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या मुख्य विचार व्यक्त किए गए तथा क्या निर्णय किये गए ; और

(ग) उन निर्णयों के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) तकनीकी विकास, निदेशालय के मोटरगाड़ी डिवीजन ने देशीयकरण, आयात की जाने वाली वस्तुओं के देश में उत्पादन, मानकीकरण तथा सहायक विकास में की गई प्रगति का अनुमान लगाने के लिये 4 और 5 अक्तूबर, 1966 को सरकारी अधिकारियों के साथ मोटरगाड़ी तथा सहायक निर्माताओं की एक बैठक बुलाई थी।

(ख) मोटरगाड़ी निर्माताओं द्वारा अब भी आयात किये जा रहे पुर्जों पर विस्तृत रूप से विचार किया गया ताकि इनके यथासम्भव पूर्ण रूप से देश में निर्माण में शीघ्रता की जा सके।

मोटरगाड़ी तथा सहायक निर्माताओं से किस्म तथा काम करने में कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां तक व्यावहारिक हो, पुर्जों का मानकीकरण करने, आवश्यक सहायक पुर्जों के निर्माण का तेजी से विकास करने तथा मोटरगाड़ियों का शीघ्रता से देशीयकरण करने के लिये कहा गया था ताकि पुर्जों/कच्चे माल के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा में कमी की जा सके ।

निर्माताओं का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया था कि मोटरगाड़ियों की किस्म के बारे में शिकायतें मिल रही हैं और उन्हें यह समझाया गया था कि बाजार में स्वीकार्य किस्म के (स्टैंडर्ड) की मोटरगाड़ियां, जिसमें उनके द्वारा निर्मित तथा सहायक वस्तुएँ भी शामिल होंगी, रखने की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिये । उनके द्वारा अपनी मोटरगाड़ियों के विक्रय मूल्यों को स्थिर बनाये रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था ।

निर्माताओं द्वारा व्यापारियों/खरीदारों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने तथा बिक्री के बाद सेवा के महत्व पर जोर दिया गया था ।

(ग) तकनीकी विकास महानिदेशालय ने इन विभिन्न निर्णयों को शीघ्र क्रियान्वित कराने के लिये बाद में की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी है ।

वाशिंगटन के निर्यात आयात बैंक से ऋण

\+

***540. श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री मौर्य :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रामसेवक यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी निर्यात आयात बैंक, वाशिंगटन ने भारत सरकार के लिये अमरीका से डीज़ल से चलने वाले इंजनों के पुर्जों को खरीदने के लिये, जिन्हें बनारस डीजल-चालित इंजन निर्माण कारखाने में जोड़ा जायेगा, 12,750,000 डालर का ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें तथा निबंधन क्या हैं;

(ग) उस ऋण का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा; और

(घ) डीजल-चालित इंजन के इन पुर्जों को देश में ही बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) :

(क) जी हां ।

(ख) इस कर्ज़ पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगता है और इसका भुगतान 15 सितम्बर, 1968 से लेकर 20 अर्धवार्षिक किस्तों में किया जाना हैं । कर्ज़ की जितनी रकम न ली गयी

होगी उस पर भी कर्ज के प्राधिकृत हो जाने की तारीख से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक वचनबद्धता शुल्क भी देना होगा।

(ग) कर्ज की इस रकम का इस्तेमाल अमरीका से मंगाये जाने वाले उन पुर्जों और सामानों की कीमत को विदेशी मुद्रा में चुकाने के लिये किया जायेगा जो 1967/68 के दौरान वाराणसी के कारखाने में डीजल रेल इंजन बनाने और तत्सम्बन्धी तकनीकी कामों के लिये अभी स्वदेशी साधनों से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।

(घ) कारखाने में ही चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अनेकों पुर्जे बनाने के अलावा निजी और सरकारी, दोनों क्षेत्रों के उपक्रमों में बहुत सी चीजें बनाने के लिये स्वदेशी क्षमता बनाने और उसका विकास करने के लिये भी कदम उठाये गये हैं और कई मामलों में शिक्षा सम्बन्धी आर्डर भी दिये गये हैं।

अखबारी कागज का आयात

*2344. **श्रीमती सावित्री निगम :** **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान के साथ किये गये नए करार के अनुसार सरकार का विचार अधिक अखबारी कागज आयात करने का है जो उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर दिया जा सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस करार का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लाइसेंस प्राप्त पोर्टर/श्रमिक सहायक समिति लिमिटेड से अध्यावेदन

*2345. **श्री लाखनदास :** **श्री मधु लिमये :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के जनरल मैनेजर को किऊल जंक्शन लाइसेंस प्राप्त पोर्टर/श्रमिक सहायक समिति लिमिटेड से पार्सलों का काम संभालने के लिये कोई अध्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पार्सलों को चढ़ाने उतारने के काम का ठेका उपरोक्त सहकारी समिति को रेलवे प्रशासन द्वारा कब दिया जा रहा है ; और

(ग) उक्त सहकारी समिति को ठेका देने के विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) समिति की प्रार्थना के वित्तीय तथा अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध में यथा सम्भव शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

किऊल में रेलवे कर्मचारी

2346. श्री लाखनदास : श्री मधु लिमये :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को मालूम है कि किऊल में तथा तकनी की दृष्टि से वैसे ही अन्य गैर-नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों को पर्याप्त मात्रा में अनाज की सप्लाई न किये जाने के कारण रेलवे कर्मचारियों को नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उन की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) पूर्व रेल–प्रशासन ने उच्चतम स्तर पर बिहार राज्य सरकार के प्राधिकारियों से बातचीत की है, जिन्होंने बेहतर सप्लाई करने का आश्वासन दिया है ।

बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के उत्तर-दक्षिण में विभिन्न पत्तनों पर लदान क्षमता में वृद्धि

2347. श्री लाखनदास : श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बरौनी, भागलपुर, गराहारा, फरक्का और मुंगेर में लदान संबंधी समस्याओं का कोई अध्ययन किया है;

(ख) क्या उत्तर–पश्चिम की ओर जाने वाले माल के लिये समस्तीपुर का एक मीटर गेज लदान केन्द्र के रूप में विकास करने तथा बरौनी केन्द्र का विस्तार करने तथा उसे उत्तर-पूर्व की ओर जाने वाले माल के लदान के लिये निश्चित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो बिहार तथा पश्चिम बंगाल में गंगा के उत्तर/दक्षिण में विभिन्न केन्द्रों पर लदान क्षमता को बढ़ाने के लिये कौन सी अन्य वैकल्पिक योजनाएं तैयार की जा रही हैं ताकि बंगाल के विभाजन तथा आसाम के साथ संचार व्यवस्था के अस्त-व्यस्त हो जाने के कारण बढ़े हुए माल–परिवाहन को संभाला जा सके ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) गड़हरा/बरौनी यानान्तरण स्थलों की परिचालन सम्बंधी समस्याओं का विशेष अध्ययन किया गया है। भागलपुर, फरक्का और मुंगेर में इस प्रकार का कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन इन स्थानों की परिचालन सम्बन्धी समस्याओं को, जैसे-जैसे वे पैदा होती हैं वैसे-वैसे, दिन प्रति दिन, उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा सुलझा लिया जाता है।

(ख) यानांतरण स्थल के रूप में समस्तीपुर का विकास इस प्रयोजन से किया गया है कि वहां बड़ी लाइन के 1200 चौपहिये माल-डिब्बे प्रति माह की सीमा तक रेल इंजन के लिये अपेक्षित पूरे कोयले का यानान्तरण किया जा सके और इस तरह गड़हरा में जनता के लिये कोयले के यानान्तरण की उतनी ही क्षमता निकल आये। पश्चिमोत्तर प्रदेश के सार्वजनिक यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समस्तीपुर का और आगे विकास करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) बंगाल के विभाजन से उत्पन्न यातायात की समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से, उत्तर बिहार/बंगाल और आसाम के लिये यातायात सम्हालने वाले विभिन्न यानान्तरण स्थलों की क्षमता को पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है। विभाजन से पहले की तुलना में, इन यानान्तरण स्थलों की वर्तमान क्षमता नीचे दिखायी गयी है :—

		विभाजन से पहले की क्षमता	वर्तमान क्षमता
1.	गड़हरा (विभाजन से पहले मोकामाघाट)	100	405
2.	भागलपुर	8	80
*3.	मुंगेर	8 (3. 11. 54 से)	15
4.	सकरीगलीघाट	16	22

*3 नवम्बर, 1954 को खोला गया।

मुंगेरघाट. का संचालन एक प्राइवेट ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। इसकी क्षमता 15 मालडिब्बे तथा सकरीगलीघाट की क्षमता 22 डिब्बों की है। लेकिन यातायात कम होने के कारण इनकी क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो रहा। फरक्का/खेजुरियाघाट फेरी व्यवस्था आरम्भ हो जाने के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल में गंगा के उत्तर में और आसाम में पड़ने वाले गन्तव्य-स्थानों की दिशा में भी संचलन क्षमता भी काफी बढ़ गयी है। प्रारम्भ में, जब यह व्यवस्था अगस्त, 1960 में शुरू की गयी, तो इसकी क्षमता बड़ी लाइन के 54 माल-डिब्बे सम्हालने की थी। इस क्षमता को धीरे-धीरे बढ़ाकर 400 माल-डिब्बा कर दिया गया है।

इन स्थलों/मार्गों पर उपलब्ध क्षमता वर्तमान यातायात को सम्हालने के लिये आमतौर पर पर्याप्त पायी गयी है। न्यू जलपाईगुड़ी और न्यू बोंगाईगांव यानान्तरण स्थलों की संयुक्त क्षमना बड़ी लाइन के 100 मालडिब्बों से धीरे-धीरे बढ़कर बड़ी लाइन के 150 मालडिब्बा हो जाने के फलल्वरूप आसाम में बोंगाईगांव से आगे यातायात की निकासी में होने वाली कठिनाई दूर हो गयी है। जोगीघोपा में रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के साथ रेल-एवं-नदी मार्ग से बड़ी लाइन के 25 अतिरिक्त मालडिब्बों को तथा न्यू बोंगाईगांव में सेन्ट्रल रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन के साथ रेल एवं-सड़क से बड़ी लाइन के 10 अतिरिक्त मालडिब्बों को सम्हालने का प्रबन्ध भी किया गया है।

फरक्का बांध परियोजना पूरी हो जाने पर पूर्व व पूर्वोत्तर-सीमा रेलों के बीच थ्रू रेल सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना है। अतः आशा की जाती है कि कटिहार यानान्तरण स्थल की क्षमता में वृद्धि, जो इस समय विचाराधीन है, और आसाम के लि संचलन सुगम बनाने के लिये उपर्युक्त उपायों के फलस्वरूप, उत्तर बंगाल और आसाम के लिये पर्याप्त परिवहन क्षमता सुलभ हो जायेगी।

रेलवे के विभिन्न विभागों में कटौती

*2348. **श्री राज देव सिंह :**

क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न विभागों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या कम करके रेलवे के वार्षिक व्यय में दस प्रतिशत कटौती करने का निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने से अन्य कर्मचारियों की तुलना में कितने अधिकारियों की छंटनी की जा रही है ; और

(ग) उत्तर रेलवे मुख्यालय कार्यालय में कितने अधिकारियों तथा कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) रेलों के वार्षिक खर्च में कमी का कोई निश्चित् प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है। प्रशासकीय कार्यालयों, रेलों के प्रधान, मंडल और जिला कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है ; इतना ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति और सेवा-मुक्ति के फलस्वरूप खाली होने वाले पद भी नहीं भरे जा रहे हैं। इस समय और आगे चलकर भाप के रेल–इंजनों की जगह उत्तरोत्तर डीज़ल और बिजली के रेल इंजन चलाने के कारण यांत्रिक और परिचालन विभागों के लिये अपेक्षित पदों में कितना परिवर्तन होगा इसकी तत्काल समीक्षा की जानी है। खर्च में कमी के लिए जो दूसरे उपाय किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं : देश के अन्दर हवाई यात्रा के लिए प्रासंगिक खर्च की दर में कमी की गयी है, वित्त मंत्रालय की कर्मचारी निरीक्षण यूनिट द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा की गयी है, इमारतों के अनुरक्षण का काम, जिसमें छोटी-

मोटी मरम्मत और सफेदी कराना आदि भी शामिल है, पहले की तुलना में अधिक समयान्तर देकर किया जा रहा है, आदि । ईंधन की खपत में किफ़ायत बरतने की दिशा में भी प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

(ख) और (ग) अभी यह पता नहीं है कि इन उपायों से कर्मचारियों की संख्या में कितनी कमी होगी तथा खर्च में वास्तव में कितनी बचत होगी ।

ट्रैक्टर ट्रेलर बनाने के लिये लाइसेंस

2349. श्री वै० तेवर :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रैक्टर ट्रेलर केवल तब ही रजिस्टर करवाये जा सकते हैं जब उन्हें सरकार द्वारा अधिकृत कम्पनियों से ही खरीदा जाये; और

(ख) क्या सरकार का विचार लोहारी का काम करने वाले कारखानों को ट्रेलर बनाने के लिये लाइसेंस देने का है ताकि वे इन रजिस्टर्ड कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता कर सकें ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उद्योग "ट्रेलर" पर उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्ध लागू होते हैं और उद्योगपति को एक औद्योगिक लाइसेंस अथवा पंजीयन के लिये तकनीकी विकास महानिदेशालय में आवेदन-पत्र देना होता है । तथापि, चूंकि उद्योग "ट्रेलर" अब प्रतिबन्धित सूची में सम्मिलित है, इस क्षेत्र में इस समय और अधिक क्षमता के लिये लाइसेंस देने का विचार नहीं है ।

भूवैज्ञानिकों के पदों पर पदोन्नति

2350. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सब भूवैज्ञानिक भर्ती किये जाते हैं अथवा कुछ पद विभागीय उम्मीदवारों को पदोन्नत करने के लिये आरक्षित हैं ;

(ख) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के खोज कक्ष (एक्सप्लोरेशन विंग) के कर्मचारी उन पदों पर पदोन्नति के हकदार होते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) :

(क) वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार सहायक जियालाजिस्ट (राजपत्रित श्रेणी 11) की

वेतन शृंखला में रिक्त स्थानों का 25 प्रतिशत विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। तथा 75 प्रतिशत संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के माध्यम से सार्वजनिक रूप से भर्ती किये जाते हैं।

जियालाजिस्ट उबर (राजपत्रित श्रेणी।) की वेतन शृंखला में रिक्त स्थानों का 50 प्रतिशत विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा तथा 50 प्रतिशत संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के माध्यम से सार्वजनिक रूप से भर्ती किये जाते हैं।

उच्चतर श्रेणियों के भौमिकी पदों के अन्य सभी रिक्त स्थान विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति से ही भरे जाते हैं।

(ख) और (ग) अन्वेषण शाखा जिसमें अभी भारतीय खान ब्यूरो की पूर्वेक्षण शाखा के अधिकारी गण काम कर रहे हैं, में निम्नलिखित पद शृंखलाएँ हैं :—

1. अधिक्षक भौमिकी विज्ञ
2. प्रादेशिक खनन भौमिकी विज्ञ
3. उच्च खनन भौमिकी विज्ञ
4. अवर खनन भौमिकी विज्ञ
5. पैट्रोलोजिस्ट
6. सहायक पैट्रोलोजिस्ट।

वर्तमान नियमों में इन अधिकारियों की भारतीय भौमिकी विभाग के उच्च पदों पर पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है। यह नियम मुख्यतः भारतीय भौमिकी विभाग की पद शृंखलाओं के संदर्भ में बनाये गये थे। उपर्युक्त भारतीय खान ब्यूरो के पदों का भारतीय भौमिकी विभाग की पद शृंखलाओं में एकीकरण तथा तदनुसार भर्ती नियमों का संशोधन विचाराधीन है।

फ्रंटियर मेल रेलगाड़ियों में 'कोच अटेंडेंट'

2351. श्री सोनावने :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रंटियर मेल रेलगाड़ियों में कोच अटेंडेंटों को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) फ्रंटियर डाक गाड़ी में जो डिब्बे-परिचर काम करते हैं उनका वर्गीकरण 'अवर्गित' के रूप में इस आधार पर किया गया है कि उनका काम अपवादिक रूप से हल्की किस्म का है अर्थात्, 24 घंटे में वे छः घंटे से भी कम समय सक्रिय कार्य करते हैं। भारतीय रेल

अधिनियम, 1890 के उपबन्धों के अधीन ऐसे कर्मचारी प्रतिमास कम से कम लगातार 48 घंटे अथवा प्रति पखवारे लगातार 24 घंटे विश्राम पाने के हकदार हैं ।

Cotton Yarn and Textile Mills

2352. Shri Kamble : Shri D. S. Patil.
Shri Baswant

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of licences issued during 1964-65 and 1965-66 for the setting up of Cotton Yarn Mills and Textile Mills respectively (Statewise) ; and

(b) the number of licences given to the Cooperative Societies out of them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : and (a) to (b) : A statement is attached [Placed in Library Sec. No. LT-7423/66].

महाराष्ट्र में अलौह धातुओं की खपत

*2353. **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न अलौह धातुओं जैसे तांबा, जस्ता, टीन, सीसा, सुरम की कुल अनुमानित खपत कितनी है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य के अलौह धातु के कोटे में कोई भारी कमी की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या महाराष्ट्र राज्य की कच्चे माल सम्बंधी परामर्शदात्री समिति की सलाह पर विकास आयुक्त को राज्य के उद्योग निदेशालय द्वारा किये गये निर्णयों के बारे में हस्तक्षेप करने अथवा उनको बदलने का अधिकार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) महाराष्ट्र में लघु उद्योगों के लिये अलौह धातु निर्धारण सर्वेक्षण (1964) के अनुसार विभिन्न अलौह धातुओं की कुल अनुमानित आवश्यकता इस प्रकार है :—

	धातु	अनुमानित वार्षिक आवश्यकता (मीट्रिक टनों में)
1.	ताम्बा	14,821·895
2.	जस्ता	8,179·134
3.	सीसा	4,055·715
4.	टीन	285·337

सुर्मे (एंटिमोनी) के बारे में सर्वेक्षण नहीं किया गया था, इसलिए इस धातु की अनुमानित आवश्यकता मालूम नहीं है ।

(ख) और (ग) लघु उद्योगों के लिये महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को अलौह धातुओं के नियतन में विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण कटौती की गई है, विशेष रूप

से पिछले दो वर्षों में और इसके परिणामस्वरूप लघु उद्योग क्षेत्र को अलौह धातुओं के कुल नियतन में कमी हुई है। दुर्लभ औद्योगिक सामान (नियंत्रण) आदेश, 1965 के जारी किये जाने के परिणामस्वरूप अप्रैल-सितम्बर, 1965 और अक्टूबर-मार्च, 1966 की अवधियों के लिये लघु उद्योग क्षेत्र के लिये अलौह धातुओं के नियमित नियतन भी रद्द कर दिये गये थे।

(घ) जी, नहीं।

अलौह धातुओं का वितरण

2354. श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवास आयुक्त की विभिन्न राज्यों तथा विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में अलौह धातुओं के गलत ढंग से वितरण की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में उद्योगों को तांबे तथा जस्ते के कोटे का दिया जाना

2355. श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या सम्भरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में किन-किन औद्योगिक फर्मों को "प्रतिरक्षा उत्पादन-प्रधान उद्योग" श्रेणी के अन्तर्गत तांबे तथा जस्ते का कोटा दिया गया था; और

(ख) इन फर्मों को किस आधार पर "प्रतिरक्षा उत्पादन-प्रधान उद्योग" श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया है ?

सम्भरण तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघु रामय्याः) :

(क) और (ख) तकनीकी विकास महानिदेशालय की सूचियों में सम्मिलित और महाराष्ट्र राज्य में स्थित किसी भी औद्योगिक यूनिट को "प्रतिरक्षा उत्पादन-प्रधान उद्योग" की श्रेणी के अधीन नियमित आधार पर तांबे और जस्ते का कोटा नहीं दिया गया है।

मैसर्स संघवी मैटल कारपोरेशन

2356. श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **संभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स संघवी मैटल कारपोरेशन को उद्योगों के लिये अच्छी किस्म की चादरों का निर्माता होने के आधार पर 1964 में तांबा दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें तांबा दिये जाने के क्या कारण थे जब कि इस प्रकार तांबा केवल

छोटे पैमाने के उद्योगों को ही दिया जा सकता था ?

सम्भरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघु रामय्या) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगा ।

Platform at Baktiyarpur Station (E. Railway)

2357. Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of Railways be Pleased to State :

(a) whether it is a fact that there is no platform at Bakhtiyarpur Station Situated on the Bakhtiyarpur-Rajgir line ; and

(b) if so, the reasons therefor and the time by which the Platform is likely to be constructed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) No. A rail level platform exists.

(b) Does not arise.

Rail Bridge on the river Ganges at Patna

2358: Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Government have accorded their sanction for the construction of a Rail Bridge on the River Ganges at Patna ;

(b) if so, the time by which the bridge is likely to be completed ; the expenditure involved thereon and the amount to be contributed by the Government of India towards it ; and

(c) if not, the reasons for the delay and the progress made in formulating a scheme for the bridge ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) :

(a) No.

(b) Does not arise.

(c) The existing Rail-Bridge near Mokameh is considered sufficient to meet the needs of Rail-Traffic in this area.

Extension of Bakhtiyarpur-Rajgir Railway Line

2359: Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a proposal to extend the Bakhtiyarpur-Rajgir line upto Gaya has been included in the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the total expenditure estimated to be incurred thereon and the date by which the line is likely to be completed ; and

(c) if not, the reasons for delay in taking a decision in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Funds for construction of new lines being limited, consideration of projects has necessarily to be confined to those connected with specific major schemes which generate large volume of traffic. In view of this the suggested link may not merit sufficiently high priority for inclusion in the Fourth Plan framework, which is yet to be finalised.

औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिये लाइसेंस

2360. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करने के लिये लाइसेंस देने की प्रणाली कब लागू की गई थी ;

(ख) आयातित वस्तुओं को बेचने पर सरकार ने प्रति वर्ष कितना मुनाफा लेने की अनुमति दी थी ।

(ग) क्या इन वस्तुओं संबंधी आयात लाइसेंस नीति के बारे में कोई मूल्यांकन अथवा अध्ययन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) आयात व्यापार नियंत्रण के प्रवर्तन क्षेत्र में से विशेष रूप से निकाली गई मदों के अतिरिक्त सभी मदें, जिनमें औद्योगिक माल तथा उपभोक्ता सामग्री शामिल है, आयात व्यापार नियंत्रण विनियमन के अधीन आती हैं। चालू वर्ष की आयात नीति ही अप्रैल–66 मार्च–1967 की आयात व्यापार नीति (लाल पुस्तक) में घोषित की जा चुकी है जिसमें समय-समय पर संशोधन किये जाते हैं ।

(ख) केवल कुछ आवश्यक मदों के बारे में आयातकों को सरकार द्वारा उनके लिये निर्धारित किये गये मूल्य लेने पड़ते हैं। अन्य मदों के बारे में लाभ की माला बाजार में मांग तथा सम्भरण के आधार पर निश्चित होती है ।

(ग) तथा (घ) : आयात व्यापार नियन्त्रण अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक मद की आयात नीति पर प्रति वर्ष विचार किया जाता है और ऐसा करते समय घरेलू मांग, निर्धारित क्षमता, स्वदेशी उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा की उपलब्धि को ध्यान में रखा जाता है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है निर्यात नीति में परिवर्तन किये जाते हैं ।

आयात लाइसेंसों का दिया जाना

2361. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में उन व्यक्तियों/फर्मों के नाम क्या है जिन्हें 1960–61 से 1965–66 तक, वर्ष वार, दस लाख रुपये से अधिक मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये;

(ख) उन व्यक्तियों/फर्मों के क्या नाम हैं जिन्हें नियमों तथा शर्तों का पालन न करने के कारण काली सूची में रखा गया था; और

(ग) इस कारण सरकार को कितनी हानि हुई ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के संगठन द्वारा जारी किये गये आयात लाइसेंसों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते। फिर भी, आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किये गये आयात लाइसेंसों का ब्यौरा "वीकलीबुलेटिन आफ इंपोर्ट लाइसेंसेस, एक्सपोर्ट लाइसेंसेस एण्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस" में प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) जिन व्यक्तियों को आयात या निर्यात के लाइसेंस प्राप्त करने से बाधित किया गया है उनकी चालू सूची भी 6 तथा 13 अगस्त, 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताहों के "वीकली बुलेटिन आफ इंपोर्ट लाइसेंसेस, एक्सपोर्ट लाइसेंसेस एण्ड इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेस" में जो क्रमशः 29 अक्तूबर 1966 तथा 21 नवम्बर 1966 को प्रकाशित हुये थे, दी गयी है।

(ग) लाइसेंस धारियों द्वारा नियमों तथा शर्तों के पालन न करने के कारण सरकार को हुई हानि का, यदि कोई हुई हो, अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले बहुत कम हैं अतः हानि मामूली ही होगी।

कपड़ा मिलों में मशीनों का आधुनिकीकरण

2362 श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मिलों की (राज्य-वार) संख्या क्या है ;

(ख) ऐसे कपड़ा मिलों की (राज्य-वार) संख्या क्या है, जिनमें मशीनें अप्रचलित तथा पुरानी हैं ; और

(ग) उनका आधुनिकीकरण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और आधुनिकीकरण योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरैशी) :

(क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 7424/66]

सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों को सहायता

2363 डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों के किसी वर्ग से इस आशय के कोई अभ्यावेदन मिले हैं कि उन्हें और सुविधाएं, विशेषरूप से बढ़े हुए निर्वाह व्यय को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप में पूरा करके, दी जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) रेल मंत्रालय सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय के अनुरूप चलता है । 200 रुपये प्रति मास तक पेंशन पाने वाले सिविल और रेल कर्मचारियों को अक्टूबर, 1963 में तदर्थ बढ़ती की मंजूरी दी गयी थी, लेकिन उसके बाद नहीं ।

रेलवे में अराजकता की जांच करने के लिये समिति

2364. श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

श्री सुबोध हंसदा : **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री प्र० चं० बरुआ : **डा० म० मो० दास :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में अराजकता के कारणों तथा इस सम्बन्ध में जनता में जागृति पैदा करने के तरीकों का पता लगाने के उद्देश्य से रेलवे के राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ;

(ग) समिति ने इस बारे में कितना कार्य किया है; और

(घ) समिति का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मंत्री (राम सुभग सिंह) :

(क) रेलों पर पुलिस व्यवस्था और रेलवे सुरक्षा दल के काम के सम्बन्ध में सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए रेलवे राज्य मंत्री की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त एक समिति बनायी गयी है ।

(ख) समिति का गठन इस प्रकार है :—

1– रेलवे राज्य मन्त्री डा० राम सुभग सिंह	अध्यक्ष
2– सरदार रघुबीर सिंह पंजहज़ारी, सदस्य राज्य सभा	सदस्य सदस्य
3– श्री शिवराम रंगो राने, सदस्य लोक सभा	,,
4– श्री कमलनाथ तिवारी सदस्य लोक सभा	,,
5– श्री डी० यू० राव, अतिरिक्त सदस्य वित्त, रेलवे बोर्ड	सदस्य (पदेन)
6– श्री आर० गोपालकृष्ण आय्यर, अतिरिक्त सदस्य वाणिज्य, रेलवे बोर्ड	सदस्य (पदेन)
7– श्री वी० वेंकटारमन, आई० ए० एस० संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
8– श्री आर० एम० मेहता, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार, विधि मन्त्रालय	,,
9– श्री एस० बालकृष्ण शेट्टी, आई० पी०, अतिरिक्त निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और गृह मंत्रालय की विशेष पुलिस सिब्बन्दी के विशेष महा निरीक्षक	,,
10– श्री एस० एन० आगा, आई० पी० एस० महा निरीक्षक रेलवे सुरक्षा दल और निदेशक सुरक्षा, रेलवे बोर्ड	,,
11– श्री बी० एन० लाहरी, आई० पी० (सेवा निवृत्त) भूतपूर्व महा निरीक्षक पुलिस और भूतपूर्व महा निरीक्षक रेलवे सुरक्षा दल, रेलवे बोर्ड	,,
12– श्री जे० धर्मराज, आई० पी० एस०, उप महा निरीक्षक रेलवे दल और संयुक्त निदेशक सुरक्षा, रेलवे बोर्ड	सदस्य–सचिव

(ग) समिति की अभी तक दो बैठकें हुई हैं, एक 31 अक्तूबर, 1966 को और दूसरी

14 नवम्बर, 1966 को। काम की सुविधा के लिए संमिति को दो उप समितियों में बांट दिया गया है जिनकी अलग छः बैठकें हो चुकी हैं।

(घ) आशा है समिति तीन–चार महीनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

उद्योगों को संरक्षण

2365. डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने उद्योगों को पिछले 15 वर्षों अथवा उससे अधिक समय से लगातार सरक्षण दिया जा रहा है ;

(ख) इतने अधिक समय तक संरक्षण देते रहने का औचित्य क्या है ; और

(ग) ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) :

(क) से (ग) : पांच उद्योगों अर्थात् (1) ए० सी० एस० आर० तथा ए० ए० सी०, (2) सूती वस्त्रों की मशीनें, (3) सुर्मा (एण्टिमोनी), (4) एल्यूमिनियम तथा (5) रेशम उत्पादन उद्योग को 15 वर्षों से भी अधिक समय से संरक्षण प्राप्त है।

1. इनमें से प्रथम तीन उद्योगों का संरक्षण, टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर, जो उसने अपने प्रतिवेदन (1966) में, जिसे सभा पटल पर रखा जा चुका है तथा जो संसद के पुस्तकालय में भी उपलब्ध है, की हैं, 1 जनवरी, 1967 से समाप्त किया जा रहा है।

2. जहां तक शेष दो उद्योगों का प्रश्न हैं, एल्युमिनियम ही केवल ऐसी अलौह-धातु है जिसका उत्पादन देश में किया जा सकता है क्योंकि बौक्साइट के विस्तृत भण्डार उपलब्ध हैं। उद्योग के उत्पादन में वृद्धि पर भी लागत अधिक आने से मूल्यों सम्बन्धी कठिनाई बनी हुई हैं। विद्यमान कारखानों के पर्याप्त विस्तार तथा नये उपक्रमों की स्थापना योजनाएं सरकार द्वारा पहिले ही स्वीकार की जा चुकी हैं और 3 वर्ष के अन्दर उनके पूर्ण हो जाने की आशा है। इस लिये टैरिफ आयोग ने समय समय पर संरक्षण की सिफारिश की और सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। वर्तमान संरक्षण की अवधि 31 दिसम्बर 1968 को समाप्त होगी।

3. रेशम उत्पादन उद्योग के सम्मन्ध में, स्थिति यह है कि यद्यपि गत तीस वर्षों से इसे संरक्षण प्राप्त है फिर भी यह अन्य देशों से विशेषतः जापान से बहुत पीछे है और इस लिये उन कई रेशम उत्पादन के हितों की रक्षा के लिये आगे भी संरक्षण देने की आवश्यकता है जो आय

के प्रमुख साधन के रूप में इस पर आश्रित हैं वस्तुतः उद्योग को वैज्ञानिक आधार पर चलाने के उपाय किये जा रहे हैं परन्तु इसमें समय लगेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने, रेशम उत्पादन उद्योग का संरक्षण 31 दिसम्बर, 1969 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिये जारी रखने की सिफारिश की है। यह सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

स्टेनलैस स्टील का उत्पादन

2366. **श्री महेश्वर नायक :**

क्या **लोहा और इस्पात** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भारत में स्टेनलैस स्टील की कुल अनुमानित वार्षिक मांग कितनी होगी ;

(ख) इस समय देश में कुल कितना उत्पादन है तथा कितनी क्षमता के लिये लाइसेंस दे दिया गया है ;

(ग) क्या जापान के सहयोग से मद्रास में निजी क्षेत्र में स्टेनलैस स्टील का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 70,000 टन।

(ख) मिलों (इंगॉट) के रूप में स्टेनलैस स्टील का थोड़ा सा उत्पादन हो रहा है। 71,000 टन क्षमता के लिये लाइसेंस दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रति वर्ष 70,000 टन स्टेनलैस स्टील की चादरों का निर्माण करने के लिये मद्रास राज्य में एक कारखाना स्थापित करने के लिये मद्रास एलायज़ एण्ड स्टेनलैस स्टील लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया है।

Institute of Foreign Trade

2367. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Dr. M. M. Das

(Shri Subodh Hansda :)

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the nature of research and other work done so far by the Institute of Foreign Trade in foreign markers and the benefit that has accrued to the Indian trade therefrom ;

(b) the broad outlines of the research work now going to be taken up by the Institute ; and

(c) the name of authority responsible for its management and the annual expenditure of the Institute ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) :

(a) The Institute has conducted intensive studies of the export problems on commodity wise and country wise bases, and the survey findings are of direct interest and utility to the sponsoring organisations as well as the present and potential exporters.

(b) The Institute has initiated Market Surveys in selected chemical and pharmaceutical products, Coffee, Man-made Fibres, Tobacco, Engineering Products etc. in Hong Kong, Saudi Arabia, Ghana, Zambia.

(c) The Governing Body, consisting of the Chairman, the Vice-Chairman, the Director General of the institute, five persons nominated by the Central Government and nine persons elected by the Institute, is the authority responsible for the management of the Institute.

Annual Expenditure is given below :—

1963-64	=	Rs. 1·11 lakhs
1964-65	=	Rs. 5·85 lakhs
1965-66	=	Rs. 10·69 lakhs
April 1966 to 31st October '66	=	Rs. 7·86 lakhs

Express Train on Jhansi-Manikpur Section

*2368. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Dr. M. M. Dass :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) Whether in view of the difficulties faced by the passengers travelling on the Jhansi-Manikpur Section of the Central Railway, the passenger train is again proposed to be changed into an ordinary passenger train ; and

(b) if so, when is this change proposed to be effected ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) Nos. 523 Dn/522 up Jhansi-Manikpur passenger trains were convertrd into Fast Passenger Trains by speeding them upto by 30 minutes each from 1-6-66 without eliminating any halts and no complaints have been received of any difficulties being caused thereby to the passengers. There is no proposal to convert them again into ordinary passenger trains.

(b) Does not arise.

कपड़ा मिलें

2369. श्री मधु लिमये

क्या **वाणिज्य** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिसमें यह बताया गया हो कि उन कपड़ा मिलों और अन्य औद्योगिक एककों के क्या नाम हैं जिनका प्रबंध सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन इस अधिनियम के लागू होने के बाद से, अपने नियंत्रण में ले लिया है और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी प्रबन्ध के अधीन इन एककों में से कितने एककों में लाभ हुआ और फिर उनका प्रबन्ध कार्य गैर सरकारी प्रबन्धकों को सौप दिया गया ;

(ख) क्या सरकार का इन कम्पनियों की आस्तियां अपने अधीन लेने के लिये एक संशोधन विद्धेयक पुनः स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री श्री शफी कुरैशी :

(क) निम्न सूती मिलों तथा अन्य औद्योगिक कारखानों को सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन अपने अधिकार में ले लिया है :—

सूती वस्त्र मिलें

1. मै. माडल मिल्स नागपर लि., नागपुर ।
2. मै. मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा ।
3. मै. आर. एस. आर. जी. मोहता स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि., अकोला ।
4. मै. प्रताप स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि., अमलनेर ।
5. मै. बंगाल नागपुर काटन मिल्स लि., राजनन्दगांव ।
6. मै. इन्डिया युनाइटेड मिल्स लि., बम्बई ।
7. मै. म्यूर मिल्स लि., कानपुर ।
8. मै. न्यू भोपाल टैक्सटाइल्स लि., भोपाल ।

9. मै. हीरा मिल्स लि., उज्जैन ।
10. मै. स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स लि., इन्दौर ।
11. मै. श्री भारती मिल्स लि., पाण्डीचेरी ।
12. मै. औरंगाबाद मिल्स लि., औरंगाबाद ।
13. मै. एडवर्ड मिल्स लि., ब्यावर ।
14. मै. अथरटन वैम्ट एण्ड कं. लि., कानपुर ।
15. मै. हाथीसिंह मैन्युफेक्चरिंग कं. लि., अहमदाबाद ।
16. मै. अयोध्या मिल्स लि., दिल्ली ।

चीनी मिलें

1. मै. जगदीश सुगर मिल्स लि., कथकुयां ।
2. मै. महेश्वरी खेतान सुगर मिल्स (प्रा.) लि., रामकोला ।
3. मै. ईश्वरी खेतान सुगर मिल्स (प्रा.) लि., लक्ष्मीगंज ।
4. मै. रामलक्ष्मण सुगर मिल्स, मोहियुद्दीनपुर ।
5. मै. पडरौना राजकृष्ण सुगर वर्क्स लि., पडरौना ।
6. मै. विष्णु प्रताप सुगर वर्क्स लि., खड्डा ।
7. मै. जानकी सुगर मिल्स एण्ड कं. डोईवाला ।
8. मै. सुगौली सुगर वर्क्स (प्रा.) लि., सुगौली ।
9. मै. हरिनगर सुगर मिल्स लि., हरिनगर ।

जूट मिलें

मै. कटिहार जूट मिल्स, कटिहार ।

लोहा तथा इस्पात वर्क्स

मै. जेसोप एण्ड कं. लि., कलकत्ता ।

इलैक्ट्रिक वर्क्स

मै. इण्डिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लि., कलकत्ता ।

बाइसिकल फैक्ट्रीज

मै. हिन्दुस्तान विहिकल्स लि., पटना ।

(क) तीन सूती मिलों तथा दो चीनी मिलों से लाभ होने लगा इसलिये उनके स्वामियों को वापस कर दी गई ।

(ख) से (ग) : मामला विचाराधीन है ।

व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन

2370 **श्री प्र. चं. वरुआ :**
श्री स. च. सामन्त :
श्री म. ला. द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में होने वाले आगामी एशिया तथा सुदूर पूर्व के बारे में आर्थिक आयोग के 22वें सत्र में, व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे सम्मेलन की तैयारी के लिये मंत्रियों के स्तर की बैठक के लिये कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो विकासशील देशों की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : **(क) तथा (ख)** : जी, हां। इकाके के 22वें सत्र के समाप्त होने पर, जो कि मार्च 1966 में नई दिल्ली में हुआ था, पन्द्रह विकासशील देशों ने जो कि इकाके के सदस्य हैं, सितम्बर/अक्तूबर, 1967 में होने वाले व्यापार तथा विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दूसरे सत्र की तैयारी के रूप में '77' विकासशील देशों की मंत्री-स्तरीय बैठक बुलाने की वांछनीयता पर संयुक्त घोषणा जारी की '77' की बैठक बुलाने का प्रस्ताव सर्व प्रथम भारत ने जनवरी-फरवरी 1966 में न्यूयार्क में हुये व्यापार तथा विकास बोर्ड के तीसरे सत्र के समय किया था और इकाके के 22वें सत्र के समय भारत उन देशों में से था जिन्होंने संयुक्त घोषणा को स्वीकार कराने में पहल की थी। '77' की बैठक बुलाने के प्रश्न पर बाद में विचार-विमर्श, 31 विकास-शील देशों के वर्ग ने, जो कि व्यापार तथा विकास बोर्ड के सदस्य हैं, अगस्त-सितम्बर, 1966 में जेनेवा में हुये अपने चौथे सत्र के समय किया। वर्ग में इस विषय में मतैक्य था कि '77' की बैठक मन्त्री-स्तर पर बुलाई जाये और वह दूसरे सम्मेलन के आठ-दस सप्ताह पूर्व हो।

श्रीलंका को निर्यात

2371 **श्री प्र. चं. वरुआ :**
श्री स. चं. सामन्त :
श्री म. ला. द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून, 1966 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् वस्तुओं के मूल्य अधिक होने के कारण भारत से श्रीलंका को निर्यात की जाने वाली प्रायः सब वस्तुओं और विशेष-कर कपड़े का निर्यात ठप्प हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनु भाई शाह) : (क) तथा (ख) : यह कहना सही नहीं है कि भारतीय रुपये के अवमूल्यन के बाद भारत से श्रीलंका को निर्यात ठप्प हो गया है। । जून-अगस्त 1966 की अवधि में श्रीलंका को 390 लाख रुपये का माल निर्यात किया गया। अवमूल्यन के तत्काल बाद श्रीलंका को सूती कपड़े का निर्यात रुक सा गया था, परन्तु श्रीलंका के सहकारी थोक संस्थान के साथ बातचीत के फलस्वरूप सूती कपड़े के थानों की तमाम विलम्बित संविदाओं का तथा उन संविदाओं का, जिन पर बातचीत की गई थी परन्तु पूरी नहीं हुई थी, पुनर्मूल्यन कर दिया गया। इन संविदाओं के आधार पर माल का भेजा जाना फिर से शुरु हो गया है।

चाय पर निर्यात शुल्क

2372 **श्री प्र. चं. बरुआ :**
श्री स. चं. सामन्त :
श्री म. ला. द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के कारण निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी होने के कारण, सरकार ने बाहर भेजी जाने वाली चाय पर निर्यात शुल्क आस्थगित भुगतान की रियायत की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रियायत की सही रूपरेखा क्या है तथा कितनी रियायत दी गई है; और

(ग) इसका निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरैशी)

(क) से (ग) : जी, हां। चाय उद्योग को सहायता देने के विचार से इस आशय के अनुदेश जारी किए गये हैं कि परेषण के आधार (कन्साइन्मेंट बेसिस) पर किए गए चाय के जहाजी लदानों के सम्बन्ध में निम्न सहायता दी जानी चाहिए:—

(1) जुलाई-सितम्बर 1966 में किए गए जहाजी लदानों के सम्बन्ध में 25 प्रतिशत निर्यात शुल्क नकद वसूल करना चाहिए और शेष बैंक गारन्टी द्वारा सुरक्षित कर लेना चाहिए।

(2) अक्तूबर-दिसम्बर 1966 में किए गए जहाजी लदानों के लिए 50 प्रतिशत निर्यात शुल्क नकद वसूल करना चाहिए और शेष बैंक गारण्टी द्वारा सुरक्षित कर लेना चाहिए।

उपरोक्त दोनों मामलों में निर्यात शुल्क की शेष राशि को प्रत्येक प्रेषित माल के जहाजी लदान की तिथि से 3 मास के अन्दर अन्दर वसूल कर लेना चाहिए।

बिक्री की राशि प्राप्त होने से पूर्व निर्यात शुल्क के भुगतान के लिए चाय निर्यातकों की तात्कालिक वित्तीय जिम्मेदारी, पर्याप्त मात्रा में कम कर दी गई है। किन्तु निर्यात शुल्क के आस्थगित भुगतान की सुविधा देने मात्र से चाय का निर्यात किस सीमा तक बढ़ेगा इसका ठीक ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन

2370 श्री प्र. चं. वरुआ :
श्री स. च. सामन्त :
श्री म. ला. द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में होने वाले आगामी एशिया तथा सुदूर पूर्व के बारे में आर्थिक आयोग के 22वें सत्र में, व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे सम्मेलन की तैयारी के लिये मंत्रियों के स्तर की बैठक के लिये कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो विकासशील देशों की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : **(क) तथा (ख)** : जी, हां। इकाके के 22वें सत्र के समाप्त होने पर, जो कि मार्च 1966 में नई दिल्ली में हुआ था, पन्द्रह विकासशील देशों ने जो कि इकाके के सदस्य हैं, सितम्बर/अक्तूबर, 1967 में होने वाले व्यापार तथा विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दूसरे सत्र की तैयारी के रूप में '77' विकासशील देशों की मंत्री-स्तरीय बैठक बुलाने की वांछनीयता पर संयुक्त घोषणा जारी की '77' की बैठक बुलाने का प्रस्ताव सर्व प्रथम भारत ने जनवरी-फरवरी 1966 में न्यूयार्क में हुये व्यापार तथा विकास बोर्ड के तीसरे सत्र के समय किया था और इकाके के 22वें सत्र के समय भारत उन देशों में से था जिन्होंने संयुक्त घोषणा को स्वीकार कराने में पहल की थी। '77' की बैठक बुलाने के प्रश्न पर बाद में विचार-विमर्श, 31 विकास-शील देशों के वर्ग ने, जो कि व्यापार तथा विकास बोर्ड के सदस्य हैं, अगस्त-सितम्बर, 1966 में जेनेवा में हुये अपने चौथे सत्र के समय किया। वर्ग में इस विषय में मतैक्य था कि '77' की बैठक मन्त्री-स्तर पर बुलाई जाये और वह दूसरे सम्मेलन के आठ-दस सप्ताह पूर्व हो।

श्रीलंका को निर्यात

2371 श्री प्र. चं. वरुआ :
श्री स. चं. सामन्त :
श्री म. ला. द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून, 1966 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् वस्तुओं के मूल्य अधिक होने के कारण भारत से श्रीलंका को निर्यात की जाने वाली प्रायः सब वस्तुओं और विशेष-कर कपड़े का निर्यात ठप्प हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनु भाई शाह) : (क) तथा (ख) : यह कहना सही नहीं है कि भारतीय रुपये के अवमूल्यन के बाद भारत से श्रीलंका को निर्यात ठप्प हो गया है। । जून-अगस्त 1966 की अवधि में श्रीलंका को 390 लाख रुपये का माल निर्यात किया गया। अवमूल्यन के तत्काल बाद श्रीलंका को सूती कपड़े का निर्यात रुक सा गया था, परन्तु श्रीलंका के सहकारी थोक संस्थान के साथ बातचीत के फलस्वरूप सूती कपड़े के थानों की तमाम विलम्बित संविदाओं का तथा उन संविदाओं का, जिन पर बातचीत की गई थी परन्तु पूरी नहीं हुई थी, पुनर्मूल्यन कर दिया गया। इन संविदाओं के आधार पर माल का भेजा जाना फिर से शुरु हो गया है।

चाय पर निर्यात शुल्क

2372 **श्री प्र. चं. वरुआ :**
श्री स. चं. सामन्त :
श्री म. ला. द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के कारण निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी होने के कारण, सरकार ने बाहर भेजी जाने वाली चाय पर निर्यात शुल्क आस्थगित भुगतान की रियायत की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रियायत की सही रूपरेखा क्या है तथा कितनी रियायत दी गई है; और

(ग) इसका निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरैशी)

(क) से (ग) : जी, हां। चाय उद्योग को सहायता देने के विचार से इस आशय के अनुदेश जारी किए गये हैं कि परेषण के आधार (कन्साइन्मेंट बेसिस) पर किए गए चाय के जहाजी लदानों के सम्बन्ध में निम्न सहायता दी जानी चाहिए:—

(1) जुलाई-सितम्बर 1966 में किए गए जहाजी लदानों के सम्बन्ध में 25 प्रतिशत निर्यात शुल्क नकद वसूल करना चाहिए और शेष बैंक गारन्टी द्वारा सुरक्षित कर लेना चाहिए।

(2) अक्तूबर-दिसम्बर 1966 में किए गए जहाजी लदानों के लिए 50 प्रतिशत निर्यात शुल्क नकद वसूल करना चाहिए और शेष बैंक गारण्टी द्वारा सुरक्षित कर लेना चाहिए।

उपरोक्त दोनों मामलों में निर्यात शुल्क की शेष राशि को प्रत्येक प्रेषित माल के जहाजी लदान की तिथि से 3 मास के अन्दर अन्दर वसूल कर लेना चाहिए।

बिक्री की राशि प्राप्त होने से पूर्व निर्यात शुल्क के भुगतान के लिए चाय निर्यातकों की तात्कालिक वित्तीय जिम्मेदारी, पर्याप्त मात्रा में कम कर दी गई है। किन्तु निर्यात शुल्क के आस्थगित भुगतान की सुविधा देने मात्र से चाय का निर्यात किस सीमा तक बढ़ेगा इसका ठीक ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

बीकानेर रेलवे स्टेशन

2373 **श्री प. ला. बारुपाल :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम सेवक यादव : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **रेलवे** मंत्री 2 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4119 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर रेलवे स्टेशन को उसके वर्तमान स्थान से हटाकर अनयत्र ले जाने तथा वहां ऊपरी और नीचे के पुल बनाने के सम्बन्ध में निर्णय इस बीच कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिए जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) बीकानेर शहर से दूर रेलवे लाइन के मार्ग परिवर्तन अथवा विकल्प रूप में वर्तमान समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों की व्यवस्था करने का प्रश्न अभी राजस्थान राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय कोयला बोर्ड

2374 **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद : **डा० म० मो० दास :**

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला बोर्ड ने अपना काम आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन कौन हैं और क्या ये सदस्य सवैतनिक सरकारी कर्मचारी हैं; और

(ग) इस नये बोर्ड में कोयला आयुक्तों के संगठन और अन्य संगठनों के कर्मचारियों को किस प्रकार खपाया जायेगा ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु. कु. डे.) :

(क) नहीं, महोदय ! विषय विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कृषि पर आधारित उत्पादों का निर्यात

2375 **डा० कर्णी सिंह जी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा 1965-66 में किये गये सभी वस्तुओं के निर्यात की तुलना में कृषि पर

आधारित वस्तुओं के निर्यात की प्रतिशतता कितनी थी;

(ख) तैयार माल के रूप में तथा कच्चे माल के रूप में कितना-कितना निर्यात किया गया; और

(ग) निर्यात किये जाने योग्य कच्चे माल को निर्यात करने के लिये तैयार माल का रूप देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) लगभग 79.50 प्रतिशत ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7425/66]**

(ग) कच्चे माल की तरजीह में तैयार माल को निर्यात करने का यथासंभव प्रयत्न किया जा रहा है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये तैयार उत्पादों की किस्म में सुधार लाने के हेतु विभिन्न कृषि संबंधी वस्तुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है । फिर भी कृषि संबंधी वस्तुओं को तैयार माल के रूप में निर्यात करने की क्रिया को निम्नलिखित कारणों से धीरे हो चलेगी:—

(1) उन देशों का प्रतिरोध, जो कि अब तक कच्चे माल का आयात करते रहे हैं और अपने आप माल तैयार कर रहे हैं;

(2) आयात शुल्क कच्चे माल की अपेक्षा तैयार उत्पादों पर समान्यता अधिक होते हैं ।

Retrenchment of Bhilai Engineers

2376. Dr. Ram Manohar Lohia : Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of Iron and Steel be pleased to state :

(a) whether some Engineers of Bhilai Steel Project have been retrenched ;

(b) whether after retrenchment these Engineers have urged the formation of Engineers Pool ; and

(c) if so, the reasons for their retrenchment and Government's reaction to their request ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) :

(a) Yes, Sir. 19 Engineers were retrenched,

(b) Yes, Sir.

(c) The retrenchment was due to the tapering off of the construction work relating to 2·5 million tonne expansion of the Bhilai Steel Plant.

To deal with the deployment of surplus personnel in industrial undertakings, the Director General of Employment and Training has constituted a special cell in his organisation. Apart from this the Planning Commission have set up a Committee to study specially the recruitment practices followed by public sector enterprises in regard to civil engineers and suggest measures for development of surpluses in this category. The suggestion for the creation of a pool to absorb the surplus engineers is inter alia under the consideration of this Committee which is expected to submit its report shortly.

Seizure of Copper at Patna Station

2377. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Bade :**
Shri Dighe : **Shri Utiya :**
Shri Madhu Limaye :

2577. Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 644 on the 29th July, 1966 and state :

(a) whether the investigation in regard to the copper seized at Patna Station has since been completed by Government ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the further time likely to be taken therein ;

(d) whether the accused has since been apprehended ; and

(e) the quantity of copper seized and its approximate value ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) No.

(b) to (e) As the investigation is being conducted by the State Government it is not possible to state when it would be completed.

Accident at Jhansi Station

2378. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Bade :**
Shri Vishwa Nath Pandey : **Shri Dighe :**

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 667 on the 29th July, 1966 and state :

(a) whether the inquiry into the collision between Lucknow-bound passenger train and G. T. Express at the Jhansi Railway Station on the 5th May, 1966 has since been completed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, when the inquiry is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministery of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Unstarred Question No 667 replied on 29. 7. 66 related to the collision which took place on 1. 5. 66 and not on 5. 5. 66. The inquiry into this accident has since been completed.

(b) According to the finding of the enquiry committee the accident was due to the failure of railway staff.

(c) Does not arise.

Fire in Jhansi Railway Workshop

2379. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Bade :**

2579. Will the Minister of RAIWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 674 on the 29th July, 1966 and state :

(a) the action taken against the persons due to whose negligence fire broke out in the Jhansi Railway Workshop ; and

(b) the further time likely to be taken in this regard, if no action has been taken so far ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b) A show-cause Notice has been issued to both the railway employees and final orders are expected to be issued by the end of November, 1966.

Derailment of 3 UP Assam Mail

2380. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 676 on the 29th July, 1966 and state ;

(a) whether the report showing causes of derailment of 3 UP Assam Mail has been received by Government ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, further time likely to be taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) (a) and (b) The final report of the Additional Commissioner of Railway Safety has not yet been received. However according to the provisional finding of the Additional Commissioner of Railway Safety, the exact cause of the accident was not precisely determinable.

(c) Since the Additional Commissioner of Railway Safety functions under the Ministry of Transport and Aviation, it is not possible for this Ministry to indicate the probable date by which the report may be finalised.

नीबू घास के तेल का निर्यात

डा० म० मो० दास : श्री ब० क० दास :

2381 श्री भागवत झा आजाद : श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री स० चं० सामन्त : श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीबू और घास के तेल का निर्यात प्रत्येक वर्ष कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात में होने वाली इस कमी को रोकने के लिए सरकार यदि कोई कार्यवाही कर रही है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (मनुभाई शाह) :

(क) निर्यात का रुख एकसा नहीं रहा है जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

1960-61	1194.5 मे. टन
1961-62	908.6 मे. टन
1962-63	1258.0 मे. टन
1963-64	914.0 मे. टन
1964-65	1039.0 मे. टन
1965-66	553.1 मे. टन

(ख) निर्यात में कमी होने के कारणों में से कुछ ये हैं :

ग्वाटमाला जैसे प्रतियोगी देशों में कुछ वर्षों से अच्छी फसल का होना तथा उसके परिणामस्वरुप अंतर्राष्ट्रीय मण्डियों में संभरण की वृद्धि, चीन द्वारा लिट्सी कवेवा जैसे अपेक्षाकृत सस्ते प्रतिस्थापन, संश्लिष्ट सिट्राल के उत्पादन में वृद्धि ।

(ग) वीटा आयनन तथा संश्लिष्ट विटामिन ए जैसे उपोत्पादों का निर्यात बढ़ाया गया हैं जिनसे तेल की अपेक्षा अधिक विदेशी मुद्रा मिलती है तथा इससे देश में आयात का विकल्प भी मिल जाता है । स्वदेशी निर्माता अब आयातित सिट्रोनेला तेल के स्थान पर अगिया घास (लैमन ग्रास) के तेल का प्रयोग कर रहे हैं । स्वदेशी निर्माताओं की आवश्यकताएं पूरी करने के बाद अगिया घास का जो फालतू तेल बचता है उसके निर्यात करने की अनुमति दी जा रही है ।

चंगेल रेलवे स्टेशन के स्थान का बदला जाना

2382 **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **डा० म० मो० दास :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्वी रेलवे में हावड़ा–खड़गपुर सेक्शन के चंगेल रेलवे स्टेशन के स्थान के बदले जाने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं ;

(ग) क्या उन पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार किया गया है ;

(घ) क्या स्थिति का सामना करने के लिये पुराने स्थान पर एक फ्लेग स्टेशन बनाने का विचार है ? और

(ङ) क्या स्टेशन के स्थान में परिवर्तन करने के विरुद्ध वहां धीरे धीरे किन्तु दृढ़ता से कोई आन्दोलन जन्म ले रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) जी हां ।

(ख) खड़गपुर की ओर स्टेशन को ले जाने के कारण 2309 फुट मार्ग का चक्कर पड़ गया ।

(ग) जी हां ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) जी हां । स्थानीय निवासियों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर कर दिया है और वह अभी न्यायाधीन है ।

ओखला औद्योगिक बस्ती, नई दिल्ली

2383 **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अधीन ओखला औद्योगिक बस्ती में स्थित कुछ छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रबन्ध के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें की गई हैं ; और

(ग) भूमि विकास, भवन निर्माण, तथा तत्सम्बन्धी सुविधाओं पर व्यय समेत औद्योगिक बस्ती पर कितना खर्च आया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कुल अनुमानित लागत 1.52 करोड़ रुपए है ।

जमाखोरों के विरुद्ध आन्दोलन

2384 **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :
श्री वड़े :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमाखोरी और चोरबाजारी करने वालों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में जो अनेक छापे मारे गये थे । क्या उनसे उद्देश्य में सफलता मिली है; और

(ख) विभिन्न प्रतिष्ठानों और दुकानों पर कितने छापे मारे गये और 30 सितम्बर, 1966 तक (राज्यवार) कितने जमाखोरों को पकड़ा गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनु भाई शाह) :

(क) जी, हां । इन छापों से अपराधियों को पकड़ने में सहायता मिली है तथा इनका यथेष्ट प्रभाव पड़ा है ।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त जानकारी **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7426/66]**

एशिया के देशों में जस्ते के अयस्क के उत्पादन के बारे में सर्वेक्षण

2385. श्रीमती सावित्री निगम : श्री हु. चा. लिंग रेड्डी :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत में स्थापित किये जा रहे जस्ता पिघलाने के नये कारखानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एशिया के देशों की जस्ते के अयस्क की सप्लाई करने की क्षमता का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु. कु. डे)

(क) और (ख) भारत सरकार द्वारा राजनयिक स्त्रोतों से एशिया के विभिन्न देशों से देश के लिये प्रस्तावित जस्ता प्रद्रावक प्लांट के लिये जस्ता संकेन्द्रकों के प्रदाय की सम्भावना मालूम की गई थीं। यह पाया गया कि इन देशों से जस्ता संकेन्द्रको की अभीष्ट मात्रा प्राप्त नहीं हो सकेगी।

एशियाई ट्रंक रेलवे लाइन

2386. श्री श्री नारायण दास : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्तम्बूल को सैगोन से मिलाने वाली तथा 13 देशों से होकर जाने वाली एशियाई ट्रंक रेल लाइन के आयोजकों ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार से सहमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस उपक्रम में भाग लेगी और इसमें अपना सहयोग देगी; और

(घ) यदि हां, तो यह किस प्रकार और सहयोग कितना होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाम नाथ) :

(क) हालांकि इस देश के कुछ समाचार पत्रों में इस आशय की रिपोर्ट छपी हैं कि जापान के कुछ उद्योगपतियों द्वारा एक एशियाई मुख्य रेल मार्ग बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है, लेकिन इस योजना में शामिल होने के लिए अभी तक रेल मंत्रालय से कोई बात–चीत नहीं की गयी है।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कच्चे लोहे के संयंत्रों की स्थापना

2387. श्री यशपाल सिंह : श्री महेश्वर नायक :
डा०रानेन सेन :

क्या **लोहा तथा इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग़ैर-सरकारी उद्योगपतियों ने कच्चे लोहे के संयंत्रों को स्थापित करने के बारे में अपनी असमर्थता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री वि. ना. सिंह) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

उद्योगों को लाइसेंस देने से सम्बन्धित नियम

2388 श्री यशपाल सिंह : डा० रानेन सेन :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों को लाइसेंस देने से सम्बन्धित नियमों में एक ऐसा उपबन्ध करने का विचार है, जिसके अनुसार यदि निर्धारित समय के अन्दर उद्योग स्थापित न किया जाये तो कुछ जुर्माना देना पड़े, और

(ख) यदि हां, तो इस संशोधन का वास्तविक स्वरूप क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या):

(क) और (ख) उद्योगों को लाइसेंस देने से सम्बन्धित नियमों, अर्थात, औद्योगिक उपक्रम पंजीयन तथा लाइसेंस सम्बन्धी नियम, 1952 में संशोधन करने का कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है । तथापि, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 में संशोधन करने के कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ।

रेलवे कर्मचारियों का प्रशासन के साथ झगड़ा

2389. श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासन के साथ रेलवे कर्मचारियों के झगड़े को निपटाने के लिए निष्पक्ष मधयस्थ नियुक्त करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें सोंपे गये विवादों का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)

(क) अभी हाल में संयुक्त सलाहकार तंत्र के लिए जो योजना लागू की गयी है, उसके एक भाग के रूप में (i) वेतन और भत्ता (ii) सप्ताह में काम के घंटे और (iii) छुट्टी के सम्बन्ध मे अनिवार्य पंच-निर्णय की व्यवस्था है।

(ख) अभी तक कोई नहीं ।

लाइसेंसों का जारी किया जाना

2390 श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965 में तथा पहली जुलाई, 1966 तक विभिन्न उद्योगपतियों को कितने लाइसेंस जारी किये गये और ये लाइसेंस किस आधार पर दिये गये ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत समय समय पर जारी किये गये लाइसेंसों का विवरण "बुलेटीन ऑफ इन्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज और "इंडियन ट्रेड जनरल" जो दोनों साप्ताहिक हैं; तथा "जरनल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड" मासिक में प्रकाशित किये जाते हैं। तीनों प्रकाशनों की प्रतियां सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

पंच वर्षीय योजनाओं में निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों, विदेशी मुद्रा के पहलु, कच्चे माल की उपलब्धि, बिजली परिवहन तथा अन्य सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस औद्योगिक उपक्रम पंजीयन तथा लाइसेंस व्यवस्था नियम, 1952 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार दिये जाते हैं।

पटसन की वस्तुएं बनाने वाली मशीनों का थाइलैंड को निर्यात

2391 डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाइलैंड को भारत से पटसन की वस्तुएं बनाने वाली मशीनों का निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगाने का कोई प्रयत्न किय गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनु भाई शाह) :

(क) तथा (ख) : निर्यात के प्रयास सभी देशों के लिये किये जाते हैं। इनमें ये शामिल हैं :- व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भेजना, बाजार सर्वेक्षण करना, व्यापारियों को बाजारों की जानकारी देना तथा अन्तराष्ट्रीय व्यापार मेलों और विदेशों में होने वाली प्रदर्शनियों में भाग लेना। फिर भी, जूट मिलों की मशीनों के निर्यातक थाईलैण्ड में अपने उत्पादों के लिये प्राप्त अवसरों से परिचित हैं तथा जब भी ऐसे अवसर मिले हैं, उन्होंने लाभ उठाया है।

सितम्बर 1966 में फुलेरा रेलवे स्टेशन के निकट सवारी गाडी पर आक्रमण

2392 डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 सितम्बर, 1966 को फुलेरा के निकट एक सवारी गाड़ी

पर आक्रमण किया गया था तथा ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिये बाध्य किया गया था और यात्रियों पर पत्थर बरसाये गये थे ; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में रज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देवारी (राजस्थान) में जस्ता पिघलाने का कारखाना

2393 श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) देवारी (राजस्थान) में जस्ता पिघलाने का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) वहां पर देशी कच्चे माल से सल्फर को तेजाब (सल्फ्यूरिक ऐसिड) बनाने का काम कब आरम्भ हो जायेगा ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे०) :

(क) जस्ता प्रद्रावक का लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है । 9-11-66 को हिन्दुस्तान जिंक लि० तथा फ्रांस के मैसर्स क्रिव्ज एण्ड साई एस० ए० एवं पैरिस के मैसर्स सोसाइटी मिनियेर एण्ड मैटलर्जिक द पैनारोया के बीच में जस्ता प्रद्रावक को परामर्श देने के कार्य को पुनः आरम्भ करने के लिये एक नया समझौता हुआ । उनके विशेषज्ञ शीघ्र ही भार पहुंचेगे । प्लांट की देखरेख तथा उसे चलाने के लिये आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है ।

(ख) 1967 तक ।

उत्तर प्रदेश में रेल गाड़ियों में जंजीर खींचने के मामले

2394 श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन विशिष्ट क्षेत्रों में रेलगाड़ी में जंजीर खींचने के मामले अधिक और बार-बार होते हैं; और

(ख) ऐसे मामलों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख)—एक बयान **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7427/66]**

पूर्वोत्तर रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक

2395. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों की सेवा की शर्तों में सुधार के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है :

(ख) 30 सितम्बर, 1966 तक पूर्वोत्तर रेलवे में कार्य करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों की कुल कितनी संख्या थी :

(ग) क्या उनकी नौकरी को बनाये रखा जा रहा है और उन्हें योग्यता/वरिष्ठता के आधार पर स्थायी रिक्त स्थानों पर नियुक्त किये जाने के अधिकार दिये जा रहे हैं; और

(घ) क्या अकारण ही उनकी नौकरी समाप्त करने, विशेषकर जबकि उन्हें काम करते तीन महीने से अधिक हो गये हैं, के विरुद्ध कोई गारंटी दी जाती है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) सरकार नैमित्तिक मज़दूरों की सेवा की शर्तों का पुनरीक्षण निरन्तर करती रहती है और इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय सभी भारतीय रेलों पर समान रूप से लागू होते हैं ।

(ख) अकुशल वर्ग में 16149

(ग) उनकी सेवा की निरन्तरता निर्माण कार्यों की उपलब्धता पर निर्भर है। जो नैमित्तिक मज़दूर रेलवे की नियमित सेवा में भर्ती के लिए चुने जाते हैं, । उन्हें नियमित खाली जगहों पर लगा लिया जाता है चुनाव के समय नैमित्तिक सेवा की अवधि और उपयुक्तता का यथोचित ध्यान रखा जाता है ।

(घ) जी नहीं ।

जगतबेला स्टेशन पर माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना

2396. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 अगस्त, 1966 को पूर्वोत्तर रेलवे के जगतबेला रेलवे स्टेशन (गोरखपुर) पर एक मालगाड़ी के कई लदे हुए माल डिब्बे पटरी पर से उतर गये थे और इससे गोरखपुर तथा गोंडा के बीच पूर्वोत्तर रेलवे की मुख्य लाइन पर यातायात रुक गया था :

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति को कुल कितनी क्षति हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) जी हां ।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है ।

(ग) रेल-सम्पत्ति को लगभग 40,000/– रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान लगाया गया ।

बम्बई सेन्ट्रल स्टेशन पर सोना पकड़ा जाना

2397. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सैन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे यार्ड में 3 सितम्बर, 1966 को जल्द बाजी में छोड़ दिये गये 2 जोड़े जूतों के फलस्वरूप रेलवे सुरक्षा दल द्वारा 12 स्वर्ण मुद्रायें पकड़ी गई थीं; जिन पर विदेशी चिन्ह अंकित थे और जिनका मूल्य 20,000 रुपये था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) 2.9.1966 को लगभग 18.45 बजे रेलवे सुरक्षा दल के उड़न दस्ते के दो सदस्यों ने दो आदमियों को बम्बई सैन्ट्रल रेलवे स्टेशन के स्टेशन यार्ड में संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखा और जब उन्हें ललकारा गया तो वे अपने जूते छोड़ कर घने अंधेरे में गायब हो गये । बाद में, एक अनजान व्यक्ति रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों के पास आया और इन व्यक्तियों द्वारा छोड़े गये दो जोड़े जूतों को वापस करने के लिए एक बड़ी रकम देने का प्रस्ताव रखा । प्रधान रक्षक ने कोई रकम लेने से इन्कार कर दिया लेकिन इन जूतों को सामान्य जूते के जोड़ों से अधिक वजनी होने पर उसे संदेह हुआ और उसने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को सूचना दी । पुलिस मौके पर पहुंच गयी और जूतों की जांच करने पर पता चला कि उनमें सोने के बारह टुकड़े रखे हुए हैं जिनपर "पेरिस मार्क" लगा था और उनका वजन करीब दस तोला था । अनुमान है कि सोना लगभग 18,000 रुपये के मूल्य का था । पुलिस ने पंचनाश कराने के बाद जूतों को अपने कब्जे में कर लिया । बाद में पुलिस ने आगे की जरूरी कार्यवाही करने के लिये मामला सीमा शुल्क विभाग को सुपुर्द कर दिया ।

2398. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विश्व नाथ पाण्डेय : **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितनी कम्पनियां शिशु-आहार (बेबी फूड) का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) देश की मांग पूरी करने के लिए कितनी मात्रा में शिशु-आहार (बेबी फूड) की आवश्यकता है;

(ग) शिशु-आहार (बेबी फूड) के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्ति हेतु आये कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं; और

(घ) देश को शिशु-आहार (बेबी-फूड) के मामले में आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ।

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवय्या) :

(क) पांच ।

(ख) प्रतिवर्ष लगभग 10,000 टन ।

(ग) एक ।

(घ) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत शिशु आहार को भी शामिल किया गया

है और उत्पादन बढ़ाने के हेतु कारखानों द्वारा कच्चे माल की प्रार्थनाओं पर उदारतापूर्वक विचार किया जाता है। क्या भविष्य में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये और अधिक क्षमता के लिये लाइसेंस देने पर भी सरकार ने विचार किया है।

बिहार में खनिजों का सर्वेक्षण

2399 श्री विभूति मिश्र : श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बिहार राज्य में खनिजों का विस्तारपूर्वक सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, यो इस प्रस्ताव की रूप-रेखा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) :

(क) से (ग) भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा बिहार में विस्तृत खनिज सर्वेक्षण किया जा रहा है। भागलपुर, हजारी बाग, मुंगेर, संथाल परगना, चंपारन, गया, पटना, और रांची के भागों में 2600 वर्ग किलोमीटर का भौमिकी मान चित्रण तथा खनिजायन का प्रारम्भिक मूल्यांक 1966–67 में किये जाने का प्रस्ताव है। राज्य के विभिन्न भागों में तांबा-सीसा-जस्ता के अयस्कों चिकनी मिट्टी, बुलफ्रम, कोयला, सोना, बोक्साइट, एजबैस्टस, कायनाइट, चुना पत्थर, माइका तथा पाइराइट के लिये बड़े पैमाने पर मान चित्रण, गड्ढे खोदने, खाई खोदने तथा व्यधन द्वारा विस्तृत अनुसंधान किये जाने का प्रस्ताव है।

सिक्किम खनन निगम

2400 डा० पू. ना. खां : श्री म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद : श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त : श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1960 में भूटान, सिक्किम और उनके निकट भारत में कुछ स्थानों में तांबा सीसा, जस्ता और अन्य अलौह धातुओं के विकास के लिये सिक्किम खनन निगम के नाम से भारत सरकार तथा सिक्किम दरबार ने एक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है और अब तक इस कम्पनी ने क्या प्रगति की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उत्पादन आरम्भ करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) :

(क) हां, महोदय। इस निगम की स्थापना भोटांग (न कि भूटान) में तथा सिक्किम के दूसरे स्थानों में तांबा, सीसा, जस्ता और दूसरे धातुओं के विकास करने तथा इस से सम्बंधित विषयों के लिये की गई थी।

(ख) और (ग) खान का विकास पूरा हो चुका है। अयस्क का संकेन्द्रकों में विधायन करने वाले मिलिंग प्लांट की स्थापना लगभग पूर्ण हो चुकी है तथा अधिकांश मशीनों का परीक्षण हो चुका है। परीक्षण उत्पादन शीघ्र शुरू होने की आशा है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राँची में बचत

2401. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा 2.15 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्रत्यक्ष बचत की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस निगम के कारखानों के सम्बन्ध में इस बचत का ब्यौरा क्या है और यह बचत कब की गई थी;

(ग) आयातित माल के स्थान पर काम आने वाली वस्तुओं के उपयोग की कितनी गुंजाइश का पता लगाया गया है और यह काम कहां तक किया गया है; और

(घ) इसके उत्पादों की बिक्री के लिये आदेश प्राप्त करने की सम्भावनायें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) और (ख) जी, हां ब्यौरा इस प्रकार है :—

		लाख रुपये मे.
1.	तकनीकी सेवा संगठन मैनुअल तथा डिजाइन डाकूमैंटेशन (हैवी मशीन टूल कारखाना)	33.30
2.	संयंत्र, उपकरण, पुर्जे, औजार, जिग्स आदि	
	,, मशीन टूल कारखाने के लिये	53.88
	,, ढलाई कारखाने के लिये	81.26
	,, हैवी मशीन बिल्डिंग कारखाने के लिये	36.00
	(1) स्टील स्ट्रकचरल शाप	7.93
	(2) उपकरण तथा सामान	3.15
	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था सामान्य	0.02
	कुल	215.54

(ग) आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं की जांच करने के लिये कारपोरेशन में एक समिति स्थापित की गई है ताकि सप्लाई के दूसरे साधनों तथा देश में उपलब्ध दूसरी वस्तुओं का पता लगाया जा सके तथा कारपोरेशन द्वारा उनके निर्माण की संभावना पर विचार किया जा सके। इस समिति ने अब तक लगभग कुल 68 लाख रुपये के मूल्य की आयात की जाने वाली वस्तुओं की जांच की है जिनमें से 32 लाख रुपये के मूल्य की वस्तुओं को इसलिये मंजूरी नहीं दी है कि या तो उनके स्थान पर अन्य वस्तुएं प्रयोग की जायें अथवा आयात की प्रस्तावित वस्तुओं की तुरन्त आवश्यकता नहीं समझी गई।

(घ) देश में औद्योगिक विकास के भावी कार्यक्रम को देखते हुए आर्डर प्राप्त होने की अच्छी संभावना है।

पटना सिटी स्टेशन

2402. डा. राम मनोहर लोहिया : श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री 13 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5630 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना सिटी स्टेशन का नाम बदल कर दूसरा नाम रखने के बारे में बिहार सरकार का कोई उत्तर प्राप्त हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) और (ख) :—बिहार सरकार से एक अन्तरिम उत्तर मिला है जिसमें कहा गया है कि वह अभी इस मामले पर विचार कर रही है ।

समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना

2403. डा. राम मनोहर लोहिया : श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री 5 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1536 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 जुलाई, 1966 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना के कारणों की जांच सरकार ने इस बीच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस दुर्घटना की रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ) :

(क) जी हाँ ।

(ख) दुर्घटना रेल-कर्मचारियों की गलती के कारण हुई ।

(ग) जी नहीं ।

चावल के भूसे से तेल निकालना

2404. डा० राम मनोहर लोहिया : श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिस्र में चावल की भूसी से खाद्य तेल बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भी ऐसा प्रयोग करने तथा देश में खाद्य तेल की कमी को पूरा करने के लिये तेल निकालने के लिये एक संयंत्र स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) और (ख) इस मंत्रालय को मिस्र के बारे में कोई ठीक जानकारी नहीं है लेकिन

बहुत से देशों में इस उद्योग का विकास किया गया है। इस देश में पहले ही चावल की भूसी से तेल निकालने के उद्योग का विकास किया जा रहा है और तकनीकी विकास महानिदेशालय की पुस्तकों में चावल की भूसी के यूनिटों के रूप में प्रतिष्ठापित क्षमता 1,50,000 टन प्रतिवर्ष है।

चीनी प्रकाशनों का आयात

2405. श्री विभूति मिश्र : श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी प्रकाशनों के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध होने के कारण भारत की शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थाएं और अनुसंधानकर्ता चीन के बारे में कोई अनुसंधान कार्य नहीं कर सकते; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उन प्रकाशनों का जो देश की सुरक्षा के लिये अहितकर नहीं हैं, उनका आयात किये जाने पर प्रतिबन्ध हटाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : चीन के बारे में अनुसंधान करने में शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली किसी कठिनाई की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

Conversion Of Metre Gauge Into Broad Gauge Lines in North Bihar

2406. Shri Bibhuti Mishra : Shri K: N. Tiwary :

Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that he stated in Muzaffarpur on the 16th September, 1966 that there was a proposal to convert the metre gauge line into broad gauge line and also to lay new railway lines to North Bihar;

(b) If so, whether any proposal is under consideration to construct a broad gauge line from Samastipur to Narkatiagunj and to lay new railway lines from Sagali to Hajipur;

(c) The time by which this work will be completed; and

(d) The benefits likely to accrue to the public there by ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) :

(a) : No.

(b) Certaien preliminary investigations to ascertain whether the conversion of Samastipur-Raxaul M. G. section into B. G., via Muzaffarpur and Darbhanga, will be warranted, are being carried out- As regards construction of a new line from Sagauli to Hajipur, no such proposal is under consideration at present. The two places are already connected by metre gauge, via Muzaffarpur.

(c) and (d) Do not arise.

दक्षिण वियतनाम को निर्यात

2407. श्री कोल्ला वैंकेया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65, 1965–66 तथा 1966-67 के पहले छै महीनों में दक्षिण वियतनाम तथा उत्तर वियतनाम को किन किन भारतीय वस्तुओं का निर्यात किया गया; और

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगा लिया है कि यह सामान युद्ध के काम में नहीं लाया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनु भाई शाह) : (क) एक विवरण

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7428/66

(ख) यह सामान साधारण वाणिज्यिक निर्यात सामग्री की श्रेणी में आता है ।

केले का पाउडर बनाने का कारखाना

2408. श्री मधु लिमये :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केले का पाउडर बनाने के लिये एक कारखाना स्थापित करने के लिये जलगांव जिला सहकारी विपणन समिति को लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) इस कारखाने के लिये आवश्यक संयंत्र का आयात करने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई/खर्च हुई;

(ग) क्या यह कारखाना चालू हो गया है/इस कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो गया है;

(घ) क्या इस कारखाने ने देश में कोई बिक्री की है/निर्यात किया है;

(ङ) क्या इस कारखाने के प्रबन्धक के कदाचारों/धोखा धड़ी के कार्यों के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो इन शिकायतों की कोई जांच की गई है, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) जलगांव जिला सहकारी विपणन समिति ने 1964 में केले का पाउडर (प्रोसेसिंग) बनाने का एक कारखान स्थापित किया गया था ।

(ख) 2,50,000 रुपये की विदेशी मुद्रा में से 2,30,422 रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च की गई है

(ग) जी, नहीं क्योंकि परीक्षण के रुप में कारखाना चालू करने पर पता चला कि केले के पाउडर में कुछ बैक्टीरिया है और इसलिये यह मनुष्यों के खाने योग्य नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) भारत सरकार को ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं ।

(च) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे में भोजन यान

2409. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद .
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भोजन यानों में सेवाओं की समाप्ति के पश्चात् पके हुए फालतू भोजन को पुनः न परोसने का कोई उपबंध सरकार ने किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गत वित्तीय वर्ष में इस प्रकार न परोसे गये भोजन का कोई हिसाब रखा गया था ;

(ग) यदि हाँ, तो पूर्वी रेलवे में, अलग से, इस प्रकार कितने मूल्य का भोजन परोसा नहीं गया ; और

(घ) इस प्रक्रिया का कब से पालन किया जा रहा है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (घ)—खान-पान यूनिटों में पकाये जाने वाले खाने की मात्रा सावधानीपूर्वक इस तरह नियमित की जाती है कि यथा सम्भव कम से कम फालतू खाना बचे । जहां व्यावहारिक होता है, खाने की बची हुई, ऐसी चीज़ों को, जिन्हें बचाकर रखा जा सकता है, रेफ्रिजरेटर में रख लिया जाता है । इसलिये ऐसा मौका कम ही आता है जब खाना बेकार ठहराया जाये । वर्तमान परिपाटी विभागीय खान-पान व्यवस्था के प्रारम्भ से ही लागू है ।

(ख) जी हां ।

(ग) रेलवे-वार रकम नीचे दी गयी है :-

रेलवे	**रकम**
मध्य	*
पूर्व	6 रुपये 16 पैसे
उत्तर	कुछ नहीं
पूर्वोत्तर	1334 रुपये
पूर्वोत्तर सीमा	कुछ नहीं
दक्षिण मध्य	32 रुपये 91 पैसे
दक्षिण	कुछ नहीं
पश्चिम	61 रुपये 10 पैसे
दक्षिण पूर्व	*

***आंकडे उपलब्ध नहीं हैं ।**

कालका-दिल्ली-हावड़ा मेल में खान-पान सम्बन्धी व्यवस्था

2410. श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा-दिल्ली-कालका मेल में खान-पान सम्बन्धी व्यवस्था को फिर से शीघ्र ही पूर्व रेलवे को सौंप दिये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कभी सरकार ने इसके प्रबन्ध की देख भाल की है ; और

(घ) यदि हां, तो खान-पान सम्बन्धी सेवाओं में इसके पूर्व सुधार न करने के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. राम सुभग सिंह):

(क) और (ख)—इस आशय का एक प्रस्ताव मिला है और अभी उसकी जांच की जा रही है ।

(ग) और (घ)—जी हां । इस बात की ओर निरन्तर ध्यान रखा जाता है कि स्टेशनों तथा गाड़ियों की खान-पान सिब्बन्दियों में अच्छी किस्म का भोजन मिले । इस सम्बन्ध में जो कदम उठाये गये हैं वे इस प्रकार हैं:- अच्छी किस्म की कच्ची सामग्री की खरींद, कुशल रसोइयों की तैनाती, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और जहां आवश्यक हो, वहां प्रशीतन/इंसुलेशन की व्यवस्था । वाणिज्य और चिकित्सा अधिकारियों तथा निरीक्षण कर्मचारियों और गैर-सरकारी समितियों के सदस्यों द्वारा निरीक्षण का कार्य भी तेज कर दिया गया है ।

सूती कपड़े का निर्यात

2411. डा० म० मो० दास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964-65 और 1965-66 में सूती कपड़े के निर्यात में कोई बढ़ोत्तरी हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस वर्ष में अब तक कितना निर्यात हुआ है ; और

(घ) निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरैशी) (क) से (घ) सूती वस्त्रों के 1964-65 के निर्यात में 1963-64 की अपेक्षा मूल्य के अनुसार तो वृद्धि हुई परन्तु परिमाण के अनुसार उसमें कमी हुई। 1965-66 के निर्यात में 1964-65 के निर्यात की अपेक्षा मूल्य के अनुसार थोड़ी कमी हुई परन्तु परिमाण के अनुसार वृद्धि हुई। निम्नलिखित सारणी से यह स्पष्ट हो जायगा :-

	परिमाण	मूल्य
	(लाख मीटरों में)	(लाख रुपयों में)
1963-64	5680	54,34
1964-65	5251	58,05
1965-66	5584	55,69

2. 1965-66 में सूती वस्त्रों के निर्यात में हुई कमी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) ब्रिटेन को, जो प्रमुख बाजार है, निम्नलिखित कारणों से लदान काफी कम हुए :—

(क) ब्रिटेन में मुद्रास्फीति रोकने के लिये उधार व्यवस्था में स्थिरीकरण किया जाना।

(ख) ब्रिटेन द्वारा आयात अधिप्रभार का जारी रखना।

(ग) 1964 में अधिक आयात के कारण ब्रिटेन में अत्याधिक माल जमा होना।

(2) चीन तथा अन्य साम्यवादी देशों मे फ्रांस द्वारा कोरे कपड़े के बड़े पैमाने पर आयात तथा फ्रांस के बाजार में भाव गिरने के कारण फ्रांस को होने वाले निर्यात में भी कमी हुई।

(3) चीन तथा पाकिस्तान से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा तथा एशिया के आयातक देशों की मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण एशिया तथा अफ्रीका के देशों को निर्यात कम हुआ। कई अफ्रीकी देशों ने भी, वहीं पैदा होने वाली कपास का उपयोग करने के लिये अपने घरेलू वस्त्र उद्योग स्थापित कर लिया है :-

3. अप्रैल-सितम्बर, 1966 की अवधि में, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, सूती वस्त्रों का निर्यात 2153 लाख मीटर हुआ जिसका मूल्य 25,95 लाख रु० था।

4. निर्यात को बढ़ाने के लिये जो कतिपय कदम उठाए जा रहे हैं वे निम्नलिखित हैं :-

(1) सूती वस्त्र निर्यात सम्वर्धन परिषद द्वारा पश्चिमी यूरोप, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण-पूर्वी एशिया आदि में हमारे वस्त्रों के लिये बाजारों का पता लगाने के लिये प्रतिनिधिमण्डल भेजे गये हैं।

(2) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा उन देशों के साथ, जिनके केन्द्रीकृत क्रेता संगठन हैं जैसे सोवियत रूस, युगोस्लाविया, श्री लंका, वर्मा, तंजानियाँ, युगांडा आदि, व्यापार करने के लिये निर्माताओं तथा निर्यातकों की नामिकाएं गठित की गयी हैं।

(3) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद विदेशों में भारतीय किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिये, विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग ले रही है।

(4) भारत से खंगस जैसे समापित माल की नई किस्में तैयार करके भेजी गई है जिसके अच्छे परिणाम निकले हैं। व्यापार में ऐसे विविधीकरण से अफ्रीका में बिक्री के बढ़ाने में सहायता मिली है।

भाप से चलनें वाले इंजिन

2412. श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन इंजन निर्माण कारखाने में इंजनों का निर्माण बढ़ जाने के फलस्वरूप अब भाप से चलने वाले इंजन रेलवे के पास फालतू हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितने इंजन फालतू हो जाते हैं ; और

(ग) फालतू इंजनों को अब किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं। वास्तव में चितरंजन रेल इंजन कारखाने में बड़ी लाइन के भाप के रेल-इंजनों का उत्पादन उत्तरोत्तर घटाया जा रहा है और बिजली के रेल-इंजनों, डीज़ल शंटिंग इंजनों और ए० सी० कर्षण-मोटरों के निर्माण के लिए उत्पादनक्षमता का विकास किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ?

गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को लौह-अयस्क की सप्लाई

2413 श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामान्त :
डा० म० मो० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातु, खान तथा खनिज व्यापार निगम ने गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को लौह-अयस्क तथा चूने के पत्थर की सप्लाई करने के लिए कोई करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन इस्पात कारखानों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई करार किया है ; और

(ग) क्या करार की दरें सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की दरों की तुलना में कम हैं और यदि हां, तो क्या इससे निगम को हानि नहीं होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बिहार और बंगाल कोयला-क्षेत्रों में बेकार खड़े रेलवे माल-डिब्बे

2414. श्री भागवत झा आजाद :
श्री स. चं. सामन्त :
श्री प्र. चं. बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म. ला. द्विवेदी :
डा. म. मो. दास :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल और बिहार के कोयला-क्षेत्रों में बहुत से माल डिब्बे बेकार खड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में बड़ी लाइनों पर गत छः महीनों से बेकार खड़े माल डिब्बों की संख्या क्या है;

(ग) क्या इन माल डिब्बों को कोयला खानों द्वारा माँगा गया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या इन माल डिब्बों को बेकार रखने के लिए कोयला खानों द्वारा कोई विलम्ब शुल्क दिया जाता है ; और

(ङ) दिये गये सीमित समय के बाद माल डिब्बे रखने के लिए उनसे किस प्रकार शुल्क लिया जाता है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ):

(क) जी हां ।

(ख) बंगाल और बिहार कोयला-क्षेत्रों से कोयला पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों द्वारा ढोया जाता है । इन रेलों पर कोयले के लदान के लिए उपयुक्त उन माल डिब्बों की संख्या नीचे दी हुई है, जो मई 1966 से अक्तूबर, 1966 तक की अवधी में बेकार खड़े रहे :–

	चौपहिये माल डिब्बे	बी. ओ. एक्स माल डिब्बें (चौपहियों के हिसाब से)	कुल
मई, 66		1608	1608
जून,	-	441	441
जुलाई	1001	3330	4331
अगस्त	4863	7599	12462
सितम्बर	3082	7504	10586
अक्तूबर	475	4025	4500

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं । विलम्ब शुल्क केवल उन माल डिब्बों के लिए लिया जाता है, जो मांगने पर सप्लाई कर दिये गये हों, लेकिन छट के अनुमत समय के भीतर जिनका लदान न किया गया हो ।

(ङ) कोयला-खान द्वारा मांगे गये लेकिन लादे न गये प्रत्येक मालडिब्बे पर विलम्ब-शुल्क 35 रु० लगता है । मांगे गये जो मालडिब्बे छूट के अनुमत समय से अधिक देर तक, लदान के लिए रोक रखे जाते हैं, उन पर विलम्ब-शुल्क 30 पैसा प्रति मीटरिक टन प्रति घंटा प्रति मालडिब्बा की दर से लिया जाता है ।

वनस्पति घी का निर्यात

2415. श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री भागवत झा आजाद :**
डा० म० मो० दास : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964-65 में वनस्पति घी के निर्यात में कमी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) पिछले वर्ष कितना निर्यात हुआ था ; और

(घ) क्या इसका निर्यात बढ़ाने की कोई संभावना है और यदि हां तो इस में कितनी वृद्धी की जा सकती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनु भाई शाह) :

(क) जी, हां ;

(ख) उत्पादन में गिरावट तथा आन्तरिक मांग में वृद्धि होने के कारण संभरण की स्थिति कठिन हो जाने के परिणामस्वरूप कमी हुई थी ।

(ग) 1962-63 और 1963–64 में क्रमशः 100 हजार मे० टन तथा 144 हजार मे० टन का निर्यात हुआ, जब कि 1964-65 में 45 हजार मे० टन हुआ था ।

(घ) जी, नहीं । इस समय तो हम वनस्पति तेलों की अत्याधिक कमी होने के कारण उनका आयात कर रहें हैं ।

कोरबा एलूमिनियम परियोजना के लिये हंगरी का सहयोग

श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या हंगरी के तकनीशनों ने कोरबा एलूमिनियम परियोजना के बारे में अपनी अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ;

(ख) परियोजना का ब्यौरेवार प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस परियोजना के तैयार करने में हमारे तकनिशनों ने भी भाग लिया है ;

(घ) यदि हां, तो कितने इंजीनियरों ने इसमें भाग लिया ; और

(ङ) प्रतिवेदन भारत में तैयार किया जा रहा है अथवा हंगरी में ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु. कु. डे.) : (क) कोरबा एल्यूमिना प्लांट जो कोरबा एल्यूमिनियम परियोजना का भाग है के बारे में एक अन्तरिम लागत मूल्यांकन रिपोर्ट हंगरी की एक फर्म मैसर्स चैमोकोम्पैलवस द्वारा सरकार को मार्च 1966 में प्रस्तुत की गई थी ।

(ख) एल्यूमिना प्लांट की विस्त्रत परियोजना रिपोर्ट के दिसम्बर 1966 में प्राप्त होने की आशा है ।

(ग) और (घ) हां, महोदय। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के लगभग 30 इंजीनियर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी में शामिल हैं।

(ङ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारतीय इंजीनियरों की सहायता से हंगरी में तैयारी की जा रही है।

Appointment of Leave Reserve Employees in Delhi Area of Northern Railway.

2417. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade :
Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1482 on the 5th August, 1966 and state :

(a) whether any action has been taken in regard to the appointment of leave reserve employees at Delhi Main and New Delhi Railway Stations ;

(b) if so, the number of persons appointed ; and

(c) if not, the time likely to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Raiways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) and (b). In view of the financial stringency it has not been possible to create the additional leave reserve posts.

(c) Efforts are being made to find the funds to meet the expenditure for these posts.

कच्चे माल का सनाहार

2418 श्री सुबोध हंसदा : श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ : श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद : डा० म० मो० दास :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने चार गैर-सरकारी खान मालिकों के साथ कच्चे माल की प्राप्ति के लिये सीधा करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन गैर-सरकारी खान मालिकों के नाम आदि क्या हैं ;

(ग) क्या उनके द्वारा किये जाने वाले सम्भरण की दरें—खनिज तथा धातु व्यापार निगम की दरों से कम है ; और

(घ) यदि नहीं, तो गैर-सरकारी खान मालिकों के साथ यह करार किये जाने के क्या कारण हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि. ना. सिंह)

(क) जी, हां। ऐसा समझा जाता है कि माननीय सदस्य हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क खरीदने के लिये किये गये करारों के बारे में पूछ रहे हैं।

(ख) मैसर्स मिश्रीलाल जैन (प्राइवेट) लिमिटेड
मैसर्स बी. यटनायक माइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड
मैसर्स रुंगता संस (प्राइवेट) लिमिटेड
मैसर्म एस. लाल एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

(ग) और (घ) ये दरें उन देशों से कम हैं जो कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने बातचीत के दौरान मांगी थी।

Noting and Drafting in Hindi

2419. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the number of Sections in his Ministry, its Attached and Subordinate Offices wherein noting and drafting in Hindi has been allowed ; and

(b) the number of Offices where the said sections have started nothing and drafting in Hindi ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) :

(a) Four sections in the Ministry have been allowed to note and draft in Hindi.

(b) One.

Hindi-knowing Employees in the Office of the Chief Controller of Imports and Exports.

2420. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the number of employees, excluding Class IV Staff, in his Ministry and in the Office of the Chief Controller of Imports and Exports, whose Hindi qualification is Matric or post-Matric ; and

(b) how many out of them are at present doing office work in Hindi also ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah):

(a) 795

(b) 12

Office of the Chief Controller of Imports and Exports.

2421. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the gazetted officers in the Administrative Wing of the Office of the Chief Controller of Imports and Exports attached to his Ministry do not know Hindi ; and

(b) if so, whether Government propose to appoint Hindi-knowing officers in place of the non-Hindi knowing officers in non-technical departments like Administration in view of Hindi being the official language ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Hindi-knowing officers.

2422. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the number of gazetted officers at present in his Ministry and the number out of them who know Hindi ; and

(b) the number of non-Hindi knowing gazetted officers out of them, who are learning Hindi at present under the Hindi Teaching Scheme ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) :

(a) Out of 157 Gazetted Officers, 65 officers know Hindi.

(b) One.

Show Room fn Tokyo

2423. Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have formulated a scheme to set up a Show Room in Tokyo (Japan) ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Manu Bhai Shah) : (a) and (b). No, Sir. The Government of India have not formulated any scheme for setting up a Show Room in Tokyo (Japan) and hence the question of any details in that connection does not arise. However, the Government of India, through the Indian Embassy in Tokyo, has been approached by the authorities of the Japan World Trade Centre, a national body, though having an international connotation, to avail of the facilities proposed to be offered by the Centre, who are planning to construct a four storeyed building on about 2,70,000 sq. meters of floor space. This is expected to provide all the necessary facilities for the conduct of bussiness transactions. The organisers are trying to interest the Foreign Governments as well as the private organisations to open Show Rooms/ Trade Centres in the World Trade Centre Building which is expected to be ready sometimes in 1969. It will be sometimes before the organisers could give us any preliminary idea of the rental, other terms and conditions and the facilities which would be available. However, it is felt that it may be worthwhile for India to open a Show Room/ Trade Centre in the World Trade Centre of Japan, if it comes up and the terms offered are advantageous and acceptable to us. The Indian Showroom, if set up, is proposed to be run by the State Trading Corporation of India, on commercial lines.

Derailment of Goods Train at Reghunathpali Station.

2424. Shri Bade :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shrimati Jyotsna Chanda :
Shri Rama Chandra Mallik :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri H. C. Linga Reddy :
Shri Basumatari:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three persons died and many others were injured as a result of a goods train accident at Raghunathpali Station on the Kazipat-Secunderabad line of the South Central Railway on the 28th September, 1966 ;

(b) if so, the causes of the accident ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath).

(a) In this accident three Railway staff were killed and two sustained minor injuries,

(b) and (c) The derailment was due to the failure of the driver who died as a result of the accident. There was, therefore, no occasion to take any action against the defaulting staff.

आंध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग

2425. श्री कोल्ला वैकैया : श्री म० ना० स्वामी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि भारी मात्रा में कपड़ा जमा हो जाने के कारण आंध्र प्रदेश में हथकरघा कपड़ा उद्योग को गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है ;

(ख) यदि हां, तो जमा हुये कपड़े की अनुमानत: कीमत तथा मात्रा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने बिना बिके माल को बेचने की संभावना का पता लगाने के लिये कार्यवाही की है ;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से इस कपड़े को खरीदने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप–मन्त्री (श्री शफ़ी कुरैशी):

(क) आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य में हथकरघा वस्त्र काफी मात्रा में जमा हो गया है; फिर भी स्थिति गम्भीर नहीं है ।

(ख) बुनकर सहकारी समितियों के पास 2·50 से 3 करोड रु० के मूल्य का स्टाक सामान्यत: रहता था उसकी तुलना में इस समय 4 करोड़ रुपये के कपड़े के स्टाक का अनुमान है ।

(ग) विद्यमान स्टाक को निकालने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) अपनी प्रारम्भिक समितियों से कपड़ा प्राप्त करने के लिये शिखर (एपेक्स) बुनकर सहकारी समितियों को आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा 10 लाख रुपये का एक अल्पावधि ऋण दिया गया है ।

(2) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा शिखर (एपेक्स) बुनकर सहकारी समितियों के लिये 20 लाख रुपये का एक और ऋण शीघ्र ही मंजूर किया जाने वाला है ।

(3) जिला सहकारी बैंकों को सलाह दी गई है कि वे जमा माल की जमानत पर बुनकरों की सहकारी समितियों को उदारता पूर्वक धन दें ।

(4) दशहरे के त्योंहार पर सात दिन के लिये हथकरघा कपड़े की सभी वास्तविक खुदरा बिक्री पर पांच पैसे प्रति रुपये की सामान्य छूट के अतिरिक्त पांच पैसे प्रति रुपये की विशेष अतिरिक्त छूट दी गई थी ।

(5) विद्यमान जमा माल को और भी कम करने के एक विशेष उपाय के रुप में

नवम्बर, 1966 के प्रथम सप्ताह से एक महीने तक के लिये एक रुपये पर पांच पैसे की विशेष अतिरिक्त छूट दी जा रही है ।

(6) स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने मास्टर बुनकरों के लिये अपेक्षित उधार सुविधाओं की व्यवस्था की है । अन्य बैंक भी कपड़े के स्टाक की जमानत पर वित व्यवस्था करने के लिये सहमत हो गये हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ड) पहिले ही किये गये तथा ऊपर (ग) में निर्दिष्ट उपायों से विद्यमान जमा माल के निकलने तथा वर्तमान कठिनाई के हल हो जाने की आशा है ।

उत्तर रेलवे के मैकेनिकल विभाग में द्वितीय श्रेणी के पदों के लिये चयन

2426. श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या रेलवे मन्त्री 19 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2815 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे द्वितीय श्रेणी की सेवा के कितने पदों के लिये 379 उम्मीदवार बुलाये गये थे ;

(ख) द्वितीय श्रेणी की सेवा के लिये चयन करने के नियमों में परिवर्तन करने के लिये प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) रिक्त पदों तथा लिखित परीक्षा के लिये बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बीच 1:4 के सामान्य अनुपात का इस मामले में पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):

(क) 12 खाली जगहें ।

(ख) और (ग): संघीय लोक सेवा आयोग की सलाह से रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन श्रेणी II के पदों के चुनाव में उन सभी कर्मचारियों को भाग लेने की अनुमति है जो पात्रता सम्बन्धी शर्तों को पूरा करते हैं । इसलिए 1:4 का अनुपात निश्चित करने का प्रश्न नही उठता ।

रेलवे में तकनीकी स्टाफ

2427. श्री शिव मूर्ति स्वामी :

क्या रेलवे मंत्री 26 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3476 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन शर्तों के अन्तर्गत तकनीकी स्टाफ को, अपने पदों को छोड़कर अच्छे भविष्य वाले स्थानों पर जाने की अनुमति है;

(ख) क्या यह सच है कि उन आवेदन-पत्रों में से बहुत प्रतिशत को रोक लिया जाता है अथवा उन पर इतने विलम्ब से कार्यवाही की जाती है कि जिसके परिणाम स्वरूप वे आवेदन-पत्र बेकार हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक रेलवे पर गत पांच वर्षों में से ऐसे कितने मामले हुए हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (ग) सूचना मंगाई जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे वर्कशापों तथा शैडों में फोरमैनों को पर्यवेक्षण भत्ता

2428. श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलों की वर्कशापों तथा शैडों में काम करने वाले फोरमैनों को पर्यवेक्षण भत्ता नहीं दिया जा रहा है जब कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स तथा इन्टैगरल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर में काम करने वालों को दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) जगन्नाथ दास वेतन आयोग की इस सिफ़ारिश के आधार पर, कि उत्पादक कारखानों के उच्चतम पदक्रम के के फोरमैनों के वेतनमान की अधिकतम सीमा 575 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपये कर दी जाये, चितरंजन रेल इंजन कारखाने और सवारी डिब्बा कारखाने के 450–575 रुपये के वेतनमान में काम करने वाले फोरमैनों को, उनके वेतनमान की अधिकतम सीमा 650 रुपये कर देने की बजाय, 150 रुपये प्रति माह विशेष वेतन दिया गया है। साधारण रेल कारखानों के फोरमैन इस विशेष वेतन के पात्र नहीं हैं, क्योंकि ये कारखाने उत्पादन यूनिट नहीं है।

रेलवे में तकनीकी सुपरवाईजर

2429 श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या रेलवे मंत्री 26 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3476 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं उनमें वह सुपरवाईजर भी शामिल हैं जो रेलवे विभाग

में रिसर्च डिजायन तथा मानक संस्था आदि में अच्छे पदों पर चले गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) भारतीय रेलों पर चार्जमैन तथा फोरमैनों की कितनी संख्या है; और

(घ) उनमें से कितने लोगों को तकनीकी योग्यता प्राप्त है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (घ) : सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Uniform Rates For Railways Mazdoors at Ahmedabad

2430 Shri Onkar Lal Berwa : Shri Omkar Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the rates for mazdoors/coolies at Ahmedabad station have been raised and it has been agreed to provide them certain other facilities also; and

(b) if so, the steps being taken by Government to fix uniform rates for mazdoors at all the stations on the Western Railway ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) The rate for porterage charges at Ahmedabad station has been fixed at 40 paise per head load per trip with effect from 9.9.1966. Licensed porters at Ahmedabad station enjoy the same facilities as are provided at all other stations and no additional facilities have been provided specialy for them.

(b) Porterage charges depend upon the local conditions, the cost of living and the general level of wages out side, and as such it is not feasible to fix uniform rates at all stations.

चाय बोर्ड

2431. श्री भागवत झा आजाद : श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त : श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चाय उपक्रमियों से ऋणों की मंजूरी के लिये अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और चाय बोर्ड की आवर्तक निधि के लिये मंजूर की गई पांच करोड़ रुपये की राशि में से, उन को दिये गये ऋणों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफ़ी कुरैशी) :

इस सम्बन्ध में इस समय तक की स्थिति निम्नलिखित है:—

	संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1. प्राप्त आवेदन पत्र	259	1281.57
2. स्वीकृत आवेदन पत्र	126	537.35
3. वचन दिये गये ऋण की कुल धनराशि (रेहननामे आदि हो जाने पर किस्तों पर दिया जाना है)	97	426.68
4. ऋण करार। रेहननामों पर किस्तों का वितरण।	97	222.28

रेलवे में सेवा--निवृत्ति की आयु

2432 श्री प्रिय गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को विभिन्न सेवाओं में सेवा–निवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ा कर 58 वर्ष कर दी गई है;

(ख) क्या रेलवे में 55,56 अथवा 57 वर्ष की आयु पर सेवाओं की समाप्ति के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी सूची क्या है और इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां, लेकिन भूतपूर्व कम्पनी और भूत पूर्व रियासती रेलवे कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर जिन्होंने नौकरी के सम्बन्ध में अपनी नियुक्ति के पूर्व की शर्तों को कायम रखा है और जिनके लिये आदेश मौजूद है कि उनके सेवा काल को 55 वर्ष के बाद 58 वर्ष तक बढ़ाने के लिए साल-ब-साल बिना रोक-टोक के मंजूरी दी जानी चाहिए बशर्ते वे स्वस्थ और कार्य कुशल हों।

(ख) जी हाँ।

(ग) सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Collision between Villivakkam and Ramapuram Stations

2433. Shri Bade — **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that four passengers were injured as a result of a local

train having run into another train between Villivakkam and Ramapuram Stations on the 3rd October, 1966.

(b) If so, the causes of the accident; and

(c) The action taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) The accident occurred between Villivakkam and Perambur Loco Works stations.

(b) The Additional Commissioner of Railway Safety, Bangalore, has held his statutory enquiry into the accident. According to his provisional finding, the accident was due to the failure of Railway staff.

(c) Suitable preventive measures will be taken on receipt of the final report of the Additional Commissioner of Railway Safety.

इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड

2434. श्री कोल्ला वैंकेया:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन (लिमिटेड) के पदाधिकारीयों या शिष्ट मंडलों ने 1964–65 और 1966 के पूर्वार्ध में विदेशो के कोई दोरे किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न देशों का दौरा करने वाले पदाधिकारियों के नाम तथा शिष्ट मंडलों की संख्या क्या है ;

(ग) प्रत्येक दौरे पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई हैं ;

(घ) इस निगम ने 1964, 1965 और 1966 के पूर्वार्ध में कुल कितने चलचित्रों का निर्यात किया ;

(ड) इस निगम को 1964 और 1965 में चलचित्रों के नियति से कुल कितनी आय हुई ; और

(च) व्यापार कम होने के क्या कारण हैं ;

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) जी, हां ।

(ख) से (घ) : एक विवरण संलग्न है [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 7429/66]

(ड) निगम को 1964 तथा 1965 में फिल्मों के निर्यात द्वारा क्रमश: 60,000 रु०

तथा 84,425 रु० की आय हुई।

(च) क्योंकि निगम को कठिन निर्यात मद का व्यापार करना था इसलिए प्रारम्भिक अवधियों में इसको अपने कार्य धीरे धीरे प्रारम्भ करने पडे थे।

दक्षिण-मध्य रेलवे मज़दूर संघ

2435. श्री कोरुल्ला वैंकेया : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे मजदूर संघ के एक प्रतिनिधि मण्डल ने उन्हें हैदराबाद में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें मजदूरों की तथा मुख्य कठिनाइयां बताई गयी हैं ;

(ग) क्या उस शिष्टमण्डल ने उनसे यह अपील की थी कि जिन लोगों को 1960 की आम हड़ताल में भाग लेने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था, उन्हें बहाल कर दिया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)

(क) जी हां।

(ख) यूनियन ने अपने ज्ञापन में निम्नलिखित बातों की माँग की :

(1) रेल प्रशासन द्वारा यूनियन को मान्यता दी जाय।

(2) मध्य और दक्षिण तथा अन्य रेलों से विकल्प देने वाले कर्मचारियों को दक्षिण मध्य रेलवे में पदों पर लगाया जाय।

(3) अन्य क्षेत्रों से दक्षिण–मध्य रेलवे को स्थानान्तरित कर्मचारियों को सुविधाएँ दी जाय।

(4) जुलाई, 1960 की हड़ताल में शामिल होने के कारण बर्खास्त/नौकरी से हटाये गये या अन्यथा दण्डित या स्थानान्तरित कर्मचारियों के मामलों पर फिर से विचार किया जाय।

(5) भूतपूर्व एन० एस० रेलवे के जिन कर्मचारियों ने विकल्प दिया है, उनकी सेवा की शर्तों पर विचार किया जायें।

(ग) जी हां।

(घ) भाग (ग) में उल्लिखित मामलों पर पहले कई बार विचार किया जा चुका हैं और उनका सामान्य पुनरीक्षण करने की जरुरत नहीं हैं।

बम्बई के निकट बिजली की गाड़ी में आग लगाना

2436. श्री तुला राम. श्री विश्वनाथ पाण्डेय:
श्री दी० चं० शर्मा: श्री बड़े:
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 10 अक्तूबर, 1966 को बम्बई से 30 मील दूर बैसेन रोड पर पास वालों की उत्तेजित भीड़ (कम्यूटरों) ने पश्चिमी रेलवे उपनगरीय रेल के एक प्रथम दर्जे के डिब्बे को आग लगा दी थी:

(ख) यदि हाँ, तो उस दुर्घटना के क्या कारण थे;और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०राम सुभग सिंह):

(क) और (ख) जी हां सीजन टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्री उग्र हो उठे थे क्योंकि चर्चगेट जाने वाली 70 अप विरार स्थानीय गाड़ी काटों की खराबी के कारण समय पर बेसिन रोड़ स्टेशन नहीं पहुंची । विरोध के रुप में 45 डाउन स्थानीय गाड़ी के पहले और तीसरे दर्जे के एक मिले-जुले डिब्बे में आग लगा दी गयी ।

(ग) भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 147, 148, 149, 353, 336, 427, 436, और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 126, 127, 128, के अधीन पालघर पुलिस स्टेशन में अपराध ए/सी० आर० सं० 59/66 के रूप में एक मामला दर्ज किया गया हैं । 14.10.66 तक 37 व्यक्ति गिरफतार किये गये और विरार के प्रथम श्रेणी (रेलवे) न्यायायिक मजिस्ट्रेट के बेसिन रोड स्थित न्यायालय, में 19.10.66 को उनके विरुद्ध आरोप–पत्र दाखिल किये गये । विरार के प्रथम श्रेणी न्यायायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों की जमानतकी अर्जियाँ रद्द कर दीं । लेकिन सत्र न्यायालय थाना ने 21 अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया और उन्हे 26.11.66 को रिहा कर दिया गया। बाद में बम्बई उच्च न्यायालय के बाकी अभियुक्तों को भी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, 2.11.66 को उन दो पुराने अपराधियों के अलावा बाकी अभियुक्तों को भी जमानत पर छोड़ दिया गया, जिन्होंने जमानत नहीं दी थी । न्यायायिक मजिस्ट्रेट विरार (बम्बई) के न्यायालय में यह मामला चल रहा है ।

नई दिल्ली में उत्तर रेलवे का तैरने का तालाब

2437. श्री धुलेश्वर मीना : श्री विश्राम प्रसाद :
श्री दलजीत सिंह : श्री छ० म० केदरिया :
श्री रमापति राव : श्री राजदेव सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में उत्तर रेलवे का तैरने का तालाब बनाने पर 12 लाख रुपये व्यय हुए थे, जो बहुत अधिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) पहाड़गंज, नई दिल्ली में स्थित उत्तर रेलवे स्टेडियम में तैरने का तालाब केवल 6·57 लाख रुपये की लागत से बनवाया गया था ।

(ख) रेल कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए अभी हाल तक दिल्ली क्षेत्र में तैरने का कोई तालाब नहीं था । रेल कर्मचारियों को यह सुविधा देने की आवश्यकता बहुत दिनों से अनुभव की जा रही थी । अत: उत्तर रेलवे स्टेडियम, नई दिल्ली में तैरने का एक तालाब बनवाया गया ।

लखनऊ में रेलवे अनुसन्धान, डिजाइन तथा मानक संगठन के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

2438. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री दलजीत सिंह : **श्री छ० म० केदरिया :**
श्री रमापति राव : **श्री राजदेव सिंह :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे ने 1964 में तथा उसके पश्चात् लखनऊ में अनुसन्धान, डिजाइन तथा मानक संगठन के कर्मचारियों के लिये शीघ्र क्वार्टरों की व्यवस्था करने के लिये काफी बड़ी राशि मंजूर की थी ; और

(ख) यदि हां, तो तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये, जिन्होंने 1950 में तथा उसके बाद क्वार्टरों की मांग की थी, आपातिक आधार पर कर्मचारी क्वार्टर न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) यह सही है कि अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन के तीसरे दर्जे के कर्मचारियों के लिए 500 और चौथे दर्जे के कर्मचारियों के लिए90 क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1963-64 में 1·3 करोड़ रुपये की रकम मंजूर की गयी थी ।

(ख) 1963 तक अनुसधान, अभिकल्प और मानक संगठन का मुख्यालय शिमला में था । 1963 में मुख्यालय को लखनऊ ले जाने का विनिश्चय किया गया । जैसा कि ऊपर बताया गया है, 1963–64 में तीसरे और चौथे दर्जे के 590 क्वार्टरों को आपातित आधार पर बनाने की मंजूरी दी गयी थी । इन क्वार्टरों को बनाने का काम पूरा हो चुका है ।

त्रिवेणी स्टील स्ट्रक्चरल्स, नैनी

2439 श्री दिगे : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और आस्ट्रिया के संयुक्त उपक्रम, त्रिवेणी स्टील स्ट्रक्चरल्स के बारे में, जो नैनी (इलाहाबाद) में स्थापित किया जा रहा है, अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस कारखाने में इस्पात के ढांचे, इमारतों के बाहरी ढांचे, बुर्जों के ढांचे तथा धवन मट्टियों का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) इस कारखाने के लिए जुलाई, 1966 में भूमि ली गई है। कारखाना क्षेत्र को समतल बनाने प्रथम चरण का कार्य, जो लगभग 50 लाख घनफुट मिट्टी के कार्य के बराबर है, चल रहा है और लगभग उसका 60 प्रतिशत अब तक पूरा हो चुका है। पानी तथा बिजली की अस्थाई सप्लाई का कार्य अब पूरा हो चुका है। पानी की स्थाई सप्लाई की योजना आरम्भ किया जा रही है। बिजली की सप्लाई की व्यवस्था करने में कुछ और महीने लग सकते हैं क्योंकि इसमें 66 कि० वा० तथा 33 कि० वा० ऊपरी बिजली की लाइन को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान से ले जाना पड़ेगा। चार भंडार शेड और 3 कार्यालय शेड बनाने का कार्य प्रायः पूरा होने वाला है।

(ख) अभी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है किन्तु 1968–69 में 500 मीट्रिक टन तथा 1969-70 में 15000 मीट्रिक टन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसकी 25000 मीट्रिक टन की निर्धारित लक्ष्य के 1970–70 तक पूरा होने की सम्भावना है।

दासमपत्ती पर रेल का पटरी से उतर जाना

2440 श्री दिगे : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 अक्तूबर, 1966 को दक्षिण रेलवे पर मोराधुर और जलारपेट स्टेशनों के बीच इरोड से जलारपेट जाती हुई एक माल गाड़ी दासमपत्ती पर पटरी से उतर गई तथा उलट गई ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) रेल सम्पत्ति को कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) जी नहीं। लेकिन, 12-10-1966 को सेलम जंक्शन–जोलारपेट्टै जंक्शन खण्ड के सामलपट्टि स्टेशन पर मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उत्तर गया था।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

(ग) रेल-सम्पत्ति को लगभग 3000 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

Hindi Name-Plates at Stations

2441 Shri Bade : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Hindi name-plates put upa t several stations on the Sealdh Division of the Eastern Railway have been coal-tarred ;

(b) Whether it is also a fact that the authorities concerned have not so far taken any steps in this connection ; and

(c) if so, the action taken by Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)

(a) Yes, on certain way-side stations.

(b) No.

(c) The re-painting of the name-plates in Hindi is being carried out. The miscreants could not be apprehended as they commit this mischief at night and only at way-side stations.

गुजरात में एयर राइफल फैक्टरी

2442 श्री तुला राम : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गुजरात में गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहायता से एयर राइफल बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है :

(ख) यदि हां, तो कब और यह कारखाना किस रूप में स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में शस्त्र बनाने का कारखाना स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) से (ग) गुजरात में गैर सरकारी क्षेत्र में एक फर्म को ऐसी एयर राइफल बनाने के लिये शस्त्र अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत लाइसेंस दिया गया है। बन्दूकों के लिये उपरोक्त अधिनियम तथा नियमों के लिए लाइसेंस लेना अपेक्षित नहीं है। इन राइफलों को बनाने के लिये विदेशी फर्म से सहयोग लेने का उसका प्रस्ताव लगभग 1965 के अन्त में स्वीकार कर लिया गया है। औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार हथियार तथा गोला बारुद बनाना केन्द्रीय सरकार का एकाधिकार है किन्तु इस समय गैर सरकारी फर्मों द्वारा राइफल/एयर गन बनाये जाने पर से प्रतिबन्ध हटाया गया है।

लुधियाना-सरहिन्द सैक्शन के दैनिक यात्री संस्था से ज्ञापन

2443. डा० सारादीश राय : श्री उमानाथ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लुधियाना सरहिन्द सैक्शन के दैनिक यात्री संस्था के अध्यक्ष ने, उत्तरी रेलवे के जनरल मैनेजर, नई दिल्ली को जनता की कठिनाइयों के बारे में कोई ज्ञापन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) मुख्य माँगें इस प्रकार हैं : 45 अप दिल्ली–अमृतसर जनता एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन किया जाये ताकि यह गाड़ी लुधियाना सुबह लगभग 9 बजे पहुंचे अथवा 1 एल एस सरहिन्द-लुधियाना शटल गर्मी के मौसम में जिस समय पर चलती है उसे स्थायी किया जाये। सुबह के समय एक अतिरिक्त शटल चलायी जाये जो लुधियाना सुबह 9·30 बजे पहुंचे; 1 एल एस सरहिन्द-लुधियाना शटल में अधिक स्थान की व्यवस्था को जाये ; 25 अप/28 डाउन फ्लाइंग डाकगाड़ी को खन्ना स्टेशन पर ठहराने की व्यवस्था की जाये ; लुधियाना-सरहिन्द खंड पर सुबह 7·25 और 11·30 के बीच गाड़ी चलायी जाये और 6 जे एल जालन्धर शहर-लुधियाना डीज़ल कार को सरहिन्द तक बढ़ा दिया जाये।

(ग) 6 जे एल जालन्धर-लुधियाना डीज़ल कार को सरहिन्द तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है और यदि ऐसा करना व्यावहारिक पाया गया, तो इससे लुधियाना-सरहिन्द खण्ड की वर्तमान गाड़ियों के बीच का अन्तर भी कम हो जायेगा। अन्य मांगें यातायात की समग्र

आवश्यकताओं को देखते हुए औचित्यपूर्ण नहीं पायी गयीं और/या परिचालन की दृष्टि से उन्हें स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं है।

जम्मू तथा काश्मीर में दस्तकारों से दस्तकारी की वस्तुओं की सीधी खरीद

2444 श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने, विशेषत: पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए संघर्ष के बाद काश्मीर में दस्तकारों से सीधे दस्तकारी की वस्तुएं खरीदने के लिये काफी राशि पृथक रखी है ;

(ख) वास्तविक दस्तकारों से खरीदारी करने के लिये कौन सी एजेन्सी बनाई गई थी ; और

(ग) सितम्बर, 1966 के अन्त तक उक्त खरीद पर कितनी राशि व्यय की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफ़ी कुरैशी) :

(क) तथा (ख) : जी, हां। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड को 15 लाख रु० तथा अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लिमिटेड, बम्बई को 5 लाख रु० दिये गये थे। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को भी 10 लाख रु० मूल्य की काश्मीरी हस्तशिल्प की वस्तुओं को खरीदने का अधिकार दिया गया था।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने इन वस्तुओं की खरीद, जम्मू तथा काश्मीर सरकार के उद्योग तथा वाणिज्य निदेशालय की, जिसने प्रामाणिक दस्तकारों से हस्तशिल्प की वस्तुओं की खरीदारी के लिये आवश्यक प्रबन्ध किये थे, सहायता से की थी।

(ग) (1) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा 14,79,303 रु०।
(2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 2,33,520·39 रु०।
(3) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा 5,00,464 रु०।

खनिजों का निर्यात

2445. श्री बसुमतारी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक खनिजों का निर्यात दुगुना हो जाने की आशा है, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या विशेष रियायतें दी गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) जी, हां ।

(ख) कोई विशेष रियायत तो नहीं दी गई । यह तो उत्पादन विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप है ।

चाय बनाने की मशीनों का निर्यात

2446. श्री बसुमतारी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय बनाने की भारतीय मशीनों की अनेक विदेशों में भारी मांग है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मांग को पूरा करने का क्या प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) जी, हां । श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान तथा केनिया प्रमुख खरीदार हैं । निर्यात जो कि 1961-62 में 11.32 लाख रु० का था बढ़कर 1965-66 में 20.23 लाख रु० का हो गया है ।

(ख) मांग को पूरा करने के लिये कोई कठिनाई नहीं है । इसके अतिरिक्त इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद्, चाय बनाने की मशीनों सहित सभी इंजीनियरी सामान के निर्यात के लिये सभी संवर्धनात्मक उपाय करती है जिनमें व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों को बाहर भेजना, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, विदेशों में प्रचार तथा प्रसार करना, भारतीय निर्यातकों का बाजारों की जानकारी आदि देना शामिल हैं ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्तर्गत मजदूर संघ

2447. श्री उमानाथ :
श्री अ०क० गोपालन :
श्री इम्बीचीबावा :

क्या **लोहा और इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखानों की बस्तियों में मजदूर संघों की बैठकें नहीं होने दी जाती हैं;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि इन प्रतिबन्धों से मजदूर संघ की सामान्य गतिविधियों में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी सामान्य निर्वाचनों के दौरान कुछ विशेष सुविधायें देने का है, जिससे की इन बस्तियों के अन्दर सार्वजनिक सभायें हो सकें ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ल्लि०ना० सिंह) :

(क) जी, नहीं। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्तर्गत प्रत्येक इस्पात कारखाने में मजदूर संघों की सार्वजनिक बैठकों के लिये मध्यवर्ती स्थानों में उपयुक्त खुले स्थल निर्धारित किये गये हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं । पहले से ही पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था है ।

भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारी

2448. **श्री उमानाथ :** **श्री इम्बीचीबाबा :**
श्री अ०क० गोपालन : **श्री हुक्म चन्द कछवाय :**

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने में एक विभाग में 10 अक्तूबर, 1966 को कर्मचारियों ने वेतन नहीं लिया।

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों ने वेतन नहीं लिया तथा वेतन न लेने के कारण क्या थे; और

(ग) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये प्रबन्धकों ने क्या कार्यवाही की ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ल्लि०ना० सिंह) :

(क) यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने इस्पात प्रद्रावक कारखाने में 10 अक्तूबर 1966 को कर्मचारियों ने वेतन नहीं लिया था।

(ख) लगभग एक हज़ार कर्मचारियों ने वेतन नहीं लिया था। प्रोत्साहन बोनस की दर

घटाई जाने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न असंतोष के कारण उन्होंने वेतन लेने से इंकार किया था।

(ग) इस कारखाने के प्रबन्धकों ने कर्मचारियों को बताया था कि प्रोत्साहन बोनस की दर उत्पादन की मात्रा के अनुसार निर्धारित की जाती है। इस्पात उत्पादों की मांग कम हो जाने के कारण उनका उत्पादन कम करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी केवल कम की गई दर से प्रोत्साहन बोनस के अधिकारी हैं। कर्मचारियों ने स्थिति को समझा और उन्होंने बाद में अपना विरोध समाप्त कर दियाथा। इस्पातों के निर्यात की संभावना का पता लगाया जा रहा है जिससे इस्पात उत्पादों का निर्यात बढ़ने की संभावना है।

इस्पात कारखानों में मकान

2449. **श्री उमानाथ :** **श्री अ०क० गोपालन :**
श्री इम्बीचीबावा :

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन प्रत्येक इस्पात कारखाने में मजदूरों को कुल कितने मकान दिये गये ;

(ख) उन मजदूरों की संख्या क्या है जिन्हें हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा मकान नहीं दिये गये हैं ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धकों ने उन मजदूरों की, जिनको आवास की सुविधायें नहीं दी गई हैं, आवास की दशाओं का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ङ) शेष मजदूरों को मकान देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि०ना० सिंह) :

(क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल रख दी जायेगी।

कटिहार जंकशन स्टेशन पर बड़ी लाईन तथा मीटर गेज रेलवे लाइन

2450. **श्री प्रिय गुप्त :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के कटिहार जंक्शन स्टेशन पर बड़ी लाइन को मीटर गेज लाइन से मिलाने की योजना है जिससे की यात्री बिना किसी असुविधा के गाड़ी बदल सकें; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) जी हां ।

(ख) आशा है, यह काम मार्च, 1967 तक पूरा हो जायेगा ।

पूर्वोत्तर रेलवे में टेलीफोन आपरेटरों की वर्गोन्नति

2451. **श्री प्रिय गुप्त** :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन आपरेटरों को वर्गोन्नत करने के निर्णय को अभी तक पूर्वोत्तर रेलवे में लागू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब तक इसे क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) तीन महीने के अन्दर ।

सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय

2452. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :

क्या सम्भरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी खंड में सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय के निरीक्षण कक्ष के कर्मचारियों को फालतू घोषित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को फालतू घोषित किया जा रहा है ।

(ग) क्या उन्हें फालतू घोषित करने से पूर्व समय तथा काम संबन्धी कोई अध्ययन किया गया है ।

(घ) क्या यह सच है कि निरीक्षण कार्य में वृद्धि हो जाने के कारण पहले से ही काम इकट्ठा हो गया है, और

(ङ) क्या स्थानीय निदेशालय ने पहले ही अधिक कर्मचारियों की मांग कर रखी है ?

सम्भरण तकनीकी विकास और सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोन्ता रघुरामय्या) :

(क) से (ग) 1966–67 में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के बजट-अनुदान में 3 प्रतिशत अधिदेशी कटौती करने के सम्बन्ध में सरकारी निर्णय के परिणाम–स्वरूप निरीक्षण कक्ष और प्रादेशिक निरीक्षणालयों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों में 7.5 प्रतिशत तदर्थ कटौती करने का निर्णय किया गया था। इस कटौती के परिणाम-स्वरूप पूर्वी खंड के 29 कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया है। परन्तु, कार्य सम्बन्धी अध्ययन शुरू करने का प्रश्न अलग रूप से विचाराधीन है।

(घ) जी, नहीं। निरीक्षण कार्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है। बकाया कार्य भार न्यूनाधिक उतना ही है जितना पिछले तीन वर्षों से हुआ करता था।

(ङ) जी हां। परन्तु स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा कार्य–अध्ययन पूरा कर लेने के बाद ही प्रस्थापना पर विचार किया जाएगा।

बंगाल जूट मिल्स, हावड़ा का बंद होना

2453. श्री इन्द्र जीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल जूट मिल्स, हावड़ा तथा विक्टरी जूट मिल्स, कलकत्ता के बन्द हो जाने की जाँच करने के लिऐ उद्योग (विकास तथा विनियमन),अधिनियम1951 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गईहै ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई तथा उसका प्रयोजन क्या है; और

(ग) क्या सरकार पटसन के माल के निर्यात द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए पटसन की ऐसी बन्द मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेकर इन्हें स्वयं चलायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री शफ़ी कुरैशी):

(क) तथा (ख) : उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत, बंगाल जूट मिल्स हावड़ा तथा विक्टरी जूट मिल्स, कलकत्ता के बन्द होने के कारणों की जाँच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गयी है।

(ग) जी, नहीं। प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के अनुसार बन्द होने के कारणों के आधार पर निर्णय किया जायेगा।

हीरों का आयात तथा निर्यात

2454. श्री प०ह० भील : श्री कपूर सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 11 अगस्त, 1966 तथा 14 अक्तूबर, 1966 के 'फाइनेंशल एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बिन तराशे हीरों के आयात तथा तराशे हुए हीरों के निर्यात के बारे में हाल में जारी किये गये सरकारी आदेशों के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अनेक ईमानदार हीरा व्यापारियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और क्या उन्होंने अनुरोध किया है कि उसी योजना को पुन: लागू किया जाये जो अवमूल्यन से पहले लागू थी; और

(ग) यदि हां,तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : कुछ व्यापारियों ने आपूर्ति व्यवस्था करने के लिये सीमा शुल्क निर्वाधिता अनुज्ञा-पत्रों की नीति की शर्तों में जहाज तक नि:शुल्क मूल्य के इस समय ग्राह्य 66-2/3प्रतिशत में क्या करने के हेतु वर्तमान शुल्क निर्वाधिता अनुज्ञा–पत्रों की नीति में संशोधन करने के लिये अभ्यावेदन भेजा है । वे यह भी चाहते हैं कि शुल्क निर्वाधिता अनुज्ञा–पत्र पद्धति को समाप्त कर दिया जाये ।

सीमा शुल्क निर्वाधिता अनुज्ञा–पत्रों का अभिप्राय केवल यही है कि अग्रिम लाइसेंस जारी किये जाते हैं तथा विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती और ये लाइसेंस साधित हीरों के निर्यात की शर्तों के अनुसार जारी किये जाते हैं । जिनका मूल्य आयात आपूर्ति योजना में निर्दिष्ट मूल्य(143 प्रतिशत पर) से भी अधिक (150 प्रतिशत) होता है ।

मेहसाना से पालनपुर तक रेलवे लाइन को दोहरा करना

2455. श्री मानसिंह पृ० पटेल:

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने पश्चिम रेलवे में मेहसाना से पालनपुर तक रेलवे लाइन को दोहरा करने की सम्भावयता का पता लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कालका मेल में भीड़

2456. श्री दलजीत सिंह :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि कालका मेल में प्रतिदिन बहुत भीड़ रहती है; और

(ख) यदि हां, तो भीड़ को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां । तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों में कुछ भीड़-भाड़ देखी गयी है ।

(ख) 1.4.66 से हवड़ा-दिल्ली खण्ड पर इन गाड़ियों में डीज़ल और बिजली के इंजन लगाये जाने के फलस्वरूप हवड़ा और दिल्ली के बीच इन में दो डिब्बे और लगाये जा रहे हैं, जिन में एक तीसरे दर्जे का और दूसरा पहले दर्जे का डिब्बा है । दिल्ली-कालका खण्ड पर, जहां इन गाड़ियों में अभी भाप के इंजन ही लगाये जा रहे हैं, तीसरे दर्जे के डिब्बों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए, जाड़ों के महीनों में, जबकि पहले दर्जे के स्थान की मांग अपेक्षाकृत कम होती हैं, पहले दर्जे के एक डिब्बे के बदले तीसरे दर्जे का डिब्बा लगाया जाता है । परिचालन की दृष्टि से स्थानाभाव के कारण इन गाडियों में इससे अधिक डिब्बे लगाना व्यावहारिक नहीं है ।

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में इंजन ड्राइवरों, फायरमैनों तथा क्लीनरों की वरिष्ठता

2457. श्री नम्बियार : **डा० सारादीश राय :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य : **श्री उमानाथ :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने दिनांक 21 नवम्बर, 1953 के अपने परिपत्र संख्या ई० 93 सी०ओ० आई० /8/3 डी० में यह लिखा हुआ था कि वरिष्ठता केवल उसी ग्रेड में सेवा-काल के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए;

(ख) क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के डिवीजनल सुपरिन्टेडेंट ने इंजन ड्राइवरों, फायरमैनों तथा क्लीनरों के मामले में इस आदेश पर अमल किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा राम सुभग सिंह) :

(क) जी हाँ, रेलों के एकीकरण से पूर्व विभिन्न रेलों के कर्मचारियों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता के सम्बन्ध में ।

(ख) और (ग):सवाल नहीं उठता, क्योंकि किसी दूसरी रेलवे/यूनिट को दिल्ली डिवीजन के साथ नहीं मिलाया गया था और इसलिए उस डिवीजन के कर्मचारी मूल वरिष्ठता क्रम में बने रहे।

करकबाला रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म

2458. श्री हरि विष्णु कामत :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के करकबाल स्टेशन के प्लेटफार्म को अभी तक ऊंचा नहीं किया गया है यद्यपि इस संबंध में कई अभ्यावेदन भेजे जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उस काम के लिये तथा स्टेशन को नये ढंग से बनाने के लिये, कोई निश्चित अवधि निर्धारित की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) इस स्टेशन पर जितने यात्री चढ़ते उतरते हैं, उनकी संख्या को देखते हुए पटरी-तल की ऊँचाई के वर्तमान प्लेटफार्म की जगह दर्मियानी ऊंचाई का प्लेटफार्म बनाने का विचार है । यह काम यार्ड के ढांचे में परिवर्तन और स्टेशन की नयी इमारत के निर्माण के साथ–साथ हो सकता है; घाटपिंडराय और भिटौनी के बीच में प्रस्तावित दोहरी लाइन के निर्माण के कारण, इसे स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता । चालू वर्ष में धन की कमी के कारण निर्माण–कार्यों पर होने वाले खर्च में भारी कमी करनी पड़ी और बहुत से निर्माण कार्यों की गति धीमी करनी पड़ी । इसके फलस्वरूप यार्ड के ढाँचे में परिवर्तन, स्टेशन की नयी इमारत बनाने और प्लेटफार्म को ऊंचा करने का काम आस्थगित करना पड़ा ।

(ग) इस निर्माण–कार्य पर काम चालू वर्ष के अन्त में शुरू करने का विचार है और आशा की जाती है कि वह जून 1967 तक पूरा हो जायेगा ।

इटारसी जंक्शन सदर्न ऐक्सप्रेस तथा कलकत्ता मेल के आने जाने का समय

2459. **श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनरीक्षत समय सारणी के परिणाम स्वरूप मध्य रेलवे के इटारसी स्टेशन पर सादर्न एक्सप्रेस के पहुंचने और इलाहाबाद होकर आने वाली कलकत्ता मेल के छूटने के समय में इतना कम अन्तर हो गया है कि आम तौर पर बाद में आने वाली गाड़ी में नही बैठा जा सकता और वह निकल जाती है; और

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त समय का अन्तर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) इस समय इटारसी स्टेशन पर नं० 22 अप वातानुकूल सदर्न एक्सप्रेस के पहुंचने और वहाँ से नं० 7 डाउन बम्बई-हवड़ा डाकगाड़ी के छूटने के समय में 16 मिनट का अन्तर हैं। इसके अलावा इन गाड़ियों का मेल सुनिश्चित् करने के लिए बम्बई हवड़ा डाकगाड़ी को अधिकृत रूप से 10 मिनट रोके रखने की व्यवस्था है। इन दोनों गाड़ियों के मेल होने की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है और अक्तूबर 1966 में इन गाड़ियों का 26 दिन मेल हुआ।

इन गाड़ियों का मेल होता रहे इसके लिये हर सम्भव उपाय किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा ।

शकूर बस्ती और दयाबस्ती स्टेशनों के बीच रेलवे फाटक पर दुर्घटना

2460. **श्री शिंकरे :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री किन्दर लाल : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 अक्तूबर, 1966 की सुबह शकूर बस्ती और दया बस्ती के बीच रेल की पटरी को पार करते समय कुछ लोग गाड़ी के नीचे आ गये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को सरकार ने किस प्रकार की सहायता दी है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाम नाथ) :

(क) जी हाँ ।

(ख) उन व्यक्तियों ने उस समय रेलवे लाइन को अनधिकृत रूप से पार करने का दु:साहस किया जब लाइट इंजन पास पहुंच रहा था ।

(ग) अभी तक क्षतिपूर्ति के लिए कोई दावा नहीं प्राप्त हुआ हैं ।

इस्तपात ढालने के कारखाने

2461. श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋयादेशों के अभाव के कारण इस्पात ढालने के कारखानों में काम करने के घंटों में कमी हुई है ;

(ख) क्या सरकार का इरादा नये कारखाने स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण है ।

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) कुछ समय पहले सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन मिले हैं कि ऋयादेशों की कमी के कारण इस्पात ढालने के कुछ कारखाने अपनी पूरी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित परियोजनाओं की सूची में दो ढलाई कारखाने, एक वार्धा में और दूसरा हरिद्वार में, शामिल किये गये हैं ।

(ग) इन कारखानों को विशेष किस्म और आकार की ढलाई सम्बन्धी आवश्यकताओं को, इस समय जिनकी सुविधाएं देश में अन्यत्र उपलब्ध नहीं है, पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित करने का प्रस्ताव हैं ।

तीसरी योजना में औद्योगिक उपक्रमों में सहयोग

2462. श्री कृ० चं० पंत :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्योगपतियों द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में विदेशों में कितने उपक्रमों में सहयोग दिया गया और उन मे कितनी विदेशी पूंजी लगाई गई ; और

(ख) उक्त उपक्रमों में से कितनों में उत्पादन आरम्भ हो गया है ।

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में भारतीय उद्योगपतियों को 32 समुद्रपार उपक्रमों में 3 करोड़ रु० की पूंजी लगाने की अनुमति दी गई है।

(ख) दो उपक्रमों में उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है और अधिकांश अन्य उपक्रम क्रियान्वित की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

उत्तर प्रदेश में पटसन की मिल

2463. श्री कृ० चं० पंत :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के खेड़ी जिले में पटसन की एक मिल स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितना खर्च आयेगा और यह मिल कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ;

(ग) क्या उक्त परियोजना सहकारी क्षेत्र में स्थापित की जा रही है ;

(घ) यदि नहीं, तो यह परियोजना किस क्षेत्र के अन्तर्गत ली जा रही है ; और

(ङ) उक्त कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफ़ी कुरैशी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

सीमेंट के कारखाने

2464. श्री हेमराज :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितने सीमेंट कारखाने खोलने का विचार है ; और

(ख) उनमें से कितने कारखाने सरकारी तथा कितने गैर-सरकारी क्षेत्र में खोले जायगे ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) और (ख) सीमेंट उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियम) के लाइसेंस सम्बन्धी उपबन्ध से छूट दे दी गई है। कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय सरकार से अनुमति लिये बिना देश के किसी स्थान में सीमेंट का कारखाना स्थापित कर सकता है।

इसलिए इस समय ठीक ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सीमेन्ट के कितने कारखाने स्थापित किये जायेंगे। तथापि योजना के लक्ष्य तथा क्रियान्वित न की गई योजनाओं की प्रगति और आरम्भ की जाने वाली योजनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में लगभग एक करोड़ मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता के लिए कारखाने (प्रति कारखाना 200,00 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाले 50 मानक कारखानों के बराबर) स्थापित किये जाने की सम्भावना है।

इसमें से 10–12 कारखाने, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 30 लाख टन सीमेन्ट का उत्पादन होगा, सरकारी क्षेत्र में खोले जायेंगे।

खनिज निक्षेपों के लिए वैमानिक सर्वेक्षण

2465. श्री किन्दर लाल : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज निक्षेपों का शीघ्र पता लगाने के लिए हाल में ही पूर्वी जर्मनी सरकार तथा फ्रांस की भूतत्वीय संस्था ने भारत में वैमानिक सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खान तथा धातु मन्त्री (श्री सु० कु० डे)

(क) हां, महोदय।

(ख) विषय विचाराधीन है।

बर्लिन (जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य) में राज्य व्यापार निगम का कार्यालय

2466. श्री इन्द्र जीत गुप्त : **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्लिन (जर्मन लोकतंत्र गणराज्य) में राज्य व्यापार निगम का एक कार्यालय खोलने सम्बन्धी निर्णय को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) निर्णय की क्रियान्विति के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) निर्णय को क्रियान्वित करने में केवल उतना ही समय लग रहा है जितना विदेशों में कार्यालयों की स्थापना में सामान्यत: लगा करता है ।

यूगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य के साथ वस्तु विनिमय सम्बन्धी व्यवस्था

2467: **श्री किन्दर लाल :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री फिरोडिया :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य के साथ प्रत्येक देश में निर्मित माल की अदला-बदली के लिये वस्तु विनिमय करार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) तथा (ख) : सरकार ने सन्तुलित आधार पर व्यापार के विकासार्थ यूगोस्लाविया और अरब गणराज्य के साथ पहले ही करार किये हुये हैं । अत: कोई नया करार करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मशीनी औजार कारखाने

2468. **श्री किन्दर लाल :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव : **श्री फिरोडिया :**

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी क्षेत्र में दो मशीनी औजार कारखाने एक मध्य प्रदेश में और दूसरा उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का विचार कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) जी, हां

(ख) ये कारखाने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा पंजाब, केरल और आन्ध्र प्रदेश स्थित अपने वर्तमान कारखानों के विस्तार किये जाने के बाद स्थापित किये जायेंगे।

(ग) वर्तमान अनुमान के अनुसार प्रत्येक कारखाना स्थापित करने पर लगभग 9 करोड़ 27 लाख रुपये व्यय होंगे जिसमें से 3 करोड़ 47 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा होगी,

रेलवे में तोड़ फोड़ की कार्यवाही

2469. श्री लखमू भवानी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे में तोड़ फोड़ की कार्यवाही को रोकने के लिये बहुत कड़े दण्ड का जिसमें मृत्यु दण्ड भी शामिल है, उपबन्ध करने के प्रश्न पर कुछ समय से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ; और

(ग) अपेक्षित विधेयक संसद् में कब पुरःस्थापित किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) जी हां। सरकार 1890 के भारतीय रेल अधिनियम की धारा 126 में और संशोधन करने के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से विचार कर रही है जिसके अनुसार गाड़ी गिराने के उन मामलों में मृत्यु दण्ड देने की व्यवस्था होगी जिनमें यात्रियों की मृत्यु हो जाय या उन्हें गम्भीर चोटें पहुंचे।

(ग) गृह और विधि मंत्रालयों के परामर्श से इस मामले में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। औपचारिक कार्रवाइयों के पूरा हो जाने पर यह विधेयक संसद् के समक्ष रखा जायेगा।

Loss To Railways Due to Strikes and Bandhs

2470 Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Railways had to suffer a good deal of loss during the recent strikes and Bandhs ;

(b) if so; the extent of loss suffered by the Railways during the last eight months ; and

(c) the number of accidents which took place and the number of persons killed as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) Yes, except on Central and Northern Railways.

(b) Rs. 80,66,896/-.

(c) One accident took place on the Eastern Railway directly on account of such disturbances. None was killed.

Railway Porters.

2471. Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Government have decided to charge a monthly licence fee of Re.1/-from Railway porters ;

(b) Whether it is also a fact that Government have not fixed uniform rate for porters, Division-wise ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the rates fixed, Division-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) to (d)The licence fee charged from the porters varies from station to station as the decasualisation scheme of licensed porters is run on no-profit-no loss basis and the licence fee charged is just to cover the cost of supervisory staff and of uniforms, wherever provided. If the porters at a station undertake to provide themselves with uniforms or no separate supervisory staff are appointed, a lower licence fee is fixed.

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोकिंग कोयले का उत्पादन

2472. श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों में कोकिंग कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये मार्गोपाय सुझाने के लिए कोई समिति नियुक्त की है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने निर्णय किया है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को केवल कोकिंग कोयले के खनन पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिए ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे)

(क) नहीं, महोदय ।

(ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को कोकिंग कोल उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के लिए परामर्श दिया गया है ।

Capacity in the Presses of S. E. Railway

2473 Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 910 on the 1st April, 1966 and state the extent to which the capacity for hand composition in Hindi in the Presses of South Eastern Railway and other Railways has since increased as also the progress made in obtaining the machinery for mechine composing ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr.) Ram Subhag Singh ,

The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Publication of Railway Reports in Hindi

2474. Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of Railways be pleased to state the progress made in the publication of the Hindi version with Hindi headings of the administrative and statistical reports of the Central and Western Railways ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

Section I of the General Manager's Narrative Report is issued both in Hindi and in English.

As per extant orders, statistical reports issued by Railway offices located in Hindi-speaking areas only are required to bear Hindi-English bilingual headings. The headquarters of the Central and Western Railways are located in non-Hindi speaking areas and their statistical reports are at present issued in English only.

गांवों के लिये रेडियो

2475. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्ते दामों पर गांवों के लिये रेडियो बनवाने के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयास सफल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक तथा किन दामों पर ।

(ग) क्या बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड देहाती प्रसारण के लिये एक सस्ता रेडियो बना रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) जी, हां। हाल ही में लघु उद्योग संस्था संघ ने कम कीमत वाले एक ट्रांजिस्टर रिसीवर को 86 रुपये में देने का प्रस्ताव किया है। इस संघ से कहा गया है कि वह अपने माडल को राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला से भारतीय मानक संस्था के विशिष्ट विवरणों के अनुरुप होने की स्वीकृति प्राप्त कर ले।

(ख) पहले पहल इस संघ का प्रति ट्रांजिस्टर 86 रुपये के मूल्य पर 30 हजार से 40 हजार तक सैट बनाने का विचार है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नंगल डैम रेलवे स्टेशन के रेलवे कर्मचारी

2476. श्री दलजीत सिंह :

क्या **रेलवे मंत्री** 29 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4687 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कर्मचारियों की संख्या का पता लगाने के लिये जो प्रति दिन बारह घण्टे काम करते हैं, नंगल डैम रेलवे स्टेशन पर कोई रजिस्टर रखा हुआ है ;

(ख) नंगल बांध के निकट कितने चौकीदार तैनात किये हुए हैं, उनके काम के घन्टे क्या हैं तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) उन्हें क्या क्या सुविधायें दी गई हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (ग) सूचना मंगायी जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जायेंगी।

असिस्टेंट पर्सनल आफिसर

2477. श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के किसी डिवीजन में असिस्टेंट पर्सनल आफिसर्स सामान्यतया कितने समय तक रहते हैं ;

(ख) ऐसे आफिसर्स की डिवीजन-वार संख्या कितनी है जो उत्तर रेलवे के किसी डिवीजन में 3 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं ; और

(ग) इन में से उन आफिसर्स की संख्या कितनी है जो उत्तर रेलवे के उन डिवीजनों में,

जिनके वे मूलत: निवासी हैं, 3 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) इसके लिए कोई अन्यय समय-सीमा निर्धारित नहीं है । आम तौर पर अधिकारियों को एक स्थान पर बहुत समय तक नहीं रखा जाता। प्रशासकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर स्थानान्तरण किये जाते हैं ।

(ख) मुरादाबाद मण्डल —1
लखनऊ ,, —1
दिल्ली ,, —1

(ग) एक ।

कठुआ-ऊधमपुर रेलवे लाइन

2478. श्री राम हरख यादव : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कठुआ से ऊधमपुर तक रेलवे लाइन बना कर जम्मू को मिलाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) से (ग) कठुआ से जम्मू तक लाइन बढ़ाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कर लिया गया है और सरकार ने अभी हाल ही में तय किया है कि चौथी योजना में यह लाइन बन जानी चाहिए। इसकी अनुमानित लागत 9 करोड़ रुपये है । इसका और ब्यौरा यथासंभव शीघ्र तैयार किया जायेगा ।

मद्रास में हथकरघा वस्तुओं का जमा हो जाना

2479. श्री सुब्बरामन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्पादकों के पास तथा बाजारों में हथकरघे से बना हुआ माल काफी मात्रा में जमा हो गया है और इसके परिणामस्वरूप जुलाहों में और विशेषकर मद्रास राज्य में निराशा फैल गई है ; और

(ख) इन स्टाकों की निकासी करने तथा जुलाहों को बेरोजगार होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरैशी) :

(क) तथा (ख) : देश में हथकरघे से बने हुए माल के काफी मात्रा में जमा हो जाने के संबंध में सरकार को समाचार मिले थे। जमा माल की निकासी के लिये विशेष उपाय के रूप में राज्य सरकारों को उनकी इच्छानुसार एक मास की अवधि के लिये हथकरघे कपड़े की तमाम फुटकर बिक्री पर रुपये में पांच पैसे की विशिष्ट अतिरिक्त छूट देने का अधिकार दे दिया गया है, यह प्रति वर्ष सामान्यत: दी जाने वाली पन्द्रह दिनों की विशिष्ट अतिरिक्त छूट के अलावा है। हाल में मिले समाचारों से पता चलता है कि विशिष्ट छूट दिये जाने के फलस्वरूप पिछले सत्रह दिनों में मद्रास राज्य में हथकरघा माल का स्टाक सामान्य हो गया है।

चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन में ड्राइवर तथा फायरमैन

2480. श्री ह० च० सोय : श्री बेसरा :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन में विशेषकर दांगोपोसी सैक्शन में फालतू ड्राइवरों तथा फायरमैनों की चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पदावनति कर दी गई है और वहां पर भी उनकी ड्यूटी में अचानक परिवर्तन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां तो क्या रेलवे ने कोई योजना तैयार की है ताकि इस कारण फालतू हुए कर्मचारियों को वेतन तथा सेवा में वरिष्ठता की हानि के बिना खपाया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (ग) : सूचना मंगायी जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जायेंगी।

साफ्ट कोक पर भाड़ा

2481. श्री रामेश्वर टांटिया : श्री प्र० चं० बर्मन :
श्री स० चं० सामन्त:

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साफ्ट कोक और मिट्टी के तेल का घर के कार्यों के लिये उपयोग करने वाले लोगों को, जिसमें अधिकांशत: निम्न मध्यवर्ग के लोग हैं, राहत देने के उद्देश्य से इन वस्तुओं के

भाड़े को कम करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गैर–सरकारी कोयला खानों में अप्रयुक्त क्षमता

2482. श्री रामेश्वर टांटिया: **श्री प्र० च० बर्मन:**

श्री स० च० सामन्त:

क्या **खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गैर सरकारी कोयला खानों में उनकी क्षमता से कम काम हो रहा है, और

(ख) यदि हां, तो उनकी बेकार पड़ी क्षमता कितनी है तथा उसका उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) :

(क) और (ख) निजी क्षेत्र की कोयला खानों की अक्षमण्य क्षमता का सुनिश्चित मूल्यांकन नहीं सम्भव हो सकता है ।

रासायनिक तथा धातु कर्मिक कार्य सम्बन्धी अराजपत्रित कर्मचारी

2483. श्री शिंकरे: **श्री मधु लिमये:**

श्री मनोहरन: **श्री राजा राम :**

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के अनुसन्धान, डिजाइन तथा मानक संगठन (चित्तरंजन)के कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य रासायनिक तथा धातुकर्मिक कार्य संबंधी अराजपत्रित कर्मचारियों को कम वेतन दिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड को सभी जोनल रेलों तथा उत्पादन एककों के रासायनिक तथा धातुकर्मिक कार्य सम्बन्धी अराजपत्रित अधिकारियों से उनके वेतन क्रमों में संशोधन करने के बारे में व्यक्तिगत अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ग) यदि हाँ, तो गत छह महीनों के दौरान इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों द्वारा सीधे भेजे गये अभ्यावेदन मिले हैं।

(ग) अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है। इस कोटि के कर्मचारियों के लिए निर्धारित वर्तमान वेतनमान वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार है और उनके पदों से सम्बन्ध कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अनुरूप हैं। अतः यह विनिश्चय किया गया कि वेतन मानों में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

सीमेंट से नियंत्रण हटाया जाना

2484. श्री राम हरख यादवः **श्री प्र० चं० बरुआः**
श्री फिरोडिया :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सीमेंट विनियन्त्रण के प्रबन्ध के बारे में विचार करने के लिये हाल में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन किन लोगों को विचार विमर्श के लिये बुलाया गया था और बैठक में क्या मुख्य निर्णय किये गये थे ; और

(ग) क्या सरकार का विचार विनियंत्रण नीति में परिवर्तन करने का है ?

उद्योग मंत्री (संजीवय्या) :

15 नवम्बर 1966 को सीमेन्ट निर्माता संगठन तथा सीमेन्ट नियतन तथा समन्वय संगठन के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी। सीमेन्ट निर्माताओं के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त इस बैठक में भाग लेने के लिए योजना आयोग, वित्त, वाणिज्य और रेलवे मंत्रालयों तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग, तकनीकी विकास महा निदेशालय संभरण तथा निबटान महा निदेशालय सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि भी बुलाये गये थे। यह बैठक नियंत्रण हटाने के परिणाम स्वरूप अब तक के कार्य का पुनरीक्षण करने तथा इस उद्योग की क्षमता का विस्तार करने के लिये की गई प्रगति का अनुमान लगाने के लिए की गई थी ताकि सरकार सीमेन्ट पर से नियंत्रण हटाये जाने के परिणामों का पता लगा सके तथा हटाये गये नियंत्रण की व्यवस्था जारी रखने तथा फिर नियन्त्रण लगाने के बारे में निर्णय कर सके। यह मामला विचाराधीन है।

(ग) और (घ) कच्ची फिल्म के निर्माण के लिए गैर सरकारी क्षेत्र में कोई कारखाना स्थापित नहीं किया गया है। तथापि सरकारी क्षेत्र में एक कारखाने-मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफेक्चरिंग कम्पनी को कच्ची फिल्म बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया है इस। कारखाने द्वारा इस वर्ष के अन्त तक उत्पादन आरंभ करने की संभावना है और चौथी पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष तक इसके द्वारा कच्ची फिल्म संबंधी देश की संपूर्ण आवश्यकता पूरी किये जाने की संभावना है।

डीज़ल पम्पों के लिये पुर्जो की कमी

2485: श्री ह० च० मोय :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डीज़ल पम्पों की मरम्मत के लिये अपेक्षित फालतू पुर्जों की बहुत कमी है, और

(ख) यदि हां तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) और (ख) डीज़ल पम्पो की मरम्मत के लिए फालतू पुर्जों की कमी होने की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिए अनुरक्षण आयात मे उदारता बरतने की नीति के अनुसरण में शक्ति चालित पम्पों और डीज़ल इंजनों के सभी निर्माणकर्ताओं को अधिकतम अधिष्ठापित क्षमता के लिए कच्चे माल, पुर्जे आदि साज सामान के पर्याप्त स्टाकों के लिए लाइसेंस दे दिया गया है ।

जम्मू और काश्मीर में सीसे, जस्त और ताम्बे का खनन

2486. श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक ने यह संकेत दिया है कि जम्मू और काश्मीर में काफी बड़ी मात्रा में सीसा, जस्ता और तांबा निकालने की गुंजाइश है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे)

(क) नहीं, महोदय भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा विस्तृत अनुसंधान अभी चल रहे हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में बौक्साइट के निक्षेप

2487. श्री राम हरख यादव : श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री फिरोडिया :

क्या **खान ताथ धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोरवा एल्यूमिनियम परियोजना की मांग को पूरा करने के लिये मध्य प्रदेश और उसके आस पास के क्षेत्रों में एल्यूमिनियम बौक्साइट के निक्षेपों की खोज कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो भूतत्वीय खोज का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० क० डे) :

(क) हां, महोदय ।

(ख) और (ग) कोरवा एल्यूमिनियम परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारतीय भौमिकी विभाग ने मध्य प्रदेश के फुटका पहाड़ और अमरकंटक क्षेत्रों में बौक्साइट निक्षेपों का अनुसंधान कर लिया है । इन अनुसंधानों से फुटका पहाड़ में 3 मिलियन टन तथा अमरकंटक क्षेत्र में 8·5 मिलियन टन कुल निक्षेप होना सिद्ध है । अमरकंटक क्षेत्र में 10 मिलियन टन के अतिरिक्त निक्षेपों को सिद्ध करने के लिये अनुसंधान किये जा रहे हैं ।

ट्रैक्टरों का निर्माण

2488. श्री बालगोविन्द वर्मा:
श्री चांडक:
श्री राम स्वरुप:
श्री मधु लिमये:
श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा:
श्री विश्वनाथ पाण्डेय:
श्री यशपाल सिंह:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अवमूल्यन से पहले तथा अवमूल्यन के पश्चात् चैकोस्लोवाकिया के ट्रैक्टरों और डी. टी —14 बी रूसी ट्रैक्टरों की लागत, बीमा, भाड़ा सहित कीमत कितनी कितनी थी; और यदि भारत में ये ट्रैक्टर बनाये जायें तो उनकी लागत की तुलना में चैकोस्लोवाकिया तथा रूस के इन ट्रैक्टरों की लागत कितनी कम या अधिक होगी;

(ख) चैकोस्लोवाकिया और रूस के ट्रैक्टर अब क्रमश: कितनी कीमत पर बेचे जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह सच है कि चैकोस्लोवाकिया के जिस मॉडल के ट्रैक्टर का निर्माण करने का विचार है, इससे पहले उसका कभी आयात नहीं किया गया और भारत में अथवा अन्यत्र कहीं भी उसका परीक्षण नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो भारत में इस प्रकार के ट्रैक्टर का निर्माण करने का निश्चय किये जाने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या):

चैकोस्लोवाकिया के जेटर 20 ।। किस्म के तथा डी० टी०—14 बी रूसी ट्रैक्टरों की, के ट्रैक्टरों की लागत, बीमा, भाड़ा सहित कीमत इस प्रकार है:—

अवमूल्यन से पहले		अवमूल्यन के बाद
जेटर 20 ।।	7,500 रुपये (लगभग)	उपलब्ध नहीं है क्योंकि अवमूल्यन के बाद इस ट्रैक्टर में कोई सुधार नहीं किया गया है 5,513 रुपये,
डी० टी० 14बी०	3·500 रुपये	

इन दोनों किस्म के ट्रैक्टरों की, भारत में बनाये जाने पर, उत्पादन लागत तथा फुटकर मूल्यों का विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है । जहां तक जेटर 20 ।। ट्रैक्टर का सम्बन्ध है, सरकारी क्षेत्र प्रतिवर्ष 1200 ट्रैक्टर बनाने की परियोजना के सम्बन्ध में चेकोस्लोवाकिया के मैसर्स मोटोकीव द्वारा तैयार किया जा रहा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के प्रथम भाग से इसकी उत्पादन लागत का पता चलने की संभावना है। इस प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग) चैकोस्लोवाकिया का जेटर 20।। आयात किया गया है और भारत सरकार के बूंदी (मध्य प्रदेश) स्थित ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्र में इसका परीक्षण किया गया है । भारतीय परिस्थितियों में इसका कार्य बहुत संतोषजनक पाया गया है । जेटर 20 ।। ट्रैक्टर में प्रायः वे सभी बाते विद्यमान हैं जो आधुनिक कृषि ट्रैक्टर के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं । इसके अतिरिक्त जेटर ट्रैक्टरों की दूसरी किस्में देश पहले से ही बनाई जा रही है और इससे एक किस्म के ट्रैक्टरों के पुर्जे दूसरे ट्रैक्टरों में लगाये जा सकेंगे।

ट्रैक्टरों के आयात के लिये लाइसेंस जारी करने मे विलम्ब

2489. श्री बालगोविन्द वर्मा:
श्री विश्वनाथ पाण्डेय:
श्री चांडक:
श्री मधु लिमये:
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा:
श्री राम स्वरुप:
श्री यशपाल सिंह:

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रुस से 4,000 डी०टी०14बी.ट्रैक्टरों तथा 500 वाइलरस ट्रैक्टरों का आयात करने के लिए काफी समय पहले लाइसेंस देने का निर्णय किया था किन्तु इन ट्रैक्टरों के एजेन्ट को अभी तक लाइसेंस नहीं दिया गया;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन ट्रैक्टरों के आयात में अनावश्यक विलम्ब को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह):

(क) से (ग) 2,000 डी० टी०–14 बी० ट्रैक्टरों के लिये विदेशों संभरकों के एजेन्टों को लाइसेंस दिये जा चुके हैं, और वे ट्रैक्टर वहां से रवाना भी हो चुके हैं और उनकी भारत में इस मास तक पहुंच जाने की आशा हैं शेष 2,000 डी०टी०-14 बी० ट्रैक्टरों एवं 500 वाइलरस ट्रैक्टरों के लिये खरीदने की शर्तों के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम तथा विदेशी सभरकों के बीच बात चीत चल रही है। ट्रैक्टरों के आयात में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है।

Attack on Driver of 'Darjeeling Mail' Near Sealdah

2490. Shri. Mohan Swarup : **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri. Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that a gang of smugglers attacked the Driver of the 'Darjeeling Mail' near Sealdah on the 19th September, 1966; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) No. The correct position is that 44 Down Darjeeling Mail was stopped by some rice smugglers between Gobra and Dankuni stations by pulling the alarm chain. It was also reported that the rice smugglers pelted stones at the train. The driver of the train out of panic disconnected the engine from the load and drove to Dankuni station. The engine was, however, escorted by the Government Railway Police and Railway Protection Force staff available at Dankuni to pick up the left-over load. The train reached Dankuni station safely and thereafter continued its onward journey to Sealdah.

(b) Home Guard and Government Railway Police have been Posted at Dankuni station to prevent rice smuggling. The Government Railway Police Howrah have registered a case under section 122 of Indian Railways Act, which is under investigation. Four persons have so far been arrested and some quantity of rice was recovered.

Arrest of Railway Employees while Gambling Near New Delhi Railway Station

2491. Shri Bade **Shri Hukam Chand Kachhavaiya.**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that six persons were arrested by the Railway Police while they were gambling near the New Delhi Railway Station.

(b) if so, the number of Railway employees out of them; and

(c) the action taken against them ?

The Minister of state in the Ministery of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) to (c) Yes. According to Government Railway Police Delhi, 8 such cases were

registered during the current year. In one case six railway employees were involved. They are facing trial in the court.

दूरगामी डाक/ एक्सप्रैस रेलगाड़ियों के साथ लगे भोजन-यानों के कर्मचारी

2492. श्री इन्द्रजीत गुप्त:

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न दूरगामी डाक तथा एक्सप्रैस रेलगाड़ियों के साथ लगे हुए भोजन-यानों के कर्मचारियों को स्थायी रेलवे कर्मचारी माना जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें स्थायी न बनाने के क्या कारण है ;

(ग) क्या इन कर्मचारियों ने निर्धारित वेतन-क्रमों, मंहगाई भत्ते तथा विश्राम अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में अधिकारियों को अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):

(क) से (घ): सूचना मंगायी जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जायेंगी।

मोटर गाड़ी उद्योग

2493. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मोटर गाड़ी उद्योग के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में वर्षवार तथा कारखानेवार कुल कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई थी ;

(ख) विदेशी मुद्रा के इस नियतन से कितनी कारों, ट्रकों आदि का निर्माण किया जाना था;

(ग) क्या इतनी संख्या में कारों, ट्रकों आदि का निर्माण हुआ ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ङ) कारखानेवार वस्तुत: कितना कितना निर्माण हुआ ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या):

जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का खोज कक्ष

2494. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: श्री मुहम्मद इलियास:

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के खोज कक्ष के मस्टररोल (उपस्थिति-नामावली) कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या खोज-कार्य क्रम किया जा रहा है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आत्म-निर्भरता लाने तथा आयात किये जाने वाले सामान के स्थान पर काम आने वाले अन्य सामान का प्रयोग करने के फलस्वरूप भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के कार्य में वृद्धि न होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इतने बड़े पैमाने पर की जा रही छंटनी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु०डे)

(क) और (ख) 858 मस्टर रोल कर्मचारी नौकरी से अलग किये जा चुके हैं।

(ग) नहीं, महोदय ।

(घ) दुष्प्राप्य खनिजों का अनुसंधान करने के लिये भारतीय भौमिकी विभाग ने काफी काम तीव्र कर दिया गया है ।

(ङ) बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी से अलग नहीं किया गया हैं। केवल ऐसे मस्टर रोल कर्मचारियों को अलग किया है जो सड़क और कैम्प निर्माण आदि अस्थायी कार्यों के लिये लगाये गये थे क्योंकि ये दो कार्य पूरे हो चुके हैं। जब कभी ऐसे नये कार्य हाथ में लिये जायेंगे उन्हें फिर से लगा लिया जायेगा।

मैसूर की सीमेन्ट की आवश्यकता

2495. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) मैसूर राज्य सरकार को प्रतिवर्ष कितने सीमेंट की आवश्यकता है;

(ख) मैसूर सरकार को इस समय प्रति मास कितना सीमेंट दिया जा रहा है; और

(ग) मैसूर राज्य को सीमेंट के मामले में आत्म निर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) से (ग) 1 जनवरी, 1966 को सीमेंट पर से नियंत्रण हटाये जाने के बाद राज्य

सरकारें केन्द्रीय सरकार को अपनी सीमेन्ट की आवश्यकताएं नहीं भेजते हैं । सीमेंट उद्योग की सीमेंट नियतन तथा समन्वय संस्था के अनुसार मैसूर राज्य सरकार की आवश्यकतायें उचित सीमा तक संतोषजनक ढंग से पूरी की जा रही हैं। मैसूर राज्य को रेट कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत सरकारी उपयोग के लिये तथा निर्वाध कोटा के अन्तर्गत सरकारी तथा जनता के उपयोग के लिये प्रति मास दिये गये सीमेंट की मात्रा निम्न विवरण में दी गई हैं:

महीना (1966)	रेट कॉंट्रेक्ट के अर्न्तगत सरकारी उपयोग के लिए (मीट्रिक टन)	निर्वाध कोटे के अन्तर्गत सरकारी तथा गैर सरकारी उपयोग के लिये (मीट्रिक टन)
जनवरी	12,139	17,355
फरवरी	11,836	17,856
मार्च	13,426	29,754
अप्रैल	6,269	30,779
मई	9,746	26,787
जून	13,389	25,459
जुलाई	6,825	32,066
अगस्त	13,375	29,377
सितम्बर	10,183	33,435

मैसूर में रेशम कीट पालन उद्योग का विकास

2496. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में रेशम कीट पालन उद्योग के लिये कितनी राशि नियत की गई थी तथा मैसूर समेत कीट पालन उद्योग वाले अन्य राज्यों को कितनी राशि दी गई ;

(ख) रेशम कीट पालन उद्योग वाले राज्यों में प्रत्येक में कितनी कितनी राशि खर्च की गई तथा नियत राशि से खर्च कम होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में मैसूर समेत राज्यवार रेशम कीट पालन उद्योग के सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी)

(क) तथा (ख) : एक विवरण, जिसमें राज्यवार परिव्यय और तीसरी योजना की अवधि में रेशम-उत्पादन उद्योग के विकासार्थ परिव्यय दिया गया है, सभा-पटल पर रखा जाता है पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०7430/66

नियत राशि से कम खर्च होने के कारण ये हैं: --

(1) राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा निर्माण संबन्धी कार्यक्रमों को पूरा करने में विलम्ब ;

(2) तीसरी योजना के दूसरे वर्ष में घोषित की गई आपत्कालीन स्थिति और इसके परिणामस्वरूप रेशम–उत्पादन संबन्धी विकास कार्यक्रमों में राज्य सरकारों द्वारा की गयी भारी कटौतियां, और

(3) विकास-कार्यकलापों से सम्बद्ध अतिरिक्त कार्य को पूरा करने के लिये राज्यों के रेशम–उत्पादन विभागों की कार्यकारी व्यवस्था की अपर्याप्ता।

(ग) चौथी योजना में राज्यों में रेशम–उत्पादन के विकासार्थ 11 करोड़ रु० की रकम अलग से रखने का विचार है। इसके राज्यवार आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

मैसूर राज्य में रेलवे कार्यक्रम

2497. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में क्या–क्या रेलवे कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये तथा वहां हुए कार्य और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या–क्या कार्यक्रम क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिये किन–किन रेलवे लाइनों के निर्माण की सिफारशें की हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) पूरे देश की रेल परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अखिल भारतीय आधार पर ही रेलवे के विकास कार्यक्रम बनाये जाते हैं इन कार्यक्रमों को विभिन्न क्षेत्रीय रेल प्रशासनों द्वारा अमल में लाया जाता है और इसलिये रेलवे संचालन के सभी मामलों के रेल संबंधी आंकड़े रेलवे-वार संकलित किये जाते हैं न कि राज्य-वार मैसूर राज्य इस समय दक्षिण और दक्षिण मध्य (2.10.66 को दक्षिण मध्य रेलवे बनने से पहले की दक्षिण और मध्य) रेलों द्वारा सेवित है। तीसरी पंच-वर्षीय योजना में मैसूर राज्य में रेलों द्वारा शुरू की गयी विकास योजनाओं का ब्यौरा प्रति वर्ष ससद् में पेश किये गये 'रेलों के निर्माण, मशीन और चल–स्टाक कार्यक्रम' में दिया हुआ है।

(ख) रेलवे की चौथी पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने की प्रतीक्षा की जा रही है फिर भी, कुल उपलब्ध निधि और राष्ट्रीय योजना के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विकास के फलस्वरूप अतिरिक्त रेल परिवहन क्षमता की आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकारों द्वारा की गयी सिफारिशों पर विचार किया जायेगा।

लघु तथा कुटीर उद्योग

2498. श्री स०मो० बनर्जी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा हाल में की गई घोषणा के अनुसार असैनिक तथा प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लघु तथा कुटीर उद्योगों के माध्यम से अधिक सामान तैयार करके आत्म-निर्भरता का लक्ष्य पूरा करने की नीति के अन्तर्गत इन उद्योगों को सरकार ने क्या रियायतें तथा सुविधायें दी हैं :

(ख) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा इन उद्योगों को इन रियायतों का उचित तथा पर्याप्त लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) लघु उद्योग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु उद्योगों को निम्नलिखित किस्म की सहायता दी गई है ।

(एक) वित्तीय सहायता;
(दो) मशीनों की किराया खरीद;
(तीन) सरकारी भंडार क्रय कार्यक्रम में सहभागिता;
(चार) तकनीकी सहायता;
(पाँच) औद्योगिक बस्तियों में स्थान नियतन;
(छः) सहायक उद्योगों के रूप में मान्यता;
(सात) बिजली के संभरण के लिए राज सहायता; और
(आठ) कच्चे माल का नियतन ।

लघु उद्योगों द्वारा असैनिक तथा प्रविक्षा सम्बन्धी सामान का उत्पादन में वृद्धि को सुगम बनाने के लिए सरकार ने हाल में उदार आयात नीति की घोषणा की है । प्रतिरक्षा संभरण विभाग ने लघु उद्योगों द्वारा बनाए जा सकने वाले पुर्जो, साज सामान आदि की प्रदर्शनी का आयोजन किया हैं । कोई विशेष वस्तु बनाने के इच्छुक छोटे उद्योगपतियों को माल के संभरण की शर्तों आदि के बारे में सीधी बातचीत करने के लिए सरकारी क्रय विभागों के साथ सम्पर्क में रखा जाता है । सेवा उद्योग संस्थान तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इन ठेकों को प्राप्त करने वाले छोटे उद्योगपतियो को ठेकों के निष्पादन में अन्य सुविधाएं देती है । राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा

स्टेट बैंक द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली ऋण गारंटी योजना संख्या 2 भी इन ठेकों पर लागू की गई है ।

(ख) और (ग) एक फर्म द्वारा संभरण महानिदेशक को भेजे गये अभ्यावेदन की एक प्रति अभी हाल में उद्योग मंत्रालय को मिली हैं और इस पर संभरण तथा निबटान महानिदेशक के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन रांची

2499. श्री मधु लिमये : डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या उद्योग मंत्री 2 सितम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 812 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 और 1966–67 के लिये रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कारखाने के लिये कितने मूल्य के माल के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) उस भूमि को निर्माण कार्य के लिये क्यों चुना गया था, जिसकी ढलाई कारखाने का भार सहने की क्षमता कई विशेषज्ञों के मतानुसार अपर्याप्त थी; और

(ग) क्या यह निर्णय करने के लिये, जिसके कारण विलम्ब होने और लट्ठा–नींव डालने पर, काफी सरकारी राशि खर्च हुई है, उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई हैं?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) 1965–66 और 1966–67 के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के लिये निर्धारित उत्पादन लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन इस प्रकार है:—

परियोजना का नाम	1965–66		1966–67	
	उत्पादन लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	उत्पादन लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन अप्रेल से सितम्बर 1966 तक
भारी मशीने बनाने का कारखाना	344 लाख रुपये	293 लाख रुपये	748 लाख रुपये	172.46 लाख रुपये
ढलाई करखाना	83.54 लाख रुपये	67.98 लाख रुपये	221.15 लाख रुपये	25.91 लाख रुपये

भारी मशीनी औजार कारखाना	2 लाख रुपये	—	21.50 लाख रुपये	—

(ख) और (ग) जो स्थान पहले चुना गया था उसे विशेषज्ञों ने बाद में अपर्याप्त पाया। उस क्षेत्र में विस्तृत रूप से सुराख करने पर इस बात का पता चला कि अत्यन्त पास पास की भूमि की मिट्टी की किस्मों में परस्पर बहुत अन्तर है। काफी काफी समय के बाद परीक्षण गढ्ढों के आधार पर प्राप्त मिट्टी के परिणामों मुख्य रूप से यह संकेत मिलता है कि वास्तविक क्रियान्विति में कभी कभी परिवर्तन होता है। योजना तथा स्थान के चुनाव की आरंभिक अवस्थाओं में यही सब कुछ उचित रूप से किया जा सकता है। वास्तविक क्रियान्विति में तरीकों में किये गये परिवर्तनों के लिए इस पृष्ठभूमि के अतिरिक्त और कोई उत्तरदायी नहीं है।

आपतकालीन कमीशन प्राप्त अफसरों को स्कूटरों का नियतन

2500. (श्री लखमू भवानी :)

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे आपतकाल कमीशन प्राप्त अधिकारी, जिन्होंने आफिसर्स कोटे के अन्तर्गत स्कूटरों के लिये आवेदन पत्र दिये थे, इमरजेंसी सेवाओं से मुक्त होने तथा अपने मूल पदों पर अथवा कहीं और नियुक्त हो जाने पर भी इस श्रेणी में स्कूटर लेने के अधिकारी होंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

आपातकालीन कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को, जो कि सेवा किसी विच्छेद के बिना केन्द्रीय सरकार के अधीन असैनिक पदों पर वापिस आ गये हैं, केन्द्रीय सरकार के कोटे से स्कूटरों के नियतन के लिए उनके पिछले प्रार्थना पत्रों के आधार विचार किया जायेगा। यदि स्कूटर के नियतन की पात्रता के लिए अब भी वे सभी शर्तों को पूरा करते हों ?

रत्नगिरी में ऐल्यूमिनियम का कारखाना

2501 श्री मं०र० कृष्ण : श्री मधु लिमये :

क्या **खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में रत्नगिरी जिले में एल्यूमिनियम का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है और वह कारखाना जयगढ़ में नहीं अपितु रत्नगिरी में लगाया जा रहा है;

(ख) क्या जर्मन अथवा किन्हीं अन्य विशेषज्ञों ने अपने तकनीकी प्रतिबेदन में इस कारखाने की स्थापना के लिये जयगढ़ की सिफारिश की थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि गैर-तकनीकि कारणों से इस सिफारिश को स्वीकार नहीं

किया गया और जयगढ़ के स्थान पर रत्नगिरी को चुना गया; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु०कु० डे०) :

(क) महाराष्ट्र राज्य में एक एल्यूमिनियम प्रद्रावक स्थापित किया जा रहा है। विदेशी तकनीकी परामर्शदाताओं ने प्लांटों की स्थापना रत्नगिरी में किये जाने का सुझाव दिया है प्लांटों की स्थापना के स्थान का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जब मूलत: परियोजना की निजी क्षेत्र में शामिल किये जाने का प्रस्ताव था तब प्लांटों की स्थापना के लिये जयगढ़ का प्रस्ताव था।

(ग) और (घ) नहीं, महोदय। 1964 में कोयना एल्यूमिनियम परियोजना की सरकारी क्षेत्र में लिये जाने के निर्णय के फलस्वरूप स्थापना के स्थान के आर्थिक पहलुओं पर केन्द्रीय तथा महाराष्ट्र सरकारों के अधिकारियों के अध्ययन समूह द्वारा विचार किया गया । इस अध्ययन समूह ने कोयना एल्यूमिनियम परियोजना के लिये जयगढ़ को तकनीकी कारणों से उचित नहीं समझा क्योंकि वहां आवश्यक अध:संरचना का अभाव था; विशेषकर कच्चे माल के आवागमन पर अधिक लागत आने की सम्भावना थी; विद्युत शक्ति की उपलब्धि पर भी अधिक लागत की सम्भावना थी तथा पानी भी सीमित था जिससे प्रस्तावित नये प्रद्रावका के भावी विकास में भी व्यवधान पड़ सकता था। विदेशी तकनीकी परामर्शदाता भी जयगढ़ के मामले में अध्ययन समूह के विचारों से सहमत हैं तथा उन्होंने रत्नागिरी को ही उपयुक्त समझा है।

भीलाखेड़ी में काम करने वाले रेलवे कर्मचारी

2502. श्री हरि विष्णु कामत :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भीलाखेड़ी में नया यार्ड तथा डीजल शैड इटारसी स्टेशन से 6 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है;

(ख) क्या यह सच है कि भीलाखेड़ी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये परिवहन शिक्षा, चिकित्सा तथा बाजार की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों की इन वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं । यातायात और चिकित्सा की सुविधाऐं पहले से मौजूद हैं । शिक्षा और बाज़ार की सुविधाओं की व्यवस्था के प्रश्न पर रेल प्रशासन विचार कर रहा है ।

(ग) ऊपर भाग (ख)के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में सर्वेक्षण

2503. श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **खान तथा धातु मंत्री** 13 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5626 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिद्रण (ड्रिलिंग) कार्य पुनः आरम्भ कर दिया गया है अथवा निकट भविष्य में आरम्भ कर दिया जायेगा ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के भूतत्वीय तथा खनन कार्य निदेशक ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि भोहपानी कोयला क्षेत्र मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास की दृष्टि से बहुत उपयुक्त स्थान पर स्थित है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में अभी तक विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु०कु०डे०) :

(क) मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में कोयले के लिये व्यघन कार्य भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा दिसम्बर 1966 में फिर से प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में हुए आन्दोलन के कारण रेलवे को हुई हानि

2504 श्री फिरोडिया :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में हुए आन्दोलन के परिणामस्वरूप रेलवे को कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

लगभग 23.65 लाख रुपये जिसमें आमदनी की हानि शामिल नहीं है ।

घड़ियां बनाने के कारखाने

2505. श्री फिरोडिया :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर–सरकारी क्षेत्र में घड़ियां बनाने के दो कारखाने हाल ही में स्थापित किये जायेंगे,

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये किन किन फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं,

(ग) क्या इन कारखानों को कोई विदेशी सहयोग भी प्राप्त होगा, और

(घ) वे कारखाने कहां पर होंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) जी, हां। (ख) दो फर्मों मैसर्स बी० एस० एण्ड कम्पनी पांडिचेरी और मैसर्स हिन्दुस्तान इक्विपमेन्ट सप्लायर्स लिमिटेड बम्बई को अस्थाई मंजूरी दे दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) पांडिचेरी और बम्बई।

काश्मीर घाटी मे सीसा, जस्ता और ताम्बा

2506. श्री फिरोडिया :

क्या **खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर घाटी में सीसे, जस्ते और ताम्बे के भण्डार पाये गये हैं,

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक खनिज का कितना भण्डार मिलने का अनुमान है; और

(ग) क्या विस्तृत अर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और खनिज निकालने का काम कब आरम्भ हो जायेगा ?

खान तथा धातु मंत्री (सु० श्री के० डे) :

(क) नहीं, महोदय।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विस्तृत सर्वेक्षण अभी चल रहे हैं।

कच्ची फिल्म का आयात

2507. श्री फिरोडिया :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म उद्योग तथा अन्य उपयोक्ताओं के लिये प्रति वर्ष कितनी कच्ची फिल्म का आयात किया जाता है;

(ख) इनकी कुल वार्षिक मांग क्या है;

(ग) देश में कितनी फिल्म तैयार की जाती है; और

(घ) क्या उत्पादन बढ़ाने के लिये एक नया कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) वर्ष 1963–64, 1964–65 और 1965–66 में निम्न प्रकार आयात किए गये थे :—

	1963–64	1964–65	1965–66
	रुपये	रुपये	रुपये
बिना उतारी गई सिनेमा की फिल्में	188,13,000	219,34,000	252,11,000
फोटोग्राफी की कच्ची सुग्राह्य फिल्म	28,64,000	41,62,000	59,09,000

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तथा 38 लाख वर्गमीटर कच्ची फिल्म की आवश्यकता का अनुमान है। चौथी पंचवर्षीय योजना के कच्ची फिल्म की आवश्यकता का अनुमान अभी नहीं लगाया गया है।

Accident on Sambalpur-Titlagarh Section

2508. Shri Shinkre : **Shri Y. D. Singh :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that a goods train met with an accident on the Sambalpur-Titlagarh Section of the South Eastern Railway as reported in the 'Nav Bharat Times' dated 10th November, 1966;

(b) if so, the loss of life and property incurred thereby; and

(c) the casuses of the accident ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railway (Shri Sham Nath):

(a) Yes, but it occurred on 8-11-1966.

(b) There was no loss of life. The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 1,46,000/—.

(c) The cause of the accident was tampering with the track.

सहायक उद्योग उपसमिति

2509. श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **उद्योग मंत्री** 26 अगस्त. 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 696 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायक उद्योगों सम्बन्धी उप-समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बारे में कितनी प्रगति की है ; और

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) सहायक उद्योग उपसमिति अभी तक हुई अपनी बैठकों में किये गये कार्य के संबंध में अपना प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुकी है । समिति की अगली बैठक 15 और 16 दिसम्बर, 1966 को होनी निश्चित हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

रूई उपलब्ध न होने के कारण कपड़ा मिलों के बन्द किये जाने की आशंका

Shri Madhu Limaye (Moughyr) :

I call the attention of the **Minister of Commerce** to the following matter of urgent public importance and request that he may make statement thereon :

"Threatened closure of cotton Mills on account of non-availability of cotton,"

Shri Maurya (Aligarh) :

By looking at the statement referred to in the papers we can say that the statement of the Minister has no value.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) :

राज्य सभा में ध्यान दिलाने वाली कोई सूचना नहीं थी । एक अनुपूरक प्रश्न पूछा गया था जिसका मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था । कल मैंने स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचना का नोटिस दिया था परन्तु आपके कार्यालय से पता चला कि उसका उत्तर आज दिया जायेगा । इसलिये मैं कल कोई प्रश्न पूछना नहीं चाहता था ।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

कल राज्य सभा में एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था जिसका मैंने उत्तर दिया था।

अध्यक्ष महोदय :

वह समाचारपत्रों के वक्तव्य की बात कह रहे हैं।

श्री मनुभाई शाह :

समाचार पत्रों में राज्य सभा में मेरे द्वारा दिये गये उत्तर में से कोई चीज लिखी होगी।

(Shri Madhu Limayae) :

I call the attention of the Minister of commerce and request that he may now make a statement on this matter.

श्री मनुभाई शाह :

वक्तव्य लम्बा है। मैं उसे धीरे धीरे पढ़ूंगा और सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे शान्ति-पूर्वक सुनने की कृपा करें।

जैसा कि सभा को विदित ही है, रुई की कमी के कारण पिछले कुछ सप्ताहों में सूती कपड़ा मिलों के बन्द होने की सूचनायें मिली हैं।

सूखे की गम्भीर स्थिति से उस मौसम (1966–67) की कपास की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है। आरम्भ में इस फसल का अनुमान 60 लाख गांठें लगाया गया था परन्तु अब वह 55 लाख गांठें आंका गया है। इसलिये कपास तो कम मात्रा में उपलब्ध होगी जबकि दूसरी ओर तकुओं की वर्तमान क्षमता में वृद्धि किये जाने के कारण उद्योग की मांग बढ़ गई है। 1965–66 में 63 लाख गांठों की मांग थी जो अब 66 लाख गांठे हो गई है। वर्षा न होने के कारण कुछ क्षेत्रों में नई फसल के आने में भी काफी देरी हुई है।

इन सब बातों के कारण कपास की कमी हो गई है तथा बहुत सी मिलों के पास स्टॉक की कमी होने के कारण उपलब्ध मात्रा के लिये होड़ लग गई है। इससे बाजार के रुख पर प्रभाव पड़ा है तथा सभी प्रकार की कपास के मूल्य गत जुलाई में घोषित मूल्यों से काफी अधिक बढ़ गये हैं। कपास की कमी के कारण, विशेषकर ऊंचे मूल्यों को देने में मिलो की असमर्थता के कारण, कुछ मिलों के बन्द होने की आशंका से स्थिति और भी गम्भीर हो गई है। कुल मिलाकर अब तक गुजरात प्रदेश में तीन, बम्बई तथा मध्य प्रदेश में एक एक मिलें कपास की कमी के कारण बन्द हो गई हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में कुछ अन्य मिलें परियों को आंशिक रुप से बन्द कर रही हैं अथवा तकुओं की कमी कर रही हैं। सम्बन्धित मुख्य अधिकारियों से विचार विमर्श-करके सरकार ने निम्नलिखित उपाय ढूंढ़े हैं जिनका उद्देश्य कपास की नई फसल को व्यवस्थित ढंग

मे वितरण करना है : —

(1) प्रादेशिक-मिल-मालिक संस्थाओं ने परस्पर स्वीकार्य शर्तों पर फालतू कपास वाली मिलों से जरूरतमंद मिलों को उधारी कपास दिलवाने की व्यवस्था की है ।

(2) कपड़ा आयुक्त जरूरतमन्द मिलों की तत्काल मांगों को पूरा करने के लिये अधिक स्टॉक वाली मिलों से कानूनी तौर पर कपास को अधिग्रहण करता रहा है ।

(3) इस काम के लिये कपास का अधिग्रहण करने का काम भी आरम्भ किया गया है

(4) कपास पैदा करने वाले सभी क्षेत्रों से कपास का लाना ले जाना भी विनियनित कर दिया गया है ।

(5) मिलों द्वारा कपास का स्टॉक रखें जाने की अधिकतम सीमायें निर्धारित की गई हैं । इस समय कोई भी मिल दो महीने के लिये अपेक्षित स्टॉक रखा सकता है, उससे अधिक नहीं ।

(6) यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो कपास विदेशों से चल पड़ी है यहां शीघ्रता से आ जाये । इस मौसम के लिये पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से 3.75 लाख ग्लोबल काँटन से 5 लाख तथा वस्तुविनिमय के अन्तर्गत अमरीका से 50 हजार गांठे आयात करने की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त 1966–67 के कपास (वर्ष सितम्बर 1966 से अगस्त 1967 तक) के लिये ग्लोबल देशों से 2 से 3 लाख अतिरिक्त गांठे तथा पी० एल० 480 के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका से 1से 2 लाख अतिरिक्त गांठे मंगाने के लिये कार्यवाही करने का विचार है । इनमे से कुछ उपायो को कार्यान्वित करने से रुई की कमी के कारण बड़े पैमाने पर मिलों का बन्द होना समान्य रूप से रोका गया है । बन्द मिलों मे से दो मिलों ने पुन: काम आरम्भ कर दिया है । ऐसी आशा हैं कि शेष दो मिले भी शीघ्र ही अपना कार्य पुन: आरम्भ कर देंगी । पहले यह रिपोर्ट मिली थी कि पश्चिम बंगाल की कुछ मिलों को अपेक्षित रुई प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है । इन मिलों को पंजाब से रुई दिलाने के लिये कार्यवाही की गई और उन्हें बन्द होने से अभी तक बचाया गया है ।

ऐसा अनुमान है कि लगभग दिसम्बर 1966 के अन्त तक, जब भारी मात्रा में नई फसल आने लग जायेगी, ऐसी ही कठिन स्थिति रहेगी । उसके बांद स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है । सारे मौसम की पैदावार का अनुमान लगाते हुए रुई की सम्पूर्ण सप्लाई की स्थिति के बारे में आंतकवादी दृष्टिकोण बना लेना ठीक नहीं है । रुई की सम्पूर्ण सप्लाई की स्थिति को देखते हुए तथा इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों को देखते हुए इण्डियन कांटन मिल्स फैडरेशन द्वारा मिलों को एक पखवाड़े के लिये अर्थात 19 दिसम्बर 1966 से 2 जनवरी 1967 तक बन्द करने की सलाह देना अनावश्यक प्रतीत होता है । इन नवीनतम घटनाओं के बारे में उद्योगपतियों व्यापारियो कृषकों तथा श्रमिको के प्रतिनिधयों के साथ गुरुवार 30 नवम्बर और शुक्रवार 1 दिसम्बर 1966 को आगे बातचीत करने का विचार है ।

जिन–जिन राज्यों में कपास पैदा होती है उन उन राज्यों की सरकारें केन्द्रीय सरकार को

सहयोग दे रही है ताकि कपास पैदा करने वाले किसानों को भिन्न भिन्न किसम की कपास के लिये सर्वोच्च अधिकतम उचित मूल्य मिल सके। इसलिये चालू मौसम में कपास के लिये अधिकतम मूल्यों को हटाना सम्भव नहीं है। सम्पूर्ण कपास वर्ष के लिये मौसम के आरम्भ में ही मूल्य घोषित किये जा चुके है। आम बिक्री के कपड़ों पर से आंशिक नियंत्रण हटाना भी सम्भव नहीं है क्योंकि इससे आम बिक्री के कपड़े का मूल्य एक दम बढ़ जायेगा। इस के अतिरिक्त अधिकतम मूल्य को हटाने से रुई के मूल्य बढ़ जायेंगे जिसका परिणाम यह होगा कि कमजोर मिलें इन मूल्यों पर आवश्यकता अनुसार रुई नहीं खरीद सकेंगी। सम्पूर्ण कपास वर्ष 1666–67 मे इस बात की उचित व्यवस्था की जायेगी कि किसानों को उनकी विभिन्न प्रकार की कपास के लिये सर्वोच्च अधिकतम मूल्य मिले।

• यदि किसी भी क्षेत्र में व्यापारी अपनी फसल को ठीक तरह से और उचित अधिकतम मूल्य पर बेचने का सहयोग नहीं देगे तो सीधे मिल द्वारा अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा या सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद की जायेंगी। आवश्यकता पड़ने पर सरकार उन सभी ऐसे स्टाकों से कपास ले लेगी जो चाहे किसान व्यापारियों, या मिलों को हो जो विनियमों के अनुसार तथा उचित अधिकतम मूल्य पर अपना सामान बेचने से इंकार करते हैं।

बहुत सी मिलों को बन्द होने से रोकने तथा सभी मिलों को यथासम्भव पूर्ण क्षमता से चालू रखने के लिये पूरा–पूरा प्रयास किया जा रहा है तथा जहां कहीं, यदि बहुत जरुरी हुआ हो थोड़े समय के लिये उत्पादन मे थोडी कटौती की जायेगी या कुछ कारखानों को आंशिक रुप से बन्द किया जायेगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) :

From the statement of the Hom. Minister it appears that the scheme of the Government to keep a balance between the production and import has totally failed. May I know whether Government is aware of the fact that a demand has been made that price control should be put an end to ? Is it also a fact that the Mill owners want to raise the prices of their goods and reduce the prices of cotton of the farmars ? Under these circumstances, may I know what positive steps are being taken by Government to find out a permanent solution to the problem of closureere of mills and to protect the interests of the farmers and consumers ?

Shri Manubhai Shah :

I have explained in my statement that the crop which was originally estimated at 62 lakh bales is now placed at around 55 lakh bales. The spindle capacity is sanctioned while velying on the indigencus production and import of cotton. It is therefore not correct to say that our planning as weak. The second question was asked regarding growers. I have already explained that the interests of the growers will be fully protected. No grower will be given less than appropriate ceiling price. At the same time it becomes the duty of the grower also to stand on their own legs as protection is given to them only for this purpose.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) :

It is very sad that when Government fails in its duty it throws away its res-

ponsibility on the failure of rains. My second point is that the cotton mills are not running properly due to factors cotton other than scarcity of cotton. May I therefore know whether Government propose to give some loan to the mills so that they may modernise them.

Shri Manubhai Shah ;

First of all I can say that Government does not want to throw away its responsibility on the failure of rains. But the facts will have to be brought to the notice of the Hon-Members. Failure of rain resulted in the shortage of crop and we had to revise our estimates. As far as the second point is concerned the whole facts and figure, are before us. Out of about 600 mills in India 80 to 100 mills are not working properly. We have given a loan to the tune of rupees 40 or 45 crores for the renovation of mills. We can not give loan for the full renovation of mills because that is beyond our capacity. For that we require rupees 400 crores.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) :

मंत्री महोदय के बयान से पता लगता है कि कपास की कमी के कारण या कुछ मिले या तो पूर्ण रुप से बन्द हो गई हैं अथवा आंशिक रुप से । कानपुर मे कुछ मिलों ने आंशिक रुप से बन्द रहने की घोषणा कर दी है । इस लिये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का विचार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों नियोजकों तथा उत्पादकों की एक त्रि-दलीय बैठक बुलाने का है ताकि सारी स्थिति पर विचार किया जा सके ।

श्री मनुभाई शाह :

पहली बात तो यह है कि इंडियन कॉटन मिल्स फेडरेशन ने 19 दिसम्बर से सिफारिश की है । इस लिये यह श्रमिक प्रतिनिधियो प्रश्न अभी नहीं उठता । दूसरी बात यह है कि मिल मालिकों, कपास उत्पादकों तथा व्यापारियों की बैठक बुलाई जा रही है । मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि कम से कम मिले बन्द होने पायें

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) :

क्या यह सच है कि मंत्री महोदय को इस समस्या का कुछ महीने पहले पता था । यदि उन्हें पहले पता था तो उन्होने स्थिति को इतना गम्भीर क्यों होने दिया ।

श्री मनुभाई शाह :

हम लगातार प्रयत्न करते रहे हैं परन्तु जहाँ प्रकृति हमारे विरुद्व हो जाये और विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण आयात न किया जा सके वहां ये समस्यायें उत्पन्न होंगी हीं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या यह सब प्रकृति के कारण हुआ है । यह समस्या सरकार के सामने छः महीने पहले थी । उस समय वर्षा के आने या न आने का प्रश्न नही था मेरे विचार से हमारी नीति में कहीं गड़बडी है ।

श्री मनुभाई शाह :

कपास की समस्या छः महीने पहले नही थी । यह समस्या 29 सितम्बर को हमारे सामनें आई । इस से पहले मिलें पुरानी मशीनो के होने के कारण बन्द हुई थी । उसके लिये मिलों को आधुनिकी करण करने का प्रयास किया गया था ।

श्री अल्वारेस (पंजिम) :

इण्डियन कॉटन मिल्स फेडरेशन के बयान से पता चलता हैं कि मिले कपास की कम सप्लाई के कारण बन्द हुई है । अब मंत्री महोदय के बयान से पता चलता है कि ऐसी बात नही थी । क्या मिलों को बन्द करने की आशंका इस लिये की गई थी कि कपास पर से नियंत्रण हटाया जाये या उत्पादकों से अधिकतम मूल्य से कम दाम पर कपास खरीदी जाये ?

श्री मनुभाई शाह :

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं ने यह नहीं कहा था कि मिलों के बन्द होने का कारण कपास की कमी नहीं थी । मैं समझता हूँ कि मिलो की कठिनाइयां कम नहीं है । हमें स्थिति का सामना करना है और यही कारण है कि हम विभिन्न हितो वाले लोगों की बैठक बुला रहे हैं। न तो हम अधिकतम मूल्य दूर कर रहे है और न ही आम बिक्री वाले कपड़े से नियंत्रण हटा रहे हैं ।

Shri Yaspal Singh (Kairana) :

From the statement of the hon. Minister it appears that there is shortage of five lakh bales only. Government can easily fill up this gap. May I there-fore know whether their threat of closure of mills indicates the mill owners desire to raise the prices ?

Shri Manubhai Shah :

Five lakh bales can be consumed only in a month. Therefore we should think over this matter carefully and sympathatically.

Shri Vishwanathe Pandey (Salempur) :

It appears that the situation is going to be very serious. There are about 600 cotton mills in the country and about seven lakh labourers are working in these mills. In case of closure of these mills what will be the effect on production ?

Shri Manubhai Shah :

How can I say what will be its effect in future ?

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती (बैरकपुर) :

क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य मे भी जहां बहुत अधिक मिलें नही है। मिले बन्द हो रही है क्या मिलों को बन्द करने के लिये यह जो दबाव डाला जा रहा है वह इस निर्णय से बन्द रुक जायेगा कि जनवरी से 3.6 प्रतिशत तकुओं को कम कर दिया जायेगा? क्या सरकार हमें स्पष्ट रुप से बता सकती है कि ऐसी चीज भी नही होने दी जायेगी ?

श्री मनुभाई शाह :

बात यह है कि ये भिन्न प्रकार के सुझाव हैं । हमारी मूल बुनियादी नीति यह है कि जब तक कपास मिलती रहती है हम उसे सप्लाई करते रहते हैं ताकि मिलें बन्द न हों । यह अनुमान लगाना कठिन है कि हम कितनी कपास का आयात कर सकते हैं क्योंकि हमारी वर्तमान विदेशी मुद्रा की स्थिति ऐसी है कि हम वित्त मंत्री को सीमा के बाहर कपास आयात करने के लिये नहीं कह सकते ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) :

May I know whether Government have tried to find out as to whech mills have accumulated stocks with them. May I also know that whether Government was not aware that the situation will be going from bad to worse, and if so, whether they had not negotiated with foreign countries ?

Shri Manubhai Shah :

I have explained in my statment as to how much cotton we are importing. In case more foreign Exchange is available we will import more. As far as mills are concerned they do not have much stock with them.

Shri Bade (Khargone) :

There are many cotton mills in Indore. Indore is also a cotton producing centre. But a restriction has been imposed on the movement of impored cotton to other states. This affects the growers of that place very much. This time the production there has been very less and one mill has been closed there. May I know what steps have been taken by Government to supply cotton to the mills there.

Shri Manubhi Shah :

No mill has closed in Indore for want of cotton.

Shri Bade :

The hon. Minister had told that three mills have been closed down and one is in Madhya Pradesh.

Shri Manubhai Shah :

The mill in Rajnand gaun has started working now.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदास पुर) :

देश में इस समय अनाज तथा कपास की कमी है । क्या माननीय मंत्री जमाखोरो चोरबाजारी करने वाले मुनाफाखोरो तथा समाज विरोधी तत्वो के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे और क्या वह इसके लिए कोई नई व्यवस्था बनायेंगे अथवा वह इनको वर्तमान व्यवस्था पर ही छोड देंगे ? वह इन बुराइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने वाले हैं,

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

हमारा विचार अधिक से अधिक कपास उगाने का है । कपास उत्पादन में गत पन्द्रह वर्षों में हमने पर्याप्त प्रगति की है । देश विभाजन के समय 22 लाख बेलज का उत्पादन होता था अब

यह उत्पादन 60 लाख बेलज है ।

श्री सोनावने (पेंढरपुर) :

अहमदाबाद मे कपास उत्पादन मे निरंतर कमी हो रही है । इसके क्या कारण हैं ?

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) :

कुछ समय पूर्व माननीय मंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि उत्पादन मे कमी हुई है ,

श्री मनुभाई शाह :

कपास के उत्पादन में कोई कमी नही हुई है इसके उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है परन्तु यह वृद्धि हमारे घरेलु उपयोग तथा निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकी ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) :

इस तथ्य को देखते हुए कि इस समय कपास के मूल्य अत्याधिक निर्धारित मूल्यों से 15 से 50 प्रतिशत अधिक है इस संदर्भ में क्या सरकार को मालूम है कि गैर-सरकारी क्षेत्र मे इन अत्याधिक निर्धारित मूल्यों को कठोरता से लागू किया जाता है जहां कि सरकारी क्षेत्र मे ऐसा नहीं किया जाता है और यदि हां तो इसके क्या कारण है ?

श्री मनुभाई शाह :

मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं । गैर सहकारी क्षेत्र की कोई भी मिल निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य पर कपास नही खरीदती है क्योंकि वह ऐसा कर ही नही सकते ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) :

मेरा प्रश्न यह है कि गैर सरकारी क्षेत्रों में मिलों को निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर कपास खरीदने पर रोक है और यदि वह ऐसा करते है तो उन पर कानून लागू किया जाता है ,परन्तु सरकारी क्षेत्र में ऐसा नही किया जाता है । इस विभेद तथा विवेक के क्या कारण है ।

श्री मनुभाई शाह :

यह सच नहीं है । यदि माननीय सदस्य ऐसा कोई उदाहरण दे जहां कि निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर कपास की खरीद की गई है तो मैं व ा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने को तैयार हूं ।

श्री हैमबरुआ (गौहाटी) :

अपने वक्तवय में माननीय मंत्री ने बताया है कि देश के कुछ भागों मे सूखा पड़ने के कारण कपास में कमी हुई है । इस तथ्य को देखते हुए कि कपास उगाने वाला कोई भी क्षेत्र सूखाग्रस्त नही है क्या सरकार इन्डियन काटन मिल्स फैडेरेसन द्वारा चलाये गये षडयंत्र से अवगत है जैसा कि अपने लिये अधिक मुनाफा कमाना और देश को अलाभप्रद स्थिति में डालना ?

श्री मनुभाई शाह :

इस मामले में कोई षडयंत्र नहीं है । गुजरात में भी वर्षा नही हुई है और वहां पर 3 लाख बेलज का कम उत्पादन हुआ है । महाराष्ट्र में वर्षा न होने के कारण 4 लाख बेलज का उत्पादन कम हुआ है वर्षा न होने के कारण देश में लगभग 7 लाख बेलज का कम उत्पादन हुआ है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पूर्व) :

जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कपास की कमी को देखते हुए यह स्वभाविक है कि कुछ बड़े एकको ने कपास के अधिक भण्डार बना लिये हो और चूकि सरकार अब उपलब्ध भण्डारों को समान रुप से बांटने पर विचार कर रही है इसलिये हो सकता है कि वे बड़े एकक स्वयं अपने भण्डार न बताये । क्या सरकार के पास कोई ऐसी स्वतन्त्र व्यवस्था है जिससे वह इन भण्ड़ारों की जाच कर सके और कि उनको मिलों द्वारा दिये गये रिटनर्स पर निर्भर न रहना पडे ?

श्री मनु भाई शाह:

लगभग $1\frac{1}{2}$ मास पूर्व हमने 600 भाण्डागारों में अपने निरीक्षक भेजे थे । कपास ऐसी वस्तु नहीं जिसको आसानी से छिपाया जा सके । इसलिये मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि यदि किसी मिल के पास अधिक भण्डार है तो वह सरकार से दूर नहीं रख सकती ।

सभापटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ

(एक) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत सीमेंट करपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड नई दिल्ली के 1965–66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखपरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय मे रखी गई देखिये संख्या एल०टी० 7418/66]

नारीयल जटा के धागे का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम ।

वाणिज्य मंत्री [श्री मनुभाई शाह]

मैं निर्यात किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप धारा (3) के अन्तर्गत नारीयल जटा के धागे का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1966 की एक

प्रति, जो दिनांक 4 नवम्बर 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3391 में प्रकाशित हुए थे, सभापटल पर रखता हूँ। पुस्तकालय मे रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 7419/66

खान तथा खनिज विनियमन तथा विकास अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना।

खान तथा खनिज मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० अ० मेहदी) :

मैं श्री सु० कु० डे की ओर से खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस ओ 3340 की एक प्रति जो दिनाँक 5 नवम्बर 1966 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनाँक 30 जनवरी 1965 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस ओ० 329 को विखण्डित किया गया, सभापटल पर रखता हूँ। पुस्तकालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 7420/66

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (अनुसंधान तथा सेवा केन्द्र) समेकित भर्ती नियम

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री [श्री शफी कुरेशी]

मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड (अनुसंधान तथा सेवा केन्द्र) समेकित भर्ती नियम 1966 की एक प्रति जो दिनाँक 27 अगस्त 1966 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर ०1311 में प्रकाशिक हुए थे सभापटल पर रखता हूँ। पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 7421/66

प्राक्कालन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
कार्यवाही सारांश

श्री अ० च० गुह (बारसाट):—

मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ।

(एक) शिक्षा मंत्रालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों) के बारे में प्राक्कलन समिति के 82 वें, 83 वें, 100 वें 101 वें और 102 वें प्रतिवेदनों से सम्बन्धित उसकी बैठकों के कार्यवाही सारांश सभापटल पर रखे गये।

(दो) रेलवे मंत्रालय (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के बारे में प्रक्कालन समिति के 91 वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित उसकी बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखे गये।

(तीन) खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (समुदायिक विकास विभाग) के बारे में प्राक्कलन समिति के 98 वें और 99 वें प्रतिवेदनों से सम्बन्धित उसकी बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव:—

श्रीमान्, मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश प्राप्त हुआ है ।

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 8 नवम्बर, 1966 को पास किये गए कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1966 से राज्य सभा अपनी 22 नवम्बर, 1966 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।

(दो) कि लोक–सभा द्वारा 14 नवम्बर, 1966 को पास किये गये मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, 1966 से राज्य-सभा अपनी 22 नवम्बर 1966 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।

(तीन) कि लोक-सभा द्वारा 14 नवम्बर, 1966 को पास किये गये कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1966 से राज्य सभा अपनी 23 नवम्बर, 1966 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।

(चार) कि लोक-सभा द्वारा 8 नवम्बर, 1966 को पास किये गये दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन (विद्युत कर की विधिमान्यता) विधेयक, 1966 से राज्य सभा अपनी 23 नवम्बर, 1966 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
चौरासीवां तथा पचासीवां प्रतिवेदन

श्री अ० च० गुहा : बारसाट

मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

(एक) रेलवे मंत्रालय –चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स – के बारे में प्राक्कलन समिति के 44 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में चौरासीवां प्रतिवेदन; और

(दो) रेलवे मंत्रालय—इंटेगरल कोच फैक्टरी—के बारे में प्राक्कलन समिति के पैंतालीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में पचासीवां प्रतिवेदन ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
बासठवां प्रतिवेदन

श्री रा.रा. मुरारका (झुंझनू) :

मैं स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, गृह-कार्य, सूचना तथा प्रसारण, सिंचाई और विद्युत श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास और खान तथा धातु, मंत्रालयों के विषय में विनियोग लेखे (सिविल), 1964–65 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सिविल) 1966 और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यक), 1966 पर लोक लेखा समिति बासठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS
उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड)

मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सदस्यों को पुकारने का क्रम
ORDER IN WHICH MEMBERS ARE TO BE CALLED

श्री हेम बरुआ (गोहाटी)

मुझे बडे दुख से कहना पड़ता है कि सभापति महोदय द्वारा जानबूझकर एक स्वस्थ प्रथा का उल्लंघन किया गया है । 23 तारीख को मैंने विद्यार्थियों में असंतोष के सम्बन्ध में हो रही चर्चा में बोलने के लिये अपने दल की ओर से अपना दिया था । परन्तु मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया । मैंने समझा कि चूँकि मेरा दल एक छोटा दल है इसलिये मैं प्रथम अवस्था में अवसर पाने का अधिकारी नहीं हूं । अगले दिन अर्थात 24 तारीख को मैंने सभापति के पास जाकर पूछा कि क्या मेरा नाम सूची में है । उन्होंने उत्तर दिया कि आपका नाम चौथा है तथा मैं आचार्य कृपलानी को बुला रहा हू उसके पश्चात् आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा । प्रथा यह है कि मान्यताप्राप्त दलों के बोलने वाले अपना प्रथम चक्कर समाप्त कर लेते हैं तो दूसरा चक्कर आरम्भ होता है । परन्तु मुझे अवसर नहीं दिया गया और मैं बैठा-बैठा प्रतीक्षा करता रहा और मुझे छोड़ कर एक अन्य दल के एक अन्य सदस्य को जो पहले भी बोल चुके थे, बुला लिया गया । ऐसा करना एक सदस्य के विशेषाधिकार को भंग करने के समान है क्योंकि अध्यक्ष द्वारा

एक स्वस्थ प्रथा स्थापित की गई है और जब मुझे यह मालूम हुआ कि मेरा नाम सूची में चौथा है और मेरे विचार में इस सूची को अध्यक्ष ने ही तैयार किया था ।

प्रथा यह है कि जब आप प्रत्येक ग्रुप को अवसर देने के पश्चात् अन्य बोलने वालों को अवसर क्यों देते हैं परन्तु यहाँ पर एक ही दल के दो सदस्यों को बोलने का अवसर दिया गया । मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं चाहे आप एक ही दल के दस अथवा ग्यारह सदस्यों को बोलने का अवसर दे परन्तु जब मैं यह देखता हूं कि एक मूल सिद्धांत का जानबूझकर उलंघन किया जाता है तो मुझे दुख होता है । मुझे आशा है कि आपके स्थान पर कल जो व्यक्ति सभापति था उसका नाम सभापति तालिका से निकाल दिया जायेगा । मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी वह सदस्य सभापति होंगे मैं किसी भी वाद–विवाद में भाग नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने प्रथा का जानबूझकर उलंघन किया है ।

अध्यक्ष महोदयः— अध्यक्ष पीठ के विरुद्ध कुछ कहना अथवा उस पर कोई आरोप लगाना उचित नहीं है । मैं इस बात से सहमत हूं कि इन दो दलों को अवसर दिया जाना चाहिये था । उक्त विषय पर अभी वाद–विवाद होना है और मैं उनको बोलने का अवसर दूंगा । इससे विशेषाधिकार भंग का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री जोकिम आल्वा (कनारा) : माननीय सदस्य श्री हेम बरुआ द्वारा सभापति श्री सर्राफ पर इस तरह से आक्षेप करना उचित नहीं है । उन्होंने अपना कार्य निष्पक्षता से किया है तथा सभी को अवसर देने का प्रयत्न किया है । यहां पर लगभग 40 सदस्य बैठे हुए थे परन्तु घंटी बजवाने वाले इन कुख्यात सदस्य ने..... ।

Shri Bade : How can we say notorious to a Member ?

अध्यक्ष महोदय : किसी सदस्य के लिये ऐसे शब्द प्रयोग करना अवांछनीय हैं। ऐसे शब्द प्रयोग नहीं किये जाने चाहिए किसी सदस्य के संबंध में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उचित नहीं हैं । श्री जोकीम आल्वा को अपने शब्द वापस लेने चाहिए ।

जोकीम आल्वा : व्यक्तिगत रुप से मैं अपने शब्द वापस नहीं लेना चाहता हूं परन्तु आपके अनुदेशों के अनुसार मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं । सभापति ने कहा था कि श्री हेम बरुआ इस बात पर सहमत हो गये हैं कि यदि उनके दल के अन्य सदस्य बोल चुके हों तो वह अपना अधिकार छोड़ने को तैयार है (अन्तर्वाधायें)

श्री हेम बरुआ : इस बात पर मैं कभी सहमत नहीं हुआ । अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

Expunged as ordered by the chair.

अध्यक्ष महोदय : इन शब्दों को कार्यवाही के वृत्तांत से निकाल दिया जाये ।

श्री हेम बरुआ : मैंने श्री श्याम लाल सर्राफ के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है । मेरा निवेदन यह है कि प्रथा यह है प्रथम चक्कर समाप्त होने के पश्चात आप दूसरे चक्कर

में अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रथा का पालन किया जायेगा ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्–कार्य तथा संचार मंत्री : (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : 29 नवबम्र, 1966 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा:-

(1) यदि आज की कार्य–सूची में दिये गये किसी सरकारी पद पर चर्चा पूर्ण नहीं होती, तो उस पद पर विचार किया जायेगा ।

(2) विचार तथा पारित किया जाना : पुलिस बल (अधिकारों का निबन्धन) विधेयक 1966, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में ।

भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1966

गोवा, दमण और दीव (अभिमत संग्रह) विधेयक 1966.

चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान की स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़, विधेयक, 1966 राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में ।

बीज विधेयक, 1964 राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में तथा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में । पटैंट विधेयक, 1966 संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

(3) शुक्रवार 2 दिसम्बर 1966 को श्री हुक्म चन्द कछवाय द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर 7 नवम्बर, 1966 को नई दिल्ली में हुई कुछ घटनाओं के बारे में 9 नवम्बर, 1966 को गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर चर्चा ।

(4) विद्यार्थियों में असंतोष तथा हाल ही के महीनों में हुई गड़बड़ी के बारे में श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा मंगलवार, 29 नवम्बर 1966 को 5 बजे म०प० प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार ।

(5) चाय पर निर्यात शुल्क के बारे में अधिसूचना का अनुमोदन प्राप्त करने वाले संकल्प पर जो वाणिज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, पर विचार ।

यदि समय हुआ तो सभा निम्नलिखित कार्य भी लेगी:--

(एक) संविधान(तेइसवां संशोधन)विधेयक, 1966,पर विचार तथा पारित किया जाना ।

(दो) दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन (संशोधन) विधेयक, 1966, सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक, 1966, विद्युत (संभरण) दूसरा संशोधन विधेयक 1966, दिल्ली जल–प्रदाय तथा मल व्ययन विधेयक, 1966, पंजाब नगरपालिका (दिल्ली संशोधन) विधेयक,

1966 तथा दिल्ली पंचायत समितियां तथा न्याय पंचायतें विधेयक, 1966 को एक संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्तावों पर विचार।

(तीन) मंत्रियों के निवास स्थान (संशोधन) नियम, 1965 तथा मंत्रियों के (भत्ते) चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार संशोधन नियम, 1966 में रूपभेद के लिये प्रस्तावों पर, जिनकी सूचना श्री हरीविष्णु कामत द्वारा दी गई थी, विचार।

दूसरी मद में कई विधेयकों के मत हैं, तथापि आपको इस बात से डरना नहीं चाहिए कि मैं बहुत से विधेयकों का उल्लेख कर रहा हूँ। यदि समय हुआ तो उनको ले लिया जायेगा।

श्री रंगा (त्रिचूर) : क्या सरकार का विचार इस सत्र की अवधि को बढ़ा देने का है ?

श्री ही०ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : योजना पर चर्चा के संबंध में सरकार कोई बात नहीं कर रही है। जब सरकार इस मामले में संसद का परामर्श लेने से संकोच कर रही थी, तो हमें अनुमान हो गया था कि उसके मन में क्या है। पता नहीं सरकार ऐसा क्यों कर रही है। उन्होंने कहा था कि इस मामले में 2 दिसम्बर से आगे नहीं ले जाया जायेगा इसके अतिरिक्त अन्तराष्ट्रीय मामलों पर भी कोई चर्चा नहीं की गई। हमारे नये मंत्री इस विभाग में आये हैं और संसद का सत्र समाप्त हो रहा है। अच्छा होता कि नये मंत्री अपने विषय पर कुछ कह देते। हमने अपने प्रधान मंत्री के साथ प्रधान नासिर और प्रधान टीटों से हुई भेंट का बड़ा प्रचार किया है। पर इसका संसार में कोई प्रभाव नहीं हुआ, यद्यपि इस देश में उसे बहुत ही महत्व दिया जा रहा है। यदि आप इस बैठक को महत्व देते हैं तो उस पर यहां चर्चा क्यों नहीं करते। वियतनाम में बहुत कुछ हुआ है, परन्तु यहां कुछ नहीं हुआ। हम कुछ प्रयत्न करते हैं तो उसका सन्तोष जनक उत्तर नहीं दिया जाता। संसद का सत्र समाप्त हो रहा है परन्तु कुछ भी हो नहीं रहा।

श्री हरि विष्णु कामत (हौशंगा बाद) : क्योंकि यह संसद का अन्तिम सत्र है, अतः मेरा निवेदन है कि मुझे कुछ कह लेने दिया जाय। एक लम्बी कार्य सूची हमारे सामने रखी गयी है। समझ में नहीं आ रहा कि अगले सप्ताह में इस सारे काम को कैसे पूरा कर लिया जायेगा। उसके लिए बड़ा महान प्रयास करना होगा। इस प्रयास में मेरी सद्भावना सरकार के साथ है पर इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो कुछ गत पाँच वर्षों में मैं आलोचना के रूप में कहता रहा हूँ वह ठीक ही था। ये लोग लोक सभा सत्र की कार्यसूची तो बना नहीं सकते, और देश के लिए पंचवर्षीय योजनायें बनाने चले हैं। बहुत विकट स्थिति है और मैं आशा करता हूं कि आने वाली लोक सभा इससे कुछ अच्छी ही होगी। न्यायाधीश (जाये) विधेयक को छोड़ दिया गया और भी बहुत से विधेयक जिन्हें संयुक्त समिति ने ठीक ठाक किया पड़े ही रह जायेंगे।

सभा के नेता ने यह आश्वासन दिया था कि वह इस मामले पर राज्य सभा के नेता से बात चीत करेंगे परन्तु इस दिशा में कुछ भी नही किया गया है। हमारे कुछ संवैधानिक दायित्व हैं, जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। यदि यह नहीं किया जाता तो यह संविधान के साथ बहुत बड़ी बेवफाई है।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती (बैरकपुर) : संसद के समक्ष प्रदर्शन करने का प्रयत्न प्राधिकार का मामला है। इस बारे में चर्चा करने की आपने अनुमति भी दी थी। लोगों को यह हक है कि वे संसद सदस्यों से मिलने के लिए आयें परन्तु जो कार्यसूची प्रस्तुत की गयी है, उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है। अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक था वह भी इसमें नहीं है। पता नहीं ऐसे विधेयक भी क्यों छोड़ दिये गये हैं, जिनके बारे में कोई विवाद ही नहीं है।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : हमारे दल की ओर से संसदीय कार्य मंत्री पर यह जोर दिया गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा पर विचार किया गया है। मेरा अनुरोध है कि इस अनुरोध पर ध्यान दिया जाय।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) :

There is a great unrest and discontentment amongst the people of the country regarding the Cow Protection Movement. Whether there is any intention of the Government to bring any Bill regarding that by extending the time of the session.

श्री स०मो० बनर्जी (कानपुर) : यह हर्ष की बात है कि श्री कछवाय साहब का गैर सरकारी संकल्प स्वीकार हो गया है। मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं कि गृह कार्य मंत्री भी 16 नवम्बर वाले वक्तव्य पर भी चर्चा की जानी चाहिए। हमें एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन पर भी चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Mongyr):

There is rule 190 which states that the Speaker may, after considering the state of business in the House and in consultation with the leader of the House, allot a day or days or a part of a day for the discussion of any such motion.

I submit is that after 1962 there gradual reduction in the area of the country due to certain unknown reasons, it is your duty to allot an hour and a half for this matter.

Mr. Speaker :

I can only advise the Government to give priority to it. I cannot do any thing in this matter withcut consulting them.

Shri Parkash Vir Shastri (Bijnor) :

We should also discuss the Home Minister's statement regarding the incident of Nov. 7, and the resolution regarding cow slaughter should also be clipped with this. Both may be discussed simultaneously.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को एक विवरण सभा पटल पर रखना चाहिए जिसमें उन विधेयकों का नाम हो जो पुनः स्थापित तो कर दिये गये, पर उससे आगे न चल सके। इस दिशा में सरकार की क्या स्थिति है यह भी देश और सदन पर प्रकट हो जानी चाहिए। दो बातें बहुत महत्व पूर्ण है, प्रथम प्रशासन सुधार आयोग के बारे में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरा गोहत्या बंद करने के बारे में भी सरकार को अपनी नीति स्पष्ट कर देनी चाहिए।

Shri Kanshi Ram Gupta (Alwar) :

According to the list, there will be no discussion on the Fourth Five year's plan Patents Bill is also not being taken up. I think we should take it up, even though we have to sit late. We should exten l the time to finish all important matters.

Shri Maurya (Aligarh) :

Many important matters have been left out and unimportant ones have been included. I was given the assurance by the Prime--Minister to have the Scheduled Castes and Tribes. Bill introduced in this Session. I want to know whether that Bill is coming ?

श्री यलमन्द्रा रेड्डी (मारकापुर) : मेरा अनुरोध है कि इस्पात रुपेन्त्र के बारे में मामले पर भी इसी सत्र में चर्चा होनी चाहिए ।

Shri Tulsi Das Jadav (Nanded) :

We should sit daily for an hour late in order to finish the work.

श्री चं०का० भट्टाचार्य (रामगढ़ा) : यदि विरोधी पक्ष वाले सदन का समय नष्ट न करे तो कार्य शीघ्र समाप्त हो सकता है । यदि फिर भी यह सम्भव हो तो मेरा विनम्र निवेदन है कि सत्र को बढ़ा दिया जाये ।

श्री अ०प्र० शर्मा (बक्सर) : ठेके की मज़दूरी को समाप्त करने के बारे में भी विधेयक इसी सत्र में आना चाहिए ।

Shri Satya Narain Sinha :

It has been stated that the items aeortnuad equately planned. I may state how can there be planning if instead of 5 hours, 15 hors are taken. Due to lack of time we could not take up an important matter like international situation. Patent Bill should also be taken. If you proprose to take all these items then thet imeo fsession may be extended. Though it was said that session will not be extended. But if now you feel and the majority of this House wants it, then the time of the House may be extended.

Regarding cow slaughter, we have alloted time to discuss the incident of November). All these incidents took place due to cow slaughter. Cow slaughter re-resolution may also be taken along wnich that if posible. What cannot be cured must be endured. Regarding the demands for grants of Raija Sabha. I have talked with them those persons are not ready. But we are trying to find out a solution to it.

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का प्रश्न

POINT OF PERSONAL EXPLANATION

(श्री श्याम लाल सर्राफ तथा श्री हेम बरुआ)

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू और काश्मीर) : कल मेरी अनुपस्थिति में श्री हेम बरुआ ने काफी रोष व्यक्त किया मुझे भी उस धरना पर रोष है । उनका नाम था, जबकि मैंने श्री कृपलानी को बुलाया था । उनका कहना है कि सभापति पद पर होते हुए मैं निपक्ष नहीं रहा

हूं। मैंने कोई पक्षपात नहीं किया। मुझे इस पर खेद है।

श्री हेम बरूआ (गोहाटी) : वैसे भी सर्राफ मेरे मित्र है। मैंने जब पूछा कि मेरे नाम बोलने वालों में हैं तो उन्होंने कहा है परन्तु कृपलानी साहब के बोलने के बाद भी उन्होने मुझे समय नही दिया। यह तो मैंने कह ही दिया था कि श्री कृपलानी से पूर्व मैं बोलना नही चाहता।

अध्यक्ष महोदय : यह मामूली सी गलत फहमी है जो कभी कभी हो जाती है जब कि दोनों अपनी अपनी जगह ईमानदार होते है।

संविधान (तेईसवां संशोधन) विधेयक, 1966

(CONSTITUTION TWENTY THIRD AMENDMENT) BILL 1966

अध्यक्ष महोदय : जब विधेयकों को पुन: स्थापित किया जायेगा। श्री यशवन्त राव चव्हान

Dr. Ram Manohar Lohia (Farukhabad) : Mr. Speaker, sir, as a point of order. I request that the presentation of the Bill should be postponed as the Minister of Home Affairs has arrested aged persons like Sant Prabhu Dutt Brahamchari.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnore) : I will request hon. Minister of Home affairs to say some thing about the health of Shri Shankracharya.

Mr Speaker : I can not ask the Minister to postpone the introduction of the Bill and give a statement regarding Shri Shankracharya.

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुन: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री स० मो० बनर्जी (रामपुर) :

उत्तर प्रदेश में एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई थी जब वहां के मुख्य मंत्री,न्याय मंत्री तथा अन्य लोगों ने जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में दिलचस्पी ली थी और अन्त में यह मालूम हुआ था कि इन नियुक्तियों के कारण भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद तथा पक्षपात की गम्भीर अनियमिततायें हुई थी। जब यह मामला उच्चतम न्यायालय के पास आया तो उसने यह निर्णय दिया कि ऐसी सभी नियुक्तियां अनुच्छेद 335 तथा 333 के अन्तर्गत अवैध हैं। हम उन निर्णयों के मान्यीकरण के विरुद्ध नहीं है क्योकि जो आदेश दिये जायें अथवा जो दण्ड दिये जाये उनक मान्यीकरण किया जाना चाहिये। परन्तु वे कहते है कि हम अनुच्छेद 323 के अन्तर्गत अवैध घोषित की गई कुछ नियुक्तियों आदि को छोड़ कर सभी नियुक्तियां पदोन्नतियां तथा स्थानान्तरनों को मान्यता देना चाहते हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर): नियम 72 के अन्तर्गत सदस्यों को विधेयक की पुन: स्थापना के समय उसका विरोध रहने का अधिकार है। आप इस ओर ध्यान दें।

जब कभी उच्चतम न्यायालय कानून को दृष्टि में विधान अनुचित होने के कारण अथवा असंवैधनिक होने के कारण रद्द करता है तभी सरकार सभा के समक्ष सुझाव रखती है कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये। संविधान में संशोधन का प्रयोग आकस्मिक ढंग से नहीं किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करने के लिए वक्तव्य देना चाहिये कि नियुक्तियों पदोन्नतियों तथा स्थानातरनों को भी वैध्य ठहराना आवश्यक क्यों है। जब तक इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया जाता और जो इसका विरोध करते है उन्हें इसके विरोध में कुछ कहने का अवसर नहीं मिलता तब तक सभा को इस पर विचार नहीं करना चाहिये।

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) :

इस मामले में एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। न्यायाधीशों को योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया है और उनके पास निर्धारित योग्यताएं हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार उन्हें नियुक्त करने का अधिकार सरकार को नहीं हो सकता। परन्तु उन न्यायाधीशों ने निर्णय किये, दण्ड दिये हैं तथा उन निर्णयों और दंडों का पालन किया गया है। जहां तक प्राकृतिक न्याय का सम्बन्ध है वह उपयुक्त है और किसी व्यक्ति के साथ कोई वैधानिक ज्यादती नहीं हुई हैं। यदि नहीं हुई है तो यह एक प्रक्रिया सम्बन्धी गलती है। ऐसी परिस्थितियों में विधेयक को पुनः स्थापित रहना आवश्यक है और जो कुछ हो चुका है उसे मान्यता दी जानी चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हान :

यह स्थिति उच्चतम न्यायालय के उन दो निर्णयों से पैदा हुई है जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश और तीन दूसरे राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को अवैध घोषित किया गया है क्योंकि उनकी नियुक्तियाँ अनुच्छेद 233 के उपबन्धों के अनुसार नहीं पाई गई है दूसरे निर्णय में भी ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अनुच्छेद 233 के अन्तर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिकार के अधीन इन न्यायाधीशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानाँन्तरण करने का अधिकार नहीं जाता है।

इन दो निर्णयों से एक स्थिति पैदा हो गई है जिसको ठीक करने की अनुमति इस विधेयक में मांगी गई है। इसमें यह शुद्धि की जा रही हैं कि जो व्यक्ति संविधान के अधीन अयोग्य नहीं है अर्थात योग्य है उन्हें ही नियमित किया जा रहा है। यह कुछ न्यायाधीशों को संरक्षण देने का प्रश्न नहीं है बलिक वास्तव में मुकदमा लड़ने वालों के संरक्षण का प्रश्न है। इससे स्थिति को सुधारा तथा नियमित बनाया जा रहा है।

Shri Maurya (Aligarh) : In the reference by the President on the matter of conflict between judiciary and legislature, the supreme court gave the opinion that the constitution of India and not the Parliament was sovereign.

With regard to the Twenty third amendment, I would submit that this matter is pending in the Allahabad High Court and is, therefore, sub-judice. The argument

of the Home Minister as given in the statement of Objects and Reasons, that the work of judiciary in Uttar Pradesh has almost come to a standstill, is baseless. There should be minimum interference in the work of the Judiciary. Keeping all those things in view, this bill can not be supported.

Dr. Ram Manohar Lohia : Persons of very old age are being ill-treated.. ...

Mr. Speaker : That has nothing to do with introduction of the Bill.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The decisions of those judges have not been over ruled. Therefore, there should be no hurry in passing such a Bill. It is not right to say that the functioning of district courts in Uttar Pradesh has practically come to a standstill". The Minister should see all the aspects of the decision of the supreme court and he should ensure whether he is competnet to introduce the Bill or not.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुन: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 101, विपक्ष में 21

Ayes, 101 Nose, 21

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चव्हान : मैं विधेयक को पुन: स्थापित करता हूं ।

नियम 389 के अन्तर्गत प्रस्ताव तथा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक में संशोधन के बारे में प्रस्ताव

MOTION UNDER RULE 388 AND MOTION : AMENDMENT ARE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : जब सभा श्री गोपाल स्वरूप पाठक द्वारा 24 नवम्बर 1966 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा रहेगी, अर्थात्:—

"कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1966 में संशोधन संख्या 63 पर, जो 23 नवम्बर, 1966 को सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 338 का लागू होना निलम्बित किया जाये ।

श्री कु० कृ० वर्मा (सुलतानपुर) :

कल माननीय विधि मंत्री के नियम 338 विलम्बन के लिए प्रस्ताव रखा था । इस पर आपत्ति की गई थी कि नियम का निलम्बन नहीं किया जाना चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speakar in the Chair]

आपत्ति करने वाले सदस्य ने यह अनुभव नहीं किया कि वास्तव में असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई थी । माननीय मंत्री ने यह बात बिलकुल स्पष्ट कर दी थी कि धारा 9– क से काफी लोग अयोग्य हो जायेंगे । ऐसी स्थिति पैदा होने नहीं देनी चाहिये । सरकारी संशोधन संख्या 63 जो कि सभा द्वारा पारित किया गया है इसी प्रयोजन से प्रस्तुत किया गया है । तथापि एक और संशोधन संख्या 67 है जो कि सरकारी संशोधन में भी अच्छा है और जिसे सरकार स्वीकार करना चाहती है । यह लोकतन्त्र के हित में है और उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये । इस लिए सरकार को नियम विलम्बित करना चाहिये ताकि संशोधन संख्या 67 स्वीकार किया जा सके ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Minister of Law has shown his inability not once but a number of times. This is another proof of his inability. The motion to move for the suspension of the rules of the House is not an ordinary motion. This motion should be opposed since it is an attempt to conceal a mistake committed by the Minister.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) :

मुझे यह कहने पर बाध्य होना पड़ा है कि सभा के परामर्श के बावजूद मंत्री महोदय ने संशोधन संख्या 63 पर आग्रह किया । नियम 388 के निलम्बन को संशोधन संख्या 63 पर लागू करने के सम्बन्ध में अनुमति ली जा रही है । नियम 388 में यह उपबन्ध है कि कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के सामने किसी विशेष प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना विलम्बित कर दिया जाये । परन्तु तब उस संशोधन के बारे में सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं था । इसलिए नियम 388 के विलम्बन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । मैं चाहता हूं कि वित्तमंत्री इस प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) :

मैं श्री कामत द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करता हूँ किसी नियम को बहुत ही असाधारण परिस्थतियों में निलम्बित किया जाता है सदन के सामने 23 नवम्बर को कोई प्रस्ताव नहीं था । यह प्रश्न तब उत्पन्न हुआ जब श्री पाठक के बिना सोचे समझे श्री दीक्षित का संशोधन स्वीकार कर लिया ।

प्रस्ताव सदैव नियम 184 के अन्तर्गत लाये जाते हैं और मंत्री महोदय ठोस कारण बताये बिना नियम 338 का निलम्बन चाहते हैं । मंत्री महोदय द्वारा जान बूझकर अथवा अनजाने की

गई भूल के सुधार के लिए हम सम्भवतः नियम को निलम्बित नहीं कर सकते इससे बहुत बुरा पूर्वोदाहरण कायम होगा और कई सदस्य इसका प्रयोग नियमों को अपने स्वार्थों के लिए निलम्बित करने में करेंगे ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) :

गलती करना स्वाभाविक है और उसे करना या करवाना भी जरूरी है किन्तु इस मामले में जब मंत्री महोदय का ध्यान इस गलती की ओर दिलाया गया तो उन्होंने उसकी उपेक्षा की और उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जिस कारण इस सम्बन्ध में आज प्रक्रिया सम्बन्धी यह अड़चन पैदा हुई है । ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय को पहले इस प्रस्ताव के औचित्य, मान्यता तथा गुणों के बारे में बतलाना चाहिए और यदि वे सबल हों तर्कपूर्ण तथा उचित हों तो हम प्रक्रिया सम्बन्धी छूट देने के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदास पुर) :

यदि इस नियम का निलम्बन जिसके लिए सभा की अनुमति माँगी गई है कानून तथा संविधान की भावना के विरुद्ध है और उस प्रक्रिया की भावना के विरुद्ध है जो कि इस सभा में अपनाई है तो इस नियम के निलम्बन से सहमत न होने का सभी सदस्यगणों का अधिकार है ।

किन्तु वास्तविकता यह है ऐसी कोई बात नहीं है जिससे प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों, कानूनों तथा संविधान की भावना का उल्लघन होता हो क्योंकि नियम के निलम्बन के सम्बन्ध में यह कोई नई बात नहीं है यह सामान्य प्रथा है और हम इसे कई बार कर चुके है इसके अतिरिक्त निलम्बन की अनुमति इसलिए दी जा रही है कि संविधि पुस्तक में कोई ऐसी बात समाविष्ट की जा सके जो सभा की भावना के अनुकूल हो ।

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : जैसा कि विधि मंत्री ने स्पष्ट किया है कि धारा 9–क से जिसमें चालू ठेके के बारे में उपबन्ध है काफी लोग अयोग्य हो जायेंगे और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर निर्वाचन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि इससे अत्यधिक कठिनाई होगी ।

आज देश में सरकारी क्षेत्र तथा गैर–सरकारी क्षेत्र के अथवा सहकारी क्षेत्र भी हैं । हमारी आर्थिक गतिविधियां इन तीन क्षेत्रों में फैली हुई है और इससे कई लाख लोग जो अन्यथा काफी योग्य हैं आयोग्य हो जायेंगे। सरकार वास्तव में डा० दीक्षित के संशोधन संख्या 67 को स्वीकार करती है दूसरी बात यह है कि इस नियम को निलम्बित करने के प्रस्ताव में कोई अप्रत्याशित बात नहीं है । पंजाब पुनर्गठन विधेयक में नियम 388 तथा 338 के अन्तर्गत ऐसे कई प्रस्ताव स्वीकार किये गये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रस्ताव को अब सभा के मतदान के लिए रखता हूँ । प्रश्न यह है:—

"कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1966 में संशोधन संख्या 63 पर जो 23 नवम्बर; 1966 को सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 338 का लागू होना विलम्बित किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Subha Divided

पक्ष में 74 : विपक्ष में 9

Ayes 74 : Noes 9

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1966, में संशोधन संख्या 63 को स्वीकार करने का सभा का निर्णय रद्द किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1966 में संशोधन संख्या 63 को स्वीकार करने का निर्णय रद्द किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—जारी

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL-CONTD

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरि विष्णु कामत अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, मैं सूची संख्या 13 में अपने संशोधन संख्या 105 और 106 प्रस्तुत करता हूं।

श्री गो०वा०दीक्षित : मेरा संशोधन संख्या 67 है।

Pages 12 and 13, for times 41 to 43 and 1 to 8 respectively **Substitute:-**

Disqualification for Government Contracts, etc. 9 A. A person shall be disqualified if, and for so long as, there subsists a contract entered into by him in the course of his trade or business with the appropriate Government for the supply of goods to or for the execution of any works undertaken by, that Government.

Explanation : For the purpose of this section, where a contract has been fully performed by the person by whom it has been entered into with the appropriate Government, the contract shall be deemed not to subsist by reason only of the fact that the Government has not performed its part of the contract with wholly or in part. (67)

पृष्ठ 12 और 13 में क्रमश: पंक्ति 41 से 43 और 1 से 8 स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

सरकारी ठेकों आदि के कारण अनर्हताएं : 9 क एक व्यक्ति तब तक अनहर्त होगा जब तक कि उसके द्वारा, उसके व्यापार अथवा व्यवसाय के सिलसिले में संबंधित सरकार से माल के संभरण अथवा उसके अधीन किसी कार्य के करने का ठेका जारी रहेगा।

व्याख्या : इस धारा के प्रयोजन के लिये जहां कार्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पूरी तरह कर दिया गया हो जिसे उसने संबंधित सरकार से लिया हो, वह ठेका केवल इस कारण लागू हुआ नहीं माना जायेगा कि संबंधित सरकार ने ठेके के कार्य का आंशिक अथवा पूरी तरह पूरा नहीं किया। (67)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री हरिविष्णु कामत का संशोधन संख्या 72 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष-महोदय द्वारा संशोधन संख्या 72 मतदान के लिये रखा गया।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok-Sabha Divided

पक्ष में 7; विपक्ष में 53.

Ayes 7; Noes 58.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 51, 73 तथा 75 को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 51, 73 तथा 75 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos 51, 73 and 75 were put and negatived.

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने संशोधन संख्या 105 तथा 106 जो निम्नलिखित है

Page 12 after line 14 insert

" Provided that a person convicted by a court in India for the contravention of any law providing for the Prevention of hoarding or profiteering or of adulteration of food or drugs and sentenced to imprisonment for not less than Six months shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of five years since his release.

Page 12 after line 22 insert

Explanation. In this section.

(a) 'law providing for the Prevention of hoarding or profiteering means any Law, or any order, rule or notification having the force of law Providing for -

(i) the regulation of production or manufacture of any essential commodity;

(ii) the control of price at which any essential commodity may be bought or sold;
(iii) the regulation of acquistion, possession, storage, transport, distribution, disposal, use or consumption of any essential commodity;
(iv) the prohibition of the withholding from sale of any essential Commodity ordinarily kept for sale;

23 of 1940 (d) 'drug' has themean ing assigned to it in the Drugs and Cosmetics Act 1940;

10 of 1955 (c) 'essential Commodity' has the meaning assigned to it in the Essential Commodities Act, 1955;

(d) 'food' has the meaning assigned to it in the Prevention of Food Adulteration Aet, 1954;

(एक) पृष्ठ 12, पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जाये :—

परन्तु यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी न्यायालय द्वारा जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी अथवा खाद्य अथवा दवाओं अपमिश्रण से सम्बंधित विधि के उल्लंधन के लिए दोष सिद्व ठहराया गया हो और उसे जो दण्ड मिला हो वह छः महीने से कम न हो, ऐसा व्यक्ति दोष सिद्धि की तारीख से अनर्हत हो जायेगा और उसकी अनहर्ता मुक्त होने की तारीख से अग्रेतर पांच वर्षो की अवधि तक जारी रहेगी (105)

(दो) पृष्ठ 12 पंक्ति 22 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जाये:— व्यख्या–इस धारा–

(क) जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी को रोकने के लिये उपबंधित करने वाली विधि का तात्पर्य किसी ऐसी विधि, अथवा आदेश, नियम अथवा अधिसूचना से है जिसे विधि की शक्ति प्राप्त हो और जिस में

(1) किसी अत्यावश्यक वस्तु के उत्पादन अथवा निर्माण का विनियमेन हो ।
(2) किसी अत्यावश्यक वस्तु के क्रम अथवा विक्रय के मूल्यों का नियन्त्रण;
(3) किसी अत्यावश्यक वस्तु के अर्जन, कब्जे में रखने, संग्रह करने, परिवहन, वितरण, निपटान, उपयोग अथवा सम्भरण का विनियमन;
(4) किसी आत्यावश्यक वस्तु जो सामान्यतः बेचीजाती है उसके बेचने पर रोक लगाने;

1940 का 23 वा — (ख) 'औषध' शब्द औषध तथा प्रासाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में व्यवहृत अर्थों में प्रयुक्त हुआ है ।

1955 का 10 वा — (ग) अत्यावश्यक वस्तु शब्द अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में दिये गये अर्थों में प्रयुक्त हुआ है ।

(घ) खाद्य शब्द खाद्य अपमिश्रण कि निवारक अधिनियम, 1954 में दिये गये अर्थों में प्रयुक्त हुआ है" (106)

23 नवम्बर 1966 को माननीय विधि मंत्री ने यह कहा था मैं श्री कामत के संशोधन को एक शर्त पर स्वीकार करने के लिए तैयार हूं वह यह कि श्री कामत के संशोधन में किसी दण्ड का उल्लेख नही हैं , उन्होने कहा था कि दण्ड छः महीने से कम का नही होना चाहिए ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : श्री कामत के संशोधन में किसी दण्ड का उल्लेख नही है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने अपने संशोधन 105 में अब ये शब्द रख दिये है" छः महीने की अवधि से कम नही"।

श्री रंगा (विन्तूर) : मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसका सम्बन्ध इस सारी सभा तथा सम्पूर्ण देश से है इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रस्तावित नवीन अध्याय 3 की धारा 8 (2) में एक नया उपबन्ध 8 (2 क) जोड़ा जाना चाहिए कि एक व्यक्ति जिसे जमा खोरी या नफाखोरी अथवा खाद्य या औषध–अपमिश्रण/मिश्रण की रोक थाम सम्बन्धी किसी कानून का उल्लंघन करने के लिए भारत के किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है और छः महीने से कम की सजा न दी गई हो उसे ऐसा दोष लगाये जाने की तिथि से अयोग्य कर दिया जायेगा और वह अपनी रिहाई के पश्चात् और पांच वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य रहेगा प्रस्तावित संशोधन संख्या 106 में यह अनुरोध किया गया है कि धारा 8(3) के बाद एक" व्याख्या" जोड़ी जाये जिसमें जमाखोरी या मुनाफाखोरी और औषध, अत्यावश्यक वस्तु तथा खाद्य की रोक थाम करने वाले कानूनों की परिभाषाएँ दी जाये।

मेरे संशोधन संख्या 105 और 106 मंत्री महोदय के संशोधनों की ही तरह है किन्तु उन्होंने इन्हें स्वीकार करने से अब इन्कार कर दिया है। अतः मैं आशा करता हूँ कि सदस्य गण जिन्होंने मेरे इनसे भी कठोर संशोधन का समर्थन किया है, इन संशोधनों का समर्थन करेंगे।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : हमने इस विधेयक में जमाखोरी कालाबाजारी आदि की परिभाषाएं दी हैं। श्री कामत के संशोधन संख्या 72 और 73 अभी-अभी अस्वीकृत हुए हैं और श्री रंगा ने भी संशोधन संख्या 72 का विरोध किया है। संशोधन संख्या 72 तथा 105 एक ही स्वरुप के हैं, न कि भिन्न-भिन्न आशय को दूसरी बात यह कि सरकार छः महीने की सजा की शर्त को हटाने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री रंगा : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं समाज विरोधी तत्वों तथा आचरणों की निन्दा करने में किसी से कम नहीं हूं और ऐसे तत्वों को क्षमा करने के हक में कभी नहीं रहता फिर भी मैं श्री हरिविष्णु कामत के इस संशोधन का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि इस संशोधन में शरारत की क्षमता है। इससे सभी किसान लपेट में आते हैं जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, कई कानून बने हुए हैं किन्तु हमें उन सभी कानूनों की जानकारी नहीं है। स्थानीय अधिकारियों को, जो लोगों के विरुद्ध मुकदमा चला सकेंगे और बाद में उन्हें सजा दिलायेंगे, जिस प्रकार की शक्तियां दी जा रही हैं, वे बहुत खतरनाक हैं। इसके अनुसार कई लोगों पर आरोप लगाकर उन्हें सजा दिलाई जा सकती है और नामों को मतदाताओं की सूचियों से निकाला जा सकता है अथवा उन्हें उम्मीदवार के रूप में खड़े होने के लिये अयोग्य घोषित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, नियंत्रणों को क्रियाविन्त करने के मामलों में कितनी भी शरारत हो सकती है और परिणाम स्वरूप हमारे लाखों किसान इन स्थानीय अधिकारियों के निर्णयों के लिये उनकी दया पर निर्भर रहना पड़ेगा।

मैं इस संशोधन के बारे में अधिक तो कहना नहीं चाहता किन्तु इतना जरुरी हैं कि श्री कामत का यह संशोधन बड़ा खतरनाक है क्योंकि इससे देश के इमानदार किसानों, छोटे व्यापारियों तथा श्रमिकों को बड़ी कठिनाइयां होने की संभावना है और इसकी लपेट में उन्हें उनकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। मुझे खुशी है कि सरकार ने भी इस संशोधन का समर्थन न करने का निश्चय किया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्तुत संशोधन के बारे में एक इमानदार नागरिक एक ईमानदार संसद सदस्य, एक ईमानदार राजनीतिज्ञ तथा एक ईमानदार किसान की हैसियत से अपने विचार प्रकट करता हूं। विधि मंत्री ने भी श्री कामत के इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार हो गये थे, किन्तु वह इसमें केवल एक संशोधन चाहते थे जिसे परिचालित नहीं किया जा सकता। विधि मंत्री की उपस्थिति इस समय सभा में आवश्यक थी किन्तु पता नहीं किन कारणों से वह सभा से अनुपस्थित है।

मैं यह महसूस करता हूं कि सरकार कुछ उद्योगपतियों, कुछ बड़े-बड़े व्यापारियों कुछ बड़े-बड़े जमाखोरों, कालेबाजारी करने वालों अथवा मुनाफाखोरों की जिनपर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका है, डर से इस संशोधन को स्वीकार नही कर रही है।

प्रस्तुत संशोधन का तुरंत समर्थन किया जाना चाहिये क्योंकि वह चोर बाजारी, जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के विरुद्ध है, जो लोग एसी कार्यवाहियां करते हैं, उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाना चाहिये। श्री कामत का यह संशोधन समाजवादी संशोधन है और समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध है इस लिये सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिये।

श्री अल्वारेस (मारमागोवा) : सरकार ने पहले ही ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया है जिन्हें भारतीय दण्ड संहिता अथवा प्रक्रिया दण्ड संहिता के अन्तर्गत किसी भी अपराध में सजा मिली हो। देश में कुछ ऐसे मामले है, यथा खाद्य, सिविल स्वतंत्रता आदि, जिनके लिए कुछ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है और यह आवश्यक है कि हम इन प्रदर्शनों तथा जलूस अथवा आन्दोलनों का शान्तिपूर्ण ढंग से नेतृत्व करें। किन्तु सरकार और इस सभा ने यह निर्णय किया है कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसे प्रदर्शनों अथवा आन्दोलनों में भाग लेता है। और जिसे दो वर्ष अथवा अधिक अवधि की सजा मिल जाती है, वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा चाहे प्रदर्शन या आन्दोलन किसी प्रकार का क्यों न हो। दूसरी ओर ऐसे समाज–विरोधी तत्वों पर जिन्हें न्यायालय दोषी ठहारा चुके हों, प्रतिबन्ध लगाने की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। इसलिए उचित यह है कि चोरबाजारी करने वालों, जमाखोरों, मुनाफाखोरों आदि जैसे सामाजिक अपराधियों को भी अब चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया जाना चाहिये अन्यथा देश के प्रति अपना कर्त्तव्य पालन करने में हम असफल रहेंगे।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : मेरे संशोधन संख्या 107 का उद्देश्य यह है कि "छः मास से कम नहीं" शब्दों को हटा दिया जाये। यह मैं इस लिये कह रहा हूँ ताकि जिन लोगों को थोड़ी भी सजा मिली हो उसे चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं होना चाहिये। कुछ लोग बड़े प्रभाव-

शाली होते हैं और वह अदालतों से कहते भी हैं कि जब तक अदालत उठे तभी तक की सजा काफी है। ऐसे व्यक्तियों को विधान सभा में नही बैठने दिया जाना चाहिये अन्यथा वे भी कानून बनाने में शामिल होंगे।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रसन्नतापूर्वक श्री सिंहासन सिंह का संशोधन स्वीकार करता हूं।

श्री गो०ना० दीक्षित (इटावा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन श्री कामत के संशोधन को पहले ही अस्वीकार कर चुका है। वर्तमान संशोधन श्री कामत के रद्द हुए संशोधन से मिलता है, इस लिये इस पर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि यह नियमों के विरुद्ध है।

जहां तक मुनाफाखोरों तथा जमाखोरों का सम्बन्ध है, यह सभा उनके बारे में एक मत है। लेकिन जिसने कोई थोड़ी सी गलती की हो उसे इतना दण्ड नही मिलना चाहिये। इस संशोधन को नियम बाह्य किया जाये।

श्री सिंहासन सिंह : महोदय मैं अपना संशोधन संख्या 107 प्रस्तुत करता हूं।

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : जो श्री पाठक ने कहा है मैं उससे अलग नहीं जा सकता। मैं श्री सिंहासन सिंह के संशोधन के पक्ष में नही हूं। मुझे बड़ा अचंभा लगा कि श्री अल्वारेस ने कहा कि यह तो जमाखोरों को बचाने का एक चतुर तरीका है। मुझे उनसे ऐसी आशा नही थी। यदि सभा संशोधन संख्या 105 तथा 106 के हक में हो तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री सिंहासन सिंह के संशोधन संख्या 107 को प्रस्तुत करता हूँ जो कि उन्होंने श्री कामत के संशोधन संख्या 105 पर रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 107 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 107 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री कामत के संख्या **105** तथा **106** को एक साथ मतदान के लिये रख रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि :

Page 12, **After** line 14 **insert** :

"Provided that a person convicted by a court in India for the contravention of any law providing for the prevention of hoarding or profiteering or of adulteration of food or drugs and sentenced to imprisonment for not less than six months shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of five years since his release."(105)

Page 12, **After** line 22 **insert** :

Explanation :- In this section:—

(a) Law providing for the prevention of hoarding or profiteering means any law, or any order, rule or notification having the force of law, providing for.....

(i) The regulation of prooduction or manufacture of any essential commodity;

(ii) The control of price at which any essential commodity may be bought or sold;

(iii) The regulation of acquistion, possession, storage, transport, distribution, disposal, use or consumption of any essential commodity;

(iv) The prohibition of the withholding from sale of any essential commodity ordinarily kept for sale.

23 of 1940 (b) 'drug' has the meaning assigned to it in the Drugs and Cosmetics Act, 1940;

10 of 1955 (c) 'essential commodity' has the meaning assingned to it in the Essential Commodties Act, 1955;

(d) 'food' has the meaning assigined to it in the Prevention of Food Adulteration act, 1954. (106)

(एक) पृष्ठ 12, पंक्ति 14 के पश्चात निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

[परन्तु यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी न्यायालय द्वारा जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी अथवा खाद्य अथवा दवाओं अपमिश्रण से संबंधित विधि के उल्लंघन के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो और उसे जो दण्ड मिला हो वह छः महीने से कम न हो, ऐसा व्यक्ति दोष सिद्धि की तारीख से अनहर्ता हो जायेगा और उसकी अनहर्ता मुक्त होने की तारीख से अग्रेतर पांच वर्षों की अवधि तक जारी रहेगी] (105)

(दो) पृष्ठ 12, पंक्ति 22 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जाये :

[व्याख्या—इस धारा—

(क) जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी को रोकने के लिये उपबंधित करने वाली विधि का तात्पर्य किसी ऐसी विधि, अथवा आदेश, नियम अथवा अधिसूचना से है जिसे विधि की शक्ति प्राप्त हो और जिसमें

(1) किसी अत्यावश्यक वस्तु के उत्पादन अथवा निर्माण का विनियमेन हो।

(2) किसी अत्यावश्यक वस्तु के क्रम अथवा विक्रय के मूल्यों का नियन्त्रण;

(3) किसी अत्यादश्यक वस्तु अर्जन कब्जे में रखने, संग्रह करने, परिवहन, वितरण, निपटान, उपयोग अथवा सम्मरण का विनियमन

(4) किसी अत्यावश्यक वस्तु जो सामान्यत: बेची जाती है उसके बेचने पर रोक लगाने;

1940 का 23 वा — (ख) 'औषध' शब्द तथा प्रासाधन सामग्री अधिनयम, 1940 में व्यवहृत अर्थों में प्रयुक्त हुआ हैं ।

1955 का 10 वा — (ग) 'अत्यावश्यक वस्तु' शब्द अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में दिये गये अर्थों में प्रयुक्त हुआ है;

(घ) 'खाद्य' शब्द खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, 1954 में दिये गये अर्थों में प्रयुक्त हुआ है ।] (106)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री विद्यालंकार के संशोधन संख्या 78 को लेते हैं।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसे वापिस देने की सभा को अनुमति हैं ?

संशोधन संख्या 78 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

Amendment No. 78 was by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री मुथिया के संशोधन संख्या 103 को रख रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 103 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 107 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 20 संशोधित रूप में, विधेयक का अङ्ग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 20 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 20 as amended, was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक नाम विधेयक मे जोड़ दिये गये।

The Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री चे०रा०पट्टाभिरामन् : श्रीमान जी, मैं प्रस्तुत करता हूं कि विधेयक को संशोधन रूप में, पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष-महोदय : प्रश्न यह है कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है।

The motion was adopted.

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक जारी
PREVENTIVE DETENTION (CONTINUATION) BILL CONTD

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब 21 नवम्बर 1966 को श्री यशवन्तराव चव्हान द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी "कि निवारक निरोध अधिनियम 1950 को अतिरिक्त अवधि के लिये जारी रखने वाली विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री मुहम्मद कोया (कोजीकोड़) : अब जबकि सरकार इस प्रकार के काले कानून के अन्तर्गत एक करना चाहती है, तो मैं उनसे केवल इतनी प्रार्थना करूंगा कि वह इसे विरोधी दलों के विरूद्ध प्रयोग न करें।

अभी अरब गणराज्य के राष्ट्रपति श्री नासिर के भारत यात्रा के समय, सरकार ने कुछ मुसलमान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वे वहां के एक प्रमुख नेता को श्री नासिर की सरकार द्वारा फांसी पर लटकाने के विरूद्ध थे। वे लोग इस विरोध को संविधानिक तरीके से करना चाहते थे। यह केवल श्री नासिर को प्रसन्न करने के लिये किया गया। पहले जब श्री जानसन तथा श्री क्रुश्चेव आये तो किसी साम्यवादी अथवा स्वतंत्र दल के नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसलिये इस बार इन नेताओं को गिरफ्तार करना उचित नहीं था। इसी कारण यह सरकार निवारक निरोध अधिनियम को गलत रूप में उपयोग करती है।

ऐसा ही उस समय केरल में हुआ जब चीन तथा पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया वहां कुछ उन लोगों को इस लिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वे कांग्रेस के समर्थक नहीं थे ।

मैं मंत्री महोदय से एक आश्वासन चाहता हूँ कि वे इसे राजनीतिक विरोधियों के विरूद्ध उपयोग नहीं करेंगे ।

Shri Sheo Narain (Bansi): Mr. Deputy speaker, we all know what happened after the R.I.D. was withdrawn. I want to ask those who are shedding crocodile tears as to whether they are sincere in the heart of their hearts. I want preventive detention to continue because India is surrounded by enemies like Pakistan and China. No Government can function unless it has got all rights for the maintenace of Law & Order.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Speaker in the hair]

We have seen its example on the 7th November. The officials of the Home Ministery did not execute the orders of the ex-Home Minister, Shri Gulzari Lal Nanda. I want to tell the new Home Minister to execute the Preventive Detention Act strongly. I am even in favour of enforcing the D.I.R. again.

Shri Koya spoke about Kerala. I visited Kerale in September and I told the people to vote one way or the other either Congress or the Communists. In case no one party wins then there could be rule of officials only. There should be democratic set up in the state.

I want to ask the opposition leaders and those who belong to the S. S. P. as to why they are using the students for their ulterior motives.

We want a clean and good Government in the country. We want Ram Rajye of the type which Gandhiji had visualised. I want the Home Minister to act strogly.

If people do not maintain law and order, naturally there would be firing. When housos are set on fire, there will have to be firing.

The mission of the Govornment is that all people whether they are Hindus, Muslims Sikhs or christians may live peacefully.

I want to support this resolution.

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा फिर जारी होगी ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTIONS

निन्नानवेवां प्रतिवेदन

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयको सम्बन्धी समिति के निन्नानवेवां प्रतिवेदन से, जो 23 नवम्बर, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के निन्नानवां प्रतिवेदन से, जो 23 नवम्बर, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
(The motion was adopted

प्रशासनिक सुधार आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE : INTERIM REPORT OF ADMINISTRATIVE REFORMS COMMISSION.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 10 नवम्बर 1966 को श्री सिंहासन सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्न संकल्प पर चर्चा करेगी।

"इस सभा की राय है कि प्रशासन सुधार आयोग द्वारा अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में, जो 1 नवम्बर 1966 को सभा पटल पर रखा गया था, की गई सिफारिशें सरकार पूर्ण रूप से स्वीकार करे और उक्त सिफारिशों को अविलम्ब कार्य रूप देने के लिये तदनुसार विधान अधिनियमित करने के हेतु आवश्यक कार्य करे।"

Shri Sinhasan Singh : Mr. speaker, prior to this there was no organisation which could investigate in cases of corruption against ministers and other high officials.

This matter has been going on for quite some time and Government too have not denied their cooperation in the matter. But it could not be discussed due to some reason or other.

It is not in the interest of the nation that a feeling should be there in the country that people with merit may not be able to advance whereas those who have got high approach may advance in their jobs. Even the officials have got this feeling now. The people at times even doubt the Public Service Commissions. This all is a matter of great regret. This feeling can be checked only when people come to believe that the corrupt ones, however, high they may be placed, will be punished.

Santhanam, Committee was appointed in 1962 when Shri Lal Bahadur Shastri was the Home Minister of India. The Committee gave its report on 31st March 1964.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

As a result of that Commission a vigilance Commission was appointed. The report of this Commision has also come before this House twice or thrice. The Commission too has expressed its inability saying that one clause in the prevention of corruption Act which requires the approval of the appointing authority before an officer may be prosecuted is a great hindrance in the way of removing corruption. In this regard the Commission has given some figures too.

In 1955 late Pandit Pant made a move whereby bribery became a cognisable offence. Prior to that it was not so and one had to give an application for that.

Vigilance Commission was appointed as a result of Santhanam Committee Report. Dr. Singhvi moved a motion on 9th April 1965 for the creation of an officer similar to the cases against to the Ombudsman so that cases against high officials may be investigated into. On that occasion Shri Hathi read out the earlier assurance given by Shri Nanda that he had agreed to that in principle and government was considering the matter. In addition to that, he said there was a study group of M. Ps.

In the meanwhile the Administrative Reforms Commission was appointed on 5th January 1966. At that time Sri Lal Bahadur Shastri was alive. The Commission has thought it fit to ensure that there should be a body in which people may have confidence that their grievances, would be looked into.

It should appear to all that every individual is equal in the eyes of law and none has immunity from it, howsoever great and highly placed he may be. Our social set up should be that investegations may be launched against a person in highest authority even at the instance of a common man and that is why I thought that a resolution should be moved in this House that the interim report presented by the Administrative Reforms Commission should be taken into consideration so that an early action may be taken on it by Government and a suitable legislation enacted in this regard. Unfortunately it had become a habit with us in the past to appoint a large number of Committees and Commissions, but when their reports were presented no action had been taken upon their recommendations. I feared that this interim Report of the Administrative Reforms Commission might not meet with the same fate and that prompted me to move the present resolution in this House.

The Administrative Reforms Commission had expressed the view that where as in the past the citizen was affected by the activities of a comparatively small number of State functionaries and in respect of only a small sector of his daily life, today he is exposed at numerous points to the impact of the multifarious activities of the administration ranging over a vast field, e. g. the operation of controls relating to the various commodities which he needs, the provision of many services intended for general benefit and welfare, the operation of contractual relations between himself and the Government in various spheres and the regulation of property rights and of various social services such as labour, banking insurance and provident funds. The activities of the State have become so multifarious that each citizen is subject to them in one way or the other. The Commission has further expressed that there is a vast area of cases arising out of the exercise of executive power which may involve injustice to individuals and for which no remedy is available. The Commission has therefore suggested the appointment of a Lok Pal in the centre and Lok Ayukts in the States so that every possibility of injustice to the citizen is eliminated. Whenever the question of the appointment of the Ombudsman is raised, it is argued on behalf of Government that such arrangements are possible only in small countries like Sweden. But I want to point out that a Parliamentary Commissioner has been appointed in U. K. whose functions are similar to those of the Ombudsman. In U. K. also a similiar organisation has been set up. Keeping in view the vastness of the country the Administrative Reforms Commission has suggested that Lok Pal should be appointed for the Centre and Lok Ayukts for the States.

It has been suggested that the status of the Lok Pal should be equal to a Supreme Court Judge and Government should have no control over him and he should be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.

As regards the jurisdiction of the Lok Pal, the Commission has suggested that the matter which arise out of the terms of contract governing purely commercial relations of the Administration with custumors or suppliers and the matter of action taken in respect of appointments, removals, pay, discipline, superanuation or other personal matters be excluded from the jurisdiction of the Lok Pal. No doubt the details about the jurisdiction of the Lok Pal and Lok Ayukts will be considered at the time when the bill in that regard will be considered, but I am of the opinion thatthese matters should not be excluded from the jurisdiction of the Lok Pal and Lok Ayukts.

There can not be two opinions about the desirability of Lok Pal and Lok Ayukts. I request the Government that the necessary bill should be brought before the Parliament as soon as possible. The Government had always pretended of some difficulties in introducing a bill in this regard. The commission has not only removed those difficulties but has also attached a draft bill with their report and hence a bill should be introduced at the earliest. The introduction of such a bill is essential so that public may have faith that even the highest authorities would be given proper punishment, if they indulge in illegal actions and corrupt methods. Corruption is wide spread these days and even Ministers are not spared from public comment about corruption. It is said that from top to lowest there is corruption and due to corruption at times Government is placed in a very embarrasing position. For example we were surprised to see the Verbatum copy report of the C. B. I. in the hands of a hon. Member, which was considered to be confidential. I want to remind the House that Sitaji was exiled by Ram Chanderji because he thought that Raja should be above public suspicion. Unfortunately people have no faith in administration today. If Government wants to have the confidence of the people and remove suspicion from their mind then they should accept my resolution.

With these words I move the resolution and hope the Home Minister will accept it.

उपाध्यक्ष महोदय ? संकल्प प्रस्तुत हुआ ? इस सभा की राय है कि प्रशासन सुधार आयोग द्वारा अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में, जो 1 नवम्बर 1966 को सभा-पटल पर रखा गया था, की गई सिफारिशें सरकार पूर्ण रूप में स्वीकार करे और उक्त सिफ़ारिशों को अविलम्ब कार्य रूप देने के लिए तदनुसार विधान अधिनियमित करने के हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।"

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना स्थानापन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ जिस का आशय यह है कि सरकारी अधिकरियों के भौतिक स्तर को ऊंचा करने की दृष्टि से इस प्रतिवेदन पर पुनर्विचार किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प तथा स्थानापन्न प्रस्ताव दोनो सभा के समक्ष हैं । इन के लिये दो घन्टे का समय निर्धारित किया गया था जिस में से आधा घण्टा पूरा हो चुका है ।

डां० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : देश में ओमबुडस्मेंन प्रकार की संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव का परवर्तक होने के नाते मैं प्रशासनिक सुधार आयोग की अन्तिरम रिर्पोट का स्वागत करता हूँ तथा श्री सिंहासन सिंह को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह प्रस्ताव पेश करके हमें इस सम्बन्ध में चर्चा करने का अवसर दिया ।

[**श्रीमती रेणुका राय पीठासीन हुये**
Shrimati Renuka Ray in the Chair]

मैं समझता हूँ कि इस प्रस्ताव से मेरे उस मूल प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में सहायता मिलेगी जिस को क्रियान्विति के मैं गत पांच वर्षो से स्वप्न देख रहा हूँ । इस संबंध में मैं आप को याद दिलाना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम मैंने प्रस्ताव 3 अप्रैल 1963 को इस सभा के सामने रखा था । उस समय बहस का उत्तर देते हुए माननीय विधि मंत्री ने कहा था कि यह नीति संबंधी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस का उत्तर केवल प्रधान मंत्री दे सकते हैं । मुझे याद है कि आपने इस प्रस्ताव के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं ने इस से सम्बन्धित सामग्री प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरु के पास भेजी थी और उन्होने मेरे विचार को बहुत पसन्द किया था, श्री नेहरु ने कुछ समय बाद जयपुर में भी इस बात का उल्लेख किया था कि उन्हें यह विचार बहुत पसन्द

आया। तदुपरान्त अप्रैल 1964 तथा अप्रैल 1965 में मैंने इस सभा में इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश किये थे तथा मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई थी कि सभा मेरे विचारों से लगभग सर्वसम्मिति से सहमत है। अत: मैं अनुरोध करता हूँ कि प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रस्तावों को सभा का सर्वसम्मत समर्थन मिलना चाहिये। बिना शक्ति के न्याय का कोई लाभ नही तथा बिना न्याय के शक्ति निरंकुश होती है। अत: हमें न्याय तथा शक्ति को साथ साथ रखना चाहिये जिस से न्याय को शक्ति एवं शक्ति को न्याय प्रदान किया जा सके। जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये एक संस्थान की स्थापना करने से वास्तव में यह उद्देश्य काफी दल तक प्राप्त हो जाता है। समस्त संसार के लोग ऐसे संस्थानों में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और विश्व के प्रजातंत्रात्मक राष्ट्रों के लोगों के हृदय पर इस विचार ने जादू कर दिया है। लोग यह अनुभव करते हैं कि 19 वी तथा 20 वी शताब्दी के दौरान नौकरशाही की अत्याधिक वृद्धि हुई है और यही एक ऐसा लोकतंत्रात्मक संस्थान है जो नौकरशाही पर नियंत्रण रख सकती है तथा जनता की शिकायतें दूर कर सकता है। इस तथ्य से इंकार नही किया जा सकता कि हमारे देश में नौकरशाही एवं असैनिक सेवा में अत्याधिक वृद्धि हुई है तथा प्रत्येक मंत्री स्तरीय दुर्ग क्रिचेन डाउन दीवारें दिखाई देती हैं और हम ने इन दिवारों को ही गिराना होगा। नौकरशाही की अनियंत्रित शक्ति को उन साधारण नागरिकों के हित में नियमित करना होगा जिन की शिकायतें निरर्थक पड़ी रहती हैं। प्रजातंत्र का यह आधार है कि जनता की सरकार होनी चाहिये तथा सरकार का उद्देश्य जनता की भलाई होना चाहिये। यह सच है कि हमारे देश में प्रजातंत्र प्रणाली है और सत्ता जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में है परन्तु हमें इस से संतुष्ट नही होना चाहिये क्योंकि मानव सभ्यता से हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है हमें उस से संतुष्ट न हो कर सदा सुधार के लिये अनर्थक परिश्रम करना चाहिये। यह सच है कि प्रजातंत्र में और विशेष रूप से संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत जनता का प्रभावकारी प्रतिनिधित्व होता है परन्तु हमें उस तथ्य के ओर भी जागरुक होना चाहिये जिस के उल्लेख इंगलैंड के चीफ जस्टीस हिवर्ट ने "न्यू डिस्पोटिज्म" नामक अपनी पुस्तक में किया है। उन्होंने कहा है कि असैनिक सेवाओं के रुप में एक नई तानाशाही का जन्म हुआ है। मैं नौकरशाही पर आरोप नही लगा रहा हुँ परन्तु नौकरशाही से जो अनियंत्रित शक्तियां पैदा हुई हैं उन का नियंत्रण करने के लिये ही वर्तमान समाज कल्याण राज्य की आवश्यकता अनुभव की गई है। जिन लोगों मे विशेषतया लोकतंत्र में राजनीतिक संस्थाओं का निकट से अध्ययन किया है वे सब इस बात से सहमत हैं कि जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये कोई प्रणाली निश्चित की जानी चाहिये।

जब कभी ऐसी व्यवस्था करने का प्रश्न उठाया गया है तो सरकार की तरफ से तर्क पेश किया गया है कि ऐसी व्यवस्था केवल केन्द्र शासित छोटे छोटे देशों में संभव है। मैं समझता हूं कि यह परमपरागत तर्क संगत नहीं, क्योंकि अन्तत: बिचारों की कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं होती। आयोग ने यह एक उचित विचार प्रस्तुत किया है जिसका हमारी जैसी अर्ध संघीय सरकार प्रणाली में उचित रूप से विकास किया जाना चाहिये। यह कहा गया है कि देश में इस संस्था को उन शिकायतों के दलदल में फंसने का खतरा है जिनमें कोई सचाई नहीं होती। वह एक उपयुक्त संस्था के अस्तित्व तथा उनकी उपयोगिता के बारे में भय अथवा भ्रम उत्पन्न करने का यत्न है। हमें उचित संरक्षण प्रदान करके इस का प्रयोग करना चाहिये, ताकि ऐसी कोई बात न हो। हम उन राष्ट्रों में से एक हैं जिन्होंने बहुत से बहुत महत्वपूर्ण संस्था संस्थानो को अपनाया है परन्तु हमारे देश में उन का कार्य संतोषजनक एवं उचित नहीं रहा है। अत: यह आवश्यकता

है कि हम अधिक आत्म विश्वास से कार्य करें और इस संस्थान को उचित ढंग से चलायें ।

लोकपाल तथा लोक आयुक्तों की प्रमुख विशेषता यह होगी कि वे स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होंगे। आयोग ने कहा है कि उनकी नियुक्ति जहां तक संभव हो गैर राजनैतिक होनी चाहिये । उनका रुतबा देश के उच्चतम न्यायाधिकारी के समान होना चाहिये । अन्याय, भ्रष्टाचार तथा कुनबापरस्ती के मामलों में वह सविवेक से कार्य करेंगे तथा उनकी कार्यवाही में किसी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा । मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आयोग ने मंत्री स्तरीय कार्यवाहियों को भी इन संस्थानों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत रखने की सिफारिश की है।

यदि हम आयोग द्वारा सुझाई गई संस्थाओं की स्थापना करते हैं तो हमें इनको संवैधानिक स्तर पर रखना होगा । यह कहा गया है कि संविधान में संशोधन किये बिना ये संस्थायें उचित रूप से कार्य नहीं कर सकेंगी । मैं स्वयं भी इस हक में हूँ कि जब कि हमारा संविधान शायद सारे संसार में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ऐसी अवस्था में इन संस्थानों को उचित स्थान न देने से एक अनियमितता सामने आयेगी । अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस विषय में एक संवैधानिक संशोधन किया जाना चाहिये ।

गृह मंत्री को हमें प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकारी विचार से अवगत करना चाहिये और उन्हें कम से कम यह कहना चाहिये कि सरकार इस रिपोर्ट को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करती है ताकि हमारे यह भ्रम और भय दूर हो जाये कि सरकार इन उचित सुझावों को अंगीकार नहीं करना चाहती इस रिपोर्ट में नियुक्तियों के सम्बन्ध में जो सुझाव दिया गया है वह बहुत ही सराहनीय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री के परामर्श से की जायेंगी और प्रधान मंत्री भारत के महान्यायाधीश तथा विपक्षी नेता से सलाह करके इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में परामर्श देगा । यह उपबंध इस लिये किया गया है ताकि इन नियुक्तियों की निष्पक्षता तथा सर्वमान्यता सुनिश्चित की जा सके । सरकार को इस रिपोर्ट को स्वीकार करना चाहिये तथा कम से कम इस सभा को यह आश्वासन देना चाहिये कि इस संस्था को स्थापित किया जायेगा और संविधान में उचित संशोधन किया जायेगा ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : सभापति महोदय, जहां तक प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन का संबंध है, इसमें कुछ अच्छी बातें है तथा मैं उनसे सहमत हूं । परन्तु यह सन्देहास्पद है कि क्या सुझाया गया तंत्र भ्रष्टाचार तथा जनता के कष्ट की समस्या को सुलझा सकेगा । मैं समझता हूँ कि केवल नई संस्थाओं की स्थापना से हमारी समस्याओं का हल नहीं हो सकता । हमने पहले भी आयोगों की नियुक्तियां की हैं । संथानम आयोग नियुक्त किया गया था । भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम तथा अन्य अधिनियम भी पारित किये गये है । भ्रष्टाचार खत्म करने तथा जनता के कष्टों का निवारण करने के लिये सरकार के पास पहले ही अधिनियमों के अन्तर्गत पर्याप्त शक्तियाँ हैं । हमारे यहाँ पहले ही बहुत से अधिकारी हैं और अब हम न केवल एक अधिकारी अपितु एक नये विभाग की स्थापना करना चाहते हैं । मैं समझता हूँ कि केवल नई संस्थाओं की स्थापना से ही समस्या हल नहीं हो जायेगी । यह एक मानवीय समस्या है तथा यांत्रिक ढंग से हम इस का हल नहीं कर सकते । हमें नये यन्त्र की नहीं अपितु नई

भावना की आवश्यकता है। सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि इन संस्थाओं के पीछे भावना क्या है।

[श्री सोनावने पीठासीन हुए
Mr. Sonavane in the chair]

इस समय जो अधिकारी और संस्थायें भ्रष्टाचार और जनता के कष्टो को दूर करने के काम में लगी हुई हैं उनमें नैतिक उत्साह की कमी है। हमने इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया हैं, लेकिन केवल यांत्रिक ढ़ंग से प्रयत्न किया गया है। मैं नहीं समझता कि केवल नये अधिकारियों की नियुक्ति से यह समस्या हल हो जायेगी। आवश्यकता इस बात की है कि अधिकारियों के नैतिक स्तर को सुधारा जाये तथा उनके चरित्र को अच्छा बनाया जाये। ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, परन्तु तो भी वहाँ सुचारु रूप से काम चलता है और संसार में ऐसे भी देश हैं जहां लिखित संविधान होने के बावजूद भी ठीक तरह से काम नहीं चलता। अतः समस्याओं का हल संस्थायें बनाने में नहीं, अपितु उन व्यक्तियों की भावना, चरित्र एवं नैतिकता पर निर्भर है जो उन्हें चलाते हैं।

मैं इस सारे प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं हूं, परन्तु हमें उचित बातों को उचित महत्व देना चाहिये। आज कल हम भ्रष्टाचार आदि के बारे में बहुत कुछ कहो हैं, तथापि इसके विरुद्ध सुदृढ़ जनमत नहीं है। अन्ततः अधिकारी तथा मंत्री भी तो कोई देवदूत नहीं हैं और वह भी समाज का ही अंग हैं। अधिकारी जनता में से ही लिये जाते हैं। जब तक हम समाज सुधार नहीं करते हमें कोई ईमानदार अधिकारी नहीं मिल सकेंगे। यदि हम नये अधिकारियों की नियुक्ति कर दें और उन्हें विस्तृत शक्तियां दे दें तो भी इस की कोई गारंटी नहीं है कि वे ईमानदार व्यक्ति होंगे और अपने उत्तरदायित्व को निभा सकेंगे। आप उन्हें संवैधानिक तथा कानूनी शक्तियां दे सकते है परन्तु सामान्य शिकायत तो यह है कि शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है। विलम्ब के बारे में शिकायतें की जाती हैं। विलम्ब का उत्तरदायी कौन है ? विलम्ब के उत्तरदायी वही व्यक्ति तो हैं, जो उस कार्य को करने के उत्तरदायी हैं। अतः व्यक्तियों के सुधार पर अधिक महत्व दिया जाना चाहिये था। सरकार की कार्यकुशलता को बढ़ाने पर अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। परन्तु इस प्रतिवेदन में इन बातों पर जोर न देकर केवल यांत्रिक ढंग से अधिकारियों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। हम समझते है कि यदि हम उन्हें समस्त शक्तियां दे दें तो वे अवश्य सफल होंगे। परन्तु वास्तविकता यह नहीं है।लोकतंत्र में वास्तविक प्रेरणा शक्ति जनता के पास होती है। इस लिये व्यक्तियों के सुधार पर अधिक बल दिया जाना चाहिये। हमें अपने आपको सुधारना चाहिये। प्रशासन में अकुशलता और विलम्ब की समस्या को उचित ढंग से सुलझाया जाना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को सुधारना चाहिये। तभी यह समस्या हल हो सकती है, केवल यांत्रिक ढंग से यह समस्या हल नहीं हो सकती।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैं उस प्रस्ताव का विरोध नहीं करता हूं, परन्तु मैं नहीं समझता कि केवल नये प्रकार की संस्था की स्थापना से समस्या का हल हो जायेगा। इसी कारण से मैंने कहा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग का सम्पूर्ण दृष्टिकोण केवल यांत्रिक रहा है और केवल इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। मैंने यह इस समय इसलिये कहा है कि यह

तो प्रशासनिक सुधार आयोग का केवल अन्तरिम प्रतिवेदन है और उन्होंने बाकी सब समस्याओं की अभी जांच करनी है तथा यह सुझाव देने है कि प्रशासन को सुचारु किस प्रकार से बनाया जाय। अत: मेरी राय यह है कि यदि प्रशासनिक सुधार आयोग का दृष्टिकोण सब मामलों में यांत्रिक रहा तो कोई विशेष सुधार नहीं होगा। मैं समझता हूं कि यह एक मानवीय समस्या है तथा व्यक्तियों में सुधार करने की दृष्टि पर इस सारी समस्या पर गौर की जानी चाहिये।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : महोदय यह पहला अवसर है कि इस सभा में प्रशासनिक सुधार आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन पर चर्चा की जा रही है और इसके लिये मैं श्री सिंहासन सिंह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया।

आखिर में भारत में ओम्बड्समैन के ढंग की एक संस्था शायद स्थापित होने जा रही है और आशा की जाती है कि हमारे देश में इस नवीकरण से बहुत सी आशंकाएं तथा डर दूर हो जायेंगे जो कि लोगों के दिमागों में बैठे हुए हैं।

भ्रष्टाचार की परिभाषा करना अत्यन्त कठिन है। बहुत सी शिकायतें भ्रष्टाचार के अन्तर्गत नहीं आती। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी प्रक्रिया हैं, जो स्पष्ट रुप से तो भ्रष्ट दिखाई नहीं देती, अपितु गुप्त रुप से भ्रष्ट होती हैं। इन बातों का स्पष्टीकरण करने के लिये कोई व्यवस्थित प्रयत्न नहीं किया गया है। हम सब जानते है कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर विद्यमान है तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामले इस सभा में लाये गये है, तथापि वे सब मामले भ्रष्टाचार के मामले नहीं थे। लोक-पाल तथा लोक आयुक्त की संस्थाओं की स्थापना से यह आशा की जाती है कि इनमें सुधार किया जायेगा तथा भ्रष्टाचार की ठीक ठीक परिभाषा निर्धारित की जायेगी और इस सम्बन्ध में सब त्रुटियों को दूर किया जायेगा।

श्री सिंहासन सिंह ने अपने संकल्प में लोक-पाल तथा लोक-आयुक्त जैसी संस्थाओं को स्वीकृति देने की मांग की है, जैसा कि प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन से संलग्न प्रारुप विधेयक में उल्लिखित है। श्री विभूति मिश्र ने एक संशोधन पेश करके यह मांग की है कि उचित रुपभेद करने के बाद इसे स्वीकार किया जाना चाहिये। मैं उस संशोधन का समर्थन करता हूं। लोकपाल तथा लोक आयुक्त की संस्थाओं को सम्मिलित करने के लिये संवैधानिक संशोधन अभी लाना अवश्य ही बहुत शीघ्र होगा। यह एक महत्वपूर्ण नवीकरण है और हमें इस काम की जांच करने के लिये कुछ समय की आवश्यकता है।

प्रशासनिक सुधार आयोग में लोक-पाल तथा लोक-आयुक्तों की नियुक्तियों के बारे में अपने प्रतिवेदन के साथ जो प्रारुप विधेयक पेश किया है, उस पर अधिक विस्तार से विचार किया जाना चाहिये, क्योंकि उस विधेयक में दो महत्वपूर्ण त्रुटियां दिखाई देती हैं। विधेयक के वर्तमान रुप को देखते हुए यह धारण होती है कि लोक-पाल जैसे पदाधिकारी द्वारा किसी समय जांच पड़ताल के कारण एक ओर संसद् की शक्तियों और दूसरी ओर प्रत्येक मंत्री को स्वविवेक पूर्ण शक्तियों के बीच जिनका वह प्रयोग करता है और उसे करना चाहिये, संघर्ष हो सकता है। इसलिये यह अभी नहीं कहा जाना चाहिये कि इसे उस रुप में स्वीकृत कर लिया जाये जिस रुप में उसकी सिफारिश की गई है। मैं इस बात से तो सहमत हूं कि लोक-पाल तथा लोक आयुक्त की संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिये, परन्तु मैं इस पक्ष में नहीं 'हूं' कि इस बारे में अत्याधिक शीघ्रता से काम लिया जाये। मैं यह अनुभव करता हूं कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है तथा हमें उसका अन्मूलन करना है।

परन्तु साथ ही साथ सरकार के कार्य में वृद्धि होने के कारण मंत्रियों तथा कार्यकारी अधिकारियों की जिम्मेदारियां इतनी अधिक बढ़ गई हैं और यह पता लगाना असंभव हो गया है कि वह उचित कार्य कर रहे है, अथवा अनुचित। साथ ही जैसा कि विकासशील देशों में प्रायः पाया जाता है धनी अथवा निर्धन वर्ग में संघर्ष की प्रवृतियां बढ़ती जा रही हैं। अतः इन सब बातों पर सविस्तार विचार करना है कि लोक पाल का कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिये।

अतः मैं अनुभव करता हूं कि इस पद की नियुक्ति से पहले ही सरकार अपनी यह नीति निर्धारित करे कि संसद् द्वारा किसी विशिष्ट नीति के दायरे के भीतर ही लोकपाल और लोक आयुक्त भेद भाव या अन्य बातों की संभावना की जांच कर सकता है और तभी उसकी शिकायतें दूर कर सकता हे। मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूँ कि लोक-पाल और लोक आयुक्तों की यथा संभव शीघ्र नियुक्ति की जाये परन्तु साथ ही विधायिकाओं के उत्तरदायित्व तथा मंत्रियों के सविवेक को परिभाषित किया जाना चाहिये।

Shri Bibhuti Misra : (Motihari) :

There is no doubt that the Administrative Reforms Commission has put in a great labour in preparation of their Report. But I am of the opinion that the acceptance of its recommendations will not solve the problem of corruption and public grievances. Government should not accept them immediately, but should give a serious thought to it. Every recommendation of the Commission should be very carefully considered. And final decision should be taken after that.

It has been stated that the Lok Pal will act only after a thing is done. The Ombudsman deals even with Petitions about non-receipt of replies from Government departments and delay in deciding a matter. Evidently such matters will fall outside the purview of the Lok Pal and Lok Ayukts. So according to our constitution the Ministers are responsible to the legislature. And in this case the institutions of Lok Pal and Lok Ayukt, if appointed, the Ministers will be answerable to them also. I am of the opinion that in this way a peculiar situation will be created.

I would also like to urge that while considering the report of the Commission we may also keep in mind this fact that the institution of Ombudsman have not been successful in getting the aim even in the scandanavian countries where, it has already been introduced. In this direction the real thing that matters is the morale of the people. I am of the opinion that unless the general morale of our people is not improved we will not be able to solve this problem of corruption and inefficiency.

I would like to urge that some arrangement should be done to impart moral education in our educational institutions. In this way it will be possible to produce the workers and officers of integrity. It is quite clear that unless the Moral Standard of our officers is raised it is impossible to eradicate corruption from our administrative Machinery.

I want to move my amendment that instead of "officers'" "functionaries" may be substituted. I hope it will be accepted.

Shri Yashpal Singh (Kairana) :

I congratulate Sri Singhasan Singh for this resolution which he has put forward before the House. It has provided us with an opportunity to discuss this most important subject of today. But I may submit that this should also be accepted that untill and unless the machinery to implement good principle is up to the standard, no principal can retain its original ardour. Only good followers can prove that the religion is good

As far as the appointments of Lok Pal and Lok Ayukt is concerned, I fail to understand how one man will be able to solve this formidable problem.

I am of the opinion that the appointments of Lok Pal and Lok Ayukt will not be able to root out the corruption entirely. I would like to urge that inorder that the problem is tackled nicely, we should also fix certain responsibilities on the District Magistrates. We should make it also clear that if a district magistrate can not root our corruption from the administrative machinary under him and in this- connection cannot achieve certain level of progress in his district within a stipulated period should be immediately dismissed from the service, As no action is taken against these administrative officers that the corruption is raising its head.

I would also like to urge that administrative machinery should be geared up. It would be good if the disposal of cases should be expedited. And if the disposal of cases are not attended to and the complaints against the officials are not heard, it will not be possible to combat corruption- Let me also point out that at present legislators approached various persons in authority in order to recommend cases of certain individuals. It is the duty of administrators to deal with such legislators very severely. We should lay great stress on the increasing of production. This should be understood that if production increased, the corruption will automatically be eliminated. It is also essential that all sorts of recommendations be stopped forth with.

श्री हेडा (निजामाबाद) : इस प्रशासन के विरुद्ध प्राय: तीन बातें कही जाती हैं । एक यह कि इसमें भ्रष्टाचार है दूसरा यह कि अयोग्य है और तीसरा यह कि पक्षपात चलाता हैं । यह तीन चीजें ऐसी हैं, यहाँ सवर्ग चर्चा चलती है । यहाँ तक कि केन्द्रीय कक्ष में भी इसकी ही चर्चा होती रहती है इसके बारे में हमें अब तनिक गम्भीर होना होगा । हमारा देश बड़ा व्यापक है और कई दोष केन्द्रीयकरण के कारण हो रहे हैं । गाँधी जी केन्द्रीयकरण के विरुद्ध थे, वह तो हमेशा विकेन्द्रीय का पक्ष लेते थे। औद्योगिक विकास भी इसका एक कारण है ।

भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयत्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रयत्न है । देश के गम्भीर चिन्तकों का ध्यान इसकी ओर गया है । इस बारे में सरकार के समक्ष कई प्रतिवेदन आते रहे है । अब कि बार इस दिशा में अन्तिम रूप में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन है । यह अन्तरिम प्रति-वेदन ही समझना चाहिए । इस आयोग का अध्यक्ष बहुत ही अनुभवी प्रशासक है, और सभी प्रकार का ध्यान रखते हुए ही उन्होंने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । उन्होंने कहा लोक-पाल और लोक आयुक्त के पदों बनाये जांय । यह बहुत ही जरूरी बात है । इस प्रकार की समस्या की बहुत ही जरूरत महसूस हो रही थी । अत: मेरा कहना यह है कि लोक-पाल और लोक आयुक्त के बारे में जो सिफारिशें आयोग की है इसे अन्तरिम न समझकर अन्तिम समझनी चाहिए ।

यह भी ठीक बात है कि लोक-पाल अथवा लोक आयुक्त मंत्रियों के स्वविवेक की शक्तियों के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठायेंगे । और एक वर्ष पुरानी हो गई घटनाओं के सम्बन्ध में भी शिकायतों पर विचार नहीं करेंगे । इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि लोक-पाल के पद की हैसियत को बढ़ा दिया गया है । इस पद को मुख्य न्यायाधीश के स्तर पर कर दिया गया है । इतना ऊंचा हो जाने से लगता है कि लोग उसमें अवश्य विश्वास करने लगेंगे । आज देश में यह स्थिति पैदा हो गई है कि सिफारिशों के बिना साधारणत: कोई काम होता ही नहीं । यह स्थिति बहुत ही खतरनाक है और इसका तुरन्त कोई हल निकाला जाना चाहिए । आशा करनी चाहिए कि लोक-पाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति इस प्रकार के वातावरण को दूर कर सकेगी । और यह

प्रणाली काफी शक्तिशाली सिद्ध होगी। इन शब्दों के साथ मैं श्री सिंहासन सिंह के संकल्प का समर्थन करता हूँ। यह देश के हित की बात है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : मैं श्री सिंहासन सिंह के इस संकल्प का स्वागत करता हूँ। प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए। जब से हम संसद् में आये है प्रशासन में भ्रष्टाचार और अयोग्यता की बात सुन रहे हैं। जो लोग जनता के सम्पर्क में आते हैं, उन्हें पता है कि किस प्रकार लोग अपने आप को बेबस महसूस कर रहे है। सरकार के विरूद्ध भावना बढ़ रही है। सरकार का भी कोई दोष नहीं है। प्राधिकार केन्द्रित होता जा रहा है। प्राधिकार के केन्द्रित हो जाने के फलस्वरूप, राज्य का प्रशासन बड़ा जटिल हो गया है। साधारण व्यक्ति आज पूर्णतः प्रशासन के रहम पर जी रहा है। लोगों की उचित मांगों की ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा और वास्तविक व्यथा भी निवारण नहीं होपा रहीं। विभाग की बदनामी का विचार भी उनके काम नहीं आता। न्याय तो मिलना दूर रहा लोगों की शिकायतों के आवेदन पत्र तक गुम हो जाते हैं और उनका पता नहीं चलता।

मेरा निवेदन यह है कि यह बड़ी विकट स्थिति है। यह सरकार का कर्तव्य है कि हम लोगों के दिलों में विश्वास की भावना का निर्माण करे। लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास और सरकार के प्रति आदर का भाव पैदा करना चाहिए। इसके बिना सरकार का काम ठीक ढंग से नहीं चल सकता। सरकार को केवल शक्ति के आधार पर ही नहीं चलाया जा सकता। अच्छी सरकार के लिए यह बड़ी जरूरी बात है कि सब तरह के लोगों को समान अधिकार दिये जाय। इस सन्दर्भ में मेरा निवेदन यह है कि सरकार को, प्रशासनिक सुधार आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन में जो सिफारिशें दी गई है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि उन्हें उचित विचार के बाद जितनी भी शीघ्रता से किया जा सके, कर दिया जाय। इस प्रतिवेदन की वह दशा नहीं होनी चाहिए जो सन्तानम समिति के प्रतिवेदन की हुई है।

सन्तानम समिति की भी यह सिफारिश थी कि शिकायतों को दूर करने के लिए एक निदेशालय बनाया जाय, और एक चौकसी आयुक्त नियुक्त किया जाय। यह भी था कि उसे संसद का अधिकारी माना जाय, न कि सरकार का। इस दिशा में मेरा यह निवेदन है कि प्रजातंत्र में आरोप तो खुलकर लगाये ही जाते हैं। और यह बहुत जरूरी बात है कि उन आरोपों की जांच किसी ऐसे अभिकरण द्वारा कराई जाय जो निष्पक्ष, स्पष्ट, स्वतन्त्र हो। वह सरकार के आधीन न होकर संसद का अधीनमय हो। ऐसी अवस्था से ही देश, प्रशासन और लोकतंत्र को कुछ शक्ति मिल पायेगी। आशा करनी चाहिए कि सरकार उन सभी संस्थाओं की स्थापना करेगी जिनकी कि प्रशासनिक आयोग ने सिफारिश की है। आज जो देश में प्रान्तवार और प्रशासन में अयोग्यता है, इसका कारण, योजना को ठीक प्रकार से कार्यान्वित न किया जाना है। यदि अब भी हम ठीक दिशा की ओर न चले तो जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं उससे वंचित रह जायेंगे।

Shri Ram Sahai Pandey (Guna) :

The justice is very essential in order to keep the health of the society in order. This justice should be available to everybody in three forms, social justice, economic justice and administrative justice. It is true, we have not been able to give even one type of justice to our people. There is a Caste System and on the basis of which the discrimination is being done between man and man. Economic disparity is wide

spread and we have been rendered utterly helpless to give administrative justice to the people. Justice has also become very dear and has not remained within the reach of common man. In these circumstances the Report of the Administrative Reform's Commission will have to be welcomed. It will be in the interest of our country that the recommendations of the Commission should be speedily implemented.

Today we find that our society is developing and becoming affluent. In view of this we should adopt the good things of the other countries. It will be really very good if the institution of Ambudsman of Scandenavian countries can give justice to the people here. Common man wants justice and if justice is given to him, he will welcome it. We must set up this institution as early as possible. With these words I support this resolution. It is our duty today to give justice to everybody and raise the general standard of living.

Shri Bade (Khargone):

Tnis resolution has come after the interim report of Administrative Reforms Commission has already been presented. It has been suggested in the resolution that the office of the Lok Pal should be created. This is a very good thing. But I am of the opinion that malady of corruption started with British Regime here Shri Nandaji could finish corruption, corruption has brought his end.

Corruption is spreading in our society because of the prevailing poverty in the masses. It is a good suggestion to appoint 'Lok Pal', for enquiring into the grievances of the people. Although the recommendation of Commission is that this appointment should be made by President in consultation with the Prime Minister yet looking at the present situation of the country opposition parties should also be taken into confidence.

"As has been recommended by the Commission that 'Lok Pal' will have to submit his report to the Chief Minister concerned, then I would say that the conditions are not going to improve because the Chief Ministers are the source of corruption in their respective States. Before taking any action to in regard to the appointment of 'Lok Pal' and all these aspects should be taken into account and this suggestion should also be carefully considered."

गृह–कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण): माननीय सदस्यो ने जो बहुत ही उपयोगी भाषण दिये हैं उनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है । परन्तु मैं कोई आश्वासन नही दे सकता परन्तु कारण बताने से पूर्व कि मैं कोई आसवासन क्यों नही दे सकता मेरे विचार में प्रशासनिक सुधार आयोग की अन्तरीय रिपोर्ट की प्राप्त भूमि बता देना आवश्यक है ।

सन्तानम समिति के प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने के पश्चात लोगों की शिकायते सुनने के प्रश्न पर दोनों सभाओं में पूरी तरह विचार हुआ था जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था कि सतर्कता आयोग में दो लोगो की शिकायतें सुनने के लिये एक निर्देशक होना चाहिये था । परन्तु निर्णय यह किया था कि सतर्कता आयोग को यह निर्देश देने के स्थान पर किसी अन्य व्यवस्थाका प्रबन्ध किया जाना चाहिए । इसके पश्चात प्रत्येक मंत्रालय में शिकायते सुनने के लिये कुछ व्यवस्था की गई ।

इसके पश्चात संसदीय परामर्शदायी ग्रुप ने कुछ निष्कर्ष निकाले । एक निष्कर्ष ओम्बउमैन की नियुक्ति के बारे में था । सिद्धान्तरूप में उन्होंने इस संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी लोकपाल तथा लोक आयुक्त की नियुक्ति के बहुत ही भौतिक तथा महत्वपूर्ण सुधार होगा जिसका प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में सुझाव दिया है यह

स्वभाविक ही है कि उक्त आयोग ने समूचे ब्यौरे पर विचार किया होगा, और लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया है। लोकपाल सचिवों की प्रशासनिक गतिविधियों की देखभाल का जिम्मेदार होगा और लोक आयुक्त अन्य वर्ग के लोगों की गतिविधियों के लिये जिम्मेदार होगा। प्रत्येक राज्य में लोक आयुक्त और केन्द्र में लोकपाल नियुक्त किया जायेगा। इसलिये सुधार आयोग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया है स्वभाविक ही है कि सरकार को इस पर बहुत ही गम्भीरता से विचार करना होगा क्योंकि हम इतनी विस्तृत शक्तियों वाली नई संस्थाओं की स्थापना कर रहे हैं। न केवल केन्द्रीय सरकार तथा इस सभा को बल्कि राज्य सरकारों तथा राज्य विधान मण्डलों को भी इन संस्थाओं के स्वरुप की छान बीन करने तथा उन पर अपने मत देने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए।

अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त होने तथा सभापटल पर रखे जाने के तुरन्त पश्चात् राज्य सरकारों को अपनी अपनी राय देने के लिये कहा गया था : इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है। मैं किसी प्रकार के निर्णय के बारे में अपनी स्थिति व्यक्त नही कर सकता क्योंकि समस्त मामलो की जांच हो रही हैं। इसलिये इस पर अभी कुछ समय लगने की सम्भावना है। इस मामले में विलम्ब करने का कोई इरादा नहीं है और हमारा यह प्रयत्न है कि इस बारे में शीघ्र निर्णय किया जाये। सरकार स्वयं जनता के कष्टों की समस्या को हल करने के लिये कोई उचित व्यवस्था करना चाहती है।

इस संकल्प तथा इस पर हुई चर्चा से हमें अवाय ही सहायता मिली है क्योंकि इससे इस समस्या पर और अधिक प्रकाश पड़ा है और किसी नई व्यवस्था की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया है। इस चर्चा का अपना पृथक योगदान है और मुझे आशा है कि संकल्प के प्रस्तावक इस पर मतदान के लिये जोर नहीं देंगे।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : हम माननीय गृह कार्य मंत्री से कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं।

सभापति महोदय : प्रस्तावक के उत्तर के पश्चात मैं उनको एक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur); It appears from the statement of the hon. Minister that Government itself is anxious to constitute such a body. We all desire to have a clean administration. I therefore do not want to put my resolution to the vote of the House.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : राज्य सरकारों ने इस पर क्या क्या प्रश्न किये हैं। राज्य सरकारें कब तक अपनी प्रतिक्रिया केन्द्रीय सरकारको बता देंगी। क्या सरकार ने इसके लिये कोई समय सारिणी बनाई है। क्या इन प्रस्तावों पर और विचार करने के लिये मंत्रि मण्डल की कोई अन्य समिति अथवा विकास बनाया जायेगा इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व और किस प्रकार सरकार इन प्रस्तावों पर विचार करेगी।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हमने सारी योजना राज्य सरकारों को भेज दी हैं। वे अपने अपने विधायकों तथा विधान मण्डलों से विचार विमर्श करेगी। हम इस मामले में विलम्ब करना नहीं चाहते। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता कि सरकार क्या निर्णय करेगी। हो सकता है इस मामले को ओर अधिक छानबीन के लिये कोई उप-समिति बनाने का सुझाव दिया जाये। परन्तु कुछ समय अवश्य लगेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि संकल्प को मतदान के

लिये न रखा जाये ।

सभापति महोदय : श्री विभूति मिश्र यहां पर उपस्थित नहीं हैं । इसलिये मैं उनका स्थापना पत्र प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा श्री विभूति मिश्र का स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The substitute motion was put and negatived

सभापति महोदय : क्या सभा की अनुमति से श्री सिंहासन सिंह अपना संकल्प वापस ले सकते हैं ।

माननीय सदस्य : जी हाँ ।

संकल्प, सभा की अनुमति से वापस लिया गया :

The Resolution was by leave withdrawn.

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये विदेशी सहायता के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : FOREIGN AID FOR THE FOURTH PLAN

श्री अल्वारेस (पंजिम) मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि सभा का यह मत है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के संसाधनों में विदेशी सहायता का परिमाण एवं स्वरूप ऐसा है जिससे इस योजना की सफलता खतरे में पड़ सकती है इसलिए सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे इस योजना के लिये ये विदेशी सहायता पर हमारी निर्भरता कम से कम हो जाये" । मुझे आशा है कि योजना मंत्री को इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी इस संकल्प के दो भाग हैं । एक तो विदेश सहायता के स्वरूप के बारे में है जिस पर कि हम पूरी तरह निर्भर हैं और दूसरे ऐसे उपाय अपनाने के बारे में है जिसमें यह निर्भरता कम से कम ठीक है ।

पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई के दौरान विदेशी सहायता पर निर्भरता की कमजोरी का पता लग गया था कई देशों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि जब तक पाकिस्तान से लड़ाई बन्द नहीं की जाती वे हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे हमें जो विदेशी सहायता मिल रही है उसके परिणाम तथा स्वरूप इस प्रकार विस्तृत हैं कि सहायता देने वाले देश कभी भी हमारी नीतियों से रुष्ट होकर हमारी सहायता रोक सकते हैं। परिणाम स्वरूप हम अत्यावश्यक वस्तुएँ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

श्री शिवनारायण (बांसी) : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : सभा में गणपूर्ति न होने के कारण सभा को स्थगित किया जाता है ।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार 29 नवम्बर, 1966 8 अग्रहायण, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, November 29, 1966. Agrahayan 8, 1888 (Saka).